



वार्षिक प्रतिवेदन

2022-2023

एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान)



कॉर्पोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री संजय भट्टाचार्य [डीआईएन: 07674268]	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के. मोहन [डीआईएन: 08385809]	- निदेशक (कार्मिक)
श्री राजिंदर सिंह मनकू [डीआईएन: 09706881]	- निदेशक (योजना) [18.08.2022 से प्रभावी] एवं निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार में
श्री विजय मित्तल [डीआईएन: 09548096]	- नामांकित निदेशक, भारत सरकार
श्री आदित्य कुमार घोष [डीआईएन: 09222808]	- नामांकित निदेशक, भारत सरकार
श्री ओम प्रकाश मित्तल [डीआईएन: 00512243]	- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री सुंदर पाल सिंह [डीआईएन: 09438081]	- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती नमिता देवी उर्फ श्रीमती लवली गुप्ता [डीआईएन: 07436235]	- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

लेखा परीक्षा समिति

श्री ओम प्रकाश मित्तल, अध्यक्ष
श्रीमती नमिता देवी
श्री सुंदर पाल सिंह

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री सुन्दर पाल सिंह, अध्यक्ष
श्री आदित्य कुमार घोष
श्री ओम प्रकाश मित्तल

हितधारक संबंध समिति

श्रीमती नमिता देवी, अध्यक्ष
श्री के. मोहन
श्री ओम प्रकाश मित्तल
श्री सुन्दर पाल सिंह

जोखिम प्रबंधन समिति

श्री के. मोहन, अध्यक्ष
श्री राजिंदर सिंह मनकू,
श्री ओम प्रकाश मित्तल,
श्रीमती नमिता देवी

निदेशक मंडल की समिति

श्री संजय भट्टाचार्य, अध्यक्ष
श्री के. मोहन
श्री राजिंदर सिंह मनकू

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री राजिंदर सिंह मनकू
[14.02.2023 से प्रभावी]

कंपनी सचिव

श्रीमती सुचरिता दास
(आईसीएसआई सदस्यता संख्या F5159)

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
383, लेक गार्डन, पहली मंजिल,
कोलकाता - 700 045
टेलीफोन: (033) 4072 4051/4052/4053
फैक्स: (033) 4072 4050
ईमेल: mcssta@rediffmail.com

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एस के बसु एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
20/5/2/2, विश्वेश्वर बनर्जी लेन,
हावड़ा - 711101

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स ए के लाभ एंड कंपनी
कंपनी सचिव,
40, वेस्टन स्ट्रीट, तीसरी मंजिल,
कोलकाता - 700013

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स डीजीएम एवं एसोसिएट्स,
लागत लेखाकार,
64, बी बी गांगुली स्ट्रीट (दूसरी मंजिल),
कोलकाता - 700 012

पंजीकृत कार्यालय

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
टेलीफोन: (033) 2242 8210/ 8550
फैक्स: (033) 2242 9770
वेबसाइट: www.andrewyule.com
ईमेल: com.sec@andrewyule.com
सीआईएन- L63090WB1919GOI003229

बैंकर्स

इंडियन बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
करूर वैश्य बैंक

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय

404, गुरु अंगद भवन,
71, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली - 110019

ध्यान दें: इस रिपोर्ट में कहीं भी निर्दिष्ट किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम, जैसा भी मामला हो, उसके नाम के सामने उल्लिखित निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सदस्यता संख्या के साथ पढ़ा जाएगा।



दृष्टि

निरंतर सुधार और नवाचार के माध्यम से अत्याधुनिक उत्पाद और वस्तु प्रदान करके "YULE" को एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित करना।

उद्देश्य

- वित्त वर्ष 2027 तक एवाईसीएल को 1000 करोड़ रुपये की कंपनी का निर्माण।
- विकास और लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए नए बाज़ार का दोहन।
- समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना।

निदेशक मंडल

कार्यकारी निदेशक



श्री संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री के. मोहन
निदेशक (कार्मिक)



श्री राजिंदर सिंह मनकू
निदेशक (योजना)

सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री विजय मित्तल
संयुक्त. सचिव, एमएचआई




श्री आदित्य कुमार घोष
उप. सचिव, एमएचआई

स्वतंत्र निदेशक



श्री ओम प्रकाश मित्तल



श्री सुंदर पाल सिंह



श्रीमती नमिता देवी

विषय सूची	पृष्ठ
अध्यक्ष का वक्तव्य.....	5
सदस्यों को सूचना.....	8
बोर्ड की रिपोर्ट.....	19
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट.....	40
बोर्ड की रिपोर्ट के अन्य अनुलग्नक.....	45
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट.....	54
कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट.....	77
एकल वित्तीय विवरण	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	99
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ.....	115
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स.....	118
तुलन पत्र.....	132
लाभ एवं हानि का विवरण.....	133
नकदी प्रवाह का बयान.....	134
इक्विटी के परिवर्तनों का कथन.....	136
वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियाँ.....	137
समेकित आर्थिक विवरण	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	165
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ.....	183
वित्तीय विवरण के नोट.....	186
तुलन पत्र.....	200
लाभ एवं हानि का विवरण.....	201
नकदी प्रवाह का विवरण.....	202
इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण.....	204
वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियाँ.....	205
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत एओसी-1 फॉर्म में विवरण.....	234

अध्यक्ष का वक्तव्य

श्री संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

एंद्र्यू यूल् एंड कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की 75वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिसमें परिचालन, वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय पहलुओं में कंपनी के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 2022-23 में तीव्र भू-राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता देखी गई। वर्तमान रूस-यूक्रेन संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू कामकाज को बाधित कर दिया है। विशेषकर विकसित बाजारों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। 2023 के लिए वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में गिरावट का जोखिम प्रतीत होता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 2.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। भारत में अनुमानित जीडीपी वृद्धि 2023-24 में 6.1% होने की उम्मीद है और यह सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी।

कंपनी की मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां

आपकी कंपनी ने उद्योग में बढ़ती जटिलताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर जारी अनिश्चितता के बावजूद लगातार प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 8.98 करोड़ रुपये [2021-22 में 11.13 करोड़ रुपये] और आवश्यक आयकर प्रावधान और अन्य समायोजन करने के बाद कुल व्यापक आय (टीसीआई) (67.09) लाख रुपये [2021-22 में (16.41) लाख रुपये] थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2021-22 में 470.98 करोड़ रुपये की तुलना में 405.79 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया, यानी 16.06% की कमी लेकिन उस पर विचार करते हुए FY22 के आंकड़ों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के माध्यम से इलेक्ट्रिकल - कोलकाता इकाई को बंद करने के लिए 77.55 करोड़ रुपये का राइट-बैक शामिल है, FY23 के लिए वास्तविक प्रदर्शन बेहतर कहा जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चाय प्रभाग के परिचालन से होने वाली आय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 231.25 करोड़ रुपये से घटकर 213.72 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे 17.53 करोड़ रुपये की कमी जून, जुलाई और नवंबर, 2022 में खराब मौसम की स्थिति के कारण उत्पादन में कमी और बिक्री में कमी के कारण आई है।

हालांकि, कई बाधाओं के बावजूद, आपकी कंपनी ने चाय के निर्यात मूल्य में 431% की वृद्धि हासिल की, जो वित्त वर्ष 22 में 5.11 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 27.16 करोड़ रुपये हो गई। इसने माननीय प्रधान मंत्री और माननीय भारी उद्योग मंत्री दोनों के सम्मानित कार्यालयों से कंपनी के लिए प्रशंसा अर्जित की है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, हालांकि चाय डिवीजन को कम बिक्री और सरकार के आदेशों से मजदूरी में वृद्धि के कारण नुकसान हुआ है, लेकिन निम्नलिखित उपायों को देखते हुए आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है:

- क) चाय की गुणवत्ता में सुधार,
- ख) ब्रांड छवि में सुधार,
- ग) भारतीय बाजार में चाय की कीमतों में मंदी के बावजूद लागत नियंत्रण।
- घ) इस वर्ष, श्रीलंकाई और केन्याई चाय के अंतरराष्ट्रीय बाजार में वापस आने के बावजूद, एवाईसीएल पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात के समान या उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
- ङ) पूरे भारत में खुदरा उपस्थिति धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। कंपनी खुदरा बाजार हिस्सेदारी विस्तार और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न रणनीतियों को लागू कर रही है और खुदरा बाजार सहयोगियों, बिजनेस चैनल पार्टनर और अधिक कियोस्क के संचालन की भी संभावनाएं तलाश रही है।
- च) विभिन्न प्रमाणन, एवाईसीएल चाय (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) के साथ बाजार में प्रवेश और डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स आउटलेट के माध्यम से बड़ी उपस्थिति के साथ, डिवीजन लगातार अपनी ब्रांड इकटिरी के साथ-साथ मूल्य संवर्धन को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- छ) सभी 15 उद्यान प्रबंधकों को गुणवत्ता के साथ फसल को अधिकतम करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है और लक्षित क्षमता उपयोग, राजस्व और पीबीटी प्राप्त करने के लिए खरीदे गए पत्ती उत्पादन से किसी भी कमी को पूरा किया जाना चाहिए।
- ज) चाय पर्यटन: एवाईसीएल ने एमआईएम टी गार्डन, दार्जिलिंग में टी रिजॉर्ट/ गेस्ट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया है। विस्तार परियोजना के तहत, एक प्रीमियम बंगले (4 कमरे) ने परिचालन शुरू कर दिया है, जबकि 2 नए बंगले (कुल 6 कमरे) परिचालन शुरू करने के लिए तैयार हैं। एवाईसीएल की योजना में इसके लिए उपयुक्त गैर-चाय क्षेत्र की पहचान के साथ और विस्तार भी शामिल है।

ऊपर बताए गए कदमों की शुरुआत के साथ, एवाईसीएल के पास उद्योग की 2.1% सीएजीआर की वृद्धि की तुलना में 7% सीएजीआर की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 32 तक चाय कारोबार को दोगुना करने की गुंजाइश है।

इसे मौजूदा/ उन्नत बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ नए चाय बागानों के अधिग्रहण के माध्यम से स्वयं के उत्पादन और खरीदी-पत्ती क्षमता में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

खुदरा चाय कारोबार में भी मूल्य के लिहाज से वित्त वर्ष 2027 तक वर्तमान 0.74% से 10% (यानी 14 गुना) की वृद्धि की उम्मीद है।

FY27 तक निर्यात वृद्धि वर्तमान 12% से बढ़कर 20% होने की उम्मीद है।

परिचालन मापदंडों और गुणवत्ता की निगरानी के लिए सेंसर-आधारित प्रौद्योगिकियों के साथ बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण को अपनाया जाना चाहिए।

एकीकृत कीट नियंत्रण, मिट्टी के स्वास्थ्य और झाड़ियों की मजबूती के लिए अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ वनस्पति विज्ञान के उपयोग को भी स्थायी व्यवसाय मॉडल और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं के मद्देनजर अधिक महत्व दिया जा रहा है।

चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) हमें "भविष्य के लिए तैयार" बनाने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में एवाईसीएल के साथ मिलकर काम कर रहा है।

ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए रेट्रोफिटिंग में इंजीनियरिंग डिजीवन की विशेषज्ञता ने स्टील और सीमेंट क्षेत्र में ऑर्डर बुकिंग में सुधार किया है। इंजीनियरिंग डिजीवन में ऑर्डर टैंक में वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 2013 में 300 इम्पेलर्स बनाए गए, जबकि वित्त वर्ष 2012 में 263 इम्पेलर बनाए गए। AYCL की वित्त वर्ष 2024 तक क्षमता को 360 इम्पेलर्स तक बढ़ाने की भी योजना है। इन सभी मोर्चों पर निरंतर प्रयास के साथ, इंजीनियरिंग डिजीवन में ऑर्डर बुकिंग में 9.73% का सुधार हुआ है (वित्त वर्ष 2023 में 54.70 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 22 में 49.85 करोड़ रुपये)। चूंकि डिजीवन के पास दक्षिण भारत को छोड़कर सभी जनसांख्यिकी में ग्राहक आधार है, इसलिए दक्षिण भारत को नए ग्राहक आधार के रूप में शामिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास जारी है।

इंजीनियरिंग प्रभाग में निम्नलिखित मौजूद है:

- क) इसकी परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने और आधुनिक बनाने की योजना बनाई गई है जो 2/3 शिफ्ट में काम करने के साथ-साथ क्षमता के और विस्तार के लिए बाधाओं को दूर करेगी।
- ख) इकाई खदान वेंटिलेशन में व्यवसाय करने की संभावनाएं तलाशेंगी। यूनिट पहले ही 3 पूछताछ में भाग ले चुकी है। फिलहाल इसे हमारे अपने डिजाइन के साथ प्लान किया गया है।
- ग) वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं में व्यवसाय विकास/ विस्तार। एवाईसीएल ने पहले अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी की थी और टाटा स्टील में वायु प्रदूषण नियंत्रण (एपीसी) परियोजना; और भारतीय रेलवे में जल प्रदूषण नियंत्रण (डब्ल्यूपीसी) परियोजनाएं को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने के लिए, एवाईसीएल ने सेल-बोकारो के साथ नामांकन के आधार पर उनके 100 करोड़ रुपये से अधिक के एपीसी प्रोजेक्ट में से एक का काम शुरू किया है। भारतीय रेलवे, हावड़ा और खड़गपुर में क्रमशः एक डब्ल्यूपीसी और पेयजल परियोजना पूरी हो चुकी है/ पूरी होने वाली है (प्रत्येक परियोजना का मूल्य 10 करोड़ रुपये है)। कंपनी सेल-बोकारो जैसी बड़ी एपीसी परियोजनाओं के लिए साझा कार्यक्षेत्र वाले भागीदारों के लिए समय पर ईओआई जारी करेगी; डब्ल्यूपीसी परियोजना डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना भी अनुभवी उप-विक्रेताओं के माध्यम से की जाएगी जैसा कि दो उद्भूत परियोजनाओं में किया गया है। परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने और बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त विक्रेता आधार विकसित किया जाएगा।

ऊपर बताई गई शक्ति और अवसरों के साथ, इंजीनियरिंग प्रभाग में आने वाले वर्षों में संभावित या अच्छी वृद्धि की संभावना है।

इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन (ई-सीओ) ने एवाईसीएल की पहली (+) 100 करोड़ टर्नओवर वाली इकाई बनकर इतिहास रच दिया है और इन-हाउस उच्च उत्पादन, लागत नियंत्रण आदि में सुधार को देखते हुए आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। यूनिट ने कई राज्यों में ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए विपणन प्रयास बढ़ाए और अधिक नौकरी के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए विभिन्न निविदाओं में भाग लिया।

मौजूदा ऑर्डर 74.65 करोड़ रुपये का है और यूनिट को हाल ही में 28.11 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। चालू वर्ष में, हाथ में ऑर्डर की निष्पादन स्थिति के आधार पर आगे के ऑर्डर लिए जाएंगे।

इस इकाई की एक योजना है:

- क) ई-सीओ के मौजूदा परिसर में खुदरा ईंधन आउटलेट की स्थापना। असम, पश्चिम बंगाल और चेन्नई में AYCL के स्वामित्व वाली विभिन्न साइटों पर सबसे आधुनिक ईंधन रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए AYCL को सलाह देने के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
- ख) ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाएं तलाशना (उन ग्राहकों द्वारा वित्त पोषित जो उन्हें संचालित करेंगे)। इसके लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तकनीकी साझेदार के पैनल में शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

वित्त वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन व्यवसाय में 20% से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। आरई उत्पादन की बढ़ती निकासी के कारण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) परियोजनाओं और समग्र ट्रांसमिशन कार्यक्रम में अपेक्षित गति को ध्यान में रखते हुए, मध्यम अवधि में बिजली ट्रांसफार्मर की मांग में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, टी डिजीवन, इंजीनियरिंग डिजीवन और इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशंस की अनुमानित व्यावसायिक वृद्धि के साथ, AYCL के व्यवसाय में FY24 तक 33% की शीर्ष वृद्धि होने का अनुमान है।



व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता: वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट में अपनी 'व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट' (बीआरएसआर) प्रकाशित की है। बीआरएसआर 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश' के सिद्धांतों के खिलाफ कंपनी के प्रदर्शन को इंगित करता है। इससे सदस्यों को कंपनी की पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक पहलों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस: आपकी कंपनी हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अखंडता समझौते का कार्यान्वयन, आचार संहिता को अपनाना और एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचा कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं की पारदर्शिता को बढ़ाता है। एवाईसीएल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34(3) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों में निर्धारित है। हालाँकि, निदेशकों के रिक्त पदों को भरना, जो कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताओं में से एक है, सरकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन पर एक रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। वित्त वर्ष 22 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन के लिए एवाईसीएल को भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है और वित्त वर्ष 23 के लिए भी यही उम्मीद है।

समाप्त करने से पहले, निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने मूल्यवान हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक सम्मान और गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। आप हमेशा प्रेरक शक्ति रहे हैं जिसने हमें आगे बढ़ने में मदद की है। मैं एवाईसीएल के उन सभी कर्मचारियों की भी हार्दिक सराहना करता हूँ जिन्होंने सबसे खराब कोविड-19 स्थिति के दौरान और उसके बाद के वर्षों में भी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहसी जिम्मेदारी निभाई।

साथ ही, मैं कंपनी के निदेशक मंडल और भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूँ, जिसके बिना कंपनी को ऊर्जा और उत्साह के साथ नेतृत्व करना संभव नहीं होता। हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए कंपनी के सभी हितधारकों से निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता की आशा करते हैं।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 31 अगस्त, 2023

संजय भट्टाचार्य

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

CIN: L63090WB1919GOI003229

पंजीकृत कार्यालय: "यूल हाउस", 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001

दूरभाष: (033) 2242-8210/8550; फ़ैक्स: (033) 2242-9770

ई-मेल: com.sec@andrewyule.com ; वेबसाइट: www.andrewyule.com

सदस्यों को सूचना

सूचित किया जाता है कि एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 75 वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 31 अगस्त, 2023 को दोपहर 3.30 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नियामक प्रावधानों और परिपत्रों के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") -अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय किए जाएंगे।

साधारण व्यवसाय:

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना। और इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:
"यह संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्राप्त किए जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा और अपनाया जाएगा।"
- 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के 2/- रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.007 रुपये (0.35%) का अंतिम लाभांश घोषित करना।
- श्री विजय मित्तल (डीआईएन: 09548096), अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) की रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्ति जारी रखने पर विचार करने के लिए इस वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा उनके आदेश F No. 10-10/9/2018-PE.I दिनांक 28 मार्च द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, 2022 और इस संबंध में आगे के आदेश, यदि कोई हों और निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उचित समझे जाएं तो इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करें:
"संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार नियमों और शर्तों के अधीन इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए जैसा कि भारत सरकार ने अपने आदेश एफ. संख्या 10-10/9/2018-पीई.1 दिनांक 28 मार्च, 2022 और इस संबंध में आगे के आदेश, यदि कोई हों, द्वारा निर्धारित किया है श्री विजय मित्तल (डीआईएन: 09548096), एक निदेशक के रूप में उत्तरदायी है एवं उनके अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) की नियुक्ति को जारी रखने के लिए मंजूरी दी जाएगी।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय:

विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

- एक सामान्य संकल्प के रूप में:**
"यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, जिसमें कोई भी संशोधन, संशोधन या बदलाव शामिल है, कंपनी इसके द्वारा मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या: 000038) को देय रु. 1,50,000/- प्रति वर्ष और लागू कर, यदि कोई हो, के पारिश्रमिक की पृष्ठि करती है। जिन्हें 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम, 2014 के तहत निर्धारित कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
"यह भी संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो सकते हैं।"

कार्यालय:

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
दिनांक: 7 अगस्त, 2023

बोर्ड की आज्ञानुसार
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या FCS5159



टिप्पणियाँ:

1. एजीएम में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है।
2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी की 75वीं एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल (वीसी/ओएवीएम) माध्यमों से आयोजित की जाएगी। एजीएम की रिकॉर्ड की गई प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट की जाएगी। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001 होगा।
3. सेबी परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाले एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, (ए) प्रॉक्सी फॉर्म, (बी) उपस्थिति पर्ची और (सी) रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। हालाँकि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उसमें भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं।
4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर रजिस्टर 25 अगस्त, 2023 (शुक्रवार) से 31 अगस्त, 2023 (गुरुवार) तक बंद रहेंगे, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं।
5. बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधियों को भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति अपने पंजीकृत ईमेल पते com.sec@andrewyule.com पर ईमेल द्वारा भेजें।
6. भारत के राष्ट्रपति का एक अधिकृत प्रतिनिधि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है।
7. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले वीसी/ ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
8. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
9. मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 383 लेक गार्डन, पहली मंजिल, कोलकाता - 700045 को कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)नियुक्त किया गया है।
10. नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, इस एजीएम की सूचना और रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। सदस्य ध्यान दें कि उक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल (ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
11. एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी हिस्सेदारी को एक फोलियो में समेकित करने के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार को ऐसे फोलियो का विवरण भेजें।
12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के तहत अनुमति के अनुसार, भौतिक रूप में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्य, अनुरोध है कि कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के अनुसार निर्धारित फॉर्म एसएच-13 और एसएच-14 आरटीए के कार्यालय में जमा करें।
13. डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को उनके बैंक विवरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) अधिदेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, पते में बदलाव, नाम में बदलाव, ई-मेल पता, संपर्क नंबर आदि जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं, से संबंधित सभी परिवर्तनों की जानकारी देना डीपी को सूचित किए गए परिवर्तन स्वचालित रूप से कंपनी के रिकॉर्ड में दिखाई देंगे, जिससे कंपनी और कंपनी के आरटीए को कुशल और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसे बदलावों के बारे में कंपनी या कंपनी के आरटीए को सूचित करें।

14. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर हैं, वोट देने के हकदार होंगे।
15. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए इसे कंपनी के साथ पंजीकृत करें।
16. धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित परिश्रम करें और पते में किसी भी बदलाव या किसी सदस्य के निधन के बारे में जितनी जल्दी हो सके कंपनी को सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से होल्डिंग्स का आवधिक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और समय-समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।
17. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण (यानी पिन कोड के साथ डाक पता, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी, सदस्य से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर आरटीए द्वारा तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त विवरण/ दस्तावेज आरटीए को प्रदान नहीं किए जाते। 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद, यदि उपरोक्त उद्घृत विवरण/ दस्तावेजों में से कोई भी फोलियो में उपलब्ध नहीं है, तो आरटीए ऐसे फोलियो को फ्रीज करने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक विवरण और फॉर्म कंपनी की वेबसाइट <http://www.andrewyule.com/forms-sharekeepers.php> पर उपलब्ध हैं।
18. इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे या जिन्हें बुक क्लोजर तिथि पर डिपॉजिटरीज़, जैसे नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा लाभांशियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
19. ऐसी स्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश का पंजीकरण न होने, ईसीएस अधिदेश की अस्वीकृति के कारण कंपनी किसी भी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है या अन्यथा, कंपनी यथाशीघ्र ऐसे सदस्य को लाभांश वारंट/ बैंकर्स चेक/ डिमांड ड्राफ्ट भेजेगी।
20. संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के हाथों कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर ऐसे लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर के संबंध में जानकारी और विस्तृत निर्देश प्रदान करने वाला एक संचार सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।
21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, संशोधित अनुसार, दावा न किए गए लाभांश और वे शेयर जिनके संबंध में लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा न की गई हो, कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है।
उपरोक्त के संदर्भ में, लाभांश और शेयर जिनके संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश पात्रता दावा नहीं की गई है, उन्हें केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है।
22. 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दावा न किए गए लाभांश और जिन शेयरों के संबंध में लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों तक दावा न की गई हो, उन्हें 24 अक्टूबर, 2024 और 2 नवंबर, 2025 को क्रमशः; निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के अनुसार केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाएगा।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि आईईपीएफ खाते में शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दावा न किए गए लाभांश का जल्द से जल्द दावा किया जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार दावा न किए गए लाभांश और शेयरों को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसके संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा। कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास पड़ी अवैतनिक और दावा न की गई राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.andrewyule.com) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है।
23. वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अतिरिक्त जानकारी, नोटिस का एक अभिन्न अंग है।
24. संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में किया जाएगा, इसलिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (एमसीएस) से संपर्क कर सकते हैं।



25. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए रखा गया है, और नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।
26. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ इस नोटिस के प्रसारित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य com.sec@andrewyule.com पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।
27. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को तुरंत सूचित करें:
 - a) स्थायी निवास के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन।
 - b) भारत में रखे गए उनके बैंक खाते का विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या और पिन कोड नंबर के साथ बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया हो।
28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जैसा कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथा संशोधित, भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस2) पर सचिवीय मानक और सेबी परिपत्रों के साथ पढ़े गए एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 75वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और व्यवसाय ई-वोटिंग सेवाएँ के माध्यम से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश इस प्रकार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 28 अगस्त, 2023 (सुबह 9.00 बजे) से शुरू होती है और बुधवार, 30 अगस्त, 2023 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होती है। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 24 अगस्त, 2023 को सदस्यों/ लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, 24 अगस्त, 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
<p>एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।</p>	<p>1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsd.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "लाभकारी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें जो "आईडीईएस" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुंच" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2. यदि उपयोगकर्ता IDEAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsd.com पर उपलब्ध है। "IDEAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsd.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <div style="text-align: center;"> <p>NSDL Mobile App is available on</p>  </div>
<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<p>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest का विकल्प चुना है, वे अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/ Easiest में लॉग इन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और New System Myeasi पर क्लिक करें।</p> <p>2. Easi/ Easiest के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें।</p> <p>3. यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर एक लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है।</p>
<p>व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल जाएं और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।



डिजिटल यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि:

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का मुख पृष्ठ लॉन्च हो जाने पर, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।
वैकल्पिक रूप से, यदि आप NSDL eservices यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरों को धारण करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी:
a) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 अक्षर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID IN300***12***** होगी।
b) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** है
c) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी से EVEN नंबर के बाद फोलियो नंबर पंजीकृत किया गया उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:
 - a) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
 - b) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
 - c) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
 - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
 - (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - a) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प " **Forgot User Details/ Password?**" (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर हैं) पर क्लिक करें।
 - b) **Physical User Reset Password?** (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
 - c) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता नंबर/ फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
 - d) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" से सहमत हों" पर टिक करें।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें:

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका वोटिंग चक्र सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं।
3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उचित विकल्प यानी सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" भी करें।
5. पुष्टि होने पर, संदेश "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- i. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) वोट देने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ, संवीक्षक को aklabhcs@gmail.com पर ई-मेल द्वारा, एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर अंकित करके भेजनी आवश्यक है। वे अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/ पावर ऑफ अटॉर्नी/ प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
- ii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद और कट-ऑफ तिथि यानी 24 अगस्त, 2023 तक शेयर रखने पर, evoting@nsdl.co.in या जारीकर्ता/ आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 24 अगस्त, 2023 तक शेयर रखने के लिए चरण 1 के तहत एजीएम के नोटिस में उल्लिखित चरणों का पालन किया जा सकता है: "एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच" (ऊपर)।
- iii. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको "उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" पासवर्ड रीसेट करने के लिए विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- iv. रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" अनुभाग के तहत उपलब्ध है या एनएसडीएल की प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से टोल फ्री नंबर 1800 1020 990/ 1800 22 44 30 या ई-मेल आईडी पर: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।



- v. श्री अतुल कुमार लाभ, मैसर्स ए.के. लाभ एंड कंपनी के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस - 4848 / सीपी - 3238), कंपनी सचिव, को 75वीं एजीएम में मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- vi. 75वीं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे संबंधित बैठक में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।
- vii. संवीक्षक, सामान्य बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, सबसे पहले बैठक में पड़े वोटों की गिनती करें और इसके बाद कम से कम 2 (दो) गवाहों की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनलॉक करें जो कंपनी के रोजगार में नहीं हैं और बैठक के समापन के 2 (दो) कार्य दिवसों से पहले नहीं करें पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट, यदि कोई हो, अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और मतदान के परिणाम की तुरंत घोषणा करेगा।
- viii. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- ix. 24 अगस्त, 2023 तक शेयर रखने वाली कंपनी के सदस्य 75वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं।
- x. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित होने पर तुरंत डाले जाएंगे और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को सूचित किए जाएंगे। जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

इस नोटिस में दिए गए प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, प्रदान करें, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) की स्कैन की हुई प्रति com.sec@andrewyule.com पर ईमेल करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंक DPID + CLID या 16 अंक लाभार्थी आईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन की गई प्रति) com.sec@andrewyule.com पर भेजें।
3. यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन विधि देखें, यानी डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि।
4. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
5. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश इस प्रकार हैं:

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।



वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "सामान्य मीटिंग में शामिल हों" मेनू के अंतर्गत रखा गया "वीसी/ ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड में इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
5. जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अनुरोध भेजकर स्वयं को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं और वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/ फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए 24 अगस्त, 2023 (5:00 बजे IST) के भीतर com.sec@andrewyule.com पर अग्रिम रूप से अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा इसका समुचित उत्तर दिया जाएगा।
6. जिन शेयरधारकों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान केवल अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
7. जब किसी पूर्व-पंजीकृत वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी स्पीकरों से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ वीडियो/ कैमरा वाले डिवाइस से जुड़े रहें।
8. एजीएम के सुचारू संचालन के लिए, कंपनी के पास प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को, जैसा उचित हो, सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 या 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

पंजीकृत कार्यलय:

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
दिनांक: 7 अगस्त, 2023

बोर्ड की आज्ञानुसारं
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या FCS5159



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1)
के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 253वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए 1,50,000/- रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये केवल) प्रति वर्ष और लागू करों के पारिश्रमिक पर लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स (फर्म का पंजीकरण संख्या 000038) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लागत ऑडिटर को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(11) के अनुसार, संशोधित रूप में, 1,50,000/- रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) प्रति वर्ष और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स (फर्म का पंजीकरण संख्या 000038) को देय लागू कर के पारिश्रमिक के अनुसमर्थन से संबंधित नोटिस के आइटम नंबर 5 के तहत साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु। निर्धारित समाधान की सिफारिश करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1)(ए) के तहत निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, पारित होने के लिए प्रस्तावित इस प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

पंजीकृत कार्यालय:

"यूल हाउस",
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
दिनांक: 7 अगस्त, 2023

बोर्ड की आज्ञानुसार
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या FCS5159

संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक - II के अनुसार 75वीं वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण:

निदेशक का नाम	श्री विजय मित्तल
संक्षिप्त प्रोफाइल	श्री मित्तल वर्तमान में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। उन्होंने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंत नगर, उत्तराखंड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और ऊर्जा और सतत विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएसडी) किया है। उनके पास आईआईपीए, नई दिल्ली से लोक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा (एमडीपीए) भी है। वह भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (IOFS:1991) से संबंधित हैं और भारी उद्योग मंत्रालय में शामिल होने से पहले, वह आयुध निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (MoD), नई दिल्ली में उप महानिदेशक के रूप में तैनात थे।
जन्म तिथि (आयु वर्ष में)	2 अगस्त, 1967 (56 वर्ष)
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	09548096
नियुक्ति की तारीख	28 मार्च 2022
योग्यता	आईआईपीए, नई दिल्ली से बी.टेक (इलेक्ट्रिकल), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (पीजीडीईएसडी), मास्टर्स डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीपीए)।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	ग्रामीण विकास, स्वच्छता, विभिन्न इकाइयों में महत्वपूर्ण रक्षा भंडारों का उत्पादन और स्वदेशीकरण और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन कार्यों के हस्तांतरण के साथ नई हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण।
स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं और जिस तरीके से प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	लागू नहीं है
कंपनी में शेयरधारिता (या तो व्यक्तिगत रूप से या लाभकारी आधार पर)	शून्य
अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं की सूची जिनमें निदेशक पद धारण किया गया	1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 2. टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड
सूचीबद्ध संस्थाओं की सूची जिनसे पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया गया	शून्य
अन्य सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में बोर्ड की समितियों का अध्यक्ष/सदस्य जिसमें वह निदेशक है	शून्य
कंपनी के निदेशक मंडल की समितियों के अध्यक्ष/ सदस्य	शून्य
निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का खुलासा	निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध साझा नहीं किया गया। कंपनी के किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई संबंध साझा नहीं किया गया



बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के संचालन पर 75वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं:

1. वित्तीय विशिष्टताएं:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार संक्षेप में दी गई हैं:

(लाख रूपये में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व और अन्य परिचालन आय	37403.60	41439.28	37403.60	41439.28
अन्य आय	3175.27	5658.86	3175.27	5658.94
कुल मुनाफा	40578.87	47098.14	40578.87	47098.22
कुल खर्च	39680.64	43719.04	39681.64	43724.86
असाधारण/ असाधारण वस्तु और कर से पहले लाभ/(हानि)।	898.23	3379.10	897.23	3373.36
असाधारण/ असाधारण वस्तुएं	-	2265.94	-	2265.94
असाधारण/ असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ/ (हानि)।	898.23	1113.16	897.23	1107.42
कम: कर व्यय	780.76	1208.06	780.76	1208.06
असाधारण/ असाधारण वस्तुओं के बाद और कर के बाद लाभ/ (हानि)।	117.47	(94.90)	116.47	(100.64)
कर के बाद बंद किए गए परिचालन से लाभ/ (हानि)।	-	5.19	-	5.19
समूह कंपनियों से लाभ/ (हानि) का हिस्सा	-	-	1148.00	(438.84)
अवधि के लिए लाभ/ (हानि)।	117.47	(89.71)	1264.47	(534.29)
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(184.56)	73.30	(184.56)	73.30
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(67.09)	(16.41)	1079.90	(460.99)
लाभ और हानि: पिछले वर्ष से शेष राशि आगे लाई गई	5793.40	6493.42	24479.84	24939.26
जोड़ें: अवधि के लिए लाभ	117.47	(89.71)	1264.47	(534.29)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	(184.56)	73.30	(184.56)	73.30
विनियोजन के लिए लाभ उपलब्ध है	5726.31	6477.01	25559.75	24478.27
घटाएँ: लाभांश और लाभांश कर और अन्य समायोजन	(6.70)	683.61	(6.70)	(1.57)
लाभ और हानि: शेष राशि को आगे बढ़ाया जाना चाहिए	5733.01	5793.40	25566.45	24479.84

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन:

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम:

वित्तीय वर्ष 23-2022 के दौरान, आपकी कंपनी ने 22-2021 में 470.98 करोड़ रुपये की तुलना में 405.79 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया, यानी पिछले वर्ष से %16.06 की कमी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से -

- असम और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा और उसके बाद आई बाढ़ ने क्षेत्र के चाय उत्पादन को काफी प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य में कमी और मिट्टी के पीएच में असंतुलन के कारण पोषक तत्वों की सीमित खपत के कारण झाड़ियों का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चाय का उत्पादन 4.48 लाख किलोग्राम कम हो गया। पिछले कुछ वर्षों में फंगल और अन्य माध्यमिक रोगों जैसे फ्यूजेरियम, रेड रस्ट, ब्लैक रॉट आदि का संक्रमण भी बढ़ गया है। पिछले 5 (पांच) वर्षों में सभी प्रमुख

आदानों यानी उर्वरक, कीटनाशक, गैस, कोयला आदि की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ मूल वेतन में %69 से अधिक की वृद्धि के कारण प्रति किलोग्राम चाय उत्पादन की लागत कई गुना बढ़ गई है। हालाँकि, मूल्य प्राप्ति लागत वृद्धि के अनुरूप नहीं है, जिससे कंपनी के चाय प्रभाग की लाभप्रदता काफी हद तक प्रभावित हो रही है।

- ii) परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 23-2022 के दौरान चाय डिवीजन की परिचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष के 229.23 करोड़ रुपये से घटकर 213.64 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे बिक्री मात्रा में 17.98 करोड़ रुपये की कमी के कारण 15.59 करोड़ रुपये की कमी आई है। चाय प्रभाग की अन्य परिचालन आय चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.03.2022 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के 2.02 करोड़ रुपये से घटकर 0.07 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में चाय अपशिष्ट की बिक्री में कीमत की वसूली में कमी के कारण 1.95 करोड़ रुपये की कमी आई है। परिणामस्वरूप, 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए चाय प्रभाग का कर पूर्व लाभ घटकर (-)10.82 करोड़ रुपये हो गया, जो 31.03.2022 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष से 18.72 करोड़ रुपये था।
- iii) इंजीनियरिंग डिवीजन की शुद्ध बिक्री 46.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 55.18 करोड़ रुपये हो गई इस प्रकार कार्यों के बेहतर निष्पादन के कारण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बिक्री में 8.74 करोड़ रुपये यानी %18.82 की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2022 को समाप्त होने वाले पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक ऑर्डर बुकिंग के साथ-साथ ग्राहकों द्वारा तेजी से उठान हुआ। 31.03.2023 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रभाग का कर पूर्व लाभ 8.63 करोड़ रुपये है, जो 31.03.2022 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष से 1.96 करोड़ रुपये था।
- iv) चालू वित्त वर्ष के दौरान इलेक्ट्रिकल-चेन्नई परिचालन की शुद्ध बिक्री बढ़कर 102.56 करोड़ रुपये हो गई, जबकि 31.03.22 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 57.97 करोड़ रुपये थी और इस तरह इन-हाउस उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ आउटसोर्सिंग अनुबंधों के कारण 44.59 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। स्कैप की बिक्री में वृद्धि के कारण 31.03.2023 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्य परिचालन आय बढ़कर 0.86 करोड़ रुपये हो गई, जो 31.03.2022 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के दौरान 0.65 करोड़ रुपये थी। 31.03.2023 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रभाग का कर पूर्व लाभ 3.09 करोड़ रुपये है, जो 31.03.2022 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष से 1.03 करोड़ रुपये था।

उपरोक्त सभी के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 8.98 करोड़ रुपये रहा [2021-22 में 11.13 करोड़ रुपये] और आवश्यक आयकर प्रावधान और अन्य समायोजन करने के बाद कुल व्यापक आय (TCI) (0.67) करोड़ रुपये [2021-22 में (0.16) करोड़ रुपये] रही।

कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन और इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन के समग्र वित्तीय प्रदर्शन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। चाय प्रभाग भी प्रगति पथ पर है।

समेकित वित्तीय परिणाम:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालन और अन्य परिचालन आय से 374.04 करोड़ रुपये (2021-22 में 414.39 करोड़ रुपये) का राजस्व दर्ज किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 8.97 करोड़ रुपये (2021-22 में 11.07 करोड़ रुपये) रहा और कुल व्यापक आय (टीसीआई) 10.80 करोड़ रुपये [वित्त वर्ष 2021-22 में (4.61) करोड़ रुपये] रही।

3. वर्ष के दौरान कंपनी के कामकाज का संक्षिप्त विवरण और कंपनी के मामलों की स्थिति:

संचालन पर प्रकाश डाला गया

3.1. चाय प्रभाग:

एवाईसीएल एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है जिसके पास चाय बागान और चाय विनिर्माण गतिविधियां हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के चाय डिवीजन का टर्नओवर 210.89 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान यह 228.38 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान चाय का निर्यात 7.22 लाख किलोग्राम था। एफओबी के साथ रु. 27.16 करोड़ (यूके, पोलैंड और यूई के बाजारों के लिए आपूर्ति) जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 5.39 करोड़ के एफओबी के साथ 1.79 लाख किलोग्राम की तुलना में साल-दर-साल 431% की वृद्धि हुई है। खुद की फसल 98.83 लाख किलोग्राम से घटकर 94.35 लाख किलोग्राम रह गई। इस प्रकार, वार्षिक उपज/हेक्टेयर (निर्मित चाय/हेक्टेयर) 1629.69 किलोग्राम से घटकर 1509.29 किलोग्राम हो गई।



शारीरिक प्रदर्शन:

उत्पाद	उपलब्धि (अपनी और खरीदी हुई पत्ती) फसल		परिवर्तन का %
	2021-2022	2022-2023	
	(लाख किलोग्राम)	(लाख किलोग्राम)	
सूखे मुँह वाली चाय	98.83	94.35	(-) 4.53

बिक्री:

भौतिक (मात्रा में) उपलब्धि			उपलब्धि का मूल्य		
2021-22 (लाख किलोग्राम)	2022-23 (लाख किलोग्राम)	परिवर्तन का %	2021-22 (लाख रूपये में)	2022-23 (लाख रूपये में)	परिवर्तन का %
94.95	86.51	(-) 8.89%	22838.78	21089.79	(-) 7.65

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, चाय प्रभाग को नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय बाजार में चाय की कीमतों में मंदी के बावजूद चाय की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर ब्रांड छवि, लागत नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों को देखते हुए आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हालाँकि, कई बाधाओं के बावजूद, आपकी कंपनी ने चाय के निर्यात मूल्य में 431% की वृद्धि हासिल की, जो वित्त वर्ष 22 में 5.11 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 27.16 करोड़ रुपये हो गई। इसने माननीय प्रधान मंत्री और माननीय भारी उद्योग मंत्री दोनों के सम्मानित कार्यालयों से प्रभाग के लिए प्रशंसा अर्जित की है। पूरे भारत में खुदरा उपस्थिति धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। विभिन्न प्रमाणन, एवाईसीएल चाय (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) और ई-कॉमर्स आउटलेट्स के साथ बाजार में पहुंच के साथ, डिजीवन लगातार अपनी ब्रांड इकटि की साथ-साथ मूल्य संवर्धन को बढ़ाने का प्रयास करता है।

3.2 इलेक्ट्रिकल - चेन्नई ऑपरेशंस (ई-सीओ):

इलेक्ट्रिकल चेन्नई यूनिट ने AYCL की पहली (+) INR 100 करोड़ टर्नओवर यूनिट बनकर इतिहास रच दिया है। एक सफल आउटसोर्सिंग मॉडल इसकी कुंजी है।

इस इकाई ने एक खाड़ी का विस्तार करके वर्तमान विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है और इसके साथ ही राजस्व में सालाना 40 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में इन-हाउस विनिर्माण क्षमता का मूल्य 80 करोड़ रुपये है। खाड़ी का विस्तार कर इसे 40 करोड़ रुपये और बढ़ाया जा सकता है। आंतरिक संसाधनों के माध्यम से बिक्री में सालाना 40 करोड़ रुपये की वृद्धि की योजना बनाई जाएगी और शेष को "आउटसोर्स मोड" में निष्पादित किया जाएगा।

शारीरिक प्रदर्शन:

उत्पाद	उपलब्धि		परिवर्तन का %
	2021-22	2022-23	
पावर ट्रांसफार्मर (एमवीए)	616.00	812.00	31.82

बिक्री:

उत्पाद	भौतिक (संख्या में)		परिवर्तन का %	कीमत		परिवर्तन का %
	2021-22	2022-23		2021-22 (करोड़ रुपये में)	2022-23 (करोड़ रुपये में)	
पावर ट्रांसफार्मर	31 संख्या	38 संख्या	22.58	57.97	102.57	76.94

वर्तमान में ई-सीओ ने वित्त वर्ष 2013 में लाभ कमाया है और घरेलू उच्च उत्पादन, लागत नियंत्रण आदि में सुधार को देखते हुए आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। यूनिट ने कई राज्यों में ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए विपणन प्रयास तेज कर दिए हैं और अधिक नौकरी के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए विभिन्न निविदाओं में भाग लिया है।

हाथ में मौजूदा ऑर्डर 74.65 करोड़ रुपये (1 जून 2023 तक) है, जिसमें हाल ही में मिला 28.11 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी शामिल है।



पूर्ण परियोजनाओं के साथ-साथ चल रही परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण परियोजनाएँ				
क्र. सं.	ग्राहक	खाता	मात्रा	विवरण
1	केपीटीसीएल	केपीटीसीएल	18	20 एमवीए 110/33-11 केवी
2	एसपीआर निर्माण	एसपीआर निर्माण	3	8 एमवीए 66/11 केवी
3	सदरु निर्माण	सदरु निर्माण	1	10 एमवीए 110/11 केवी
4	एसएम इंजी	एसएम इंजी	3	31.5 एमवीए 66/11 केवी
5	ओम एसोसिएट्स	ओम एसोसिएट्स	4	10 एमवीए 110/11 केवी
6	नंदिनी इलेक्ट्रिकल्स	नंदिनी इलेक्ट्रिकल्स	2	31.5 एमवीए 66/11 केवी
7	केपीटीसीएल	केपीटीसीएल	7	31.5 एमवीए 66/11 केवी

जारी प्रोजेक्ट				
क्र.सं	ग्राहक	खाता	मात्रा	विवरण
1	केपीटीसीएल	केपीटीसीएल	2	20 एमवीए 110/33-11केवी
2	केपीटीसीएल	केपीटीसीएल	2	31.5 एमवीए 66/11 केवी
3	केपीटीसीएल	केपीटीसीएल	4	10 एमवीए 110/33-11केवी
4	आई वैज्ञानिक	केपीटीसीएल	9	10 एमवीए 110/11 केवी
5	बैगमैन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	केपीटीसीएल	4	31.5एमवीए, 66/11केवी
6	हाईटेक इलेक्ट्रिकल्स	केपीटीसीएल	2	10 एमवीए 110/11 केवी
7	एसएमएस कंस्ट्रक्शन	केपीटीसीएल	1	10 एमवीए 110/11 केवी
8	वीआर पाटिल	केपीटीसीएल	2	31.5 एमवीए 66/11 केवी

चालू वर्ष में, हाथ में ऑर्डर की निष्पादन स्थिति के आधार पर आगे के ऑर्डर लिए जाएंगे। ई-सीओ के उत्पाद समकक्षों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाते

3.3 इंजीनियरिंग प्रभाग:

डिवीजन के पास अपने परिचालन क्षेत्र में एक संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला है, यानी औद्योगिक पंखे - अक्षीय और केन्द्रापसारक दोनों प्रकार में। वायु/गैस की मात्रा प्रवाह दर, दबाव वृद्धि, परिचालन तापमान आदि के साथ-साथ उच्च ऊर्जा दक्षता सुविधाओं के मामले में इन उत्पादों की क्षमता भारत में मौजूद तीन से चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा करती है। इस प्रकार इंजीनियरिंग प्रभाग की उत्पाद श्रृंखला व्यवहार्य बनी हुई है।

कारखाने में देश में सर्वश्रेष्ठ के बराबर अच्छी बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें विशाल और उच्च छायाएं, 45 मीट्रिक टन तक पर्याप्त सामग्री प्रबंधन सुविधा और कई स्वचालित और अर्ध-स्वचालित उत्पादन उपकरण हैं। अच्छे प्रदर्शन और विश्वसनीयता के मामले में इसके औद्योगिक प्रशंसकों की एक अच्छी ब्रांड छवि है। इंजीनियरिंग प्रभाग के उत्पाद प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

शारीरिक प्रदर्शन:

उत्पाद	उपलब्धि		परिवर्तन का %
	2021-22	2022-23	
औद्योगिक पंखा (संख्या)	289	288	(-)0.35

बिक्री:

कीमत		परिवर्तन का %
2021-22 (करोड़ रुपये में)	2022-23 (करोड़ रुपये में)	
46.44	55.18	18.82%



इंजीनियरिंग डिवीजन के पास अगले दो वर्षों में 2 (दो) करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ प्रति वर्ष 300 से 360 इम्पेलर्स तक क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश है। पंखे और पंखे के पुर्जों के लिए एकल पाली में काम करने की इन-हाउस विनिर्माण क्षमता का मूल्य वर्तमान में 70 करोड़ रुपये है। अतिरिक्त जनशक्ति के साथ 2 (दो) उत्पादन शिफ्ट के साथ परिचालन का विस्तार, आधुनिक मशीनरी, उच्च क्षमता वाले परीक्षण बिस्तरों को शामिल करने के साथ पंखे और पंखे के पुर्जों के लिए उप-ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग द्वारा इसे 70 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करके यह इकाई 2027-28 तक पंखों और पंखे के पुर्जों के राजस्व में दोगुनी यानी 180 करोड़ रुपये की वृद्धि हासिल कर सकती है।

वर्तमान में इंजीनियरिंग डिवीजन ने वित्त वर्ष 2023 में लाभ कमाया है और विपणन प्रयास, उत्पाद सुधार, लागत नियंत्रण में वृद्धि के माध्यम से घरेलू उच्च उत्पादन में सुधार को देखते हुए आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हाथ में वर्तमान ऑर्डर 47.70 करोड़ रुपये है (1 जून 2023 तक) जिसमें हाल ही में प्राप्त ऑर्डर बुक मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक इस प्रकार है:

डब्ल्यू/ओ संख्या	ग्राहक	मात्रा	विवरण	कीमत (करोड़)	पीओ तारीख
23007C	जिंदल स्टील ओडिशा लिमिटेड	1NO	2040 एम.एम DIA दहन वायु पंखा	1.05	22-अप्रैल-23
23027C	जिंदल स्टील ओडिशा लिमिटेड	4NOS	22150 एम.एम DIA PCI फैन और 1870 एम.एम पुर्जों के साथ DIA HSG पंखा	1.285	18-मई-23

चालू वर्ष में, हाथ में ऑर्डर की निष्पादन स्थिति के आधार पर आगे के ऑर्डर लिए जाएंगे। अच्छे प्रदर्शन और विश्वसनीयता के मामले में इसके औद्योगिक प्रशंसकों की एक अच्छी ब्रांड छवि है। इंजीनियरिंग प्रभाग के उत्पाद प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

4. शेयरधारकों को अधिशेष निधि की वापसी (लाभांश)

निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक 2 रुपये के साधारण शेयरों पर 0.35% (0.007 रुपये प्रति साधारण शेयर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश, यदि अनुमोदित हो, तो 75वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

5. लाभांश वितरण नीति:

कंपनी के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के विनियमन 43ए की आवश्यकताओं के अनुसार एक लाभांश वितरण नीति है।

यह पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

6. रिजर्व में स्थानांतरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सामान्य भंडार में 1.17 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 57.33 करोड़ रुपये था।

7. दावा न किए गए लाभांश:

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास पड़ी लावारिस और अवैतनिक राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.andrewyule.com) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है।

कंपनी द्वारा पूर्व में घोषित और भुगतान किए गए लावारिस और अवैतनिक लाभांश का विवरण भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत दिया गया है।

8. पूंजीगत व्यय:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने पूंजीगत व्यय के लिए 42.69 करोड़ रुपये खर्च किए, जिनमें से अधिकांश आईएनडी एस मानदंडों के अनुसार चाय बागानों में नई खेती के खर्च के लिए था।

9. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट:

जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34(2)(एफ) के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि संशोधित किया गया है, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाली व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा बनती है।

10. सचिवीय मानकों के तहत अनुपालन

कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सभी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

11. क्रेडिट रेटिंग:

क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत एक पूर्ण-सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 155.00 करोड़ रुपये (125.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर) की बैंक ऋण सुविधाओं के लिए दीर्घकालिक रेटिंग 'CRISIL BBB-/नकारात्मक' और अल्पकालिक रेटिंग 'CRISIL A3' सौंपी है।

12. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित है, एक अलग खंड में प्रस्तुत की गई है जो अनुबंध-1 के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

13. कॉर्पोरेट प्रशासन:

सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, अनुपालन की पुष्टि करने वाले एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

14. कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 8(1) के तहत आवश्यक सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनी का प्रदर्शन:

31 मार्च, 2023 तक कंपनी की 2 (दो) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यानी यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और एक सहयोगी कंपनी यानी टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण और 31 मार्च, 2023 तक सहयोगी कंपनी का फॉर्म AOC-1 कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है। कंपनी का कोई संयुक्त उद्यम नहीं है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरण, प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ समेकित वित्तीय विवरण और सहायक कंपनियों के संबंध में अलग-अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर उपलब्ध हैं।

15. संकुचित आर्थिक विवरण:

जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक है, 31 मार्च, 2023 को भारतीय लेखा मानकों (IND AS) के अनुसार तैयार किए गए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा किए गए, वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा बनते हैं और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होते हैं।

16. शेयर पूंजी में परिवर्तन:

31 मार्च, 2023 को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 97,79,01,956/- रुपये थी, जो 2/- रुपये के 48,89,50,978 सामान्य शेयरों में विभाजित थी, जो पूरी तरह से चुकता थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई सामान्य शेयर या विभेदक वोटिंग अधिकार वाले शेयर जारी नहीं किए हैं, न ही स्टॉक विकल्प और न ही स्वेट इक्विटी प्रदान की है।

17. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में राशि और शेयरों का हस्तांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफंड) दूसरा संशोधन नियम, 2019, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सभी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के साथ पढ़ें, सभी शेयरों के संबंध में जो लाभांश लगातार सात वर्षों की अवधि तक भुगतान न किया गया हो या दावा न किया गया हो, उसे कंपनी द्वारा निर्धारित नियत तिथि के भीतर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया हो।

सदस्य/दावेदार जिनके शेयर या दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ डीमैट खाते या फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है, जैसा भी मामला हो, कंपनी से संपर्क करके शेयरों का दावा कर सकता है या रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है समय - समय पर फॉर्म आईईपीएफ - 5 (<http://www.iepf.gov.in> पर उपलब्ध) में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्रता पत्र जारी करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा तय किए गए अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।



उनके फोलियो नंबर या डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी के साथ शेयरधारकों की एक सूची, जिन्होंने पिछले लगातार सात वर्षों यानी 2016-17 के बाद से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और जिनके शेयर आईडीपीएफ में हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी हैं, को इस पर प्रदर्शित किया गया है। संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत संचार भेजने और समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा कंपनी की वेबसाइट। ऐसे दावा न किए गए लाभांश और शेयरों का विवरण, शेयरधारकों को भेजा गया संचार और समाचार पत्र प्रकाशनों की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट http://www.andrewyule.com/unpaid_dividend.php पर उपलब्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभांश और शेयरों को उक्त फंड में स्थानांतरित करने से पहले वे दावा करें।

18. वार्षिक वापसी:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1), वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न की प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.andrewyule.com/annual_return.php पर रखी गई है।

19. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

कंपनी के निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 (चार) बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकों और उपस्थिति से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं। दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

20. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूतियों और किए गए निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

21. सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख और व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो:

जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण हैं और रिपोर्ट की तारीख से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

22. सतर्क तंत्र व्हिसल ब्लोअर नीति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 7 और संशोधित सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस द्वारा निर्धारित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है और अनैतिक व्यवहार, वास्तविक और संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी की आचार संहिता और नैतिकता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट की गई है।

यह तंत्र का लाभ उठाने वाले निदेशकों/ कर्मचारियों को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान करता है। यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

23. निदेशक:

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2022 द्वारा श्री राजेंद्र सिंह मनकू को उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30.06.2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (योजना) के रूप में नियुक्त किया था। श्री मनकू ने 18 अगस्त, 2022 से कंपनी के निदेशक (योजना) के पद का कार्यभार ग्रहण किया था।

एमएचआई के 28 जनवरी, 2020 के आदेश के अनुसार, श्री विश्वनाथ गिरिराज, श्री अनिल कुमार गोयल और रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा 27 जनवरी, 2023 को व्यवसाय की समाप्ति से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड कंपनी के साथ अपने सहयोग के दौरान श्री विश्वनाथ गिरिराज, श्री अनिल कुमार गोयल और रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं और मार्गदर्शन की गहरी सराहना करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6)(सी) के प्रावधानों और आपकी कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, कंपनी के निदेशक श्री विजय

मित्तल आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

निदेशक के रूप में श्री विजय मित्तल की पुनः नियुक्ति की मांग करने वाला उचित प्रस्ताव कंपनी की 75वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने वाले नोटिस में दिखाई दे रहा है।

श्री विजय मित्तल से संबंधित संक्षिप्त बायोडाटा/ विवरण कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न नोट्स में दिया गया है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यह खुलासा किया गया है कि कोई भी निदेशक आपस में कोई संबंध साझा नहीं करता है।

24. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, श्री संजय भट्टाचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के. मोहन, निदेशक (कार्मिक) पूर्णकालिक निदेशक श्री राजिंदर सिंह मंकू, निदेशक (योजना), मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और श्रीमती सुचरिता दास, कंपनी सचिव, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

25. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के साथ सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 25(8) के अनुसार संशोधित के अनुसार कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणाएं प्राप्त हुई हैं कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं, जो अस्तित्व में है या उचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है, जो स्वतंत्र निर्णय के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने की उनकी क्षमता को खराब या प्रभावित कर सकती है और बिना किसी बाहरी प्रभाव के, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16(1)(बी) के तहत निर्धारित है और इसे बोर्ड द्वारा नोट किया गया है। बोर्ड की राय है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के पास वित्त, प्रशासन, प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, डोमेन ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता है और वे ईमानदारी के उच्चतम मानक रखते हैं।

कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत आवश्यक भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान, मानेसर ('आईआईसीए') के साथ खुद को पंजीकृत किया है और इस प्रकार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवें संशोधन नियम, 2019 के नियम 6 के उप-नियम (1) और उपनियम (2) के प्रावधानों का लागू सीमा तक अनुपालन किया है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवें संशोधन नियम, 2019 के नियम 6 के उप-नियम (4) के प्रावधानों का भी अनुपालन किया है इसे संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(iii) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण माना जा सकता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का कंपनी की बैठकों में भाग लेने के उद्देश्य से बैठक शुल्क और उनके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

26. नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक नीति:

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, प्रदर्शन मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा किया/निर्धारित किया जाता है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों/धाराओं की प्रयोज्यता से छूट दी है अधिसूचना के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निदेशकों की नियुक्ति, उनकी पारिश्रमिक नीति और उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। एवाईसीएल में, एक सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इस प्रकार, प्रदर्शन का मूल्यांकन अपने स्वयं के प्रदर्शन के बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों पर यह लागू/आवश्यक नहीं है।

अधिकारियों (कार्यकारियों) का पारिश्रमिक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है और गैर-कार्यकारियों का पारिश्रमिक उनके संघ के साथ समय-समय पर किए गए वेतन निपटान समझौते के अनुसार तय किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, पदोन्नति आदि बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती हैं।

27. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना:

आपकी कंपनी ने कोई कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है, इसलिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12(9) और नियम 16(4) के तहत ईएसओपी के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं है।



28. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी के निदेशक मंडल ने उद्देश्यों, फोकस क्षेत्रों, शासन संरचना और निगरानी और रिपोर्टिंग ढांचे को शामिल करते हुए सीएसआर और स्थिरता नीति निर्धारित की।

सीएसआर और स्थिरता नीति का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है और इसे लिंक -

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/CSR_and_Sustainability_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का सीएसआर बजट आवंटन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की गई गणना के अनुसार "शून्य" था।

29. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी ने जोखिम के तत्वों की पहचान के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित और कार्यान्वित किया है, जिसकी बोर्ड की राय में बारीकी से जांच की आवश्यकता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करती है, गंभीरता के साथ जोखिमों की पहचान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी, मूल्यांकन और कम करने के लिए उचित पद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं। जिससे बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर भी अपलोड की गई है।

30. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18 के संदर्भ में एक बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति बनाई है, जिसके संबंध में विवरण जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं। नियमित अंतराल पर होने वाली लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सभी मुद्दों पर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से विचार-विमर्श किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के विचारों और सुझावों को सकारात्मक रूप से ध्यान में रखा जाता है और कंपनी की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो।

31. बोर्ड की अन्य समितियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित विभिन्न अन्य समितियों का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दिया गया है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

32. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण:

जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16(1)(सी) के तहत परिभाषित किया गया है, कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के पास कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था जिसके लिए शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुआ है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। लेखांकन मानक (एएस-18) के तहत आवश्यक आवश्यक खुलासे वित्तीय विवरणों के नोट्स में किए गए हैं। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत आवश्यक फॉर्म एओसी-2 में कोई खुलासा नहीं किया गया है।

अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता निर्धारित करने के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन पर एक नीति भी तैयार की है और संबंधित पक्षों से निपटने पर भी, जिसे सेबी लिस्टिंग विनियमों में नियामक संशोधनों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। अद्यतन नीति को कंपनी की वेबसाइट - http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Materiality_Related_Party_Transactions.pdf पर देखा जा सकता है।

33. कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 8(5) के तहत प्रकटीकरण:

- i. वित्तीय सारांश या मुख्य बातें: जैसा कि 'वित्तीय प्रदर्शन' शीर्षक के अंतर्गत विस्तृत है।
- ii. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो: कोई नहीं
- iii. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण, जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त/ इस्तीफा दिया/ सेवानिवृत्त किया गया:
 - a. निदेशक नियुक्त : श्री राजेंद्र सिंह मनकू
 - b. निदेशक(ओं) ने इस्तीफा दिया : --

- c. निदेशक पद की समाप्ति : श्री विश्वनाथ गिरिराज,
श्री अनिल कुमार गोयल,
रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा
- d. केएमपी नियुक्त : श्री राजिंदर सिंह मनकू पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ के रूप में
- e. केएमपी(ओं) ने इस्तीफा दिया : --
केएमपी सेवानिवृत्त : --
- iv. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान सहायक, संयुक्त उद्यम कंपनियां या सहयोगी कंपनी बन गई हैं या बंद हो गई हैं: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कोई भी कंपनी सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं बनी या बंद नहीं हुई है।
- v. जमा से संबंधित विवरण: वित्तीय वर्ष के अंत में जनता से कंपनी की कोई सावधि जमा राशि बकाया नहीं थी। वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की गई है और इस प्रकार, उक्त जमा के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- vi. ऐसी कोई जमा राशि नहीं है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है।
- vii. किसी भी नियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन पर असर पड़ेगा।
- viii. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है और तदनुसार, ऐसे खातों और रिकॉर्डों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों, मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स द्वारा बनाए रखा और लेखापरीक्षा किया जाता है।
- ix. वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं है और इस प्रकार एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

34. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण:

बोर्ड ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाना, त्रुटि रिपोर्टिंग तंत्र, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी शामिल है।

कंपनी के पास अपने सभी डिवीजनों/ इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य से स्वतंत्र बाहरी आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म हैं। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक रिपोर्ट भी जांची और जारी की है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है। लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन के सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श करती है, निर्धारित प्रणालियों पर विचार करती है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों पर उनके विचार जानने के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों से मिलती है। लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियों और टिप्पणियों को संदर्भ के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण में "आंतरिक नियंत्रण प्रणाली" का संदर्भ लें

35. रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

36. कंपनियों के नियम 5(1) के अनुसार प्रकटीकरण (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016:

कंपनी, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत आवश्यक पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण करने की छूट है। इसलिए, इस संबंध में इस रिपोर्ट में कोई जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।



37. **कर्मचारियों का विवरण - कंपनियों के नियम 5(2) और 5(3) (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016:**
आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों के तहत कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है। इसलिए, इस संबंध में इस रिपोर्ट में कोई जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

38. **जनशक्ति:**

31 मार्च, 2023 तक कंपनी की जनशक्ति:

वर्ग	कार्यकारी अधिकारी/ एनयूएस	गैर-कार्यकारी	कुल
पुरुष	183	7142	7325
महिला	04	6896	6900
कुल	187	14038	14225

39. **समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण:**

फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और बागान श्रम अधिनियम, 1951 में शामिल वैधानिक कल्याण सुविधाएं कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रशासित की जाती हैं।

31 मार्च, 2023 तक कंपनी की कुल संख्या में कर्मचारियों का प्रतिशत एससी/ एसटी/ ओबीसी से संबंधित है: एससी: 8.07%, एसटी: 27.60% और ओबीसी: 55.47%।

आपकी कंपनी सीधी भर्ती में एससी/ एसटी/ ओबीसी के लिए आरक्षण, छूट, रियायतें आदि के संबंध में भारत सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित राष्ट्रपति के निर्देशों और समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

40. **महिलाओं का सशक्तिकरण:**

समाज का विकास महिलाओं के विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि महिलाओं को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना हमारे सभी कार्यक्रमों के मूल में है। कंपनी द्वारा वेतन भुगतान, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलुओं और मातृत्व लाभ आदि जैसे मुद्दों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

31 मार्च, 2023 को महिला कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी:

कार्यकारी	- 04 (चार)
असंघबद्ध पर्यवेक्षक	- शून्य
गैर-कार्यकारी (चाय श्रमिकों सहित)	- 6896 (छह हजार आठ सौ छियानवे)
महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	- 6900 (केवल छह हजार नौ सौ)

41. **स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण:**

एवाईसीएल एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने और चोट और बीमारी मुक्त कार्य स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एवाईसीएल अपनी सभी गतिविधियों को पर्यावरण के लिए सुरक्षात्मक तरीके से संचालित करता है, और अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों, आगंतुकों और जिस समुदाय के आसपास यह काम करता है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

AYCL ने अपनी फैक्ट्री इकाइयों सहित कंपनी में विभिन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं, जैसे:

- कर्मचारियों को नियमित आधार पर सुरक्षा मामलों से संबंधित प्रशिक्षित किया जा रहा है। फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अनुसार सभी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है।
- इंजीनियरिंग प्रभाग में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 के अनुसार है।
- इंजीनियरिंग डिवीजन ने आईएसओ 45001 के अनुसार "नई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" (ओएचएसएमएस) लागू की है।
- इंजीनियरिंग प्रभाग ने यथासंभव नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप प्रशासनिक भवन में सौर ऊर्जा प्रणाली (10 किलोवाट उत्पादन) भी स्थापित की है और प्रभाग को यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस उत्पादन का उपयोग प्रभाग द्वारा अपने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। 2018-19 से, इंजीनियरिंग डिवीजन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में औद्योगिक उद्देश्य के लिए सौर प्रणालियों से औसत 5000kwh इकाई का उपयोग किया है।

- सभी चाय बागानों के पास ISO 22000 (खाद्य, सुरक्षा, प्रबंधन), ट्रस्टिया, रेन फॉरेस्ट एलायंस आदि जैसे आवश्यक प्रमाणपत्र हैं।
- चाय उद्योग एक गैर-खतरनाक उद्योग है। इसके कार्यबल की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। उचित पोषण, एनीमिया की रोकथाम पर वकालत के माध्यम से व्यावसायिक स्वास्थ्य मुद्दों को प्रमुख महत्व दिया गया है। स्प्रेयों के बीच नियमित अंतराल पर चिकित्सा जांच की जाती है।
- इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन को 10 एमवीए, 12.5 एमवीए, 20 एमवीए और 31.5 एमवीए के लिए आईएसओ 9001 और सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआई) प्रमाणन प्राप्त है।

42. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार खुलासा:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत या आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

43. शिकायत निवारण तंत्र:

कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सभी सार्वजनिक शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करती है और यदि सार्वजनिक शिकायत उनके द्वारा अग्रेषित की जा रही है, तो उत्तर की प्रति नियंत्रण मंत्रालय को भेजी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जन शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

शिकायत का प्रकार	01.04.2022 तक बकाया शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	31.03.2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या
लोक शिकायतें	शून्य	4 (चार)	4 (चार)	शून्य

44. औद्योगिक संबंध:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण बने रहे।

45. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू प्रदर्शन के विभिन्न लक्ष्य और पैरामीटर निर्धारित करता है, जिनका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। 2022-23 की रेटिंग अभी फाइनल नहीं हुई है। 2021-22 की रेटिंग "अच्छी" थी।

46. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन:

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों का पालन करती है और सूचना चाहने वालों को सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाती है। कंपनी की ओर से आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/निपटाए गए आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:

आवेदन प्राप्त हुए	:	34 (चौतीस)
आवेदन स्वीकार किये गये	:	34 (चौतीस)
आवेदन अस्वीकृत	:	शून्य
आवेदनों का निराकरण किया गया	:	34 (चौतीस)

47. सतर्कता:

A. वर्ष 2022-23 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा निगरानी की गई विभिन्न गतिविधियों की स्थिति इस प्रकार है:

ई-गवर्नेंस: कंपनी ने पहले ही कंपनी के सभी प्रभागों में मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ई-खरीद नीति (2 लाख रुपये और अधिक), ई-भुगतान और ई-टेंडरिंग/ई-नीलामी लागू कर दी है। कंपनी के जनरल डिवीजन और अन्य इकाइयों/डिविजनों में ई-ऑफिस प्रणाली पहले ही लागू हो चुकी है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।



संरचित बैठक: सीवीओ और सीएमडी के बीच त्रैमासिक संरचित बैठकें समय पर आयोजित की जाती हैं और कार्यवृत्त सक्षम प्राधिकारी को भेज दिए जाते हैं।

B. वर्ष 2022-23 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की स्थिति इस प्रकार है:

i. **सिस्टम में सुधार:** सिस्टम में सुधार के लिए सतर्कता विभाग के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

- एवाईसीएल के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न की मौजूदा मैनुअल प्रस्तुति का डिजिटलीकरण।
- सत्यनिष्ठा समझौते का कार्यान्वयन।
- सलाहकारों के नियुक्ति पत्र में उचित दंडात्मक प्रावधान शामिल किया जाए।
- प्रधान कार्यालय में ई-ऑफिस को चाय (प्रधान कार्यालय) सहित सभी बागानों तक बढ़ाया जा सकता है ताकि सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किए जा सकें।
- डेटाबेस में व्यक्तिगत अधिकारियों को सभी प्रकार के प्रेषण देखने का विकल्प होना चाहिए।
- कार्यालय-वार/ उद्यान-वार "पावर ऑफ अटॉर्नी" अधिकारियों के नाम, पदनाम और उसकी वैधता बताते हुए ऑनलाइन डेटाबेस के साथ उपलब्ध होनी चाहिए।

ii. **वार्षिक संपत्ति रिटर्न:** सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक संपत्ति रिटर्न की नियमित रूप से जांच की जा रही है।

iii. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह:** केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, 31.10.2022 से 06.11.2022 तक "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" की थीम पर एवाईसीएल में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2022" मनाया गया।

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022" के दौरान आयोग द्वारा निर्देशित निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

- 31.10.2022 को सुबह 11 बजे कंपनी के निदेशक (कार्मिक) द्वारा बोर्ड रूम में सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई। उसी दिन सभी डिवीजनों/ इकाइयों/ चाय बागानों में भी शपथ ली गई।
- 31.10.2022 को पंजीकृत कार्यालय के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा शपथ भी दिलाई गई।
- कंपनी सीडीए नियमों, खरीद प्रक्रिया पर इंटरैक्टिव सत्र 31.10.2022 को पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित किया गया था।
- इस अवसर पर हमारे सभी प्रभागों और चाय बागानों में विक्रेताओं/ आम नागरिकों के बीच भ्रष्टाचार विरोधी पर्चे वितरित किए गए।
- इकाइयों/ चाय बागानों/ पंजीकृत कार्यालय सहित प्रमुख और रणनीतिक स्थानों पर बैनर प्रदर्शित किए गए।

*कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कर्मचारियों से कुल 11 निबंध प्राप्त हुए, जिनमें से 6 अंग्रेजी में और 5 हिंदी भाषा में।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सतर्कता मामलों का विवरण इस प्रकार है:

01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया	31.03.2023 तक शेष राशि
3 (तीन)	1 एक)	2 (दो)	2 (दो)

48. हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग:

एवाईसीएल में, कंपनी के अधिकांश कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली लागू की गई है। कंपनी ने कंप्यूटर में हिंदी भाषा का सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है, ताकि एवाईसीएल के कर्मचारी अपने दैनिक कामकाज में इसका उपयोग कर सकें। राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी लगातार हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 27 सितंबर, 2022 को हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता और 29 सितंबर, 2022 को हिंदी नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 30 जून, 2022, 29 सितंबर, 2022, 27 दिसंबर, 2022 और 29 मार्च, 2023 को हिंदी सेमिनार आयोजित किए गए। कंपनी के कर्मचारियों को अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

वर्तमान में, कंपनी की बोर्ड बैठकें और अन्य बोर्ड समिति की बैठकें भी हिंदी में आयोजित की जा रही हैं और उक्त बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त भी हिंदी में तैयार किया जा रहा है।

49. स्वच्छता पखवाड़ा:

कंपनी ने 16 अगस्त, 2022 से 31 अगस्त, 2022 के बीच बड़े उत्साह और भव्यता के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई। पखवाड़े के दौरान कंपनी के विभिन्न स्थानों पर "स्वच्छ भारत" बैनर प्रदर्शित किए गए। कंपनी के प्रतिष्ठानों के आसपास की सफाई की गई और वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। पंजीकृत कार्यालय, सभी कारखानों और चाय बागानों में स्वच्छ और स्वच्छ कार्य वातावरण की आवश्यकता को समझाने के लिए स्वच्छता पर कार्यशालाएं और बैठकें आयोजित की गईं, जिससे प्रतिभागियों में काफी उत्साह पैदा हुआ। कंपनी के अधिकारियों ने पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान स्वच्छता पर पंपलेट वितरित किये गये।

50. आजादी का अमृत महोत्सव

चाय, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग उद्योगों में रुचि रखने वाला एक विशिष्ट विविधीकृत सीपीएसई होने के नाते, एवाईसीएल ने पूरे संगठन में "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने का गंभीर प्रयास किया है। कंपनी के जश्न के लिए आवंटित सप्ताह 10 से 16 जनवरी, 2022 तक था और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पूरे संगठन में सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियाँ की गईं। इस उत्सव में वेबिनार, प्रवचन, डाइंग प्रतियोगिता, क्विज़ प्रतियोगिता, "फिट इंडिया" दौड़, राष्ट्रगान प्रस्तुत करना, चाय बागानों में सफाई और कीटाणुशोधन अभियान आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।

51. कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट:

कंपनी एक वेबसाइट www.andrewyule.com चलाती है जहां कंपनी की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है।

52. कंपनी की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सुविधाएं:

कंपनी में इन-हाउस आर एंड डी सुविधाओं का मुख्य फोकस घरेलू बाजार की मांगों के अनुरूप मौजूदा उत्पादों को निरंतर उन्नयन प्रदान करना और साथ ही निर्यात बाजार में अवसरों का लाभ उठाना है। कंपनी के विभिन्न प्रभागों द्वारा की गई कुछ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

a. चाय प्रभाग:

चाय उद्योग में चाय अनुसंधान संघ - टीआरए के सदस्य होने के नाते हमारे पास सभी अद्यतन शोध निष्कर्ष हैं जो मासिक रूप से प्रकाशित होते हैं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में मासिक परिषद की बैठकों में चर्चा की जाती है। टीआरए एक स्वायत्त निकाय होने के नाते चाय उद्योग के अनुसंधान और विकास के लिए अत्यधिक समर्पित है जिसने हमें भूमि उत्पादकता और उत्पादित चाय की गुणवत्ता में सुधार करने में हमेशा मदद की है।

b. इंजीनियरिंग प्रभाग:

(i) **ऑयल लुब्रिकेटेड हाउसिंग:** इंजीनियरिंग डिवीजन ने 200 मिमी व्यास वाले शाफ्ट के लिए उपयुक्त एसआर-200 बियरिंग हाउसिंग के लिए डिजाइन गतिविधियां पूरी कर ली हैं। अब यह शारीरिक विकास चरण में है। इससे चक्र का समय कम से कम 1 (एक) महीने कम हो जाएगा और वार्षिक लागत बचत प्रति कार्यक्रम सेट 2.00 लाख रुपये होगी।

(ii) **प्रौद्योगिकी विकास:** काटने, मोड़ने और रेडियोग्राफी वेल्डिंग द्वारा मोटी सील रिंग के निर्माण में लंबी प्रक्रिया लगती है और मानव-घंटे की भागीदारी अधिक होती है। विक्रेता से सिंगल पीस फोर्ड मोटी सील रिंग की खरीद से उपरोक्त लंबी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और लागत कम हो जाती है।

53. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित किया जाना आवश्यक है, अनुबंध-II में दिया गया है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

54. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की आवश्यकता और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, पीएसयू को एमएसएमई द्वारा उत्पादित निर्दिष्ट उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% खरीदना



आवश्यक है। इसमें यह भी आवश्यक है कि 25% में से 4% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा उपरोक्त 25% आरक्षण के भीतर महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई से न्यूनतम 3% खरीद की परिकल्पना की गई है। इसमें पीएसयू को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उपरोक्त खरीद के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उससे प्राप्त उपलब्धियों की रिपोर्ट देने की भी आवश्यकता है।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसएमई से माल की कुल खरीद 25% के लक्ष्य के मुकाबले खरीद का 45.82% थी। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल एमएसएमई खरीद में से एससी/एसटी एमएसएमई से 0.94% खरीद, महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई से 0.52% खरीद हासिल की।

55. GeM के माध्यम से खरीद:

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक सरकार द्वारा संचालित ई-कॉमर्स पोर्टल है। यह विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और पीएसयू द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आसान ऑनलाइन खरीद को सुविधाजनक बनाने और सक्षम करने के लिए वन-स्टॉप है। AYCL के सभी कार्य केंद्र GeM पोर्टल पर पंजीकृत हैं और पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद GeM के माध्यम से ही करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, AYCL ने GeM के माध्यम से 138.50 करोड़ रुपये की खरीद की है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 94.07 करोड़ रुपये थी।

56. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2 (दो) ऑनलाइन बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम और 7 (सात) आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर कुल 97.5 मानव दिवस के बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 37 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

57. वैधानिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, मेसर्स एस.के. बसु एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। . वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है, जो स्व-व्याख्यात्मक है।

वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने कहा है कि:

	लेखापरीक्षा योग्यता का प्रकार	प्रबंधन स्पष्टीकरण
स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा योग्यता		
1.	<p>देनदारों और लेनदारों से शेष पुष्टि प्रमाणपत्र और पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में हम देनदारों और लेनदारों के शेष की शुद्धता और किए जाने वाले वास्तविक प्रावधान के संबंध में एक राय बनाने में असमर्थ हैं। कंपनी के लाभ और हानि पर उपरोक्त का प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।</p> <p>कंपनी के पास उम्र के आधार पर प्राप्य राशि प्रदान करने की कोई नीति नहीं है। कंपनी के प्रत्येक डिवीजन में 36 महीने से अधिक समय से बकाया देनदार इस प्रकार हैं:</p>	<p>पैरा 2.9</p> <p>कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, व्यापार प्राप्य को शुरू में लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर लागत कम प्रावधान पर मापा जाता है।</p> <p>उपरोक्त के आधार पर, कंपनी ने उचित विश्लेषण के बाद ऐसे मामलों के संबंध में पर्याप्त प्रावधान किए हैं जहां वसूली का जोखिम तुलनात्मक रूप से अधिक है।</p> <p>आगे नोट संख्या 59 में यह स्पष्ट किया गया है कि "कंपनी के पास देनदारों और लेनदारों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्रमाणपत्र मांगने की प्रणाली है। हालांकि, कंपनी ने उन मामलों के लिए खातों में उपलब्ध आंकड़े बनाए रखे हैं, जिनमें देनदारों/ लेनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।</p>



प्रभाग का नाम	31.03.2023 को कुल प्राप्य (लाख रुपये में)	36 महीने से अधिक की प्राप्य राशि (लाख रुपये में)	31.03.23 तक उपलब्ध प्रावधान (लाख रुपये में)
चाय प्रभाग	280.96	शून्य	8.39
इंजीनियरिंग प्रभाग	3992.83	892.56	329.36
इलेक्ट्रिकल चैत्रई	8287.65	413.22	514.95
सामान्य प्रभाग	106.48	32.48	शून्य
कुल	12667.93	1338.26	852.70

इसलिए, हम कंपनी द्वारा किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. लेखापरीक्षा समिति की बैठक में इसका समाधान किया गया और उपरोक्त 12 नवंबर, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पारित किया गया कि संपूर्ण अप्रयुक्त स्टॉक और मशीनरी (किसी भी बेहिसाब पुराने सामान सहित जो स्टोर/परिसंपत्ति रजिस्टर में नहीं है), इलेक्ट्रिकल डिवीजन का स्क्रेप एमएसटीसी के माध्यम से बेचा जाना है। हालाँकि, यदि कोई बेहिसाब माल पाया जाता है, तो उसका हिसाब दिया जाना चाहिए। यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है कि ऐसा सामान भौतिक सत्यापन से कैसे बच गया होगा और बेहिसाब रह गया होगा। ऐसे बेहिसाब स्टॉक में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10.76 लाख रुपये के मूल्य पर सामग्रियों का निपटान किया गया।

ऐसे बेहिसाब माल-सूची की मौजूदगी के कारण, हम यह राय देने की स्थिति में नहीं हैं कि विदूत प्रभाग की पुस्तकों में माल-सूची का उचित मूल्य दर्ज किया गया है या नहीं। उपरोक्त के कारण कंपनी के लाभ या हानि पर प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

3. इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शुद्ध वहन राशि 534.49 लाख रुपये को शुद्ध वहन मूल्य और उचित बाजार मूल्य के निचले स्तर पर पुनर्वर्गीकरण और निपटान के बाद इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता के संपत्ति संयंत्र और उपकरण में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष इसे पहले "निपटान के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि उपरोक्त परिसंपत्तियों को बेचने का प्रबंधन का इरादा आज तक नहीं बदला गया है, हमारी राय में परिसंपत्ति को निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों में ही रहना चाहिए था और संपत्ति संयंत्र और उपकरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। यदि पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया होता, तो शुद्ध लाभ 22.42 लाख रुपये अधिक होता और संपत्ति का मूल्य 22.42 लाख रुपये अधिक होता।

दिनांक 12/11/2021 और 05/01/2022 की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, इलेक्ट्रिकल कोलकाता ऑपरेशंस की तीन इकाइयों की विदूत स्थापना सहित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का निपटान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के दौरान, INDAS 105 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उक्त संपत्ति को "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में माना गया था। चूंकि एक वर्ष की समाप्ति के बाद भी, जैसा कि INDAS 105 में निर्धारित है, भूमि और भवन के संबंध में कंपनी को अभी तक भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है और संयंत्र और मशीनरी के संबंध में, जिसे बार-बार नीलामी आयोजित करने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला है, बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को निम्न स्तर पर सामान्य अचल संपत्तियों में पुनः वर्गीकृत किया गया है

A) परिसंपत्ति (या निपटान समूह) से पहले इसकी अग्रणीत राशि को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किसी भी मूल्यहास, परिशोधन या पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया गया था, जिसे मान्यता दी गई होती यदि संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता।

B) इसकी वसूली योग्य राशि यानी पुनर्वर्गीकरण के बाद के निर्णय की तिथि पर निपटान की लागत घटाकर वसूली योग्य मूल्य।



		<p>C) इसके अलावा, जहां भी वसूली योग्य मूल्य आसानी से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिसंपत्तियों का वहन मूल्य शून्य माना गया है। लाभ और हानि को निरंतर संचालन से उत्पन्न माना गया है और 147.47 लाख रुपये के नोट 35 "अन्य व्यय" में संपत्ति के उचित मूल्य के पुनः माप के संबंध में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>इसके अलावा INDAS 105 के अनुसार इलेक्ट्रिकल कोलकाता की संपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के बाद, INDAS के पैराग्राफ 33-35 के अनुसार पहले बंद किए गए परिचालनों में प्रस्तुत उन संपत्तियों के संचालन के परिणामों को पुनः वर्गीकृत किया गया है और निरंतर परिचालन से आय में शामिल किया गया है।</p>
--	--	---

समेकित लेखापरीक्षा योग्यता

1.	<p>देनदारों और लेनदारों से शेष पुष्टि प्रमाणपत्र और पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में हम देनदारों और लेनदारों के शेष की शुद्धता और किए जाने वाले वास्तविक प्रावधान के संबंध में एक राय बनाने में असमर्थ हैं। कंपनी के लाभ और हानि पर उपरोक्त का प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।</p> <p>कंपनी के पास उम्र के आधार पर प्राप्य राशि प्रदान करने की कोई नीति नहीं है। कंपनी के प्रत्येक डिवीजन में 36 महीने से अधिक समय से बकाया देनदार इस प्रकार हैं:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">प्रभाग का नाम</th> <th style="width: 15%;">31.03.23 को कुल प्राप्य (लाख रुपये में)</th> <th style="width: 15%;">36 महीने से अधिक की प्राप्य राशि (लाख रु.)</th> <th style="width: 15%;">31.03.23 तक उपलब्ध प्रावधान (लाख रूपये)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चाय प्रभाग</td> <td style="text-align: right;">280.96</td> <td style="text-align: center;">शून्य</td> <td style="text-align: right;">8.39</td> </tr> <tr> <td>इंजीनियरिंग प्रभाग</td> <td style="text-align: right;">3992.83</td> <td style="text-align: right;">892.56</td> <td style="text-align: right;">329.36</td> </tr> <tr> <td>इलेक्ट्रिकल चैत्रई</td> <td style="text-align: right;">8287.65</td> <td style="text-align: right;">413.22</td> <td style="text-align: right;">514.95</td> </tr> <tr> <td>सामान्य प्रभाग</td> <td style="text-align: right;">106.48</td> <td style="text-align: right;">32.48</td> <td style="text-align: center;">शून्य</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td style="text-align: right;">12667.93</td> <td style="text-align: right;">1338.26</td> <td style="text-align: right;">852.70</td> </tr> </tbody> </table> <p>इसलिए, हम कंपनी द्वारा किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	प्रभाग का नाम	31.03.23 को कुल प्राप्य (लाख रुपये में)	36 महीने से अधिक की प्राप्य राशि (लाख रु.)	31.03.23 तक उपलब्ध प्रावधान (लाख रूपये)	चाय प्रभाग	280.96	शून्य	8.39	इंजीनियरिंग प्रभाग	3992.83	892.56	329.36	इलेक्ट्रिकल चैत्रई	8287.65	413.22	514.95	सामान्य प्रभाग	106.48	32.48	शून्य	कुल	12667.93	1338.26	852.70	<p>कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार व्यापार प्राप्तियों को प्रारंभ में लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर लागत कम प्रावधान पर मापा जाता है। उपरोक्त के आधार पर, कंपनी ने उचित विश्लेषण के बाद ऐसी स्थितियों के संबंध में प्रावधान किए हैं जहां वसूली का जोखिम तुलनात्मक रूप से अधिक है।</p> <p>नोट संख्या 59 में आगे बताया गया है कि "कंपनी के पास देनदारों और लेनदारों से साल के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्रमाणपत्र मांगने की प्रणाली है। हालाँकि, कंपनी ने उन मामलों के लिए खातों में उपलब्ध आंकड़े बनाए रखे हैं जिनमें देनदारों/ लेनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।</p>
प्रभाग का नाम	31.03.23 को कुल प्राप्य (लाख रुपये में)	36 महीने से अधिक की प्राप्य राशि (लाख रु.)	31.03.23 तक उपलब्ध प्रावधान (लाख रूपये)																							
चाय प्रभाग	280.96	शून्य	8.39																							
इंजीनियरिंग प्रभाग	3992.83	892.56	329.36																							
इलेक्ट्रिकल चैत्रई	8287.65	413.22	514.95																							
सामान्य प्रभाग	106.48	32.48	शून्य																							
कुल	12667.93	1338.26	852.70																							
2.	<p>लेखापरीक्षा समिति की बैठक में इसका समाधान किया गया और उपरोक्त 12 नवंबर, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पारित किया गया कि संपूर्ण अप्रयुक्त स्टॉक और मशीनरी (किसी भी बेहिसाब पुराने सामान सहित जो स्टोर/परिसंपत्ति रजिस्टर में नहीं है), इलेक्ट्रिकल डिवीजन का स्क्रेप एमएसटीसी के माध्यम से बेचा जाना है। हालाँकि, यदि कोई बेहिसाब माल पाया जाता है, तो उसका हिसाब दिया जाना चाहिए। यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है कि ऐसा सामान भौतिक सत्यापन से कैसे बच गया होगा और बेहिसाब रह गया होगा। ऐसे बेहिसाब स्टॉक में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10.76 लाख रुपये के मूल्य पर सामग्रियों का निपटान किया गया।</p>	<p>कंपनी के ब्रेंटफोर्ड और स्विच गियर डिवीजन का पूरा स्टॉक 662.89 लाख रुपये खातों में उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि, पुरानी प्रक्रिया स्क्रेप, ट्रांसफार्मर के विफल हिस्सों, वीसीबी के लिए कोई मूल्य नहीं माना गया है, जो पहले के वर्षों में उत्पादन के दौरान सामग्री के जारी होने के समय खपत में पहले से ही चार्ज किया गया था। प्राप्त इन वस्तुओं के बिक्री मूल्य को आय के रूप में दर्ज किया गया है।</p>																								



<p>ऐसे बेहिसाब माल-सूची की मौजूदगी के कारण, हम यह राय देने की स्थिति में नहीं हैं कि विदूत प्रभाग की पुस्तकों में माल-सूची का उचित मूल्य दर्ज किया गया है या नहीं। उपरोक्त के कारण कंपनी के लाभ या हानि पर प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।</p>	
<p>3. इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शुद्ध वहन राशि 534.49 लाख रुपये को शुद्ध वहन मूल्य और उचित बाजार मूल्य के निचले स्तर पर पुनर्वर्गीकरण और निपटान के बाद इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता के संपत्ति संयंत्र और उपकरण में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष इसे पहले "निपटान के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि उपरोक्त परिसंपत्तियों को बेचने का प्रबंधन का इरादा आज तक नहीं बदला गया है, हमारी राय में परिसंपत्ति को निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों में ही रहना चाहिए था और संपत्ति संयंत्र और उपकरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। यदि पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया होता, तो शुद्ध लाभ 22.42 लाख रुपये अधिक होता और संपत्ति का मूल्य 22.42 लाख रुपये अधिक होता।</p>	<p>दिनांक 12/11/2021 और 05/01/2022 की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, इलेक्ट्रिकल कोलकाता ऑपरेशंस की तीन इकाइयों की विदूत स्थापना सहित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का निपटान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के दौरान, INDAS 105 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उक्त संपत्ति को "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में माना गया था। चूंकि एक वर्ष की समाप्ति के बाद भी, जैसा कि INDAS 105 में निर्धारित है, भूमि और भवन के संबंध में कंपनी को अभी तक भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है और संयंत्र और मशीनरी के संबंध में, जिसे बार-बार नीलामी आयोजित करने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला है, बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को निम्न स्तर पर सामान्य अचल संपत्तियों में पुनः वर्गीकृत किया गया है</p> <p>A) परिसंपत्ति (या निपटान समूह) से पहले इसकी अग्रणीत राशि को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किसी भी मूल्यहास, परिशोधन या पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया गया था, जिसे मान्यता दी गई होती यदि संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता।</p> <p>B) इसकी वसूली योग्य राशि यानी पुनर्वर्गीकरण के बाद के निर्णय की तिथि पर निपटान की लागत घटाकर वसूली योग्य मूल्य।</p> <p>C) इसके अलावा, जहां भी वसूली योग्य मूल्य आसानी से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिसंपत्तियों का वहन मूल्य शून्य माना गया है।</p> <p>लाभ और हानि को निरंतर संचालन से उत्पन्न माना गया है और 147.47 लाख रुपये के नोट 35 "अन्य व्यय" में संपत्ति के उचित मूल्य के पुनः माप के संबंध में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>इसके अलावा INDAS 105 के अनुसार इलेक्ट्रिकल कोलकाता की संपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के बाद, INDAS के पैराग्राफ 33-35 के अनुसार पहले बंद किए गए परिचालनों में प्रस्तुत उन संपत्तियों के संचालन के परिणामों को पुनः वर्गीकृत किया गया है और निरंतर परिचालन से आय में शामिल किया गया है।</p>

पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (राज्य सभा) द्वारा अपनी 150वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:

अपनी 150वीं रिपोर्ट में पटल पर रखे गए पत्रों पर समिति (राज्य सभा) द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए जाने वाले विवरण इस प्रकार हैं:

i. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सतर्कता मामलों का विवरण:

01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया	31.03.2023 तक यथावत शेष
3 (तीन)	1 एक)	2 (दो)	2 (दो)

ii. लंबित सीएजी पैरा और प्रबंधन उत्तरों की स्थिति: शून्य



58. सचिवीय लेखापरीक्षा और अनुपालन रिपोर्ट:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स ए.के. लाभ एंड कंपनी को पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त किया था। तदनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की है और प्रपत्र संख्या एम.आर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है और बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में चार टिप्पणियाँ हैं। एक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। दूसरा अवलोकन कम से कम 25% की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने से संबंधित है, जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 1 अगस्त, 2024 तक छूट दी गई है। तीसरे अवलोकन के संबंध में, कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण, 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, संपत्ति और देनदारियों का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और लेखा परीक्षा योग्यता के प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करने में एक दिन की देरी हुई। चौथा अवलोकन घूर्णी निदेशकों से संबंधित है जिसमें उत्तर अवलोकन एक के समान ही है।

इसके अलावा, सेबी परिपत्र संख्या CIR/CFD/CMD1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी, 2019 के अनुसार, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 24ए के साथ पठित, मेसर्स ए.के. लाभ एंड कंपनी, पूर्णकालिक प्रैक्टिस में कंपनी सचिव भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी सभी लागू नियमों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को एक वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी की है। उक्त रिपोर्ट बीएसई लिमिटेड को विधिवत प्रस्तुत कर दी गई है। इसके अलावा रिपोर्ट की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट वेबलिंगक http://www.andrewyule.com/pdf/investor-relations/ASCR_2022_23.pdf पर उपलब्ध है।

59. लागत लेखापरीक्षक और लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या: 000038) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लिए लागत लेखापरीक्षा किया। उन्हें नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण के आइटम नंबर 5 में निर्धारित पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुसमर्थन के अधीन है।

कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास जमा करती है।

60. खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत पूरक लेखापरीक्षा की थी। वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण:

सीएजी टिप्पणियाँ	प्रबंधन प्रतिनिधि
संपत्ति बैलेंस शीट गैर-वर्तमान संपत्तियां वित्तीय संपत्तियां अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट 5) बयाना राशि जमा (ईएमडी): रु. 57.38 लाख इसमें पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए निविदाओं में भागीदारी के लिए ईएमडी के लिए तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीटीसीएल) को भुगतान की गई राशि 50.00 लाख रुपये शामिल है। एक आदेश (जनवरी 2019) को निष्पादित करने में कंपनी की विफलता के कारण, टीटीसीएल ने अनुबंध (फरवरी 2022) को समाप्त कर दिया और कंपनी को 96.76 लाख रुपये की राशि के लिए दंडित किया और इस प्रकार, ईएमडी को जब्त कर लिया और 46.76 लाख रुपये की शेष राशि का दावा किया। तथापि, कंपनी ने उपर्युक्त राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।	वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों की पुस्तकों में आवश्यक प्रभाव पारित किए जाएंगे।
इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त मद में 50 लाख रुपये की अधिकता, वर्तमान देनदारियों और प्रावधान में 46.76 लाख रुपये की कमी आई है और लाभ का इसी प्रकार 96.76 लाख रुपये का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।	



<p>वर्तमान संपत्ति इन्वेंटी (नोट-8) स्क्रेप: 40.82 लाख रुपये यह कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन से संबंधित 40.82 लाख रुपये के स्क्रेप के मूल्य को दर्शाता है। उपर्युक्त स्क्रेप का कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया में कोई अन्य उपयोग नहीं है और स्क्रेप के रूप में सीधे बाजार में बिक्री के लिए रखा जाता है। इसके अलावा, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किए जाने वाले स्क्रेप को इन्वेंटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और वसूली के आधार पर इसका हिसाब रखा जाना चाहिए। इसलिए, स्क्रेप को इन्वेंटी और उसके मूल्यांकन के रूप में मानने से उपरोक्त मद के साथ-साथ प्रत्येक को 40.82 लाख रुपये का लाभ हुआ है।</p>	<p>वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों की पुस्तकों में आवश्यक प्रभाव पारित किए जाएंगे।</p>
---	--

समेकित आर्थिक विवरण:

सीएजी टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
<p>संपत्ति बैलेंस शीट गैर-चालू परिसंपत्तियां वित्तीय आस्तियां अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 5) बयाना राशि जमा (ईएमडी): 57.38 लाख रुपये इसमें 50.00 लाख रुपये बिजली ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के लिए निविदाओं में भागीदारी के लिए ईएमडी के लिए तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीटीसीएल) को भुगतान की गई राशि शामिल है। एक आदेश (जनवरी 2019) को निष्पादित करने में कंपनी की विफलता के कारण, टीटीसीएल ने अनुबंध (फरवरी 2022) को समाप्त कर दिया और कंपनी को 96.76 लाख रुपये की राशि के लिए दंडित किया और इस प्रकार, ईएमडी को माफ कर दिया और 46.76 लाख रुपये की शेष राशि का दावा किया। तथापि, कंपनी ने उपर्युक्त राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त मद में 50 लाख रुपये की अधिकता, वर्तमान देनदारियों और प्रावधान में 46.76 लाख रुपये की कमी आई है और लाभ का इसी प्रकार 96.76 लाख रुपये का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।</p>	<p>वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों की पुस्तकों में आवश्यक प्रभाव पारित किए जाएंगे।</p>
<p>वर्तमान संपत्ति इन्वेंटी (नोट-8) स्क्रेप: 40.82 लाख रुपये यह कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन से संबंधित 40.82 लाख रुपये के स्क्रेप के मूल्य को दर्शाता है। उपर्युक्त स्क्रेप का कॉम्पा-एनवाई की उत्पादन प्रक्रिया में कोई अन्य उपयोग नहीं है और इसे स्क्रेप के रूप में सीधे बाजार में बिक्री के लिए रखा जाता है। इसके अलावा, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किए जाने वाले स्क्रेप को इन्वेंटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और वसूली के आधार पर इसका हिसाब रखा जाना चाहिए। इसलिए, स्क्रेप को इन्वेंटी और उसके मूल्यांकन के रूप में मानने से उपरोक्त मद के साथ-साथ प्रत्येक को 40.82 लाख रुपये का लाभ हुआ है।</p>	<p>वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों की पुस्तकों में आवश्यक प्रभाव पारित किए जाएंगे।</p>

61. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

एवाईसीएल ने विविध याचिका दायर की है। माननीय एनसीएलटी के समक्ष आवेदन, अपनी पूर्व सहयोगी कंपनी यानी मेसर्स दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की छूट की मांग करते हुए और इसके संयुक्त उद्यम मेसर्स फीनिक्स यूल लिमिटेड को बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना में अनुमोदित किया गया है।

हालाँकि, बार-बार नोटिस और विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के बावजूद, उनमें से कोई भी आयकर निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, माननीय बेंच के सदस्यों, कोलकाता बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला 3 जुलाई, 2023 को द लर्नड नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल, कोलकाता बेंच-II के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उस दिन मामला स्थगित कर दिया गया।



62. भूमि का विवरण

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक एवाईसीएल के पास मौजूद भूमि की स्थिति अनुबंध-IV के रूप में संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

63. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134(3)(सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खाते चालू संस्था के आधार पर तैयार किए थे;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

64. चेतावनीपूर्ण वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं और/ या प्रत्याशाओं का वर्णन करने वाली रिपोर्ट में दिए गए कथन लागू प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के अंतर्गत भविष्योन्मुखी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम कथन में बताए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में वैश्विक शामिल हैं और घरेलू आपूर्ति और मांग की स्थितियाँ तैयार माल की बिक्री की कीमतों, इनपुट की उपलब्धता और उनकी कीमतों, सरकारी नीतियों, विनियमों, कर कानूनों में बदलाव, देश के भीतर और बाहर आर्थिक विकास और मुकदमेबाजी और औद्योगिक संबंधों जैसे अन्य कारकों को प्रभावित करती हैं।

कंपनी भविष्योन्मुखी बयानों के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, जिसमें भविष्य में बाद के विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर बदलाव हो सकते हैं।

65. अभिस्वीकृति

आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रयासों और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है और निदेशक इसे स्वीकार करते हैं।

बोर्ड कंपनी के मूल्यवान शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों को उनके मूल्यवान संरक्षण और भारत और विदेशों में बैंकरों, वित्तीय संस्थानों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभारी है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
7 अगस्त 2023

संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास:

आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23 से देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

महामारी से प्रेरित संकुचन, रूसी-यूक्रेन संघर्ष और मुद्रास्फीति से उबरते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में व्यापक-आधारित सुधार कर रही है, जो वित्त वर्ष 23 में महामारी-पूर्व विकास पथ पर चढ़ने की स्थिति में है।

- ◆ वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का अनुमान 6-6.8% के बीच रहेगा।
- ◆ वित्त वर्ष 2015 के बाद से पहली छमाही में निजी खपत सबसे अधिक थी और इससे उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है जिसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- ◆ कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट को मजबूत करने के कारण केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चालकों में से एक है।
- ◆ जनवरी-नवंबर, 2022 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की ऋण वृद्धि औसतन 30.6 प्रतिशत से अधिक थी।

वित्तीय विकास

- ◆ **मुद्रास्फीति** - भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर है।
- ◆ **कर संग्रह** - प्रत्यक्ष करों और जीएसटी में मजबूत वृद्धि के कारण अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई।
 - ◆ बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों की बेहतर और स्वस्थ बैलेंस शीट के साथ, एक नया ऋण चक्र पहले ही शुरू हो चुका है, जो पिछले महीनों में बैंक ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि से स्पष्ट है।
 - ◆ भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिकता, उच्च वित्तीय समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित आर्थिक सुधारों द्वारा निर्मित आर्थिक अवसरों के परिणामस्वरूप दक्षता लाभ से लाभ होना शुरू हो गया है।

देश के बेहतर आर्थिक परिदृश्य से लाभ उठाने के लिए, एवाईसीएल ने अपने तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात टी डिवीजन, इंजीनियरिंग डिवीजन और इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन (ई-सीओ) की बेहतर वृद्धि और लाभप्रदता के लिए संरचनात्मक सुधार और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की भी पहल की। इसकी एक अन्य इकाई अर्थात इलेक्ट्रिकल - कोलकाता ऑपरेशन को संरचनात्मक सुधार के हिस्से के रूप में नवंबर, 2021 में बंद कर दिया गया है।

चाय प्रभाग

एवाईसीएल एकमात्र सीपीएसई है जिसके पास चाय बागान और चाय विनिर्माण गतिविधियां हैं।

चुनौतियाँ:

1. **चाय उद्योग में प्रतिकूल मौसम:** चाय एक मौसमी कृषि उत्पाद है और प्राकृतिक रूप से कृषि-जलवायु परिस्थितियों के संपर्क में है। वर्षा का पैटर्न हर साल बदल रहा है और बहुत अप्रत्याशित हो गया है। उपरोक्त स्थिति में तापमान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि कुछ महीनों से दिन का तापमान शुष्क हवा के साथ बहुत अधिक और रात का तापमान कम होता है जिसके परिणामस्वरूप पत्तियों के विकास में देरी होती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में असम और डुआर्स के सभी बागान अनियमित मौसम की स्थिति से प्रभावित हुए।
2. **वेतन वृद्धि:** पिछले 5 (पांच) वर्षों में मूल वेतन में 69% से अधिक की वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण रही है, जबकि मूल्य प्राप्ति मूल्य वृद्धि के अनुरूप नहीं है जिससे बड़े पैमाने पर लाभप्रदता प्रभावित हो रही है।
3. **फंगल रोगों के संक्रमण में वृद्धि:** फंगल और अन्य माध्यमिक रोगों जैसे फ्यूजेरियम, वायलेट ब्लाइट, रेड रस्ट, ब्लैक रोट आदि का संक्रमण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है, जो पहले इतने बड़े पैमाने पर अनुभव नहीं किया गया था, जिससे फसल को गंभीर नुकसान हुआ। पिछले 3 वर्षों में फंगल रोगों से सबसे अधिक प्रभावित बागान चूनाभुट्टी, करबल्ला, बासमतिया, देसम और खोवांग हैं।
4. **मूल्य निर्धारण:** यह एक खरीदार प्रधान बाजार है। चाय की कीमत उत्पादन की परवाह किए बिना छह (06) प्रमुख खरीदारों द्वारा नियंत्रित की जाती है और उर्वरक, खरपतवारनाशी, गैस, कोयला, कीटनाशक, कवकनाशी आदि जैसे सभी प्रमुख इनपुट की लागत में पर्याप्त वृद्धि होती है।
5. **छोटे उत्पादकों का प्रभुत्व:** लगभग 51% उपज अब छोटे उत्पादकों की है जिसे बॉट लीफ टी कहा जाता है। ये कम गुणवत्ता वाली सस्ती चाय हैं जो बाजार में घुसपैठ करती हैं और खरीदारों के स्वाद और खर्च के तरीके को बदल देती हैं जिससे चाय बागान उत्पादकों की चाय की मांग और कीमत प्रभावित होती है।



- कम खुदरा उपस्थिति:** हालांकि एवाईसीएल की खुदरा कारोबार में उपस्थिति 1990 से है, लेकिन बाजार हिस्सेदारी बहुत मामूली रही है।
- श्रमिक कल्याण लागत:** एस्टेट चाय उत्पादकों को छोटे उत्पादकों के विपरीत मजदूरों को आवास, जल आपूर्ति, स्कूली शिक्षा, सब्सिडी वाले खाद्यान्न और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं और ये सभी लागतें लगातार बढ़ रही हैं।
- उत्पादन की लागत को कीमत में शामिल नहीं किया जाता है:** श्रम मजदूरी दरों और अन्य इनपुट लागतों में बार-बार वृद्धि का बोझ हमेशा ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता है, जिससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले दो दशकों में कई चाय कंपनियां संकट में हैं या उनके शटर गिर गए हैं।
- सस्ती चाय का आयात:** चूंकि केन्या, श्रीलंका की चाय सस्ती दर पर उपलब्ध हैं, जिन्हें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा आदि जैसे प्रमुख देशों में निर्यात किया जा रहा है, उच्च लागत पर उत्पादित होने वाली भारतीय चाय उनके द्वारा दी जाने वाली कीमत का मुकाबला नहीं कर सकती है। . भारत में नेपाल चाय के प्रवेश के कारण दार्जिलिंग चाय की कीमत में सुधार भी कम है।

अवसर:

- ब्रांड छवि:** यूल बल्क टी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध पैकटीर्स के बीच जानी जाती है और यूल रिटेल ब्रांड भी अपनी रूढ़िवादी, सीटीसी, हरी और अन्य विशेष चाय के लिए घरेलू बाजार में स्थापित हो रहे हैं।
- सुविधाओं का रणनीतिक स्थान:** चाय बागान और कारखाने दार्जिलिंग, डुआर्स और असम के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां नीलामी घरों और अन्य खरीदार के नेटवर्क से अच्छी कनेक्टिविटी है।
- गुणवत्ता:** चाय की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जा रहा है और नियमित रूप से उखाड़ने और पुनः रोपने, खाली स्थानों को भरने, तोड़ने के चक्र को 9 दिन से घटाकर 7 दिन करने, बारीक पत्तियों की संख्या 45% से बढ़ाकर 55% करने, बेहतर मुरझाने के चक्र और किण्वन के माध्यम से उपज के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने के माध्यम से कायम रखा गया।
- प्रमाणपत्र:** सभी उद्यानों के पास स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर निरंतर जोर के साथ आईएसओ 22000 (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन), ट्रस्टिया, रेन फॉरेस्ट एलायंस आदि जैसे आवश्यक प्रमाणपत्र हैं।
- नई क्षमता वृद्धि:** चाय प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 27 तक अपनी उत्पादन क्षमता को मौजूदा 117 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 129 लाख किलोग्राम करने की योजना बनाई है, जिसमें न्यू डुआर्स टी एस्टेट में 5 लाख किलोग्राम सीटीसी लाइन शामिल है और 5 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ वित्त वर्ष 2027 तक तिनकोंग और बासमतिया की कुल क्षमता को 7 लाख किलोग्राम तक उन्नत करना।
- खुदरा विकास:** खुदरा क्षेत्र पर्याप्त विकास के लिए तैयार है क्योंकि एवाईसीएल को कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) की मंजूरी मिल गई है और उसने पहले ही अमेज़न में खुदरा चाय लॉन्च कर दी है और ई-मार्केट पोजिशनिंग/विजिबिलिटी के लिए डिजिटल अभियान बढ़ा दिया है। हमारे उत्पादों और ब्रांड की अधिक दृश्यता के लिए अब एक प्रतिष्ठित एजेंसी के माध्यम से व्यापक डिजिटल मार्केटिंग की जा रही है।
- निर्यात वृद्धि:** FY23 में +431% सालाना राजस्व वृद्धि हासिल की गई (INR 27.15 करोड़ बनाम रु. 5.11 करोड़; 7.22 LKG बनाम 1.79 LKG)। अन्य प्रतिस्पर्धी चाय उत्पादक देशों से आपूर्ति की स्थिति के आधार पर इसमें और वृद्धि का अवसर है।

आउटलुक:

ऊपर बताई गई ताकत और अवसरों के साथ, एवाईसीएल के पास उद्योग की 2.1% सीएजीआर की वृद्धि की तुलना में 7% सीएजीआर की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 32 तक चाय व्यवसाय को दोगुना करने की गुंजाइश है। इसे मौजूदा/उन्नत बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ नए चाय बागानों के अधिग्रहण के माध्यम से स्वयं के उत्पादन और खरीदी-पत्ती क्षमता में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। खुदरा चाय व्यवसाय में भी वर्तमान 0.2% से 2032 में 5% तक वृद्धि की उम्मीद है यानी 40 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ मात्रा यानी 10 लाख किलोग्राम। 2032 में निर्यात वृद्धि वर्तमान 1.5% से 10% यानी लगभग 20 लाख किलोग्राम होने की उम्मीद है। 80 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ। ऑपरेटिंग मापदंडों और गुणवत्ता की निगरानी के लिए सेंसर-आधारित प्रौद्योगिकियों के साथ बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण को अपनाया जाएगा। एकीकृत क्रीट नियंत्रण, मिट्टी के स्वास्थ्य और झाड़ियों की मजबूती के लिए अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ वनस्पति विज्ञान के उपयोग को भी स्थायी व्यवसाय मॉडल और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं के मद्देनजर अधिक महत्व दिया जा रहा है। टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए) हमें "भविष्य के लिए तैयार" बनाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में एवाईसीएल के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इंजीनियरिंग प्रभाग

चुनौतियाँ:

- कम बाज़ार हिस्सेदारी:** पंखा बाज़ार मुख्य रूप से एक निजी खरीदारों का बाज़ार है। आदेशों के निपटारे में कम पारदर्शिता और सरकारी संगठन की उदासीनता पर काबू पाना मुश्किल है।
- मूल्य निर्धारण:** यह खरीदारों का बाज़ार है और अच्छे मार्जिन के साथ ऑर्डर प्राप्त करना मुश्किल है।
- छोटे आपूर्तिकर्ताओं का प्रभुत्व:** कम ओवरहेड्स और गलाकाट कीमतों वाले कई छोटे निर्माता बाज़ार पर हावी हैं। इस प्रकार ब्रांडेड आपूर्तिकर्ता अधिकांश आप्टरमार्केट बिक्री खो देते हैं।

अवसर:

1. **ब्रांड छवि:** अच्छे प्रदर्शन और विश्वसनीयता के मामले में इसके औद्योगिक प्रशंसकों की एक अच्छी ब्रांड छवि है।
2. **अच्छी बुनियादी सुविधाएँ:** बुनियादी सुविधाएँ उद्योग में सर्वश्रेष्ठ से मेल खाती हैं।
3. **गुणवत्ता:** औद्योगिक पंखे पूंजीगत सामान हैं और ग्राहकों को बनाए रखने और नए जोड़ने के लिए गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग प्रभाग के उत्पाद प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।
4. **प्रमाणपत्र:** प्रभाग के पास ISO 9001, ISO 14001 और OHSAS ISO 45001 प्रमाणपत्र हैं।
5. **अच्छी ग्राहक प्रोफाइल:** प्रमुख ग्राहक सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक, एसीसी, एलएंडटी, एनटीपीसी, आईएसजीईसी, थर्मैक्स, एसएमएस आदि हैं।
6. **क्षमता वृद्धि:** इंजीनियरिंग डिवीजन के पास अगले दो वर्षों में 2 (दो) करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ प्रति वर्ष 300 से 360 इम्पेलर्स तक क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश है। इंजीनियरिंग प्रभाग में, पंखे और पंखे के पुर्जों के लिए एकल पाली में काम करने की इन-हाउस विनिर्माण क्षमता वर्तमान में 70 करोड़ रुपये है। अतिरिक्त जनशक्ति के साथ 2 (दो) उत्पादन शिफ्ट के साथ परिचालन का विस्तार, आधुनिक मशीनरी, उच्च क्षमता परीक्षण बिस्तरों को शामिल करने के साथ पंखे और पंखे के पुर्जों के लिए उप-ठेके और आउटसोर्सिंग द्वारा इसे 70 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से इकाई वित्त वर्ष 2027-28 तक पंखों और पंखे के पुर्जों के राजस्व में 180 करोड़ रुपये की दोगुनी वृद्धि हासिल कर सकती है।
7. **ऑर्डर बुकिंग और मार्केट शेयर में सुधार:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऑर्डर बुकिंग 54.70 करोड़ रुपये (लगभग 6% मार्केट शेयर) थी। यूनिट ने पहले ही पूरे भारत में विशेषकर दक्षिणी भारत में ग्राहकों की तलाश शुरू कर दी है और औद्योगिक पंखे और पंखे के पुर्जों के लिए नए जॉब ऑर्डर बुक करने के लिए विभिन्न निविदाओं में भाग लिया है। 01.06.2023 तक हाथ में मौजूदा ऑर्डर 47.70 करोड़ रुपये है।

आउटलुक:

ऊपर बताई गई ताकत और अवसरों के साथ, इंजीनियरिंग डिवीजन की वित्त वर्ष 24 तक 62 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि होने का अनुमान है। इकाई खनन उद्योग के लिए माइन वेंटिलेशन पंखों की आपूर्ति में व्यवसाय करने की संभावनाओं का पता लगाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 से वायु प्रदूषण नियंत्रण (एपीसी) और जल प्रदूषण नियंत्रण (डब्ल्यूपीसी) से कारोबार बढ़ाने पर फोकस रहेगा।

विद्वत-चेन्नई संचालन

चुनौतियाँ:

1. **कम बाजार हिस्सेदारी:** इकाई मुख्य रूप से 8 एमवीए, 10 एमवीए, 20 एमवीए, 31.5 एमवीए ट्रांसफार्मर का निर्माता है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी कम है, हालांकि इसकी निर्माण क्षमता 63 एमवीए तक है।
2. **मूल्य निर्धारण:** यह खरीदारों का बाजार है और अच्छे मार्जिन के साथ ऑर्डर प्राप्त करना मुश्किल है।
3. **लागत वृद्धि प्रभाव:** पिछले एक साल में, कॉपर, कोर लेमिनेशन और तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि में क्रमशः 40%, 108% और 57% की वृद्धि हुई है, जिससे ग्राहकों द्वारा अनुबंधित मूल्य बढ़ाने से इनकार करने के साथ पुराने ऑर्डर निष्पादित करना मुश्किल हो गया है।

अवसर:

1. **ब्रांड छवि:** इसके पावर ट्रांसफॉर्मर्स की विशेष रूप से उपरोक्त सेगमेंट में अच्छे प्रदर्शन और विश्वसनीयता के मामले में एक अच्छी ब्रांड छवि है।
2. **अच्छी बुनियादी सुविधाएँ:** इसमें अगले दो वर्षों में 0.7 करोड़ रुपये के कैपेक्स प्रसार के साथ एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब को जोड़कर सुधार की और गुंजाइश के साथ अच्छा विनिर्माण सेट-अप है।
3. **गुणवत्ता:** ट्रांसफार्मर पूंजीगत सामान हैं और ग्राहकों को बनाए रखने और नए जोड़ने के लिए गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों में इकाई के उत्पादों की विफलता दर शून्य है।
4. **प्रमाणन:** इकाई के पास 10एमवीए, 12.5एमवीए, 20एमवीए और 31.5एमवीए के लिए आईएसओ 9001 और सीपीआरआई प्रमाणन है।
5. **अच्छी ग्राहक प्रोफाइल:** यूनिट को राज्य उपयोगिताओं और ईपीसी ठेकेदारों से अच्छी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं। ग्राहकों में वे लोग शामिल हैं जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य विद्वत बोर्ड, ईपीसी प्रोजेक्ट्स, सेल आदि जैसे उद्योग में हैं।
6. **हाथ में ऑर्डर:** 01.06.2023 तक हाथ में मौजूदा ऑर्डर 74.65 करोड़ रुपये है और यूनिट को हाल ही में 28.11 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। चालू वर्ष में, हाथ में ऑर्डर की निष्पादन स्थिति के आधार पर आगे के ऑर्डर लिए जाएंगे।



आउटलुक:

ऊपर बताई गई ताकत और अवसरों के साथ, इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन व्यवसाय में FY24 तक 75% की शीर्ष वृद्धि होने का अनुमान है। आरई उत्पादन की बढ़ती निकासी के कारण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) परियोजनाओं और समग्र ट्रांसमिशन कार्यक्रम में अपेक्षित गति को ध्यान में रखते हुए, मध्यम अवधि में बिजली ट्रांसफार्मर की मांग में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है।
जैसा कि ऊपर बताया गया है, टी डिवीजन, इंजीनियरिंग डिवीजन और इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशंस की अनुमानित व्यावसायिक वृद्धि के साथ, AYCL के व्यवसाय में FY24 तक 33% की शीर्ष वृद्धि होने का अनुमान है।

सेगमेंट के अनुसार प्रदर्शन

कंपनी एक बहु-खंड कंपनी है, जैसा कि खातों में नोट संख्या 49 में बताया गया है।

जोखिम और चिंता

किसी भी व्यावसायिक उद्यम के लिए व्यावसायिक जोखिम अपरिहार्य हैं। कंपनी अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से आंतरिक और बाह्य रूप से विभिन्न जोखिमों और चुनौतियों की पहचान करती है और उन्हें कम करने के लिए समय पर कार्रवाई के साथ उचित उपाय करती है और जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमकरण प्रक्रियाओं के बारे में बोर्ड को सिफारिश भी करती है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति के पास वित्तीय जोखिमों और नियंत्रणों के क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी है। जोखिम के शमन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी उन प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्ट करती है जो उसके रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण में दिखाई दे रहा है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात में परिवर्तन का कारण:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में प्रमुख वित्तीय अनुपातों में निम्नलिखित को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है -

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	टिप्पणियां
देनदार टर्नओवर अनुपात	3.76	4.70	टर्नओवर में वृद्धि के कारण.
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	2.57	2.00	इनपुट लागत में वृद्धि
अभिरुचि रेडियो	1.90	2.40	बैंक से लिए गए नए ऋण पर ब्याज लागत में वृद्धि
ऋण इक्विटी अनुपात	1.91	1.41	बैंक से लिए गए नए दीर्घकालिक ऋण के कारण वृद्धि
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	5%	6%	इनपुट लागत और वेतन में वृद्धि के कारण
निवल लाभ सीमा (%)	0.29%	(-)%	कर प्रभाव कम होने के कारण.
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	7.00%	7.70%	दीर्घकालिक देनदारियां बढ़ने के कारण.

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एवाईसीएल में, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं, जो संगठन की वृद्धि और संचालन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों, प्रथाओं और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। ढांचा वाणिज्यिक और वित्तीय जोखिमों सहित वर्तमान गतिविधियों और कॉर्पोरेट प्रोफ़ाइल से जुड़े जोखिमों के सभी पहलुओं की लगातार निगरानी और मूल्यांकन करता है। इसके अलावा, कंपनी के पास प्रबंधन रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं, जो इसे प्रदर्शन, रणनीति, संचालन, व्यावसायिक वातावरण, संगठन, प्रक्रियाओं, फंडिंग, जोखिम और आंतरिक नियंत्रण की निगरानी करने में सक्षम बनाती हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक पूरे वर्ष सभी स्थानों और सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में व्यापक ऑडिट करते हैं और अपनी रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को सौंपते हैं। वार्षिक रिपोर्ट के संबंधित अनुभाग में प्रदान किया गया सीईओ और सीएफओ प्रमाणीकरण कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता को निर्दिष्ट करता है।



मानव संसाधन

वर्ष के दौरान, नियोक्ता और कर्मचारी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

चेतावनीपूर्ण वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अनुमानों, अपेक्षाओं, भविष्यवाणियों आदि का वर्णन करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर बोर्ड की रिपोर्ट और रिपोर्ट में दिए गए बयान लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अर्थ में "भविष्य उन्मुख बयान" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो घरेलू बाजारों में मांग/ आपूर्ति और कीमत की स्थिति को प्रभावित करने वाले कंपनी के संचालन में अंतर ला सकते हैं, जिसमें कंपनी संचालित होती है, सरकारी नियमों, कर कानूनों, मुकदमेबाजी, औद्योगिक संबंधों और अन्य कानूनों और आकस्मिक कारकों में बदलाव। पाठकों को सावधान किया जाता है कि भविष्योन्मुखी बयानों पर अनुचित विश्वास न करें।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
7 अगस्त 2023

संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(A) ऊर्जा का संरक्षण

i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:

- इंजीनियरिंग डिवीजन ने दो पुराने उच्च ऊर्जा खपत वाले वेल्डिंग रेक्टिफायर और एक पुराने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को नई आईजीबीटी आधारित एमएमएडब्ल्यू मशीन से बदल दिया है जो अत्यधिक ऊर्जा कुशल है। परिणामस्वरूप, प्रति माह 2250 kWh ऊर्जा की बचत हुई।
- डिवीजन ने पुराने 200 केवीए डीजी सेट के स्थान पर एक नया 250 केवीए जनरेटर सेट भी स्थापित किया था, जिसके परिणामस्वरूप मासिक आधार पर 100 लीटर तक ईंधन की बचत हुई।
- चरणों में उच्च कुशल एलईडी बल्ब और ट्यूबों का उपयोग करके ऊर्जा बचत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, डिवीजन ने 2022-23 में चरणों में पारंपरिक लैंप, ट्यूब और 125W स्ट्रीट लाइट को बदल दिया था, जिससे प्रति माह लगभग 8700 kWh की ऊर्जा की बचत हुई।
- समय-समय पर कैपेसिटर बैंक के उचित रखरखाव ने हमारे पावर फैक्टर को 0.95 के करीब सुनिश्चित किया है, इसलिए हमें आउटपुट साइड पर अच्छा पावर फैक्टर बनाए रखने के लिए WBSEDCL से प्रति माह औसतन 9,000/- रुपये तक की छूट मिलती है।
- इसके अलावा, प्रभाग हमारे मौजूदा क्रेन सिस्टम की बिजली खपत को कम करने की प्रक्रिया में है-
 - रेडियो रिमोट सिस्टम की शुरूआत और
 - डीएसएल प्रणाली के साथ तांबे के तार रोलर का प्रतिस्थापन,जो घर्षण के कारण हमारी बिजली हानि को कम करता है और साथ ही कम संपर्क के लिए क्रेन के कामकाजी जीवन को भी बढ़ाता है।

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

- डिवीजन ने पहले ही कल्याणी कारखाने के प्रशासनिक भवन में 10 किलोवाट की छत पर सौर प्रणाली स्थापित कर दी है और यह चालू है। डिवीजन ने 2022-23 में सौर प्रणालियों से औसत 5000 किलोवाट यूनिट का उपयोग किया था।

इलेक्ट्रिकल - चेन्नई परिचालन:

- इस इकाई में 1.5 किलोवाट क्षमता का पवन जनरेटर है।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश: तीन ईओटी क्रेन के लिए ओवरहेड क्रेन, डीएसएल सिस्टम और रेडियो रिमोट सिस्टम कार्य के लिए 14.92 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

प्रभाग ने निम्नलिखित तरीके से कई रेट्रोफिट कार्य किए हैं:

- आयातित महत्वपूर्ण पंखे घटकों को एवाईसीएल डिज़ाइन उत्पादों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- आयातित पंखे के घटकों के एक-से-एक प्रतिस्थापन के लिए आदेश प्राप्त हुआ। डिज़ाइन इंजीनियरिंग के दौरान, वर्षों से विकसित डिवीजन की रेट्रोफिट विशेषज्ञता का उपयोग करके, उन वस्तुओं को बहुत कम लागत पर एवाईसीएल के मानक डिज़ाइन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।



चाय प्रभाग:

चाय उद्योग में प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए सभी अनुसंधान एवं विकास चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) द्वारा किए जाते हैं।

ii) उत्पाद विकास, लागत में कमी या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

प्रभाग ने आयात प्रतिस्थापन में निम्नानुसार अच्छा प्रदर्शन किया:

- डिवीजन को आरआईएनएल-विजाग से एक नो सिंटर वेस्ट गैस फैन इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली (हाउडेन-यूके मेक) का ऑर्डर मिला था।
- एनटीपीसी-रिहंद से 3 नग आईडी फैन इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली (हाउडेन-यूके मेक) का नवीनीकरण।
- एनटीपीसी कहलगांव से प्राप्त दो बियरिंग हाउसिंग (यूनिब्लॉक) ऑर्डर का आयात प्रतिस्थापन किया गया।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी विवरण: शून्य

iv) अनुसंधान और विकास पर खर्च: 13.22 लाख रुपये

(C) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कमाई: 149.62 लाख रुपये

आउटगो: शून्य

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
7 अगस्त 2023

संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सदस्यों को,
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
"यूल हाउस"
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी
कोलकाता - 700001
पश्चिम बंगाल

हमने **एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय "यूल हाउस", 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल है (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा)। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्डों के आधार पर कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली के अस्तित्व पर एक राय व्यक्त करना है, जैसा कि उक्त लेखापरीक्षा के दौरान हमें दिखाया गया था और उक्त लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों और एजेंटों द्वारा हमें दी गई जानकारी पर भी आधारित है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारी सर्वोत्तम समझ के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने जांच की अवधि के दौरान बोर्ड और कंपनी की विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए वित्तीय रिकॉर्ड, खातों की पुस्तकों और निर्णयों की शुद्धता, उपयुक्तता और आधारों का सत्यापन नहीं किया है। हमने समझने और एक राय बनाने के लिए बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली की जांच की है क्या इसके बाद उल्लिखित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की संबंधित समितियों, कंपनी के सदस्यों और अन्य प्राधिकरणों की मंजूरी लेने की पर्याप्त प्रणाली है।

जहां भी आवश्यक हुआ हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर अनुपालन प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

हमारी रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता या सटीकता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि, हमने (संशोधित) प्रावधानों के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

- (iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियमन;
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:
 - a) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;
 - b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
 - c) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - d) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015। ("सूचीबद्धता विनियम")
- (vii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश जारी किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसरण में परीक्षण-जांच के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच पर, कंपनी ने विशेष रूप से निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. चाय अधिनियम, 1953
2. वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951 और उसके तहत बनाये गये नियम;
3. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003;
4. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006;
5. चाय अपशिष्ट नियंत्रण आदेश, 1959;
6. चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005;
7. भारतीय विदूत अधिनियम, 2003 और भारतीय विदूत नियम, 1956 (2005 में संशोधित);
8. विदूत तार, केबल, उपकरण और सुरक्षा उपकरण और सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003;
9. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986; और
10. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के लिए इसकी प्रयोज्यता की सीमा तक और हमारी जांच और रिपोर्टिंग दस्तावेजों, अभिलेखों और फाइलों पर आधारित है जैसा कि उत्पादित और दिखाया गया है और कंपनी और उसके प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी पर विभिन्न अधिनियमों की प्रयोज्यता के हमारे सर्वोत्तम निर्णय और समझ के अनुसार है। इसके अलावा, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और समझ के अनुसार कंपनी में सामान्य कानूनों, श्रम कानूनों, प्रतिस्पर्धा कानून, पर्यावरण कानूनों आदि सहित लागू कानूनों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:

1. *लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम थी। 31 मार्च, 2023 तक निदेशक मंडल में 8 (आठ) निदेशक (3 कार्यकारी, 2 नामांकित और 3 स्वतंत्र निदेशक (आईडी) शामिल थे। अध्यक्ष कार्यकारी होने के कारण, बोर्ड में आवश्यक आईडी की संख्या बोर्ड की ताकत का 50% थी, यानी 4 (चार)। हालाँकि, 31 मार्च, 2023 तक बोर्ड पर केवल 3 (तीन) आईडी थे।*
2. *कंपनी को अभी तक लिस्टिंग विनियमों के विनियम 38 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करना बाकी है। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की शेयरधारिता में 89.25% प्रमोटर हिस्सेदारी और 10.75% सार्वजनिक हिस्सेदारी शामिल है। हालाँकि, आर्थिक मामलों के विभाग के 6 जुलाई, 2022 के निर्देशों के अनुसार, सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 1 अगस्त, 2024 तक अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी कम से कम 25% तक बढ़ाने की छूट दी गई है।*



3. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, संपत्ति और देनदारियों का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और लेखा परीक्षा योग्यता के प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करने में देरी हुई। बीएसई ने 29 जून, 2022 को अपने मेल के जरिए लिस्टिंग विनियमों के रेग 33 का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए उपरोक्त देरी के लिए 5,900 रुपये का जुर्माना लगाया था।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में रोटेशनल निदेशक नहीं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों/ दिशानिर्देशों/ मानकों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे:

- (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;
- (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियमन, 2018; और
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- (a) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में यदि कोई परिवर्तन हुआ, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।
- (b) बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- (c) बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को दर्ज किया जाता है और मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।
- (d) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- (a) कंपनी ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की मंजूरी के अधीन कंपनी की दो गैर-कार्यात्मक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव दिया था।
- (b) कंपनी विनियम 3(5) और 3(6) सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 का अनुपालन करती है और उसके पास एक संरचित डिजिटल डेटाबेस है।

ए के लाभ एंड कंपनी के लिए

कंपनी सचिव
(सीएस ए के लाभ)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
एफसीएस - 4848 / सीपी नंबर - 3238
यूआईएन: S1999WB026800
पीआरसीएन: 1038/2020
यूडीआईएन: F004848E000756819

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 07.08.2023

32 (बत्तीस) फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि/संपत्तियों पर मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट का सारांश

क्र.सं	संपत्ति का नाम	मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित	धारण की प्रकृति	दिल्लिस पोर्टल के रूप में भूमि आईडी	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्दिष्ट अन्य इकाइयां)	अतिक्रमण में क्षेत्र का प्रतिशत (% में।)	क्षेत्र का विवरण अतिक्रमण संबंधी मुकदमा (संख्या में)	उपयोग का प्रकार (कार्यात्मक) फैक्टरी, आवासीय, कार्यालय	बाजार मूल्य (लाख रूपये में)
1	यूल हाउस, रॉज, कार्यालय, 8, डॉ. आरपी सारणी, कोलकाता 700001	09.02.2021	फ्रीहोल्ड	25389	3452.66	शून्य	0	कार्यालय	10758.58
2	इलैक्टिकल कार्यालय एवं फैक्टरी-कोलकाता ऑपरेशन (एसडब्ल्यूजीआर यूनिट), 14, मयूरभंज रोड, कोलकाता	02.02.2021 और 31.12.2021	फ्रीहोल्ड	23476	12171.00	शून्य	0	कारखाना	3848.00
3	इलैक्टिकल कार्यालय और फैक्टरी - चेन्नई ऑपरेशन, 5/346, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, पेरेगुडी, चेन्नई	03.06.2020	फ्रीहोल्ड	658792	16748.19 (4.13857 एकड़)	शून्य	0	कारखाना	14422.08
4	गोस्ट हाउस, सी-54, पहली मंजिल साउथ एक्सटेंशन, भाग II, नई दिल्ली।	01.02.2021	फ्रीहोल्ड	91209	232.26 (2500.00 वर्ग फुट)	शून्य	0	आवासीय	196.87
5	विद्वत् कोलकाता ऑपरेशन (रसपुंजा), बखराहट रोड, पीओ और गांव रासापुंजा, कोलकाता की भूमि और भवन	06.02.2021 और 31.12.2021	फ्रीहोल्ड	24829	22445.26	शून्य	0	भवन सहित भूमि	517.00
6	इलैक्टिकल कोलकाता ऑपरेशन (ठाकुरपुकुर यूनिट), एमजी रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता की भूमि और भवन	03.02.2021 और 31.12.2021	फ्रीहोल्ड	39183	10831.78	शून्य	0	भवन सहित भूमि	2725.00
7.1	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीटोला लेन में 1 नंबर आवासीय फ्लैट (ग्रेड फ्लोर फ्लैट I-0), टॉलीगंग, कोलकाता 40	06.02.2021	फ्रीहोल्ड	28684	123.97 (1334.35 वर्ग. फुट)	शून्य	0	आवासीय	46.70
7.2	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीटोला लेन, टॉलीगंग, कोलकाता 40 में 1 नंबर आवासीय फ्लैट (पहली मंजिल पर फ्लैट I-1 और चौथी मंजिल पर कार पार्किंग की जगह)	06.02.2021	फ्रीहोल्ड	28684	123.97 (1334.35 वर्ग. फुट)	शून्य	0	आवासीय	66.70
7.3	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीटोला लेन में 1 नंबर आवासीय फ्लैट (प्रथम तल फ्लैट जी-1), टॉलीगंग, कोलकाता 40	07.02.2021	फ्रीहोल्ड	28684	102.04 (1098.40 वर्ग. फुट)	शून्य	0	आवासीय	40.10
7.4	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीटोला लेन में 1 नंबर आवासीय फ्लैट (प्रथम तल फ्लैट एच-1), टॉलीगंग, कोलकाता 40	07.02.2021	फ्रीहोल्ड	28684	102.04 (1098.40 वर्ग. फुट)	शून्य	0	आवासीय	40.10
7.5	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीटोला लेन में 1 नंबर आवासीय फ्लैट (चौथी मंजिल फ्लैट केएल-4), टॉलीगंग, कोलकाता 40	04.02.2021	फ्रीहोल्ड	28684	203.39 (2189.32 वर्ग. फुट)	शून्य	0	आवासीय	81.00



क्र.सं	संपत्ति का नाम	मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित	धारण की प्रकृति	द्विलिपि पोर्टल के रूप में भूमि आईडी	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्दिष्ट अन्य इकाइयाँ)	अतिक्रमण में क्षेत्र का प्रतिशत (% में।)	क्षेत्र का विवरण अतिक्रमण संबंधी मुकदमा (सख्खा में)	उपयोग का प्रकार (कार्यात्मक) फैक्टरी, आवासीय, कार्यालय	बाजार मूल्य (लाख रुपये में)
7.6	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीटोला लेन में 1 नंबर आवासीय फ्लैट (5वीं मंजिल फ्लैट जीएच-5), टॉलीगंग, कोलकाता 40	05.02.2021	फ्रीहोल्ड	28684	204.15 (2195.70 वर्ग फुट)	शून्य	0	आवासीय	79.00
7.7	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीटोला लेन में 1 नंबर आवासीय फ्लैट (5वीं मंजिल फ्लैट केएल-5), टॉलीगंग, कोलकाता 40	05.02.2021	फ्रीहोल्ड	28684	203.40 (2189.4 वर्ग फुट)	शून्य	0	आवासीय	78.80
8	गेस्ट हाउस, वुडलैंड सिंडिकेट (1 नं फ्लैट और 1 नं कार पार्किंग स्पेस, 8/7 अलीपुर रोड कोलकाता फ्लैट नंबर 12, 5वीं मंजिल, कोलकाता - 027	14.02.2021	फ्रीहोल्ड	28526	315.44 (3260.40 वर्ग फीट, समतल क्षेत्र) (135 वर्ग फीट, कार पार्किंग स्थान)	शून्य	0	आवासीय	424.15
9	मोनी टावर गेस्ट हाउस - 1 फ्लैट 31/41 जेम्स लॉंग सारणी: फ्लैट नंबर - 11 यूए, कोलकाता 700 038	09.02.2021	फ्रीहोल्ड	28459	159.70 (1584.00 वर्ग फीट, समतल क्षेत्र) (135 वर्ग फुट, कार पार्किंग का जगह)	शून्य	0	आवासीय	94.10
10.1	मिटो पार्क सिंडिकेट - 1 फ्लैट (6बी) 13, देबेद्र लाल खान रोड फ्लैट नंबर-6बी, कोलकाता -700 027	10.03.2021	फ्रीहोल्ड	28555	326.08 (3375.00 वर्ग फीट, समतल क्षेत्र) (135 वर्ग फीट, कार पार्किंग स्थान)	शून्य	0	आवासीय	345.10
10.2	मिटो पार्क सिंडिकेट - 1 फ्लैट (9बी) 13, देबेद्र लाल खान रोड फ्लैट नंबर-9बी, कोलकाता-700027	10.03.2021	फ्रीहोल्ड	39202	326.08 (3375.00 वर्ग फुट, समतल क्षेत्र) (135 वर्ग फुट, कार पार्किंग का जगह)	शून्य	0	आवासीय	328.20
11	पर्ल अपार्टमेंट - 1 फ्लैट 58, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700 068	30.03.2021	फ्रीहोल्ड	28658	124.24 (1217.40 वर्ग फीट, समतल क्षेत्र) (120 वर्ग फीट, कार पार्किंग स्थान)	शून्य	0	आवासीय	98.10
12	गोपालपुर गेस्ट हाउस भवन 1, एचएम एस्टेट, गंजाम 761002, उड़ीसा	17.03.2021	फ्रीहोल्ड	39232	147.99 (1593.00 वर्ग फुट)	शून्य	0	आवासीय	25.35
13	हॉलिडे होम, "सीमेंट कोठी" चक्रतीर्थ रोड, पुरी - 752 002, उड़ीसा	06.06.2019	पट्टे पर दिया	28657	1007.748	शून्य	0	आवासीय	219.20
14	इंजीनियरिंग प्रभाग कारखाना प्लॉट 16ए और बी, बीएलके - डी, जिला। कल्याणी - 741 235, पश्चिम बंगाल	23.03.2021	पट्टे पर दिया	24873	90096.65	शून्य	0	कारखाना	1907.28
15	इलेक्ट्रिकल - कोलकाता ऑपरेशन, ब्रेटफोर्ड फैक्टरी पी-25 परिवहन डिपो रोड, कोलकाता 700 025 #	29.03.2021	पट्टे पर दिया	23527	4672.49	शून्य	0	कारखाना	83.00



क्र.सं	संपत्ति का नाम	मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित	धारण की प्रकृति	दिलिस पोर्टल के रूप में भूमि आईडी	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्दिष्ट अन्य इकाइयाँ)	अतिक्रमण में क्षेत्र का प्रतिशत (% में।)	क्षेत्र का विवरण अतिक्रमण संबंधी मुकदमा (संख्या में)	उपयोग का प्रकार (कार्यात्मक) फैक्टरी, आवासीय, कार्यालय	बाजार मूल्य (लाख रूपये में)
16	आनंद अपार्टमेंट - 1 फ्लैट 1/413, गरियाहाट रोड, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700 068	12.03.2021	पट्टे पर दिया	28567	75.71 (815.00 वर्ग फुट)	शून्य	0	आवासीय	73.06
17	कलिम्पोंग गेस्ट हाउस भवन प्लॉट नंबर 72/73, डब्ल्यूआर रोड, कलिम्पोंग, डब्ल्यूबी	16.03.2021	पट्टे पर दिया	उपलब्ध नहीं है	4087.264 0.95 एकड़ (भूमि क्षेत्र) 1701.00 वर्ग फुट को दो मंजिला बंगला इमारत। पहली मंजिल पर 912.00 वर्ग फुट का फर्श	शून्य	0	आवासीय	131.60
18	बनारहाट चाय बागान पश्चिम बंगाल पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735202	अप्रैल, 2021	पट्टे पर दिया	352	7917836.465 (1956.54 एकड़)	0.007%	1	कृषि	1716.00
# ब्रेंटफोर्ड फैक्ट्री के लिए केवल भवन का बाजार मूल्य दिया गया है, क्योंकि भूमि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से लीजहोल्ड है और एवाईसीएल के पास इस भूमि को बिक्री/उपपट्टा/उप-किराया का कोई अधिकार नहीं है।									
19	न्यू डुआर्स टी एस्टेट पश्चिम बंगाल पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735203	अप्रैल, 2021	पट्टे पर दिया	40223	9623425.00 (2378 एकड़)	शून्य	0	कृषि	1747.00
20	करबल्ला चाय बागान पश्चिम बंगाल पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735202	अप्रैल, 2021	पट्टे पर दिया	22600	10339192.07 (2554.87 एकड़)	0.005%	4	कृषि	1736.00
21	चूनाभुट्टी चाय बागान पश्चिम बंगाल पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735202	अप्रैल, 2021	पट्टे पर दिया	22506	5343064.53 (1320.30 एकड़)	0.001%	1	कृषि	835.00
22	मीम टी एस्टेट पश्चिम बंगाल जिला: दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल - 734 221	अप्रैल, 2021	पट्टे पर दिया	573	3890809.64 (961.44 एकड़)	शून्य	0	कृषि	1077.00
23	बासमतिया चाय बागान असम पीओ: लाहोल, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 010	जून, 2021	पट्टे पर दिया	44885	3288151.78 (812.52 एकड़)	शून्य	0	कृषि	1054.00
24	देसम टी एस्टेट पीओ एवं टीओ: नाहरकटिया, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786610	जून, 2021	पट्टे पर दिया	28570 & 28574	4779701.65 (1181.09 एकड़)	शून्य	0	कृषि	4103.00
25	राजगढ़ चाय बागान असम पीओ: राजगढ़, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 611	जून, 2021	पट्टे पर दिया	24834	13526091.50 (3342.37 एकड़)	शून्य	0	कृषि	2100.00



क्र.सं	संपत्ति का नाम	मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित	धारण की प्रकृति	दिल्लिस पोर्टल के रूप में भूमि आईडी	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्दिष्ट अन्य इकाइयों)	अतिक्रमण में क्षेत्र का प्रतिशत (% में।)	क्षेत्र का विवरण अतिक्रमण संबंधी मुकदमा (संख्या में)	उपयोग का प्रकार (कार्यात्मक) फैक्ट्री, आवासीय, कार्यालय	बाजार मूल्य (लाख रुपये में)
26	मुरफुलानी चाय बागान असम पीओ एवं टीओ: गोलाघाट। जिला: गोलाघाट, असम - 785 621	जून, 2021	पट्टे पर दिया	1984	4412732.71 (1090.41 एकड़)	शून्य	0	कृषि	630.00
27	बोगीजन आउट गार्डन असम पीओ एवं टीओ: गोलाघाट। जिला: गोलाघाट, असम - 785 621	जून, 2021	पट्टे पर दिया	44938	1681671.19 (415.55 एकड़)	शून्य	0	कृषि	280.00
28	खोवांग चाय बागान असम पीओ और टीओ: खोवांग जिला. : डिब्रूगढ़, असम - 785 675	जून, 2021	पट्टे पर दिया	44803	8477961.86 (2094.95 एकड़)	0.795%	1	कृषि	2025.00
29	भामुन आउट गार्डन असम पीओ और टीओ: खोवांग जिला. : डिब्रूगढ़, असम - 785 675	जून, 2021	पट्टे पर दिया	56616	5058408.65 (1249.96 एकड़)	शून्य	0	कृषि	1661.00
30	हैंग्रेजन् आउट गार्डन असम पीओ और टीओ: खोवांग जिला. : डिब्रूगढ़, असम - 785 675	जून, 2021	पट्टे पर दिया	67676	5261844.12 (1300.23 एकड़)	शून्य	0	कृषि	3987.00
31	तिनकोंग चाय बागान असम पीओ: तिनखोंग, जिला. : डिब्रूगढ़, असम - 786 612	जून, 2021	पट्टे पर दिया	27759	7060598.96 (1744.712 एकड़)	शून्य	0	कृषि	2177.00
32	हुलुंगुरी चाय बागान असम पीओ एवं टीओ: मारियानी, जिला: जोरहाट, असम - 785 634	जून, 2021	पट्टे पर दिया	44943 एवं 44945	4787431 (1183.00 एकड़)	शून्य	0	कृषि	1374.00

कुल मूल्य:	क. फ्रीहोल्ड संपत्ति (संख्याएँ 12): 342.14 करोड़ रुपये
	ख. लीजहोल्ड संपत्ति (संख्याएँ 20): 289.16 करोड़ रुपये
कुल योग:	एवाईसीएल की सभी संपत्ति (संख्याएँ 32): 631.31 करोड़ रुपये

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

खंड क: सामान्य प्रकटीकरण

I	सूचीबद्ध इकाई का विवरण			
1	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)।		L63090WB1919GOI003229	
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम		एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	
3	निगमन का वर्ष		1919	
4	पंजीकृत कार्यालय पता		यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700001	
5	कॉर्पोरेट पता		यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700001	
6	ईमेल		com.sec@andrewyule.com	
7	टेलीफोन		033 2242-8210/8550	
8	वेबसाइट		www.andrewyule.com	
9	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है		2022-23	
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं		बीएसई लिमिटेड, एनएसई (अनुमत श्रेणी में)	
11	प्रदत्त पूंजी		97,79,01,956/- रुपये, जिसमें 2/- रुपये मूल्य के 48,89,50,978 शेयर शामिल हैं।	
12	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है		श्री संजय भट्टाचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; टेलीफोन: 033-22428210/ 8550; ईमेल:cmd@andrewyule.com	
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एकल आधार पर किए गए हैं (यानी केवल कंपनी के लिए) या समेकित आधार पर (यानी कंपनी और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।		इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एकल आधार पर किए गए हैं।	
II	उत्पाद और सेवाएं			
14	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):			
	क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
	1.	विनिर्माण और बिक्री	चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक पंखे	100%
15	इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा):			
	क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
	1	इंजीनियरिंग डिजीवन उपरोक्त उत्पादों से जुड़े औद्योगिक पंखे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, चाय मशीनरी स्पेयर, टर्नकी परियोजनाओं का निर्माण और आपूर्ति करता है।	29199	17%
	2	इलेक्ट्रिकल- चेन्नई ऑपरेशन 5 एमवीए 11 केवी से 63 एमवीए 220 केवी श्रेणी के पावर ट्रांसफार्मर का निर्माण करता है। 100 एमवीए 220 केवी क्लास तक के ऑटो ट्रांसफार्मर और 40 एमवीए 132 केवी क्लास तक के जेनरेटर ट्रांसफार्मर	27102	26%



3.	चाय उगाना और निर्माण करना	01271	57%
III संचालन			
16	उन स्थानों की संख्या जहां कंपनी के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:		
	स्थान	प्लांट की संख्या	कार्यालयों की संख्या
	राष्ट्रीय	14	2
	अंतरराष्ट्रीय	0	0
	कुल	14	2
	टिप्पणियाँ निम्नलिखित संयंत्रों में विनिर्माण गतिविधियाँ की जाती हैं: 1) विदुत्-चेन्नई परिचालन (पेरुंगुडी, चेन्नई, तमिलनाडु) 2) इंजीनियरिंग प्रभाग (कल्याणी, पश्चिम बंगाल) 3) चाय प्रभाग (पश्चिम बंगाल और असम) - 12(बारह) चाय संपदा। कार्यालयों में कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय और नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।		
17	कंपनी द्वारा प्रदत्त बाज़ार:		
a	स्थानों की संख्या		
	स्थानों	संख्या	
	राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	37 (सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में)	
	अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	कंपनी सीधे 3 (तीन) देशों यानी यूके, पोलैंड और यूई को निर्यात करती है	
b	इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्यात नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान 7.7% था। चूंकि यह रिपोर्ट केवल एवाईसीएल से संबंधित है, इस संबंध में विवरण केवल संबंधित कंपनी के लिए प्रस्तुत किया गया है।	
c	ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त जानकारी	कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन के ग्राहक स्टील, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और चीनी उद्योग हैं। इलेक्ट्रिकल चेन्नई ऑपरेशन के ग्राहक ज्यादातर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड, ईपीसी परियोजनाएं आदि हैं। चाय के ग्राहक थोक खरीदार, निर्यात बाजार, खुदरा उपभोक्ता, चाय नीलामी, निजी लेबल ब्रांड, चाय प्रोसेसर और ब्लेंडर हैं।	



VI	कर्मचारी						
18	वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:			2022-23			
a	कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित):						
	क्र.सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			(ए)	संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)
	कर्मचारी						
	1	स्थायी (डी)	187	183	98%	4	2%
	2	स्थायी (ई) के अलावा अन्य	30	29	96%	1	4%
	3	कुल कर्मचारी (डी+ई)	217	212	98%	5	2%
	कर्मि						
	4	स्थायी (एफ)	14038	7138	51%	6900	49%
	5	स्थायी (जी) के अलावा अन्य	105	101	96%	4	4%
	6	कुल कर्मचारी (एफ+जी)	14143	7239	51%	6904	49%
b	विशेष रूप से सक्षम कर्मचारी और श्रमिक:						
	क्र.सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			(ए)	संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)
		दिव्यांग कर्मचारी					
	1	स्थायी (डी)	1	1	100%	0	0%
	2	स्थायी (ई) के अलावा अन्य	0	0	0	0	0
	3	कुल कर्मचारी (डी+ई)	1	1	100%	0	0%
		दिव्यांग श्रमिक					
	4	स्थायी (एफ)	58	39	67%	19	33%
	5	स्थायी (जी) के अलावा अन्य	0	0	0	0	0
	6	कुल कर्मचारी (एफ+जी)	58	39	67%	19	33%
19	महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व						
		विवरण		कुल	महिला		
				(ए)	संख्या (बी)	% (बी / ए)	
		निदेशक मंडल		8	1	12.5%	
		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		4	1	25%	

20	स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर									
	लाभ	वित्त वर्ष 22-23			वित्त वर्ष 21-22			वित्त वर्ष 20-21		
		(चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर			(पिछले वित्तीय वर्ष से पहले वर्ष में कारोबार दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
	स्थायी कर्मचारी	2%	1%	3%	3%	0	3%	4%	0	4%
	स्थायी कर्मचारी	--	--	--	--	--	--	--	--	--



V	होल्टिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)				
21 (क)	होल्टिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम				
	क्र.सं.	होल्टिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	बताएं कि क्या यह स्वामित्व/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
	1	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	सहायक	100.00	किसी अन्य इकाई/ संस्था ने कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग नहीं लिया।
	2	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	सहायक	100.00	
	3	टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड	संबद्ध करना	26.23	

VI.	सीएसआर विवरण
22 (i)	क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)
	नहीं, सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू नहीं है। सीएसआर 500 करोड़ रुपये से अधिक, 1000 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार और 5 करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध लाभ वाली कंपनियों के लिए लागू है।
VII	पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन
	एक पीएसयू के रूप में, इकाई पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन को प्राथमिकता देती है। इकाई सख्त कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का पालन करती है और समय पर और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रदान करती है। इकाई की विसलब्लोअर नीति अनैतिक प्रथाओं की गोपनीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है। इकाई सभी विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। सामाजिक जिम्मेदारी पहलों का भी खुलासा किया जाता है, जो जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और सतत विकास के प्रति इकाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
23.	जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर आरोप / शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र यथास्थान (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 22-23				वित्त वर्ष 21-22	
		चालू वित्तीय वर्ष				पिछला वित्तीय वर्ष	
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या का समापन वर्ष	टिप्पणी
समुदाय	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
शेयरधारक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
ग्राहक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	लागू नहीं	ना	ना	लागू नहीं	ना	ना	लागू नहीं

नोट: शिकायत निवारण तंत्र जो उपरोक्त सभी हितधारकों के लिए अभिप्रेत है, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.andrewyule.com/grievance1.php> पर उपलब्ध है



	नोट: कंपनी के जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को नियंत्रित करने वाली नीतियां कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये नीतियां सभी हितधारकों को कवर करती हैं और ये नीतियां शिकायत निवारण तंत्र को भी कवर करती हैं।
24	कंपनी के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन
	कृपया निम्नलिखित प्रारूप में पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, और इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण को इंगित करें।

एस. एन.	भौतिक मुद्दा की पहचान	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण अपनाएं	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	सतत आपूर्ति श्रृंखला	अवसर	हमारे लिए आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता अवसर प्रदान करती है	-	सकारात्मक: आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता बढ़ने से समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता के माध्यम से व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़ जाती है
2	कर्मचारी और कार्यबल की भलाई	अवसर	संगठन की स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी और कार्यबल की भलाई महत्वपूर्ण है	-	सकारात्मक: कर्मचारियों की भलाई से उत्पादकता में वृद्धि होती है
3	डाटा सुरक्षा	जोखिम	डेटा सुरक्षा हमारे लिए उच्च प्राथमिकता बनी हुई है। डेटा उल्लंघन, साइबर हमले और बाहरी कारक संगठन की छवि, परियोजनाओं और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।	एआई आधारित हस्ताक्षर रहित एंटीवायरस सिस्टम, नेटवर्क पहचान सुरक्षा और घुसपैठ सुरक्षा प्रणाली, एसओसी रेडर वेब थ्रेट हंटिंग इंटरनेट/ डार्कनेट में किसी भी अनधिकृत डेटा का पता लगाने के लिए, सभी स्थानों पर आईडी और आईपीएस के साथ फायरवॉल। डेटा हानि रोकथाम प्रणाली, और हमारे सिस्टम की सुरक्षा के लिए अन्य प्रौद्योगिकियां।	नकारात्मक: डेटा सुरक्षा में सेंध प्रस्तावों, मालिकाना तकनीक आदि जैसी गोपनीय जानकारी के लीक होने से व्यवसाय पर असर पड़ सकता है।
4	निगम से संबंधित शासन प्रणाली	जोखिम	कमजोर प्रशासन वाला संगठन सरकारी और सामाजिक मानदंडों का पालन करने में विफल रहता है, जिससे उसके संचालन के सरकारी और सामाजिक लाइसेंस पर असर पड़ता है	मजबूत नीति-उन्मुख शासन संरचना और कार्यान्वयन संरचना	नकारात्मक: कमजोर प्रशासन से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है
5	स्वास्थ्य और सुरक्षा	जोखिम	दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं और जीवन की हानि से बचने के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता। इसका परिणाम गंभीर कानूनी मुद्दे भी हो सकते हैं	इंजीनियरिंग डिवीजन ने आईएसओ 45001 के अनुसार "न्यू ऑक्युपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम" (OHSMS) लागू किया है। कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए समय-समय पर जागरूकता सत्र आयोजित किये गये हैं	नकारात्मक: स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और जुर्माना लग सकता है।
6	मानवाधिकार एवं श्रमिक मुद्दे	जोखिम	संगठन की अखंडता को चुनौती. कानूनी निहितार्थ हैं	मानव अधिकार और श्रम कल्याण शासी नीतियों द्वारा कवर किए जाते हैं। समय-समय पर आत्म-मूल्यांकन और जागरूकता आयोजित की जा रही है।	नकारात्मक: यदि श्रम और मानवाधिकार के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मानव-घंटे, उत्पाद की गुणवत्ता और वितरण समयसीमा का नुकसान हो सकता है। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और जुर्माना लग सकता है।



अनुभाग ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण									
इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।									
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
क्या आपकी इकाई की नीति/नीति एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक	एनजीआरबीसी सिद्धांतों को कवर करने वाली नीतियां कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर www.andrewyule.com नीति अनुभाग http://www.andrewyule.com/policy.php के तहत उपलब्ध हैं								
क्या कंपनी ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां नहीं)	ऊपर उल्लिखित नीतियां निर्धारित एनजीआरबीसी सिद्धांतों को आत्मसात करती हैं और कंपनी अपने हितधारकों से अपेक्षा करती है कि वे अपने सभी लेनदेन में इसका पालन करें।								
आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानक (उदाहरण के लिए फ़रिस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फ़ेयरटेड, रेनफ़रिस्ट एलायंस, टस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	<ol style="list-style-type: none"> सभी चाय बागानों के पास स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर निरंतर जोर के साथ आईएसओ 22000 (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन), टस्टिया, रेन फ़रिस्ट एलायंस आदि जैसे आवश्यक प्रमाणपत्र हैं। इंजीनियरिंग प्रभाग में आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएस आईएसओ 45001 हैं प्रमाणपत्र। इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन यूनिट के पास आईएसओ 9001 और सीपीआरआई प्रमाणन 10 एमवीए, 12.5 एमवीए, 20 एमवीए और 31.5 एमवीए के लिए है। 								
परिभाषित समयसीमा के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।	कंपनी ने ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं, ऊर्जा खपत को कम करने के लिए संयंत्र स्तर पर नियमित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान, आकलन और समाधान करने का प्रयास करती है और संरचित तरीके से ऐसे जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए पूर्व-क्रियाशील कार्रवाई करती है।								
Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along with reasons in case the same are not met.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के बारे में लचीलापन है)									
<p>एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते एवाईसीएल समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सचेत है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि अपने व्यवसाय संचालन में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों को शामिल करना और उनका पालन करना व्यवसाय में लचीलापन बनाने, संस्कृति को बदलने और हमारे सभी हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के लिए आवश्यक है। स्थिरता हमारे व्यापार दर्शन के केंद्र में है। हमारी स्थिरता रणनीति प्रमुख स्थिरता प्रवृत्तियों और हमारे हितधारकों पर हमारे व्यापार संचालन के सभी संभावित प्रभावों पर विचार करती है। इसके अलावा, हम अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों को विकसित करते समय प्रमुख अवसरों और जोखिमों पर विचार करते हैं। यह वर्ष हमारे दीर्घकालिक ईएसजी ढांचे के विकास के माध्यम से ईएसजी के प्रति हमारे संरचित दृष्टिकोण की शुरुआत का प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय ईएसजी प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों के अनुरूप। हमने अपने प्रमुख सामग्री विषयों की पहचान की है, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन, नैतिकता और अखंडता से संबंधित कारक शामिल हैं, जो आगे चलकर व्यवसाय के प्रति प्रबंधन के दृष्टिकोण का आधार बनेंगे। हम अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक सतत मूल्य बनाने के लिए इन ईएसजी मापदंडों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को मापेंगे और मूल्यांकन करेंगे।</p>									



व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	श्री संजय भट्टाचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
क्या कंपनी के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हां, समितियों में प्रत्येक स्थान पर सभी कार्यों के सदस्य होते हैं और उनके एचओडी स्थिरता का नेतृत्व करते हैं। वे सीईओ और सीएफओ के समग्र मार्गदर्शन में काम करते हैं।
कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:	

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति								
										(वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	<p>बोर्ड के सीईओ और सदस्य इन महत्वपूर्ण पहलुओं के सुधार के लिए व्यापक योजना बनाते हैं और प्रलेखित लक्ष्य जारी करते हैं। सभी इकाइयों के प्रमुख विस्तृत योजना बनाते हैं और निर्देशों के अनुसार सुधार शुरू करते हैं। इसकी सभी इकाइयों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है।</p> <p>इनकी समीक्षा प्रभागों के प्रमुख द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। बोर्ड वार्षिक समीक्षा करता है और प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देता है।</p> <p>बोर्ड किसी भी बजटीय या नीतिगत जरूरतों का ख्याल रखता है जो नियोजित सुधारों के लिए आवश्यक हैं। कंपनी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में है।</p>									प्रत्येक वर्ष								

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक			
वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:			
खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत प्रभाव
1. निदेशक मंडल	बीओडी और केएमपी अन्य बातों के साथ-साथ परिचित हैं		100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	i. जोखिम प्रबंधन, ii. व्यापार रणनीति, iii. व्यवसाय पर लागू कानूनों पर अद्यतन, iv. नई व्यावसायिक पहल। वित्त वर्ष 2022-23 और अन्य पूर्ववर्ती वर्षों में प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों का अधिक विवरण वेबलिंग http://www .andrewyule.com/shareholders-information.php के तहत कंपनी की कांफरेंट वेबसाइट पर उपलब्ध है।		



	बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अल्ट्रासोनिक परीक्षण स्तर II, चुंबकीय व्यावहारिक परीक्षण स्तर II, ऑस्ट्रेलिया और भारत-यूई मुक्त व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, संगठनात्मक सीमाओं का पुनः मानचित्रण: मानव संसाधन की भूमिका, श्रम संहिताओं और नियमों को समझना, प्रभावी लक्ष्य सेटिंग, 'सीपीएसई द्वारा एमएसई से और जेम् के माध्यम से खरीद', औद्योगिक सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत और सर्वोत्तम सुरक्षा में अभ्यास, खत्म हो चुके प्लास्टिक और टायरों - ईंधन, मोनोमर, या हाइड्रोजन - का क्या करें?	100%																																			
	कर्मि	कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लैंगिक समानता, शिकायत निवारण, आग और सुरक्षा, प्लकिंग तकनीक, प्रूनिंग तकनीक, यौन उत्पीड़न, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा-रासायनिक हैंडलर शामिल हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, मूल्यांकन और पते की निगरानी, यौन उत्पीड़न विरोधी, काम के खतरे, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, पर्यावरण - पारिस्थितिकी और जैव विविधता, आईपीएम, अपशिष्ट प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, जल का संरक्षण और सुरक्षित उपयोग, स्वास्थ्य और स्वच्छता, व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा, लैंगिक वर्ग समिति, आग और खतरा प्रशिक्षण, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, वांश कार्यक्रम के तहत स्वच्छता और स्वच्छता, पॉश अधिनियम 0पर जागरूकता कार्यक्रम, बाल संरक्षण पर कार्यक्रम, (यूनिसेफ) द्वारा सामुदायिक विकास जागरूकता, स्वच्छ भारत पर जागरूकता कार्यक्रम, "उचित निपटान के साथ अपशिष्ट पृथक्करण" के लिए अभियान, स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम, एनीमिया-आहार देखभाल पर कार्यक्रम, जल जनित रोगों पर जागरूकता कार्यक्रम, पल्मोनरी टीबी, मशरूम विषाक्तता, उचित स्तनपान तकनीक।	100%																																			
वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के पास कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/शमनीय शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिया गया है (नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) 2015 विनियमों के विनियम 30 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी, और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है:																																						
2.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>एनजीआरबीसी सिद्धांत</th> <th>विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम</th> <th>राशि (आईएनआर में)</th> <th>मामले का संक्षिप्त विवरण</th> <th>क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां नहीं)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जुर्माना/दंड</td> <td>शून्य</td> <td colspan="2">नीचे नोट देखें</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>समझौता</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>समझौता शुल्क</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>गैर-मौद्रिक</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>कैद</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>सज़ा</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (आईएनआर में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां नहीं)	जुर्माना/दंड	शून्य	नीचे नोट देखें		शून्य	समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	समझौता शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	गैर-मौद्रिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	कैद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (आईएनआर में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां नहीं)																																		
जुर्माना/दंड	शून्य	नीचे नोट देखें		शून्य																																		
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																		
समझौता शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																		
गैर-मौद्रिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																		
कैद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																		
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																		
नोट: 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और लेखा परीक्षा योग्यता के प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करने में देरी हुई। बीएसई ने 29 जून, 2022 के अपने मेल के माध्यम से लिस्टिंग विनियमों के नियम 33 का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए उपरोक्त देरी के लिए 5,900 रुपये का जुर्माना लगाया था।																																						
3.	उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>मामले का विवरण</th> <th>नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	शून्य	शून्य																																
मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम																																					
शून्य	शून्य																																					



4.	क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।			
	हां, कंपनी के पास आचरण अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम हैं जो ऐसे गैर-नैतिक व्यवहार में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देते हैं। वह http://www.andrewyule.com/policy.php पर उपलब्ध है			
5.	ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:			
		वित्त वर्ष 22-23		वित्त वर्ष 21-22
	निदेशक	शून्य		शून्य
	के.एम.पी	शून्य		शून्य
	कर्मचारी	शून्य		शून्य
	कर्मि	शून्य		शून्य
6.	हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:			
		वित्त वर्ष 22-23		वित्त वर्ष 21-22
		संख्या	टिप्पणी	संख्या
	निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
	केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
7.	भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/जुर्माने/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।			
	लागू नहीं			

सिद्धांत 2: व्यवसायों को सामान और सेवाएँ ऐसे तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो सतत और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1	उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः कंपनी द्वारा किए गए कुल आर एंड डी और पूंजीगत व्यय निवेश में है।		
		2022-23	2021-22
	अनुसंधान एवं विकास	0.24	0.26
	केपेक्स	1.27	0.36
	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण		
	इंजीनियरिंग प्रभाग ने 200 मिमी व्यास के लिए उपयुक्त एसआर-200 बियरिंग हाउसिंग के लिए डिजाइन गतिविधियां पूरी कर ली हैं। शाफ्ट. अब यह शारीरिक विकास के चरण में है। इससे चक्र का समय कम से कम 1 (एक) महीने कम हो जाएगा और वार्षिक लागत में प्रति कार्यक्रम सेट 2.00 लाखरु. की बचत होगी।		
	काटने, मोड़ने और रेडियोग्राफी वेल्डिंग द्वारा मोटी सील रिंग के निर्माण में लंबी प्रक्रिया लगती है और मानव-घंटे की भागीदारी अधिक होती है। विक्रेता से सिंगल पीस फोर्ज मोटी सील रिंग की खरीद से उपरोक्त लंबी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और लागत कम हो जाती है।		



2	a. क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं?
	हां, कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इनपुट मुख्य रूप से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्रोतों/संस्थाओं से हैं, जिनके बीआर दायित्वों से अच्छी तरह वाकिफ होने की उम्मीद है। हालांकि विनिर्माण में कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल ऐसी प्रकृति का है, जो आम तौर पर छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है, लेकिन पैकेजिंग सामग्री विभिन्न एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं सहित स्थानीय स्तर पर प्राप्त की जाती है, बशर्ते वे कंपनी की गुणवत्ता, वितरण, लागत, अपेक्षाएं आदि के अनुरूप हों।
3	b. यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से स्रोतित किया गया था?
	100%
3	(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट और (ग) अन्य अपशिष्ट के लिए, बिक्री के बाद और अपने उत्पादों के जीवन के अंत में सुरक्षित रूप से एकत्र करने, पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग और निपटान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत विक्रेता को खतरनाक कचरे के सुरक्षित निपटान की एक प्रक्रिया है। पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि ऐसी पहल की कोई गुंजाइश नहीं है।
4	क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।
	प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) का निपटान प्रमाणित खतरनाक अपशिष्ट कलेक्टरों जैसे मेसर्स बरुआ और गोगोई एंटरप्राइज के माध्यम से किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1	क्या कंपनी ने निर्मित अपने शीर्ष 3 ब्रांडों / उत्पादों में से किसी एक या सभी के लिए जीवन चक्र आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? एनआईसी कोड * उत्पाद / सेवा, कुल कारोबार का % योगदान, जीवन चक्र						
	कंपनी ने जीवन चक्र आकलन (एलसीए) आयोजित नहीं किया है।						
	एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया गया	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं)	यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
	लागू नहीं						
2	यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ संक्षेप में इसका वर्णन करें।						
			उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण		कार्रवाई	
	प्रत्येक उत्पाद का विवरण दें		काली चाय	प्रदूषण, रासायनिक कंटेनर (कौटनाशक/कौटनाशक) का सुरक्षित निपटान, आग		प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी, पीसीबी द्वारा अनुमोदित विक्रेता द्वारा निपटान, फायर एनओसी	
3	उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।						
	इनपुट सामग्री इंगित करें				कुल सामग्री में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री		
					वित्त वर्ष 22-23		वित्त वर्ष 21-22
	लोहे का पुनः उपयोग किया गया				20%		12%



**सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में उन लोगों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए।
आवश्यक संकेतक**

क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:											
वर्ग	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (ई/ए)	संख्या- (एफ)	% (एफ/ ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	183	183	100%	79	43%	-	-	-	-	-	-
महिला	4	4	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	187	187	100%	79	42%	-	-	-	-	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	29	29	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	1	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	30	29	97%	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:											
वर्ग	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (ई/ए)	संख्या- (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	7138	7138	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	6900	6900	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	14038	14038	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	101	101	100%	101	100%	-	-	-	-	-	-
महिला	4	4	100%	4	100%	-	-	-	-	-	-
कुल	105	105	100%	105	100%	-	-	-	-	-	-
वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।											
लाभ	वित्त वर्ष 22-23			वित्त वर्ष 22-23							
	चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष							
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)					
पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ					
ग्रेज्युटी	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ					
ईएसआई (*)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं					
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं					
(*) नोट: केवल संविदा कर्मचारियों और श्रमिकों को ईएसआईसी लाभ मिलता है। ग्रेज्युटी (पात्र कर्मचारियों के लिए) के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित राशि को यूल ग्रुप ग्रेज्युटी फंड से वित्त पोषित किया जाता है, जिसका योगदान कंपनी द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए कर्मचारियों या श्रमिकों से कोई अलग कटौती नहीं की जाती है।											
कार्यस्थलों तक पहुंच											
3	क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर / कार्यालय विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में इकाई द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।										
हां, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, इकाई के परिसर / कार्यालय विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं। क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार इकाई के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।											
4	कंपनी समान अवसर नियोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी के लिए समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करती है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार एक समान अवसर नीति लागू है जो आधिकारिक तौर पर कंपनी की वेबसाइट वेब-लिंक http://www.andrewyule.com/policy.php पर प्रदान की गई है										



पैरेंटल लीव लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।											
5	लैंगिक वर्ग		स्थायी कर्मचारी				स्थायी कर्मचारी				
		काम पर वापसी का दर	अवधारण दर		काम पर वापसी का दर		अवधारण दर				
	पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं				
	महिला	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं				
	कुल	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं				
ध्यान दें: 2022-23 के दौरान किसी भी स्थायी कर्मचारी और कार्यकर्ता ने पैरेंटल लीव नहीं ली है।											
क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।											
6	स्थायी कर्मचारी	हां, कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को चिंताओं और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्मचारी और कर्मचारी अपनी शिकायतें एक निर्दिष्ट चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे शिकायत पोर्टल, ईमेल, या व्यक्तिगत रूप से मानव संसाधन विभाग या नामित कर्मियों को। यह तंत्र शिकायतों से निपटने में गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। शिकायत मिलने पर गहन जांच की जाती है और समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने और किसी भी अन्य चिंता का समाधान करने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। प्रॉपर्टी में शिकायत समितियाँ हैं जिनमें उद्यान के एक कार्यकारी और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों सहित पांच श्रमिक (पुरुष और महिला) शामिल हैं।									
	स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य										
	स्थायी कर्मचारी										
	स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य										
सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:											
7	वर्ग	वित्त वर्ष 22-23				वित्त वर्ष 21-22					
		संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कर्मचारी	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या संघ का हिस्सा हैं	% (बी/ ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्म/ कर्मचारी	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या संघ का हिस्सा हैं	% (डी/सी)				
		(ए)	(बी)		(सी)	(डी)					
	कुल स्थायी कर्मचारी	187	--	0%	205	--	0%				
	पुरुष	183	--	0%	200	--	0%				
	महिला	4	--	0%	5	--	0%				
	कुल स्थायी कर्मचारी	14038	14038	100%	14152	14152	100%				
	पुरुष	7138	7138	100%	7232	7232	100%				
महिला	6900	6900	100%	6920	6920	100%					
कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:											
8	वर्ग	वित्त वर्ष 22-23					वित्त वर्ष 21-22				
		कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
	संख्या (बी)		% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (ई)		% (ई / डी)	संख्या (एफ)	% (एफ / डी)	
	कर्मचारी										
	पुरुष	183	97	53%	8	4%	200	70	35%	6	3%
	महिला	4	4	100%	2	50%	5	5	100%	3	60%
कुल	187	101	54%	10	5%	205	75	37%	9	4%	



कर्मि										
पुरुष	7138	754	11%	36	0.5%	7232	656	9%	40	0.3%
महिला	6900	361	5%	20	0.3%	6920	353	5%	21	0.3%
कुल	14038	1115	8%	56	0.4%	14152	1009	7%	61	0.4%
कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:										
लाभ	वित्त वर्ष 22-23					वित्त वर्ष 21-22				
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)				
कर्मचारी										
पुरुष	183	78	43%	200	86	43%				
महिला	4	4	100%	5	5	100%				
कुल	187	82	44%	205	91	44%				
कर्मि										
पुरुष	7138	88	1.2%	7232	95	1.31%				
महिला	6900	15	0.21%	6920	13	0.18%				
कुल	14038	103	0.73%	14152	108	0.76%				
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:										
a. क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/ नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली क्या है?										
हाँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियाँ और नियमावली मौजूद हैं। कंपनी के इंजीनियरिंग प्रभाग ने कल्याणी संयंत्र में आईएसओ 45001 प्रणाली लागू की है। कंपनी सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रमाणन निकायों द्वारा आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन और लेखा परीक्षण आयोजित करती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों से संबंधित अपडेट भी नियमित रूप से वरिष्ठ प्रबंधन के साथ साझा किए जाते हैं।										
b. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?										
हाँ, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए किया जाता है।										
c. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/ नहीं)										
हाँ, श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। खतरों और मुद्दों को पहचानने के लिए सभी श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। संयंत्रों में नियमित अंतराल पर सुरक्षा बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं और पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए संबंधित सुधारात्मक और निवारक उपाय किए जाते हैं।										
d. क्या इकाई के कर्मचारियों/कर्मचारियों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हाँ/ नहीं)										
हाँ, स्थायी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के पास कंपनी की समूह बीमा पॉलिसी के तहत नामांकन करने का विकल्प है। अनुबंधित कार्यबल को ईएसआईसी के तहत सांविधिक लाभ प्राप्त हैं।										
सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में										
11	सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 22-23 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 21-22 पिछला वित्तीय वर्ष						
	लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन-व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	शून्य	शून्य						
		कर्मि	शून्य	शून्य						
	कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य						
		कर्मि	शून्य	शून्य						
	मरने वालों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य						
		कर्मि	शून्य	शून्य						
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य							
	कर्मि	शून्य	शून्य							
सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।										
इकाई सुरक्षा नीतियों, व्यापक प्रशिक्षण, खतरे की पहचान, सुरक्षा उपकरण प्रावधान, नियमित निरीक्षण, घटना रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्परता, कर्मचारी भागीदारी और नियमों के अनुपालन के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करती है। उदाहरण हैं - i) मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ii) खतरनाक काम में लगे श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच, iii) सुरक्षा गियर / पीपीई का उपयोग, iv) प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, v) चलने योग्य मशीनरी के लिए सुरक्षा उपाय, vi) अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण।										



13	कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या::						
	वित्त वर्ष 22-23			वित्त वर्ष 21-22			
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	
	काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	वर्ष के लिए आकलन:						
	विवरण			आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (कंपनी या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)			
	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ			100% - ट्रस्टिया ऑडिट			
	काम करने की स्थिति			100% - ट्रस्टिया ऑडिट			
15	सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।						
	सुरक्षा-संबंधी घटनाओं को संबोधित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन के माध्यम से पहचाने गए महत्वपूर्ण जोखिमों और चिंताओं को सक्रिय रूप से संबोधित किया जाता है। निरंतर सुधार और एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को प्राथमिकता दी जाती है। सभी कारखाने के कर्मचारियों के लिए मशीनरी संचालन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर व्यापक प्रशिक्षण समय पर दिया जाता है। मशीनरी के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश मानक संचालन प्रक्रियाओं में शामिल हैं। खराबी को रोकने के लिए एक सख्त रखरखाव कार्यक्रम लागू किया गया है।						
	संभावित जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए नियमित ऑडिट आयोजित किए जाते हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयों के उदाहरण हैं:						
	1. छिड़काव के दौरान सुरक्षात्मक कपड़े (डांगरी, गमबूट, नाइट्राइल दस्ताने, रबर नाक मास्क) जारी किए जा रहे हैं।						
	2. छिड़काव करने वाले श्रमिकों/संचालकों की नियमित स्वास्थ्य जांच (कोलेलिनेस्टरेज़ परीक्षण/और रक्त के अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर) अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है।						
	3. रसायन भंडार में रासायनिक संचालकों को सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं।						
	4. इलेक्ट्रिकल और मशीनरी विभाग से संबंधित श्रमिकों को हेलमेट, लंबे रबर जूते और सुरक्षा संलग्नक के साथ सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जा रहे हैं।						
	5. कारखाने के श्रमिकों को सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जाते हैं।						
	6. फैक्ट्री अधिनियमों के अनुसार चलती भागों के लिए सुरक्षा गाइड/जाल प्रदान किए जाते हैं।						
	7. वाहनों/ट्रेलरों/पानी की टैंकियों का नियमित फिटनेस प्रमाणीकरण मानदंडों के अनुसार किया जाता है। 8. अग्निशामक यंत्रों की वार्षिक आधार पर प्रमाणित विक्रेताओं द्वारा जांच की जाती है और उन्हें दोबारा भरा जाता है।						
9. पेयजल का परीक्षण नियमानुसार किया जाता है।							

नेतृत्व संकेतक

1	क्या कंपनी (ए) कर्मचारियों (हां / नहीं) (बी) श्रमिकों (हां / नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई मुआवजा पैकेज प्रदान करती है।						
	हां, इकाई कर्मचारियों और श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई मुआवजा पैकेज प्रदान करती है।						
2	यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें कि वैधानिक बकाया मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा काट लिया गया है और जमा कर दिया गया है।						
	कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा संविदात्मक समझौतों, नियमित ऑडिट, उचित दस्तावेज़ीकरण, अधिकारियों के साथ सहयोग और उचित परिश्रम के माध्यम से वैधानिक बकाया राशि में कटौती और जमा किया जाता है। ये उपाय अनुपालन, पारदर्शिता और कानूनी आवश्यकताओं के पालन को बढ़ावा देते हैं।						
3	उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च परिणाम वाले कार्य से संबंधित चोट/अस्वस्थ/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की क्यू11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:						
	कुल संख्या प्रभावित कर्म / कर्मचारियों की			उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है			
		वित्त वर्ष 22-23 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 21-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 22-23 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 21-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
		कर्मचारी	0	0	0	0	
		कर्म	15	23	15	23	
4	क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां नहीं)						
	नहीं, इकाई ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं करती है। हालांकि, इकाई उन कर्मचारियों के लिए वार्षिकी उपार्जन के रूप में सुपर-वार्षिकी लाभ प्रदान करती है जो इसके लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।						

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1	कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें। कंपनी प्रभाव और महत्व के आधार पर हितधारक मानचित्रण और प्राथमिकता के माध्यम से प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करती है। सहभागिता विश्लेषण बातचीत और संचार चैनलों का आकलन करता है। हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं को समझना महत्वपूर्ण है, साथ ही हितधारकों पर कंपनी के कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करना और इसके विपरीत भी महत्वपूर्ण है। नियमित समीक्षा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन सुनिश्चित करती है। यह सक्रिय दृष्टिकोण सकारात्मक रिश्तों को बढ़ावा देता है, विश्वास बनाता है और कंपनी की स्थायी सफलता में योगदान देता है।				
2	आपकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।				
	हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/ नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
	शेयरधारक	नहीं	ई-मेल, एसएमएस, पत्र, सूचनाएं, त्रैमासिक वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट, भौतिक/आभासी बैठकें, समाचार पत्र, कंपनी की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य वैधानिक प्राधिकरण	कंपनी अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे अंतरालों पर नियमित रूप से	शेयरधारक के साथ सूचना का प्रसार और आदान-प्रदान करना जैसे वित्तीय और गैर-वित्तीय रिपोर्ट साझा करना/लाभांश/आईईपीएफ से संबंधित मामले और अन्य को अद्यतन करने की दृष्टि से।
	कर्मचारी	नहीं	ई-मेल, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।	आवश्यकता के अनुसार	नीतियां साझा करना, आचार संहिता, साइबर सुरक्षा, पीओएसएच जागरूकता, मूल्यांकन आदि।
	ग्राहकों	नहीं	बैठकें, संयंत्र का दौरा, सम्मेलन, ईमेल, नोटिस फेसबुक, ट्विटर आदि।	समय-समय	नवीनतम विकास पर ग्राहक को अद्यतन रखें।

नेतृत्व संकेतक

1	आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है। आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर बोर्ड के साथ हितधारक परामर्श की प्रक्रिया या तो हितधारकों के साथ सीधे जुड़ाव के रूप में या विशिष्ट समितियों या अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यायोजित परामर्श के रूप में हो सकती है। निर्णय लेने की जानकारी देने और हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप रणनीतियों को संरेखित करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारकों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की जाती है। प्रभावी संचार चैनल टिकाऊ और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए, बोर्ड को फीडबैक का समय पर प्रसार सुनिश्चित करते हैं।
2	क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया। हितधारकों को उम्मीद है कि कंपनी कानूनों और विनियमों के अनुपालन में होगी और ट्रस्टिया या रेनफॉरेस्ट एलायंस प्रमाणन के साथ होगी। ट्रस्टिया और रेनफॉरेस्ट एलायंस प्रमाणन टिकाऊ और नैतिक चाय उत्पादन को बढ़ावा देने वाले स्वैच्छिक कार्यक्रम हैं। इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करना स्वयं स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को संबोधित करते हुए प्रतिष्ठा बढ़ाता है। वे हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और भारत में चाय उद्योग की समग्र भलाई में योगदान करते हैं। वन अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हाथी गलियारा नीति बनाई गई है ताकि जंगली हाथियों को बगीचे से गुजरने में कोई परेशानी न हो।



**सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
आवश्यक संकेतक**

जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

लाभ	वित्त वर्ष 22-23			वित्त वर्ष 21-22		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मी /कर्मचारियों की संख्या (बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मी /कर्मचारियों की संख्या (डी)	% (डी/ सी)
कर्मचारी						
स्थायी	187	187	100%	205	-	-
स्थायी के अलावा अन्य	30	30	100%	30	-	-
कुल कर्मचारी	217	217	100%	235	-	-
कर्मी						
स्थायी	14038	14038	100%	14198	-	-
स्थायी के अलावा अन्य	105	105	100%	46	-	-
कुल श्रमिक	14143	14143	100%	14244	-	-

कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

वर्ग	वित्त वर्ष 22-23					वित्त वर्ष 21-22				
	कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
स्थायी	187	0	0%	187	100%	205	0	0%	205	100%
पुरुष	183	0	0%	183	100%	200	0	0%	200	100%
महिला	4	0	0%	4	100%	5	0	0%	5	100%
स्थायी के अलावा अन्य	30	0		30	100%	30	0	0%	30	100%
पुरुष	29	0	0%	29	100%	29	0	0%	29	100%
महिला	1	0	0%	1	0%	1	0	0%	1	100%
कर्मी										
स्थायी	14038	50	0.35%	13988	99.65%	14198	46	0.32%	14152	99.68%
पुरुष	7138	0	0%	7138	100%	7232	0	0%	7232	100%
महिला	6900	0	0%	6900	100%	6920	0	0%	6920	100%
स्थायी के अलावा अन्य	105	105	100%	0	0%	46	46	100%	0	0%
पुरुष	101	101	100%	0	0%	46	46	100%	0	0%
महिला	4	4	100%	0	0%	0	0	0%	0	0%



निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	3	39.59 लाख रु	0	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	3	39.59 लाख रु	1	17.14 लाख रु
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	183	9.80 लाख रु	4	8.82 लाख रु
कर्मि	7138	1.71 लाख रु	6900	1.78 लाख रु

क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)

हां, मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रबंधन, उद्यान संघों और विभागीय प्रमुखों के सदस्यों वाली समितियाँ हैं। कंपनी सभी व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करने के दर्शन का पालन करती है। पूरे क्षेत्र और कॉर्पोरेट कार्यालय में यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) समितियाँ भी मौजूद हैं। उपरोक्त के अलावा, कंपनी के पास व्हिसल ब्लोअर नीति के समान एक सतर्कता तंत्र नीति है जो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेब-लिंक <http://www.andrew-yule.com/policy.php> पर उपलब्ध है।

मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें

जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंपनी की सतर्कता तंत्र और व्हिसल ब्लोअर नीति यह प्रावधान करती है कि किसी भी जांच के दौरान व्हिसल ब्लोअर की गोपनीयता और गुमनामी की रक्षा के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे।

कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 22-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

पंजीकृत कार्यालयों में यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए आंतरिक शिकायत समितियाँ हैं। चाय बागानों में एक शिकायत समिति, यौन उत्पीड़न विरोधी समिति, मूल्यांकन और समाधान समिति, लैंगिक समानता समिति और व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति है। समितियों में उद्यान से एक कार्यकारी और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों सहित पांच श्रमिक (पुरुष और महिला) शामिल हैं।

प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं: चरण 1- शिकायत/शिकायत समिति को प्रस्तुत की जाती है और विधिवत दर्ज की जाती है। चरण 2 - समिति के सदस्य एक गोपनीय बैठक आयोजित करते हैं और शिकायत की प्रकृति का आकलन करते हैं। चरण 3 - यदि शिकायत वास्तविक पाई जाती है तो शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर संपत्ति के प्रबंधक को अनुरोध के लिए भेज दी जाती है।

क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

हां, मानवाधिकार की आवश्यकता व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा है।



वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिन्का मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
जबरन/ अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य

उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकृत कार्यालयों और चाय बागानों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियाँ, लैंगिक समानता मितियाँ, शिकायत समितियाँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियाँ और मूल्यांकन और पता समितियाँ हैं।

नेतृत्व संकेतक

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर / कार्यालय विकलांग आगंतुकों के लिए सुलभ है? हां, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था का परिसर / कार्यालय विकलांग आगंतुकों के लिए सुलभ है।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की सुरक्षा और उसे बहाल करने का सम्मान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (गीगाजूल में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22
कुल बिजली खपत (ए)	31904.7	30599.33
कुल डीज़ल खपत	13190.04	15542.03
कुल पेट्रोल खपत	165.12	0
कुल कोयला खपत (एन्थ्रेसाइट मानकर)	125.03	430.95
कुल एलपीजी खपत	76.93	61.76
कुल गैस खपत	83740.59	67019.9
कुल ईंधन खपत (बी)	97297.71	83054.64
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत - बिजली (सौर)	21.23	9.35
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	129223.64	113663.32
प्रति रुपया टर्नओवर ऊर्जा तीव्रता (जीजे/आईएनआर) - (कुल ऊर्जा खपत/ टर्नओवर रुपये में)	0.000039	0.0000339
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन कंपनी द्वारा किया जा सकता है		

नोट: किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन नहीं दिया गया।

क्या कंपनी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

नहीं, इस इकाई के पास भारत सरकार की कार्य-निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में चिन्हित कोई स्थल/सुविधाएं नहीं हैं।



जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	3381	3552
(ii) भूजल	215407856.3	75629481.3
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	2208	2292
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	74.84	71.42
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	215413520.1	75635396.72
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	140575555.4	1162277.73
प्रति रुपए टर्नओवर में पानी की तीव्रता (पानी की खपत/टर्न-ओवर)	0.037	0.003

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

नहीं, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन नहीं दिया गया है।

क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें। नहीं, इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू नहीं किया है।

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड	µg/m ³	2.22	15
सल्फर डाइऑक्साइड	µg/m ³	1.21	<1
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	µg/m ³	402.16	
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	ppb	10	14
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	AQI	47	49
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10)	µg/m ³	52.21	25
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5)	µg/m ³	37	15

निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मानदंड	इकाई	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ ₂ , सीओ ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ में विभाजन)	शून्य	शून्य	शून्य
सीओ ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन	शून्य	शून्य	शून्य
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	शून्य	शून्य	शून्य
(यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ ₂ , सीओ ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ में विभाजन)	शून्य	शून्य	शून्य
सीओ ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन	शून्य	शून्य	शून्य
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपये टर्नओवर	शून्य	शून्य	शून्य
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

नहीं, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन नहीं दिया गया है।

क्या कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। नहीं, कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।



कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 21-22
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	406.56	556.85
ई-कचरा (बी)	0.02	0.01
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	400.051	137.061
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	0	0
बैटरी अपशिष्ट (ई)	100.031	150.001
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)	170.165	206.97
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो।	33.16	12.86
(रचना के आधार पर विभाजन अर्थात् क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर)	4.9	6.8
कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	1114.887	1070.552

उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)

अपशिष्ट की श्रेणी

(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया जाना	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	0
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	400.41	137.56
(ii) लैंडफिलिंग	704	921
(iii) अन्य निपटान कार्य	13.864	7.602
कुल	1118.274	1066.162

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

हाँ, प्रमाणित अपशिष्ट निपटान विक्रेता द्वारा संग्रहण का आश्वासन दिया जाता है।

आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

कंपनी ने एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाया है, जो कीट नियंत्रण के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण है जो रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है। आईपीएम अंतिम उपाय के रूप में रोकथाम, जैविक नियंत्रण और लक्षित कीटनाशक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कीट प्रबंधन में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जैसे कि जहरीले रासायनिक भार को कम करने के लिए जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना। कंपनी पीसीबी-अधिकृत विक्रेताओं को खतरनाक कचरे के भंडारण और सुरक्षित निपटान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के दिशानिर्देशों का पालन करती है। प्राकृतिक निकार्यों में खतरनाक अपशिष्टों के प्रवाह को कम करने के लिए कारखाने और बगीचों के आउटलेट ड्रेन में निस्पंदन संयंत्र बनाया गया है। संपदाओं में वर्षावन प्रबंधन नीति का पालन किया जा रहा है।

यदि संस्था के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में या उसके आसपास संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	चाहे पर्यावरण मंजूरी की शर्तें / मंजूरी का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ / नहीं)
			यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो वह क्या है?
1	बानरहाट चाय बागान, जिला - जलपाईगुड़ी	चाय संपदा - चाय की पत्तियों की कटाई और चाय का निर्माण	नहीं (*)

(*) चाय बागान 150 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उस समय कानून के तहत पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी अनिवार्य नहीं थी। चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

नहीं, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लागू कानूनों के अनुसार किसी भी स्थल के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए
				(हां / नहीं)
				प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं				

इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून / विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुरूप है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (वाई / एन)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें:

हां, इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून / विनियमों / दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और नियम।

सिद्धांत 7: व्यवसायों को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1.	क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।		
	ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिसमें इकाई का सदस्य है।		
	संख्या	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
	1	एबीआईटीए - असम शाखा भारतीय चाय संघ	राज्य
	2	आईटीए - भारतीय चाय संघ	राष्ट्रीय
	3	टीआरए - चाय अनुसंधान संघ	राष्ट्रीय
	4	चाय बोर्ड	राज्य
	5	बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राज्य
	नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।		
	नहीं, नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है या चल रही है।		
	प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
	लागू नहीं		

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1.	चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।
----	--



परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/ नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक	
उनका सम्मान परियोजना (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013)	--		हाँ (सेवा) (सामाजिक शैक्षिक कल्याण एसोसिएशन)	नहीं	लागू नहीं	
निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:						
क्र.सं.	परियोजना का नाम- जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
लागू नहीं						
समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।						
कंपनी के पास संचार के विभिन्न तरीके हैं जहां समुदाय बड़े पैमाने पर अपने प्रश्न और शिकायतें उठा सकता है। ये शिकायतें या चिंताएँ ईमेल पर या कंपनी के पते पर डाक द्वारा लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम टीम/अधिकारी द्वारा इसकी उचित जांच की जाएगी और पीड़ित की संतुष्टि के लिए तुरंत समाधान किया जाएगा। टी एस्टेट्स की अपनी शिकायत समितियाँ हैं, जहाँ कोई भी सदस्य शिकायत दर्ज करा सकता है।						
आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट):						
		वित्त वर्ष 22-23		वित्त वर्ष 21-22		
		चालू वित्तीय वर्ष		पिछला वित्तीय वर्ष		
	सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	12.13%		13.42%		
	सीधे जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से प्राप्त किया गया	12.13%		13.42%		

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1	उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।
	ग्राहकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। यदि उपभोक्ताओं को उत्पादों से कोई समस्या है, तो वे पंजीकृत फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। टीम शिकायत की समीक्षा करती है और समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई करती है।
2	आपके व्यवसाय के उत्पादों और सेवाओं का % (टर्नओवर के अनुसार) जो उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं।
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
	उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड
	100%
	सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग
	100%
	पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान
	100%



3	निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:				
	विवरण	वित्त वर्ष 22-23		वित्त वर्ष 21-22	
		वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान
	डाटा प्राइवैसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विज्ञापन देना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुचित व्यापार आचरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4	सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:				
	विवरण	संख्या	वापस बुलाने का कारण		
	स्वैच्छिक स्मरण	2	आत्म मूल्यांकन		
	जबरन वापस बुलाना	शून्य	ना		
5	क्या कंपनी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।				
	हाँ, कंपनी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक रूपरेखा/नीति है। बोर्ड ने कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन योजना अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन जोखिमों के तत्वों की पहचान शामिल है जो कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं और विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को कवर करता है। संरचनाएँ मौजूद हैं ताकि जोखिमों की स्वाभाविक रूप से निगरानी और नियंत्रण किया जा सके। निदेशक मंडल ने जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमकरण प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक "जोखिम प्रबंधन समिति" का गठन किया है। अन्य बातों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को कवर करते हुए एक जोखिम प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिसकी निगरानी और समीक्षा इस समिति द्वारा की जाती है।				
6	विज्ञापन से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें, और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया दंड/कार्रवाई।				
	विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित कोई मामला नहीं; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; या रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान उत्पाद वापस लेने के मामलों की संख्या को फिर से उठाया गया था।				

नेतृत्व संकेतक

1	चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।
	कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग कानूनों और एफएसएसएआई विनियमों के अनुसार है। उत्पादों पर लेबलिंग में उत्पाद बेच की पता लगाने की क्षमता सहित उत्पाद पर सभी प्रासंगिक जानकारी होती है। कंपनी का वेबसाइट पता पैकेजों में दिया गया है।
2	उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।
	उत्पादों में एफएसएसएआई विनियमों का कड़ाई से पालन करते हुए उत्पाद के बारे में जानकारी दी जाती है। बैठकों के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की जाती है।
3	आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।
	उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के तंत्र में फोन कॉल, ईमेल, वीसी और विजिट शामिल हैं।
4	क्या कंपनी उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी कंपनी ने कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)
	नहीं, कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद से अधिक जानकारी उत्पाद पर प्रदर्शित नहीं करती है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कोलकाता,
7 अगस्त 2023

संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का दर्शन

एवाईसीएल का मानना है कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाएं कंपनी के मामलों का पारदर्शी तरीके से नैतिक और कुशल संचालन सुनिश्चित करती हैं और सदस्यों, ग्राहकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, विक्रेताओं और बड़े पैमाने पर समाज जैसे सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में भी मदद करती हैं। कंपनी ने अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने के लिए व्यवसाय के नैतिक और जिम्मेदार आचरण के उच्च मानक स्थापित किए हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कंपनी के पास अन्य बातों के साथ-साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति ढांचा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ◆ निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता।
- ◆ यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए कोड।
- ◆ अंदरूनी सूत्रों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता।
- ◆ पूछताछ की प्रक्रिया के लिए नीति यूपीएसआई।
- ◆ जोखिम प्रबंधन नीति।
- ◆ व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता।
- ◆ विजिल मैकेनिज्म व्हिसिल ब्लोअर नीति।
- ◆ अधिकारियों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम।
- ◆ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति।
- ◆ संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति।
- ◆ सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति।
- ◆ घटनाओं और सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए भौतिकता पर नीति।
- ◆ दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नीति।
- ◆ लाभांश वितरण नीति।

2. निदेशक मंडल

31 मार्च, 2023 को कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या 8 (आठ) थी, जिनमें से 3 (तीन) पूर्णकालिक निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (योजना) के पास निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार है; 2 (दो) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) थे और 3 (तीन) अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक थे।

बोर्ड में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल इस प्रकार है:

- ◆ पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पांच साल की अवधि या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है;
- ◆ सरकारी नामित निदेशकों को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) में उनके कार्यकाल के दौरान पदेन आधार पर नियुक्त किया जाता है;
- ◆ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

a) निदेशकों की श्रेणी, निदेशक पद, विभिन्न कंपनियों की समितियों में निदेशकों की अध्यक्षता/ सदस्यता और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद सहित बोर्ड की संरचना का विवरण और 31 मार्च, 2023 तक उनकी श्रेणी इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	पद	वर्ग	अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या		सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां निदेशक पद धारण किया	सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
				अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में		
श्री संजय भट्टाचार्य (डीआईएन: 07674268)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यकारी	4	1	--	टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड	गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र निदेशक
श्री के. मोहन (डीआईएन: 08385809)	निदेशक (कार्मिक)	कार्यकारी	4	--	1	वेबफिल लिमिटेड	गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र निदेशक



श्री राजिंदर सिंह मनकू (डीआईएन: 09706881)	निदेशक (योजना)	कार्यकारी	1	-	1	-	--
श्री विजय मित्तल (डीआईएन: 09548096)	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	गैर-कार्यकारी	4	--	--	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
						टुइड वॉटर आयुल कंपनी (आई) लिमिटेड	गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र निदेशक
श्री आदित्य कुमार घोष (डीआईएन: 09222808)	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	गैर-कार्यकारी	3	--	--	--	--
श्री ओम प्रकाश मित्तल (डीआईएन: 00512243)	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	3	--	--	--	--
श्री सुंदर पाल सिंह (डीआईएन: 09438081)	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	--	--	--	--	--
श्रीमती नमिता देवी (डीआईएन: 07436235)	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	1	-	--	--	--

टिप्पणियाँ:

- अन्य कंपनियों में रखे गए निदेशकों की संख्या में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों के निदेशकों को शामिल नहीं किया गया है। केवल ऑडिट समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता को विनियम 26 के अनुसार माना गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, यथासंशोधित।
- बोर्ड में कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद पर नहीं है। इसके अलावा, उनमें से कोई भी उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य या 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक है। इसके अलावा, कोई भी स्वतंत्र निदेशक 7 (सात) से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- मौजूदा निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से किसी के पास कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया है।
- कोई भी निदेशक कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित नहीं है।
- रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले और पात्र होने पर पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में विवरण 75 वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।

b) बोर्ड बैठकों की संख्या, बोर्ड बैठकों में उपस्थिति और 74वीं वार्षिक आम बैठक में:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें 30 मई, 2022; 12 अगस्त, 2022; 14 नवंबर, 2022 और 14 फरवरी, 2023 को आयोजित की गईं। लगातार दो बैठकों के बीच का अंतराल एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:



निदेशकों का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		29 सितंबर, 2022 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	आयोजित	उपस्थित हुए	
कार्यकारी निदेशक:			
श्री संजय भट्टाचार्य	4	4	हाँ
श्री के. मोहन	4	4	हाँ
श्री राजिंदर सिंह मनकू	2	2	हाँ
गैर - कार्यकारी निदेशक:			
श्री विजय मित्तल	4	1	नहीं
श्री आदित्य कुमार घोष	4	3	हाँ
श्री विश्वनाथ गिरिराज	3	3	हाँ
श्री अनिल कुमार गोयल	3	3	हाँ
रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा	3	3	हाँ
श्री ओम प्रकाश मित्तल	4	4	हाँ
श्री सुंदर पाल सिंह	4	4	हाँ
श्रीमती नमिता देवी	4	4	हाँ

टिप्पणियाँ:

1. श्री राजिंदर सिंह मनकू को 18 अगस्त, 2022 से निदेशक (योजना) के रूप में नियुक्त किया गया था।
2. श्री विश्वनाथ गिरिराज, श्री अनिल कुमार गोयल और रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा 28 जनवरी, 2023 से निदेशक नहीं रहे।

c) निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ दक्षताएँ:

चूँकि AYCL भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है, इसके बोर्ड के सभी निदेशक अर्थात् कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का चयन और नियुक्ति सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एवाईसीएल द्वारा संचालित व्यावसायिक क्षेत्र के संदर्भ में बोर्ड के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता की आवश्यकताएं, इन निदेशकों के चयन की सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं।

हालाँकि, सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने उत्पादन, योजना, संचालन, विपणन, प्रबंधन, प्रशासन, मानव संसाधन और वित्त को मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ दक्षताओं के रूप में पहचाना है जो कंपनी के व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में उसके प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक हैं।

उपरोक्त सभी मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ दक्षताएं वास्तव में बोर्ड के पास उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री संजय भट्टाचार्य, श्री के. मोहन, श्री राजिंदर सिंह मनकू, श्री विजय मित्तल और श्री आदित्य कुमार घोष को उत्पादन, योजना, संचालन, मानव संसाधन, प्रबंधन, प्रशासन, विपणन आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है श्री ओम प्रकाश मित्तल के पास वित्त क्षेत्र में काफी विशेषज्ञता है, श्री सुंदर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी के पास मानव संसाधन, संचालन आदि के क्षेत्र में अनुभव है।

d) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-II के भाग-ए के साथ पठित विनियम 17(7) और सरकारी कंपनियों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुबंध IV के अनुसार, सभी वैधानिक और अन्य महत्वपूर्ण और सामग्री संबंधी जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी गई ताकि वह कंपनी के रणनीतिक पर्यवेक्षण और हितधारकों के ट्रस्टी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हो सके।

e) अनुपालन:

एजेंडा तैयार करते समय, एजेंडा पर नोट्स, बैठक के मिनट, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी लागू कानून, उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ें, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, संशोधित, सचिवीय मानक (एसएस -1 और 2)) और अन्य प्रासंगिक कानूनों, जैसा लागू हो, का पालन किया गया है। कंपनी के पास संगठन के भीतर लागू कानूनों के अनुपालन की निगरानी करने और समय-समय पर बोर्ड को अपडेट प्रदान करने के लिए एक प्रभावी ढांचा है। बोर्ड समय-समय पर लागू कानूनों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

f) परिचय कार्यक्रम:

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणी होने का अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास भी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। कंपनी के व्यवसाय और प्रदर्शन अपडेट, रणनीति और इसमें शामिल जोखिम आदि पर बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में समय-समय पर प्रस्तुतियाँ दी गईं ताकि उन्हें व्यवसाय मॉडल और कंपनी के निदेशकों के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अपडेट किया जा सके। स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर मांगे गए वित्तीय परिणाम, आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष और अन्य विशिष्ट दस्तावेज भी प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड द्वारा अपनाई गई सभी नीतियों और आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिकता से भी अवगत कराया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेबलिंग –

http://www.andrewyule.com/pdf/investor-relations/Details_Familiarisation_Programmes.pdf पर भी उपलब्ध है।

- g) बोर्ड पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड समितियाँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के साथ सूचित निर्णय लेती हैं। वर्तमान में, कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियाँ हैं:

3.1 लेखा परीक्षा समिति

i. संदर्भ की शर्तें

ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तों में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 में उल्लिखित शक्तियाँ और भूमिका शामिल हैं, जैसा कि उक्त विनियमों की अनुसूची II के भाग-सी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के साथ संशोधित है। समिति के अध्यक्ष शेयरधारक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कंपनी की 74वीं वार्षिक आम बैठक में वस्तुतः उपस्थित थे।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 25 मई, 2022; 30 मई, 2022; 21 जुलाई, 2022; 10 अगस्त, 2022; 12 अगस्त, 2022; 29 सितंबर, 2022; 11 नवंबर, 2022; 14 नवंबर, 2022; 13 फरवरी, 2023; 14 फरवरी, 2023; 21 मार्च, 2023 और 22 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षा समिति की 12 (बारह) बैठकें आयोजित की गईं।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 3 (तीन) थी, सभी स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री ओम प्रकाश मित्तल; श्री सुन्दर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	12
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	12
श्री सुन्दर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4
श्री विश्वनाथ गिरिराज	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	8
श्री अनिल कुमार गोयल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8
रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8

टिप्पणियाँ :

- a) श्री ओम प्रकाश मित्तल को 31 जनवरी, 2023 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और श्री सुन्दर पाल सिंह 31 जनवरी, 2023 से समिति में शामिल हुए।



- b) श्री विश्वनाथ गिरिराज, श्री अनिल कुमार गोयल और रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा 31 जनवरी, 2023 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- c) ऑडिट समिति की संरचना संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है।
- d) ऑडिट समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18(1)(सी) में परिभाषित है, जैसा कि संशोधित है और उनके पास वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव है।
- e) निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।
- f) कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।
- g) लेखापरीक्षा समिति, जब भी उचित समझे, कंपनी के लेखापरीक्षकों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती है।

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i. संदर्भ की शर्तें

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के अलावा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 में लागू और निर्धारित मामले शामिल हैं। जैसा कि संशोधित है, उक्त विनियमों की अनुसूची- II के भाग-डी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, डीपीई दिशानिर्देश और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पढ़ें। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, प्रदर्शन मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा किया/निर्धारित किया जाता है। समिति के अध्यक्ष शेरधारक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कंपनी की 74वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 4 (चार) बैठकें 10 अगस्त, 2022, 11 नवंबर, 2022, 14 फरवरी, 2023 और 22 मार्च, 2023 को आयोजित की गईं।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2023 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति में सदस्यों की कुल संख्या 3 (तीन) थी, सभी गैर-कार्यकारी निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री सुंदर पाल सिंह, श्री आदित्य कुमार घोष और श्री ओम प्रकाश मित्तल सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4
श्री आदित्य कुमार घोष	गैर - कार्यकारी निदेशक	सदस्य	4
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2
श्री अनिल कुमार गोयल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2
श्री विश्वनाथ गिरिराज	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2
रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2

टिप्पणियाँ :

- a. श्री श्री सुंदर पाल सिंह को 31 जनवरी, 2023 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और ओम प्रकाश मित्तल 31 जनवरी, 2023 से समिति में शामिल हुए।
- b. श्री विश्वनाथ गिरिराज, श्री अनिल कुमार गोयल और रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा 31 जनवरी, 2023 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- c. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है।
- d. कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उत्तराधिकार की योजना बना

कंपनी ने कंपनी के दृष्टिकोण और व्यावसायिक रणनीतियों के अनुरूप, बोर्ड सदस्यों के अलावा अन्य प्रमुख पदों को भरने के लिए एक व्यवस्थित विकास योजना सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित उत्तराधिकार योजना ढांचा तैयार किया है। एमएचआई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है।

प्रदर्शन मूल्यांकन

एवाईसीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों, समग्र रूप से बोर्ड और कंपनी के अध्यक्ष सहित गैर-कार्यकारी निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने धारा के तहत छूट दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के 178 सरकारी कंपनियों को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों से।

पारिश्रमिक नीति

एवाईसीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से बनाई/तय की जा रही हैं। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। कंपनी के अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक उनकी यूनियन के साथ हुए वेतन समझौता समझौते के अनुसार तय किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्तियाँ/पदोन्नति आदि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती हैं।

निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन	फ़ायदे	पीएफ और अन्य फंड	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन स्टॉक विकल्प	कुल
1.	श्री संजय भट्टाचार्य	29.46	2.88	7.26	--	39.60
2.	श्री के. मोहन	31.73	3.92	8.36	--	44.01
3.	श्री राजिंदर सिंह मनकू	15.03	2.70	3.16	--	20.89

टिप्पणियाँ:

- श्री राजिंदर सिंह मनकू 18 अगस्त, 2023 से कंपनी में शामिल हुए
- कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक को स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	बैठने की फीस का भुगतान (लाख रुपये में)
1.	श्री विजय मित्तल	नामांकित निदेशक, भारत सरकार	--
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	नामांकित निदेशक, भारत सरकार	--
3.	श्री विश्वनाथ गिरिराज	स्वतंत्र निदेशक	0.41
4.	श्री अनिल कुमार गोयल	स्वतंत्र निदेशक	0.54
5.	रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	0.54
6.	श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	0.77
7.	श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	0.61
8.	श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	0.72

टिप्पणियाँ:

- श्री विजय मित्तल और श्री आदित्य कुमार घोष भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त नामित निदेशक थे। इसलिए, उन्हें कोई बैठक शुल्क नहीं दिया गया।
- श्री विश्वनाथ गिरिराज, श्री अनिल कुमार गोयल और रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा 28 जनवरी, 2023 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की बैठने की फीस निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है।
- उपरोक्त के अलावा, गैर-कार्यकारी निदेशकों का अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है। इसे संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के तहत आवश्यक प्रकटीकरण माना जा सकता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेबलिंग -

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/TC_Appointment_Independent_Directors.pdf पर देखी जा सकती हैं।

3.3 हितधारक संबंध समिति
i. संदर्भ की शर्तें

हितधारक संबंध समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के अलावा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20, संशोधित और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के साथ पढ़े गए नियमों में लागू और निर्धारित मामले शामिल हैं। हितधारक संबंध समिति हितधारकों/निवेशकों की शिकायतों और उनके निवारण की प्रणाली की जांच करती है। कंपनी हितधारकों/निवेशकों की शिकायतों/शिकायतों/प्रश्नों को उचित समय के भीतर हल करने का प्रयास करती है। समिति के अध्यक्ष शेरधारक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कंपनी की 74वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

ii. बैठक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हितधारक संबंध समिति की पहली (एक) बैठक 21 मार्च, 2023 को आयोजित की गई थी।

iii. समिति की संरचना और भाग लेने वाली बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2023 को हितधारक संबंध समिति में सदस्यों की कुल संख्या 4 (चार) थी, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्रीमती नमिता देवी, सदस्य के रूप में श्री के. मोहन, श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री सुंदर पाल सिंह।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1
श्री के. मोहन	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	1
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	-
श्री अनिल कुमार गोयल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	-

टिप्पणियाँ :

- श्रीमती नमिता देवी को 31 जनवरी, 2023 से समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- श्री अनिल कुमार गोयल और रियर एडमिरल अनिल कुमार वर्मा 31 जनवरी, 2023 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- हितधारक संबंध समिति की संरचना संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है।
- कंपनी सचिव होने के नाते श्रीमती सुचरिता दास कंपनी की अनुपालन अधिकारी हैं।

iv. वर्ष 2022-23 के दौरान, डुप्लिकेट शेयरों के हस्तांतरण/ संचरण/ निर्गम के निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए और संसाधित किए गए:

विवरण	मामलों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
शेयरों का स्थानांतरण	शून्य	शून्य
शेयरों का हस्तांतरण	6	4574
डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना	2	4299

v. वर्ष 2022-23 के दौरान भौतिक शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन का विवरण:

विवरण	डीमेट	
	मामलों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
एनएसडीएल	25	9537
सीडीएसएल	12	5422
कुल	37	14959

vi. वर्ष 2022-23 के दौरान सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) में शेयरधारकों की शिकायतों के संबंध में विवरण:

1 अप्रैल, 2022 तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	शून्य
31 मार्च, 2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

3.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

i. संदर्भ की शर्तें

सीएसआर समिति का गठन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास पर नीति के गठन/ समीक्षा, कंपनी द्वारा स्वीकृत सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें मंजूरी के संदर्भ में पूरा किया जा सके। सभी सीएसआर और सतत प्रस्ताव, यदि कोई हों, उन्हें बोर्ड में रखने से पहले समिति के समक्ष रखे गए थे और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड को इसकी सिफारिश करती है।

हालाँकि, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, जो 22.01.2021 को लागू हुआ, किसी कंपनी के लिए सीएसआर समिति अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं थी, यदि सीएसआर राशि 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और ऐसे सभी मामलों में, सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त के संदर्भ में, कंपनी की मौजूदा सीएसआर समिति को 12 अप्रैल, 2023 से भंग कर दिया गया था और सीएसआर समिति का कार्य, यदि कोई हो, उपर्युक्त प्रावधान के दायरे में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा, जब तक कि कंपनी के लिए सीएसआर समिति का गठन अनिवार्य नहीं हो जाता:

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार की गई गणना के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनिवार्य सीएसआर खर्च के लिए पात्र नहीं थी।

कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेबलिंग - http://www.andrewyule.com/pdf/policies/CSR_and_Sustainability_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

3.5 निदेशक मंडल की समिति

i. संदर्भ की शर्तें

कंपनी के पास निदेशक मंडल की एक समिति है, जिसका गठन कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की सुचारू कार्यप्रणाली की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। ऐसी समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती हैं।

समिति को अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

- i. कार्यशील पूंजी प्रयोजनों के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य से निर्दिष्ट सीमा तक धन उधार लें।
- ii. निर्दिष्ट सीमा तक कंपनी की अचल संपत्तियों पर समान बंधक सहित प्रतिभूतियों के निर्माण, सावधि ऋण, ब्रिज ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण आदि से संबंधित सुरक्षा दस्तावेजों के निष्पादन को अधिकृत करना।
- iii. बैंकों में खाते खोलना।
- iv. किसी भी दस्तावेज़ पर कंपनी की सामान्य मुहर लगाने को अधिकृत करना।
- v. डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र आदि के स्थानांतरण/संचरण/जारी को मंजूरी देना।
- vi. किसी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

ii. बैठक

वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की समिति की 22 (बाईस) बैठकें 6 अप्रैल, 2022, 12 अप्रैल, 2022, 2 मई, 2022, 10 मई, 2022, 24 मई, 2022, 1 जुलाई, 2022, 11 जुलाई, 2022, 3 अगस्त, 2022, 17 अगस्त, 2022, 25 अगस्त, 2022, 5 सितंबर, 2022, 12 सितंबर, 2022, 14 सितंबर, 2022, 10 नवंबर, 2022, 29 नवंबर, 2022, 9 दिसंबर, 2022, 27 दिसंबर, 2022, 18 जनवरी, 2023, 15 फरवरी, 2023, 17 फरवरी, 2023, 15 मार्च, 2023 और 23 मार्च, 2023 आयोजित की गईं।

iii. संघटन

31 मार्च, 2023 को निदेशक मंडल की समिति की संरचना और वर्ष 2022-23 के दौरान उसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री संजय भट्टाचार्य	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	22
श्री के. मोहन	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	22
श्री राजिंदर सिंह मनकू	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	12

नोट: श्री राजिंदर सिंह मनकू 18 अगस्त, 2022 से कंपनी में शामिल हो गए हैं।

3.6. जोखिम प्रबंधन समिति

i. संदर्भ की शर्तें

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के अलावा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 में लागू और निर्धारित मामले शामिल हैं, जैसा कि उक्त विनियमों की अनुसूची- II के भाग-डी के साथ पढ़ा जाता है। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों की पहचान की है। बोर्ड ने कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन योजना अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन जोखिमों के तत्वों की पहचान शामिल है जो कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं और विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को कवर करता है।

निदेशक मंडल ने जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमकरण प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक "जोखिम प्रबंधन समिति" का गठन किया है। अन्य बातों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को कवर करते हुए एक जोखिम प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिसकी निगरानी और समीक्षा इस समिति द्वारा की जाती है।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 23 सितंबर, 2022 और 22 मार्च, 2023 को जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2023 को कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

सदस्य का नाम	वर्ग	पद	भाग लेने वाली बैठकों की संख्या
श्री के. मोहन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	2
श्री राजिंदर सिंह मनकू	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	1
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
श्री संजय भट्टाचार्य	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	1
श्री विश्वनाथ गिरिराज	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	-

टिप्पणियाँ :

- श्री के. मोहन को 14 फरवरी, 2023 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री राजिंदर मनकू 14 नवंबर, 2022 से समिति में शामिल हुए। श्री ओम प्रकाश मित्तल और श्रीमती नमिता देवी 14 फरवरी, 2023 से समिति में शामिल हुए।
- श्री संजय भट्टाचार्य और श्री विश्वनाथ गिरिराज 14 फरवरी 2023 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

3.7 वरिष्ठ प्रबंधन:

सेबी (एलओडीआर) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का नाम	पद
1.	श्री चंदन बोरा	महाप्रबंधक (खुदरा विपणन), चाय
2.	श्री बी. मुरलीधरन	महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग और ई-केओ)
3.	श्री जीआर पुगलेंथी	महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशन)
4.	श्री सोम नाथ मैत्रा	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
5.	श्री चिन्मय रंजन बशिष्ठ	उप. महाप्रबंधक (कार्मिक)
6.	श्रीमती सुचरिता दास	कंपनी सचिव
7.	श्री उदय कुमार पांडे [*]	सहा. महाप्रबंधक (बिक्री), एनआर

[*] 31 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर श्री आशित मिधा, कार्यकारी निदेशक, एनआर की कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री उदय कुमार पांडे, सहायक महाप्रबंधक (बिक्री), एनआर ने दिल्ली कार्यालय की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखभाल के लिए श्री मिधा से कार्यभार संभाला।

यहां बताए गए के अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में कोई बदलाव नहीं हुआ।

3.8 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने आयोजित करने का निर्णय लिया था 8 अक्टूबर, 2022 और 25 जनवरी, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों में प्रबंधन और बोर्ड के बीच अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से पूरा करने के लिए सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, सामग्री और समयबद्धता पर चर्चा की जाएगी।

3.9 अन्य कार्यात्मक समितियाँ

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड समय-समय पर विशिष्ट संदर्भ शर्तों के साथ कार्यात्मक समितियों का गठन करता है जैसा वह उचित समझे। ऐसी समितियों की बैठकें तब आयोजित की जाती हैं जब उद्देश्य से संबंधित मामले पर चर्चा की आवश्यकता होती है। ऐसी समितियों की बैठकें आयोजित करने की समय-सारणी को समिति के सदस्यों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है।

निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य भी शामिल हैं। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेबलिंग पर देखा जा सकता है –

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Code_of_Conduct.pdf |



वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने उन पर लागू कोड के अनुपालन की पुष्टि की है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की एक घोषणा इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है।

5. सहायक कंपनियाँ

कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ थीं। 31 मार्च, 2023 तक यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।

बोर्ड की रिपोर्ट में उपर्युक्त सहायक कंपनियों के प्रदर्शन के संबंध में अलग से खुलासा किया गया है। इन असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों का विवरण तिमाही आधार पर कंपनी की बोर्ड बैठकों में रखा जाता था। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, समय-समय पर निदेशक मंडल को रिपोर्ट की जाती हैं।

कंपनी की कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी ने सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार की है, जिसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट वेबलैंक – http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Policy_Material_Subsiaries.pdf पर देखा जा सकता है।

6. सामान्य निकाय बैठकें

a) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	जगह
2021-22	29.09.2022	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से/अन्य श्रव्य-दृश्य साधन("OAVM")
2020-21	30.09.2021	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से/अन्य श्रव्य-दृश्य साधन("OAVM")
2019-20	25.11.2020	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से

b) संबंधित नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्ताव शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए।

c) पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकों में विशेष प्रस्ताव पारित किए गए थे: शून्य

d) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण आम बैठक का विवरण: पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

e) डाक मतपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष में पारित प्रस्तावों का विवरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

f) कंपनी की 75वीं वार्षिक आम बैठक में डाक मतपत्र की आवश्यकता वाले किसी विशेष प्रस्ताव को आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी आगामी एजीएम पर या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष समाधान आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

7. संचार के साधन

हितधारकों को सुसंगत, प्रासंगिक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी का समय पर संचार कंपनी के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन का मूल है।

कंपनी के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और निदेशक मंडल की बैठक के समापन के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) को प्रसारित किए जाते हैं जिसमें सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाता है। कंपनी के वित्तीय परिणाम राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ-साथ स्थानीय समाचार पत्र (बंगाली) में भी निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित किए जाते हैं और नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर होस्ट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तिमाही/ अर्धवार्षिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और वित्तीय एक्सप्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) और दैनिक जुगसंखा (बंगाली समाचार पत्र) में निदेशक मंडल की बैठक के समापन के 48 (आठवें) घंटों के भीतर वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित किए गए थे।

कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com में एक अलग अनुभाग "निवेशक संबंध" है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध है। त्रैमासिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न, नीतियां, निवेशकों के संपर्क विवरण, दावा न किए गए लाभांश/ शेयरों का विवरण और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित जानकारी के अलावा अन्य सभी कॉर्पोरेट संचार कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं। जब भी ऐसा होता है तो वेबसाइट आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करती है। संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के सामने कोई प्रस्तुति नहीं दी गई।

8. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

i. वार्षिक आम बैठक की तारीख, समय और स्थान:

75वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 31 अगस्त, 2023 को अपराह्न 3.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ii. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक।

iii. बुक क्लोजर: 25 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित)।

iv. लाभांश भुगतान तिथि: 30 सितंबर, 2023 के भीतर

v. स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग:

बीएसई लिमिटेड
पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट,
मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड: 526173

निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में भी व्यापार की अनुमति है:
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
[व्यापार करने की अनुमति श्रेणी के अंतर्गत]
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
प्रतीक: एंड्रयू

कंपनी ने निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर आवश्यक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है।

vi. बाजार मूल्य डेटा - अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कारोबार किए गए शेयरों की संख्या के साथ बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी की तुलना में उच्च और निम्न (जैसा कि बीएसई लिमिटेड और एनएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है):

महीना	शेयर की कीमत		बीएसई सेंसेक्स		कारोबार किए गए शेयरों की संख्या
	उच्च (₹.)	कम (₹.)	उच्च (₹.)	कम (₹.)	
अप्रैल, 2022	29.70	20.60	60,845.10	56,009.07	24779
मई, 2022	27.35	20.30	57,184.21	52,632.48	12830
जून, 2022	22.90	18.70	56,432.65	50,921.22	7665
जुलाई, 2022	22.00	20.00	57,619.27	52,094.25	4603
अगस्त, 2022	22.95	20.60	60,411.20	57,367.47	7850
सितंबर, 2022	23.50	20.00	60,676.12	56,147.23	6256
अक्टूबर, 2022	20.90	19.50	60,786.70	56,683.40	4200
नवंबर, 2022	29.00	19.65	63,303.01	60,425.47	18344
दिसंबर, 2022	33.75	23.85	63,583.07	59,754.10	43836
जनवरी, 2023	28.85	23.00	61,343.96	58,699.20	11370
फरवरी, 2023	26.50	20.50	61,682.25	58,795.97	5615
मार्च, 2023	22.99	18.56	60,498.48	57,084.91	6601



महीना	शेयर की कीमत		एनएसई निफ्टी		कारोबार की मात्रा (लाख में)
	उच्च (₹.)	कम (₹.)	उच्च (₹.)	कम (₹.)	
अप्रैल, 2022	29.90	20.60	18114.65	16824.70	206.89
मई, 2022	26.95	20.30	17132.85	15735.75	51.59
जून, 2022	22.90	18.25	16793.85	15183.40	26.27
जुलाई, 2022	21.85	20.05	17172.80	15511.05	20.97
अगस्त, 2022	23.00	20.45	17992.20	17154.80	42.30
सितम्बर, 2022	23.50	19.80	18096.15	16747.70	34.57
अक्टूबर, 2022	20.80	19.25	18022.80	16855.55	18.92
नवंबर, 2022	29.00	19.65	18816.05	17959.20	162.98
दिसंबर, 2022	33.70	23.45	18887.60	17774.25	398.08
जनवरी, 2023	28.90	22.95	18251.95	17405.55	60.86
फरवरी, 2023	25.15	20.50	18134.75	17255.20	27.09
मार्च, 2023	23.00	18.80	17799.95	16828.35	45.41

vii. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट: भौतिक और डीमैटरियलाइज्ड दोनों रूपों के लिए:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
383, लेक गार्डन, पहली मंजिल,
कोलकाता - 700 045
फ़ोन: (033) 4072 - 4051/4052/4053
फैक्स: (033) 4072 - 4050
ई-मेल: mcssta@rediffmail.com

viii. शेयर स्थानांतरण प्रणाली:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 को परिपत्र संख्या SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 दिनांक 30 नवंबर 2018 के साथ पढ़ा यह आदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामले को छोड़कर, प्रतिभूतियों के प्रभावी हस्तांतरण के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के पास डिमैटरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। कंपनी ने समय-समय पर फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों को इस आशय के बारे में लिखा था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और डीमैटरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी हिस्सेदारी डीमैटरियलाइज करें।

ix. 31 मार्च, 2023 तक भौगोलिक विश्लेषण रिपोर्ट:

राज्य	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
दिल्ली	1683	4.43	449574969	91.95
हरयाणा	553	1.46	533596	0.11
पंजाब	605	1.59	488059	0.10
चंडीगढ़	101	0.27	57139	0.01
हिमाचल प्रदेश	71	0.19	56481	0.01
जम्मू कश्मीर	59	0.16	25379	0.01
उत्तर प्रदेश	1892	4.98	1669860	0.34
राजस्थान	2011	5.30	2540905	0.52
गुजरात	6707	17.67	6883539	1.41
महाराष्ट्र	12343	32.52	17425034	3.56
मध्य प्रदेश	426	1.12	251677	0.05
छत्तीसगढ़	222	0.58	224711	0.05
आंध्र प्रदेश	1730	4.56	1280726	0.26



राज्य	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
कर्नाटक	1745	4.60	2281832	0.47
तमिलनाडु	1757	4.63	1324023	0.27
केरल	345	0.91	256561	0.05
पश्चिम बंगाल	4239	11.17	3083382	0.63
पोर्ट ब्लेयर	6	0.02	1934	0.00
ओडिशा	286	0.75	178176	0.04
असम	170	0.45	113495	0.02
मेघालय	6	0.02	1707	0.00
मणिपुर	12	0.03	7365	0.00
त्रिपुरा	12	0.03	1917	0.00
बिहार	810	2.13	440604	0.09
अन्य	169	0.45	247907	0.05
कुल	37960	100.00	488950978	100.00

x. डिपॉजिटरी जिनके साथ कंपनी ने समझौता किया है:

नाम	आईएसआईएन कोड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)	INE449C01025
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)	INE449C01025

xi. कॉर्पोरेट पहचान संख्या:

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा आवंटित कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) है: L63090WB1919GOI003229

xii. डिपॉजिटरी शुल्क का भुगतान:

कंपनी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान एनएसडीएल और सीडीएसएल को कर दिया गया है।

xiii. 31 मार्च, 2023 तक डीमैटरियलाइज्ड और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या:

	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %
डीमैट फॉर्म:				
- एनएसडीएल में	465976136	95.30	14404	37.95
- सीडीएसएल में	22770536	4.66	22087	58.18
भौतिक रूप	204306	0.04	1469	3.87
कुल	488950978	100.00	37960	100.00

xiv. 31 मार्च, 2023 तक शेयरधारिता का वितरण:

होलडिंग्स का आकार		की संख्या शेयरों	शेयर पूंजी का प्रतिशत (%)	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का प्रतिशत (%)
से	को				
1	500	4504772	0.92	27067	71.31
501	1000	4410539	0.90	5044	13.29
1001	2000	4171434	0.85	2569	6.77
2001	5000	7081071	1.45	2043	5.38
5001	10000	5475380	1.12	700	1.84
10001	Above	463307782	94.76	537	1.41
कुल		488950978	100.00	37960	100.00



xv. 31 मार्च, 2023 तक शेयरधारिता पैटर्न:

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग्स का प्रतिशत (%)
केंद्र सरकार	436374630	89.25
वित्तीय संस्थानों	10765126	2.20
राष्ट्रीयकृत बैंक	17849	0.00
म्यूचुअल फंड्स	350	0.00
विदेशी संस्थागत निवेशक	77085	0.02
घरेलू कंपनियाँ	1429697	0.29
गैर-घरेलू कंपनियाँ	410	0.00
निवासी व्यक्ति	39902966	8.16
अनिवासी व्यक्ति (विदेशी राष्ट्रीय)	0	0.00
अनिवासी व्यक्ति (भारतीय)	382865	0.08
निदेशक और उनके रिश्तेदार	0	0.00
कुल	488950978	100.00

xvi. 31 मार्च, 2023 तक शीर्ष 10 शेयरधारकों की सूची :

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	होल्डिंग
1.	भारत के राष्ट्रपति	436374630
2.	विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष	10765076
3.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष	428145
4.	फिलिप सैमुएल	415000
5.	हिम्मत सिंह	400000
6.	पीएस भट्ट	273700
7.	यश पंकजकुमार विरवाडिया	250000
8.	नरपत सिंह	208620
9.	पी गिरिबाबू	200000
10.	कश्यप फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	167216

xvii. वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय कैलेंडर (अस्थायी):

तिमाही खत्म	का अनुमोदन / अंगीकरण	तब या पहले
पहली तिमाही - 30 जून, 2023	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 अगस्त 2023
दूसरी तिमाही - 30 सितंबर, 2023	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 नवंबर 2023
तीसरी तिमाही - 31 दिसंबर, 2023	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 फरवरी 2024
चौथी तिमाही - 31 मार्च, 2024	लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	30 मई, 2024
अगली वार्षिक आम बैठक		30 सितंबर 2024

नोट: उपरोक्त के अलावा, आवश्यकता पड़ने पर बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

xviii. बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया है।

xix. कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:

कंपनी कमोडिटी में काम नहीं कर रही है और विदेशी मुद्रा में सट्टा नहीं लगाती है, इसलिए कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और उसकी हेजिंग गतिविधियों से संबंधित किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

xx. दावा न किए गए लाभांश और शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) के प्रावधानों के अनुसार दूसरा संशोधन नियम, 2019, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई सभी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के साथ पढ़ें, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लावारिस लाभांश राशि के साथ लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक या लावारिस रहा है कंपनी द्वारा निर्धारित नियत तिथि के भीतर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सदस्य/ दावेदार जिनके शेयर या दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ डीमैट खाते या फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है, जैसा भी मामला हो, वे पात्रता पत्र जारी करने के लिए कंपनी से संपर्क करके शेयरों का दावा कर सकते हैं या धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं फॉर्म IEPF - 5 (<http://www.iepf.gov.in> पर उपलब्ध) में IEPF प्राधिकरण को आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ IEPF प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर तय किए गए अपेक्षित शुल्क के साथ।

निम्नलिखित वर्षों के लिए दावा न किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार IEPF में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे दावा न किए गए लाभांश का विवरण और संबंधित शेयरों के संबंध में विवरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं।

वित्तीय वर्ष	लाभांश की घोषणा की तिथि	कुल लाभांश (₹.)	दावा न किया गया लाभांश 31.03.2023 तक		आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि
			(₹.)	(%)	
2016-17	18 सितंबर 2017	4,88,95,097.80	125036.20	0.26	24 अक्टूबर 2024
2017-18	26 सितंबर 2018	1,95,58,039.12	44023.96	0.23	2 नवंबर, 2025

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभांश और शेयरों को उक्त फंड में स्थानांतरित करने से पहले वे दावा करें।

xxi. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश का प्रेषण:

कंपनी एनईसीएस (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस)/आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट)/एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से शेयरधारकों को लाभांश भेजने की सुविधा प्रदान करती है। शेयरधारक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के प्रेषण का विकल्प नहीं चुना है और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक विवरण प्रदान करना आवश्यक है। जिसमें उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) या कंपनी को एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) और आईएफएससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) शामिल हैं, जहां शेयर क्रमशः डीमैटरेयलाइज्ड फॉर्म और फिजिकल फॉर्म में रखे जाते हैं।

xxii. संयंत्र स्थान:

कंपनी के संयंत्र स्थित हैं -

- 16ए और बी, ब्लॉक "डी", कल्याणी, पश्चिम बंगाल,
 - 14, मयूरभंज रोड, कोलकाता - 700 023,
 - पी-25, ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, कोलकाता - 700 088, और
 - 5/346, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, पेरुंगुडी, चेन्नई - 600 096।
- कंपनी के चाय बागान पश्चिम बंगाल और असम में स्थित हैं।

xxiii. पत्राचार के लिए पता:

किसी अन्य मामले एवं अनसुलझे शिकायतों के लिए
कंपनी सचिव
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
"यूल हाउस", 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001
फ़ोन: (033) 2242 - 8210/8550; फ़ैक्स: (033) 2242 - 9770
ई-मेल: com.sec@andrewyule.com

xxiv. नामांकन सुविधा:

जो शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमति के अनुसार कंपनी में अपने शेयरों के संबंध में नामांकन करना/बदलना चाहते हैं, वे एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से निर्धारित फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।



xxv. क्रेडिट रेटिंग:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत एक पूर्ण-सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRISIL रेटिंग्स लिमिटेड ने दीर्घकालिक रेटिंग 'CRISIL BBB-/नकारात्मक' और अल्पकालिक रेटिंग 'CRISIL A3' रु. 155.00 करोड़ (रु. 125.00 करोड़ से बढ़ाकर) की बैंक ऋण सुविधाएं निर्धारित की हैं।

9. अन्य खुलासे

i. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ टकराव हो सकता है: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ, जो कंपनी के हितों के साथ टकराव में था।

ii. संबंधित पार्टि लेनदेन पर नीति: बोर्ड ने संबंधित पार्टि लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के निर्धारण के लिए एक संबंधित पार्टि लेनदेन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेब लिंक – http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Materiality_Related_Party_Transactions.pdf पर देखा जा सकता है।

iii. सूचीबद्ध इकाई द्वारा गैर-अनुपालन का विवरण: बीएसई लिमिटेड, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, ऑडिटर्स की रिपोर्ट, संपत्तियों और देनदारियों का विवरण, केश फ्लो स्टेटमेंट और ऑडिट योग्यताओं के प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करने में 1 (एक) दिन की देरी के कारण विनियमन 33 का अनुपालन न करने पर 5,900/- रुपये का जुर्माना लगाया था।

उपरोक्त के अलावा, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई है।

[नोट: कंपनी की बोर्ड बैठक, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई थी, कोलकाता के बाहरी इलाके में आयोजित किया गया था जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत खराब थी और बैठक के दौरान कम से कम 3-4 बार बिजली गुल हो गई थी।

बहुत खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण, हम बोर्ड बैठक के समापन से 30 मिनट की निर्धारित समय सीमा के भीतर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय परिणामों के केवल कुछ पृष्ठ ही अपलोड कर सके।

हालाँकि, अगले दिन हमने अपने पंजीकृत कार्यालय से बीएसई पोर्टल पर पूरा दस्तावेज़ अपलोड कर दिया।]

iv. अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुपालन किया है संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 के विनियम 17 से 27 और उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताएं, 28 जनवरी, 2023 से इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण, निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर।

v. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश: कंपनी निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है 28 जनवरी, 2023 से इसके बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारण। डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी ऐसी ही रेटिंग की उम्मीद कर रहा है।

vi. विजिल मैकेनिज्म व्हिसल ब्लोअर नीति: कंपनी के पास एक विजिल मैकेनिज्म व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसके तहत निदेशकों और कर्मचारियों को निर्धारित तरीके से वास्तविक चिंता के किसी भी मामले का खुलासा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। किसी भी कार्मिक को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है। पॉलिसी का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और इसे वेब लिंक –

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Vigil_Mechanism_Whistle_Blower_Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

vii. इनसाइडर ट्रेडिंग प्रथाओं की रोकथाम के लिए संहिता: सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी ने अंदरूनी सूत्रों/नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता अपनाई है और कंपनी की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए संहिता अपनाई है। सभी निदेशक, कर्मचारी और तीसरे पक्ष जैसे लेखा परीक्षक, सलाहकार आदि जिनकी कंपनी की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच हो सकती है, इस कोड द्वारा शासित होते हैं। कोड के अनुसार परिणामों की घोषणा और किसी भी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने के दौरान ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है।

इनसाइडर ट्रेडिंग पर आचार संहिता से संबंधित नीति कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबलिंक पर पोस्ट की गई है –

http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Code_Conduct_Regulated_Monitor_Report_Trading_Insiders.pdf

viii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं। खातों के नोट्स में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निर्धारित की गई हैं।

- ix. कंपनी द्वारा प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों और उसके अनुपालन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।
- x. पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई सार्वजनिक मुद्दे, सही मुद्दे या अन्य सार्वजनिक पेशकश नहीं हुई हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।
- xi. बोर्ड ने कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा की है और सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।
- xii. 31 मार्च, 2023 तक विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया गया है।
- xiii. इसकी पुष्टि करते हुए मेसर्स एस. दीपक एंड एसोसिएट्स, कंपनी (सी.पी. नं. 9131) से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है और प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- xiv. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जब बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार न की हो।
- xv. मेसर्स एस.के. बसु एंड कंपनी, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की सहायक कंपनियों को कोई सेवा प्रदान नहीं की है। कंपनी और/या उसकी सहायक कंपनियों ने नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसका वैधानिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, की संस्थाओं से, यदि कोई हो, किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठाया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी द्वारा समेकित आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान/देय शुल्क का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है।
- xvi. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासा:**
- a) 2022-23 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या: शून्य
- b) 2022-23 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य
- c) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य
- xvii. सत्यनिष्ठा समझौता: दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) कंपनी की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, ईमानदारी, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनी के सभी डिवीजनों में 3 करोड़ रुपये की सीमा मूल्य वाली सभी निविदाओं में आईपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा नामित किया गया है। वर्ष के दौरान, आईईएम के साथ 3 बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त सीमा मूल्य के आधार पर, प्रबंधन और ठेकेदार/विक्रेता के बीच विवाद निवारण के लिए मध्यस्थता के लिए एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, जिसे आईईएम को भेजा गया था और वर्ष के भीतर विचार-विमर्श किया गया था।
- xviii. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 'फर्मों/कंपनियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों की प्रकृति का खुलासा, जिसमें निदेशकों की रुचि है: विवरण वित्तीय विवरणों में प्रदान किए गए हैं।
- xix. वर्ष 2022-23 के दौरान सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट तरजीही आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया गया है।
- xx. डीमैट सस्पेंस खाते/दावा न किए गए सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण: लागू नहीं।
- xxi. सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख सहित: लागू नहीं।
- xxii. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30ए के अनुसार समझौतों का खुलासा: संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30ए के अनुसार ऐसे किसी समझौते का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

10. निवेशक सुरक्षा उपाय

शेयरों और संबंधित मामलों से निपटने के दौरान जोखिमों को कम करने/उनसे बचने के कंपनी के उद्देश्य की पूर्ति में, कंपनी की अपने सदस्यों को निम्नलिखित सिफारिशें हैं:

a) डीमैट खाता खोलें और अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करें

सदस्यों को अपनी भौतिक होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स में परिवर्तित करना चाहिए। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने से सदस्यों को शेयरों के तत्काल हस्तांतरण में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के हस्तांतरण पर कोई स्टॉप शुल्क देय नहीं है और जाली हस्तांतरण, नकली प्रमाणपत्र और खराब डिलीवरी जैसे भौतिक प्रमाणपत्रों से जुड़े जोखिमों से बचा जाता है।



b) अपने एकाधिक फोलियो को समेकित करें

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एकाधिक फोलियो के अंतर्गत रखी गई अपनी शेयरधारिता को समेकित करें। इससे शेयरों पर सभी कॉर्पोरेट लाभों की वन-स्टॉप ट्रेकिंग की सुविधा मिलती है और कई फोलियो की निगरानी के लिए आवश्यक समय और प्रयास कम हो जाएंगे।

c) सुरक्षा विवरण की गोपनीयता

फोलियो नंबर/डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी का खुलासा किसी भी अज्ञात व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित रिक्त स्थानांतरण विलेख, वितरण अनुदेश पत्रिकां किसी भी अज्ञात व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए।

d) पंजीकृत मध्यस्थों से निपटना

सदस्यों को एक पंजीकृत मध्यस्थ के माध्यम से लेनदेन करना चाहिए जो सेबी के नियामक अनुशासन के अधीन है, क्योंकि यह अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा, और यदि मध्यस्थ पेशेवर रूप से कार्य नहीं करता है, तो सदस्य सेबी के साथ मामला उठा सकते हैं।

e) प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित दस्तावेज़ प्राप्त करें

व्यापार के निष्पादन के 24 घंटे के भीतर ब्रोकर/सब-ब्रोकर से एक वैध अनुबंध नोट/पुष्टि ज्ञापन प्राप्त किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुबंध नोट/पुष्टि ज्ञापन में ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, ट्रेड समय, मात्रा, कीमत और ब्रोकरेज शामिल हो।

f) अपना पता अपडेट करें

सभी संचार और कॉर्पोरेट कार्रवाइयां तुरंत प्राप्त करने के लिए, कृपया कंपनी या डीपी, जैसा भी मामला हो, के साथ अपना पता अपडेट करें।

g) धोखाधड़ी की रोकथाम

निष्क्रिय पड़े फोलियो से संबंधित धोखाधड़ी वाले लेनदेन की संभावना है, जहां सदस्य या तो मर चुका है या विदेश चला गया है। इसलिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सावधानी बरतें और जब भी आवश्यकता हो, पते में किसी भी बदलाव, विदेश में रहने या किसी सदस्य के निधन के बारे में कंपनी को सूचित करें।

h) जोतों की नियमित रूप से निगरानी करें

अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। संबंधित डीपी से होल्डिंग्स का आवधिक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) डाक शुल्क का तरीका

शेयर प्रमाणपत्र और उच्च मूल्य वाले लाभांश वारंट/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट साधारण डाक से नहीं भेजे जाने चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि सदस्यों को ऐसे उपकरण पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजने चाहिए।

11. गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाना

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग-ई के तहत दी गई विवेकाधीन आवश्यकताओं को नहीं अपनाया है।

12. सीईओ/ सीएफओ से प्रमाण पत्र

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(8) के संदर्भ में कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र बोर्ड के समक्ष रखा गया है और इस रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया है।

13. कॉर्पोरेट प्रशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले मेसर्स एस. दीपक एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों (सी. पी. नंबर 9131) का एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कोलकाता,
7 अगस्त 2023

संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) के तहत कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

मैं, संजय भट्टाचार्य, एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इसकी पुष्टि करता हूँ निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

कोलकाता,
7 अगस्त 2023

संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

हम, श्री संजय भट्टाचार्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री राजिंदर सिंह मनकू, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को प्रमाणित करते हैं कि -

- A. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार है:
 - (1) इन बयानों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य बयान शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे बयान शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - (2) ये विवरण अपने नोट्स के साथ मिलकर कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- B. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।
- C. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है।
- D. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है -
 - (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - (2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा किया गया है; और
 - (3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में उन्हें जानकारी हो गई है और इसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो, शामिल है।

दिनांक: 29 मई, 2023

एसडी/-
(राजिंदर सिंह मनकू)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एसडी/-
(संजय भट्टाचार्य)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)
विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड ई के अनुसार]

सदस्यों को,
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा सी और डी में संशोधित रूप में निर्धारित किया गया है। समय-समय पर ("सेबी एलओडीआर") और इसके अन्य लागू नियम और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सेबी एलओडीआर और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी लागू शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:

- (i) निदेशक मंडल की संरचना (विनियम 17(1)(बी)) - इस विनियमन के अनुसार यदि अध्यक्ष कार्यकारी है तो निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे लेकिन 31.03.2023 तक कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक की कमी थी।
- (ii) वित्तीय परिणाम (विनियम 33) - इस विनियम के अनुसार सूचीबद्ध इकाई वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम, वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिनों के भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा योग्यता के प्रभाव पर विवरण के साथ प्रस्तुत करेगी, लेकिन बीएसई लिमिटेड ने साठ दिनों के भीतर वित्तीय वर्ष के अंत से ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट योग्यताओं के प्रभाव पर विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में एक (एक) दिन की देरी के कारण विनियमन 33 का अनुपालन न करने पर कंपनी पर 5900/- रुपये का जुर्माना लगाया।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 01.08.2023

एस. दीपक एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

सीएस दीपक स्वैन
मालिक
एसीएस-25625, सीपी नंबर 9131
यूडीआईएन - A025625E000715820
पीआर संख्या: 1581/2021



निदेशकों की अयोग्यता न होने का प्रमाण पत्र

(सेबी के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i)
(लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता, 2015) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड,
यूल हाउस,
8. डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणी, कोलकाता - 700001

हमने CIN: L63090WB1919GOI003229 और यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता – 700001 (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), में पंजीकृत कार्यालय वाले मेसर्स एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है।

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप-खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिए गए अनुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, या ऐसा कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री संजय भट्टाचार्य	07674268	13.04.2018
2.	श्री कोठेनाथ मोहन	08385809	11.03.2019
3.	श्री आदित्य कुमार घोष	09222808	01.07.2021
4.	श्रीमती नमिता देवी	07436235	02.11.2021
5.	श्री ओम प्रकाश मित्तल	00512243	02.11.2021
6.	श्री सुंदर पाल सिंह	09438081	16.12.2021
7.	श्री विजय मित्तल	09548096	28.03.2022
8.	श्री राजिंदर सिंह मनकू	09706881	18.08.2022

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन के साथ दक्षता या प्रभावशीलता ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस. दीपक एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

सीएस दीपक स्वैन
मालिक

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19.05.2023

एसीएस-25625, सीपी नंबर 9131
यूडीआईएन- A025625E000335792



**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए
स्टैंडअलोन IND-AS वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट**

हमने उस तारीख को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर 29 मई, 2023 (मूल रिपोर्ट) को एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत नीचे दिए गए बिंदु (i) में निपटाए गए मामले के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की टिप्पणियों के अनुसरण में, ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया गया है। तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण पर संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, हमने यह संशोधित रिपोर्ट जारी की है जो 29 मई, 2023 की हमारी मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है।

(i) "योग्य राय के आधार" में बिंदु संख्या 2 (सी)

(1.) योग्य राय

(1.) योग्य राय

हमने एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), का विवरण शामिल है। समाप्त वर्ष के लिए इकटिरी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह के विवरण, और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस रिपोर्ट में इसके बाद उल्लिखित "योग्य राय के लिए आधार" अनुभाग में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन आईएनडी एस वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी दें और 31 मार्च, 2023 उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि और अन्य व्यापक आय, इकटिरी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह तक कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य दें।

(2) योग्य राय का आधार

2(ए) देनदारों और लेनदारों से शेष पुष्टि प्रमाणपत्र और पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य के अभाव में, हम देनदारों और लेनदारों के शेष की शुद्धता और किए जाने वाले वास्तविक प्रावधान के बारे में एक राय बनाने में असमर्थ हैं। कंपनी के लाभ और हानि पर उपरोक्त का प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

कंपनी के पास उम्र के आधार पर प्राप्य राशि प्रदान करने की कोई नीति नहीं है। कंपनी के प्रत्येक डिवीजन में 36 महीने से अधिक समय से बकाया देनदार इस प्रकार हैं:

प्रभाग का नाम	31.3.23 को कुल प्राप्य (रुपये लाख में)।	36 महीने से अधिक की प्राप्य राशि (रुपये लाख में)	31.3.23 तक उपलब्ध प्रावधान (रुपये लाख में)
चाय प्रभाग	280.96	शून्य	8.39
इंजीनियरिंग प्रभाग	3992.83	892.56	329.36
इलेक्ट्रिकल चेन्नई	8287.65	413.22	514.95
सामान्य प्रभाग	106.48	32.48	शून्य
कुल	12,667.93	1,338.26	852.70

इसलिए हम कंपनी द्वारा किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2(बी) यह ऑडिट समिति की बैठक में हल किया गया था और निदेशक मंडल द्वारा 12 नवंबर, 2021 को आयोजित बैठक में पारित किया गया था कि संपूर्ण अप्रयुक्त स्टॉक और मशीनरी (स्टोर/ परिसंपत्ति में नहीं रखे गए किसी भी पुराने माल सहित) रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल डिवीजन का स्क्रेप एमएसटीसी के माध्यम से बेचा जाना है। हालाँकि, बेहिसाब माल, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए। यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है कि ऐसा सामान भौतिक सत्यापन से कैसे बच गया होगा और बेहिसाब रह गया होगा। ऐसे बेहिसाब स्टॉक में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10.76 लाख रुपये के मूल्य पर सामग्रियों का निपटान किया गया।

ऐसे बेहिसाब माल-सूची की मौजूदगी के कारण, हम यह राय देने की स्थिति में नहीं हैं कि विद्वत प्रभाग की पुस्तकों में माल-सूची का उचित मूल्य दर्ज किया गया है या नहीं। उपरोक्त के कारण कंपनी के लाभ या हानि पर प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2(सी) इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शुद्ध वहन राशि शुद्ध वहन मूल्य और उचित बाजार मूल्य के निचले स्तर पर पुनर्वर्गीकरण और निपटान के बाद इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता के संपत्ति संयंत्र और उपकरण में 534.49 लाख रुपये की राशि शामिल की गई है। पिछले

वर्ष इसे पहले "निपटान के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि उपरोक्त परिसंपत्तियों को बेचने का प्रबंधन का इरादा आज तक नहीं बदला गया है, हमारी राय में परिसंपत्ति को निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों में ही रहना चाहिए था और संपत्ति संयंत्र और उपकरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। यदि पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया होता, तो शुद्ध लाभ 22.42 लाख रुपये अधिक होता और संपत्ति का मूल्य 22.42 लाख रुपये अधिक होता।

हमने अपनी ऑडिटिंग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने आईसीएआई की आचार संहिता की आवश्यकता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

(3) पदार्थ का जोर:

अपनी ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किए बिना, हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- a आईटी प्रणाली ऑडिट की अनुपस्थिति में, लेखांकन/ परिचालन डेटा की सुरक्षा, आईटी आपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से डेटा की पुनर्प्राप्ति और डेटा ट्रांसफर के महत्वपूर्ण स्तरों पर मैनुअल हस्तक्षेप और समेकन के समय उच्च ऑडिट जोखिम होता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने खातों के रखरखाव के अनिवार्य हिस्से के रूप में "ऑडिट ट्रेल" की अवधारणा भी पेश की है और इसे 2023-24 से कंपनी की संपूर्ण लेखा प्रणाली को कवर करना चाहिए। कंपनी ने ऐसी सुविधाएँ केवल वित्तीय लेनदेन जैसे नकद/बैंक आदि के लिए पेश की हैं। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार संपूर्ण लेखा प्रणाली ऑडिट ट्रेल के तहत होनी चाहिए।
- b कंपनी के लीज डीड और टाइल डीड के रिकॉर्ड को बनाए रखने की प्रक्रिया में पर्याप्त नियंत्रण के अभाव से ऑडिट जोखिम बढ़ जाता है।
- c कंपनी के डिवीजनों ने कंपनी के ग्रेच्युटी फंड में कोई राशि का योगदान नहीं दिया है, जिसका उपयोग कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए 2306.95 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया जाता है।
- d वित्त वर्ष 2015-16 में पूर्ववर्ती बीआईएफआर द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार भारत सरकार के पीएफ विभाग से 42.97 लाख रुपये की रिफंड राशि लंबे समय से लंबित है। हालाँकि खातों में राशि का पूरा प्रावधान कर दिया गया है।
- e तीन चाय बागानों अर्थात् बानरहाट, चूनाभुट्टी और हरतालगुरी-3 (न्यू डुआर्स के) के लीज समझौते को लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय बागानों के पट्टे के नवीनीकरण के लिए 177.66 लाख रुपये (पीवाई-177.66 लाख रुपये) की मांगी गई सलामी को कंपनी द्वारा "दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया" माना जाता है। मामले को तुरंत हल किया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी के संचालन के तहत चाय बागानों के स्वामित्व पर विवाद करता है। ब्रेंटफोर्ड यूनिट की प्लेट बी को 1 अक्टूबर, 2021 को मकान मालिक - श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (तत्कालीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) को सौंप दिया गया है और पट्टे के नवीनीकरण और देय ब्याज के निर्धारण के बाद प्लेट ए को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (तत्कालीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। लीज रेंट का भुगतान कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
- f इंजीनियरिंग प्रभाग में दो निष्क्रिय बैंक खाते हैं जिनमें 0.07 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इन खातों को बंद करना चाहिए।
- g कंपनी द्वारा रखी गई कुछ संपत्तियों की वर्तमान नगरपालिका कर रसीदें हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराई गईं।
- h कंपनी के सभी प्रभागों में पुराने बकाया अग्रिम पड़े हुए हैं जिनका समायोजन नहीं हुआ है। "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के तहत कुल 4425.39 लाख रुपये की राशि व्यय के विभिन्न मदों के तहत अग्रिम के रूप में दी गई है, जिसके विरुद्ध केवल 366.67 लाख रुपये की संदिग्ध अग्रिम राशि का प्रावधान मौजूद है (54.61 लाख रुपये के नए प्रावधान सहित)। इन अग्रिमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - प्रीपेड खर्च, जिन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए।
 - सभी प्रभागों के कर्मचारियों को "ग्रेच्युटी के कारण दिया गया अग्रिम" रु. 762.79 लाख एलआईसी से वसूली न होने के कारण असमायोजित है।
- i कंपनी के पास WEBFIL में 54.28 लाख रुपये (NAV) मूल्य के 4,15,000 इक्विटी शेयर हैं। इसके पास 10/- रुपये के 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर भी हैं, जिनमें से प्रत्येक सममूल्य पर 153.30 लाख रुपये (मूल मूल्य 204.40 लाख रुपये) पर पूर्ण भुगतान किया गया है जिसे वर्ष के दौरान भुनाया गया है और असुरक्षित प्रतिदेय परिवर्तनीय बांड 295.00 लाख रुपये (मूल मूल्य 305.00 लाख रुपये) है जिसे क्रमशः 1.4.21 और 20.12.21 को भुनाया जाना था। आज तक कुल 295 लाख रुपये बकाया है।



WEBFIL ने वरीयता शेरों पर लाभांश और मूलधन के आंशिक भुगतान के लिए 20.04.2022 को 160 लाख रुपये की राशि और अप्रैल 2023 में 110 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है। WEBFIL ने देय शेष राशि के लिए एक पुनर्भुगतान अनुसूची प्रस्तुत की है।

भुगतान के स्थगन के कारण अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का कोई मूल्यांकन कंपनी द्वारा नहीं किया गया है और कोई परिणामी प्रावधान नहीं बनाया

- j चाय प्रभाग में, बिल प्राप्य राशि 155.65 लाख रुपये है जिसमें 42.01 लाख रुपये की प्राप्य सब्सिडी, 61.86 लाख रुपये की बिजली शुल्क शामिल है (पहले से ही प्रदान किया गया है) और विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों से पैकेट चाय सहित अन्य प्राप्य राशि रु. 19.76 लाख एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है। कंपनी 31.91 लाख रुपये की ब्रोकरेज राशि पर टीडीएस वसूल नहीं कर सकी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 और इससे पहले के वर्षों से संबंधित बिलों में शामिल है।
- k कंपनी के प्रभागों के मामले में पीएफ, डीएलआई और पीएफ प्रशासन शुल्क जमा करने में देरी हुई। मार्च 2023 का बकाया रिपोर्ट की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है।
एमआईएम चाय बागान में एक कर्मचारी के मामले में, पीएफ काटा गया है लेकिन जून 2022 से जमा नहीं किया जा सका क्योंकि आधार और पीएफ रिकॉर्ड के बीच जन्म तिथि में विसंगतियों के कारण पीएफ कार्यालय द्वारा यूएन नंबर प्रदान नहीं किया जा सका।
ऐसे मामलों का फॉलोअप कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए।
- l चाय प्रभाग हमारे सत्यापन के लिए हमें 98.01 लाख रुपये (पश्चिम बंगाल गार्डन-15.66 लाख रुपये और असम गार्डन-82.35 लाख रुपये) की सुरक्षा जमा राशि की मूल रसीदें प्रदान नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में पुनर्प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है।
- m कंपनी के पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए गठित ट्रस्ट का कोई लेखा-जोखा और ऑडिट रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- n चाय प्रभाग ने पश्चिम बंगाल में दो बागानों के मामले में वित्तीय वर्ष 2018-19 और उससे पहले के अवैतनिक बोनस की राशि 1.10 लाख रुपये श्रम कल्याण कोष में जमा नहीं की है।
- o चाय प्रभाग के संपत्ति रजिस्टर में यह पाया गया कि कुछ संपत्तियों को गलत शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति शीर्षों से मेल नहीं खाती है। कुछ मामलों में संपत्तियों का जीवन उनके साथ मेल नहीं खाता है। प्लांट और मशीनरी को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में दिए गए जीवन, जहां विभिन्न जीवन दिखाने वाली एक तकनीकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है। कुछ मामलों में पुरानी अचल संपत्तियों का शेष जीवन गलत तरीके से लिया गया है।
हमने पाया कि प्लांट एवं मशीनरी और फर्नीचर एवं फिक्स्चर की कई वस्तुओं के नाम/प्रकृति निर्दिष्ट नहीं किए जा रहे थे। इन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व, भौतिक स्थिति और वसूली योग्य मूल्य संदेह में है। दूसरी ओर, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो गार्डन में बनाए गए मैनुअल अचल संपत्ति रजिस्टर में शामिल हैं लेकिन प्रधान कार्यालय के रिकॉर्ड में पहचान योग्य नहीं हैं।
प्रधान कार्यालय कम्प्यूटरकृत अचल संपत्ति रजिस्टर रखता है जबकि टी गार्डन मैनुअल अचल संपत्ति रजिस्टर रखता है। सैंपल के आधार पर देखा गया कि ये दोनों रजिस्टर एक-दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं।
हमारे सामने ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें प्रधान कार्यालय रिकॉर्ड में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मूल्यहास की दर गलत तरीके से लागू की गई।
हमने पाया कि केवल कुछ बागानों ने संपत्तियों की पहचान क्षतिग्रस्त/अस्तित्वहीन के रूप में की है, जबकि अन्य ने ठीक से काम नहीं किया है। परिणामस्वरूप कंपनी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त घोषित नहीं कर सकी और उन परिसंपत्तियों के खातों में हानि हानि की गणना नहीं की जा सकी। हमने पाया कि पश्चिम बंगाल में कर्बला गार्डन के मामले में ठेकेदारों ने कुछ इमारतों के सामान्य मरम्मत कार्य के लिए 8.39 लाख रुपये के बिल प्रदान किए हैं, जिन्हें गलत तरीके से पूंजीकृत किया गया है।
- p चाय प्रभाग के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के मामले में 31.03.2023 को लगभग एक वर्ष से 57.66 लाख रुपये की राशि समापन शेष के रूप में पड़ी हुई है। प्रबंधन की ओर से हमें बताया गया है कि फंड की कमी के कारण काम पूरा नहीं हो सका है।
- q यूटीआई म्यूचुअल फंड के तीन फोलियो में से एक फोलियो के मामले में कंपनी के पैर के अभाव में 20% टीडीएस काटा गया है। चूंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के पैर के बिना टीडीएस जमा कर रहा है, बाद वाला उक्त टीडीएस की राशि 41,001/- रुपये का क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएगा।
- r इलेक्ट्रिकल डिभिजन, चेन्नई परिचालन में 334.41 लाख रुपये मूल्य की इन्वेंटरी में से 44.66 लाख रुपये की राशि तीन साल से अधिक पुरानी है, लेकिन स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान केवल 12.07 लाख रुपये के लिए है।
- s असम बागानों के कर्मचारियों द्वारा किया गया 7.02 लाख रुपये का व्यक्तिगत योगदान चाय उद्योग में अभ्यास के अनुसार "जमा" में शामिल किया गया है, जिसे इस मद के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी की ओर से देय नहीं है।

- t चाय प्रभाग में, भूमि की तैयारी के लिए अग्रिम राशि रु. 681.69 लाख को पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए तथा विभिन्न वर्षों में दिए गए अग्रिम (उद्यान) में शामिल चाय नर्सरी पर व्यय 663.45 लाख रुपए तथा शोड नर्सरी पर 154.06 लाख रुपए को प्रबंधन के असमर्थ होने के कारण पूंजी एवं राजस्व में विभाजित नहीं किया गया है। पूंजीकृत किए जाने वाले हिस्से की पहचान करें। (खातों के नोट संख्या 62 के अनुसार
- u इंजीनियरिंग डिवीजन के मामले में, अप्रचलित WIP स्टॉक के लिए 2018 में किए गए प्रावधान के उलट परिचालन लाभ में 20.00 लाख रुपये की वृद्धि हुई है और इसे "अन्य परिचालन आय" के तहत "ऑपरेशन से राजस्व" में दिखाया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिवीजन के मामले में, परिचालन लाभ में 51.06 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, देनदारियों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी राय में इसे "अन्य आय" के रूप में माना जाना चाहिए।
- v चाय प्रभाग के स्टोर्स के मामले में, 987.68 लाख रुपये की खपत मूल्य वाली 5074 वस्तुओं में 31 मार्च, 2023 तक कोई अंतिम स्टॉक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन रुक सकता है और अंततः कंपनी को लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। 2621 वस्तुओं के मामले में जिनका शुरुआती स्टॉक मूल्य रु. 01.04.2022 तक 254.91 लाख में पूरे वित्तीय वर्ष में कोई हलचल नहीं हुई। ऐसी कई वस्तुएं हो सकती हैं जो लंबे समय तक चलनहीन स्थिति में रहें, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुएं अप्रचलित हो जाएंगी और कार्यशील पूंजी की हानि होगी।
- w AYCL की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव है और बंद करने का प्रस्ताव 4 जनवरी, 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
- x दुकानों और पुर्जों तथा अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का दायरा और कवरेज पर्याप्त नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- y वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटीहॉस्पिटल लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 08.08.22 के माध्यम से सूचित किया कि ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड द्वारा जारी 7,400/- रुपये के परिवर्तनीय डिबेंचर के रूपांतरण के बदले में 10/- रुपये अंकित मूल्य के 740 नो इक्विटी शेयर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वुडलैंड्स मेडिकल सेंटर और वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के बीच एकीकरण का आदेश कंपनी को जारी कर दिया गया है।
ये शेयर लिस्टेड नहीं हैं। इसलिए कंपनी ने MSTC के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली द्वारा 2021-22 में कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों के मूल्य के आधार पर प्रत्येक शेयर का मूल्य 905/- रुपये रखा है।

(4) समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

कंपनी का निदेशक मंडल जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। हमें आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(5) Key Audit matters

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों में एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को इस रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
A.	राजस्व मान्यता माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व (बाद में राजस्व के रूप में संदर्भित) को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को दिए जाते हैं। वस्तु की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्रायः प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न या भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व पहचान का समय कंपनी के रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक है। प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए राजस्व एक प्रमुख उपाय है। नियंत्रण हस्तांतरित होने से पहले राजस्व दर्ज किए जाने का जोखिम है।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: IND AS 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) के अनुरूप कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों का मूल्यांकन किया गया और उसका परीक्षण किया गया; सामान्य सूचना और प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण की अखंडता का मूल्यांकन किया गया और राजस्व की पहचान पर नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। राजस्व पहचान के संबंध में कंपनी के नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।



		<p>वर्ष के अंत में राजस्व कटौती पर ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। वर्ष के अंत के करीब और वर्ष के अंत के बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए बिक्री लेनदेन के लिए नमूना आधार पर सहायक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जहां उपयुक्त हो, चक्रीय प्रवृत्तियों के साथ राजस्व की तुलना की, आगे की पूछताछ और परीक्षण किया। आईएनडी एस 115 में निर्दिष्ट अनुसार राजस्व के संबंध में वित्तीय विवरणों में मूल्यांकन किए गए खुलासे।</p>
<p>B.</p>	<p>प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिनके अंतिम परिणाम की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियां हो सकती हैं। आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुकदमेबाजी से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है। इसमें शामिल राशियाँ और राशि निर्धारित करने के लिए लेखांकन मानकों का अनुप्रयोग यदि कोई दायित्व के रूप में प्रदान किया जाना है या आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है। इसके लिए प्रावधान के स्तर को स्थापित करने के लिए निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है, इससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों को उचित रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है या पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, यह मामला एक प्रमुख ऑडिट मामला माना जाता है।</p>	<p>मुकदमेबाजी और आकस्मिक देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हमने कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ा। हम, जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह पढ़ते हैं। हमने किसी भी देनदारी की संभावना, परिमाण और लेखांकन के बारे में कंपनी के आकलन को निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम के साथ चर्चा की। उपरोक्त के प्रकाश में, हमने दर्ज प्रावधानों की मात्रा की समीक्षा की और एकल आईएनडी एस वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया।</p>

(6) एकल आईएनडी-एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जो इनके शासन क्रियाकलाप में हैं उनकी जिम्मेदारी:

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इकिटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू होता है, चिंता से संबंधित मामले का खुलासा करना और लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

(7) वित्तीय विवरणों के रूप में एकल आईएनडी की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल आईएनडी एस वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षण हमेशा मौजूद होने पर एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें इन आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

हमारे लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में, एएस के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक भौतिक गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (आई) के तहत हम इस बात पर राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

लेखांकन के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी राय को संशोधित करने के लिए आईएनडी एस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण पर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक सतत चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

प्रकटीकरण सहित आईएनडी एस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और क्या आईएनडी एस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने लेखा परीक्षण के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

(8) अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा आवश्यक रूप से, हम अनुलग्नक "क" में आदेश के पैराग्राफ 3 (xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक विवरण देते हैं।
- (2) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (a) विषय अनुच्छेद पर जोर देने में हमारी टिप्पणियों के साथ पढ़ें, हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त की है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - (b) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही-खाते कंपनी द्वारा रखे गए हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई इकाइयों से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं।
 - (c) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय विवरणों सहित लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाहों का विवरण वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखे गए बही-खातों के अनुरूप हैं, बशर्ते कि इस रिपोर्ट में कहीं और मामले की हमारी योग्यता/जोर दिया गया हो।
 - (d) हमारी राय में, उपर्युक्त आईएनडी एस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिदष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है, बशर्ते कि इस रिपोर्ट में कहीं और मामले की हमारी योग्यता/जोर दिया गया हो।
 - (e) निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164 (2) दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर.463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।
 - (f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक ख में देखें।
 - (g) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निदेशों के अनुसार सूचित किए जाने वाले अपेक्षित मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक ग में देखें।
 - (h) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - (i) कंपनी ने अपने आईएनडी एस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 40 देखें;



- (ii) कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं की है जिसके लिए निकट भविष्य में नुकसान हुआ था।
- (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।
- (iv) विनिदष्ट बैंक नोटों में लेन-देन से संबंधित खंड को हटा दिया गया है।
- (v) (i) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोटों में बताया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं में कोई धनराशि अग्रिम या उधार नहीं दी गई है या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") को इस समझ के साथ शामिल किया गया है कि मध्यस्थ चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान की गई है;
- (ii) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में प्रकट किए गए नोटों के अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि ऐसी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगी। फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करना; और
- (iii) परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदनों में कोई सामग्री गलत विवरण है।
- (vi) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।
- (vii) लेखा परीक्षा टूल की रिकॉर्डिंग से संबंधित खंड चालू वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं है।
- (i) हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, धारा 197 (16) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता
तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)
पार्टनर
(एमएन: 053225)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)

स्वतंत्र स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-A:

कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैरा 8(1) में संदर्भित:

- (i) a) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालाँकि अधिकांश मामलों में प्रत्येक परिसंपत्ति की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है और प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर की कुछ वस्तुओं की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।
 (B) कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है।
 (b) कंपनी की चरणबद्ध तरीके से अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने की नीति है ताकि तीन साल की अवधि में अचल संपत्तियों की प्रत्येक वस्तु को कवर किया जा सके और इस तरह के सत्यापन पर किसी भी महत्वपूर्ण विसंगति का कोई सबूत नहीं मिला। हालाँकि, उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन की कोई निर्धारित प्रक्रिया हमें उपलब्ध नहीं कराई गई थी। कंपनी ने भौतिक सत्यापन के सबूत के रूप में संपत्ति रजिस्ट्रों की हस्ताक्षरित प्रतियां प्रदान कीं, जो हमारी राय में कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं थीं।
 (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी एक पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में खुलासा कंपनी के नाम पर है। कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	सकल मूल्य (लाख रुपये)	जिसके नाम पर आयोजित है:	चाहे प्रवर्तक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हों	आयोजित अवधि- जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि कोई विवाद हो तो बताएं)
1.मिंटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नंबर 6बी---13, डेबेन-द्रलाल खान रोड, कोलकाता-27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिंटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसायटी के नियम
2. मिंटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नं.9बी---13, डेबेन-द्रलाल खान रोड, कोलकाता-27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिंटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसायटी के नियम
3.मणि टावर गेस्ट हाउस फ्लैट नंबर 11, कोलकाता -38	1217.40 वर्ग फुट	0.29	टाइटल डीड नहीं उपलब्ध	शून्य	1993 से	केवल विकास समझौता है
4. बुडलैंड्स सिंडिकेट, 8/7 अलीपुर रोड, फ्लैट नंबर 12, कोलकाता-700027	3260.40 वर्ग फुट	2.35	मेसर्स चितपोर-गोलाबारी कंपनी प्रा.लि. के नाम पर निष्पादित बिक्री विलेख।	शून्य	1921 से	डलहौजी होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर भुगतान किया गया कर।

- (d) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (e) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (ii) (a) हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, प्रबंधन द्वारा तैयार माल, कच्चे माल और स्टोर और स्पेयर की सूची का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया गया है, और हमारी राय में इसका दायरा और कवरेज ऐसे सत्यापन में सुधार की आवश्यकता है। हमने देखा कि हमें प्रदान की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार भौतिक स्टॉक और बुक स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं हैं।
 (b) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा और त्रैमासिक रिटर्न या विवरणों के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्ष की चौथी तिमाही के लिए कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर किए गए विवरण आम तौर पर कंपनी के खातों की किताबों के अनुरूप होते हैं। पिछली तीन तिमाहियों के रिटर्न हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे।



(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं।

(a) कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदान किए हैं:

(A) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को प्रदान की गई राशि: राशि:

सहायक कंपनी का नाम	1.4.22 को प्रारंभिक शेष (₹.)	वर्ष के दौरान कुल राशि (₹.)	31.03.2023 को समापन शेष (₹.)	ब्याज की दर
यूल इलेक्ट्रिकल	5.19	0.48	5.67	शून्य
यूल इंजीनियरिंग	3.69	0.53	4.22	शून्य
संयुक्त उद्यमों का नाम				
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सहयोगियों का नाम				
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(B) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को प्रदान की गई राशि:

पार्टी का नाम	1.4.22 को प्रारंभिक शेष (₹.)	वर्ष के दौरान कुल राशि (₹.)	31.03.2023 को समापन शेष (₹.)	ब्याज की दर
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और प्रदान किए गए ऋण और गारंटी की प्रकृति में सभी ऋणों और अग्रिमों के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

(c) ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के संबंध में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है और पुनर्भुगतान या रसीदें नहीं की जाती हैं क्योंकि वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100% सहायक कंपनियों को ऋण प्रदान किया जाता है।

(d) उपरोक्त © में दिए गए कारण के कारण ऋण न तो अतिदेय हैं और न ही कंपनी ने मूलधन की वसूली के लिए कोई कदम उठाया है।

(e) समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया है।

(f) कंपनी ने या तो मांग पर चुकाने योग्य या ऐसे पुनर्भुगतान की शर्तों और अवधि को निर्दिष्ट किए बिना ऋण या अग्रिम राशि दी है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

पार्टी का नाम	कुल राशि (लाख रुपये) कुल दिये गये ऋण का प्रतिशत	प्रमोटरों को दिए गए ऋण	संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण (लाख ₹.)	टिप्पणी
यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	5.67 (58%)	—	5.67	लेखापरीक्षा शुल्क, भरने की फीस जैसी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार खर्चों को पूरा करने के लिए 100% सहायक कंपनी को ऋण प्रदान किया जाता है, इसलिए ऐसे ऋण की प्रकृति में पुनर्भुगतान अनुसूची या ब्याज दर शामिल नहीं होती है
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	4.22 (42%)	—	4.22	उपरोक्त

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड और खाते बनाए रखे जाते हैं।

(vii) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के पास कोई अन्य वैधानिक बकाया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, रुपये की निर्विवाद

राशि को छोड़कर, ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं थी जो वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी। ग्रेच्युटी के संबंध में 2306.95 लाख रुपये यूल ग्रुप ग्रेच्युटी फंड (ट्रस्ट) में जमा किए जाएंगे।

(b) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी ने उचित अधिकारियों के साथ विवादों के कारण निम्नलिखित बकाया राशि जमा नहीं की है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपये)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां राशि लंबित है।
आयकर अधिनियम	दंड	4.65	2004-05	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम	आयकर	1906.46	2010-11 से 2014-15 तक	एनसीएलटी और सीआईटी (अपील)
डब्ल्यूबी बिक्री कर और वैट	पश्चिम बंगाल बिक्री कर एवं वैट	1794.35	1979-80 से 2017-18 तक -470.19 लाख रुपये 1973-74 से 2003-04-366.79 लाख रु 1985-86 से 2003-04-रु.908.04 लाख 1980-81 से 1984-85- 49.33 लाख रुपये	डब्ल्यूबी वाणिज्यिक कर अपीलीय एवं पुनरीक्षण बोर्ड पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल कलकत्ता उच्च न्यायालय एसओडी
असम बिक्री कर और वैट	असम बिक्री कर और वैट	152.93	1996-97 से 1998-99- 152.93 लाख रुपये	अपीलीय प्राधिकारी राजस्व मंडल
उड़ीसा बिक्री कर और वैट	उड़ीसा बिक्री कर और वैट	111.88	1999-2000 - 106.24 लाख रु. 2001-02-5.64 लाख रु	अपीलीय प्राधिकारी न्यायाधिकरण, कटक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी बेरहाम्पर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	513.59	1996-97 से 2009-10-331.98 लाख रु 2013-14 से 2016-17-181.61 लाख रु	सेसटैट से अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
	कुल	4483.86		

- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं था जो खाते की किताबों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।
- (ix) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य ऋणदाता को बकाया भुगतान में चूक नहीं की है।
(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण शब्द का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया है।
(d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
(e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
(f) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है।
- (x) (a) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या ऋण उपकरणों सहित आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।
(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- (xi) (a) निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई, नोटिस की गई या रिपोर्ट की गई।



- (b) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 12 के तहत कोई रिपोर्ट ऑडिटर्स द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है;
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान ऐसी कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, खंड (xii)(a), (b) और (c) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और विवरण आईएनडी-एस द्वारा आवश्यक एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 43 में खुलासा किया गया है।
- (xiv) (a) कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;
(b) अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विचार किया गया था।
- (xv) निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- (xvi) (a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आई ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की है।
(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक मुख्य निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।
(d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार यह खंड लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी को वर्ष के दौरान या ठीक पिछले वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है।
- (xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखा परीक्षक के ज्ञान के आधार पर लेखा परीक्षक की राय है लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालाँकि, धन की कमी के कारण कंपनी वेतन और भविष्य निधि जैसी वित्तीय देनदारियों का समय पर भुगतान करने में असमर्थ है।
- (xx) (a) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के तहत कोई राशि देय नहीं मानी गई है। इसलिए सीएसआरओ 2020 के इस खंड xx (a) में कंपनी को उपधारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में खर्च न की गई राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम की धारा 135 चालू वर्ष के लिए लागू नहीं है।
(b) उपर्युक्त खंड (xx) (a) में दिए गए कारण के कारण चालू वर्ष में उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अंतर्गत खर्च न की गई किसी राशि को किसी विशेष खाते में अंतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (xxi) सीएसआरओ का यह खंड (XXI) एकल वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता

तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)

पार्टनर

(एमएन: 053225)

(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक B

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 8(2)(एफ) में संदर्भित:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

- (1) हमने 31 मार्च, 2023 तक एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोजन है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- (2) निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- (3) हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट्स के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था, यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।
- (4) हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।
- (5) हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- (6) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए आईएनडी एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आईएनडी एस वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका आईएनडी एस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

- (7) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें राय की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का

अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण खराब हो सकता है

मत

- (8) हमारे लेखा परीक्षण और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, और नीचे दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन:
- प्रभागों, इकाइयों और उद्यानों से वित्तीय डेटा का प्रवाह प्रधान कार्यालय खातों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत नहीं है। इसमें लेखांकन के विभिन्न चरणों में मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल है।
 - आईटी सामान्य नियंत्रण और कर्तव्यों के पृथक्करण के दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान के लिए उचित विवरण के साथ उचित रखरखाव और रिकॉर्ड के सटीक प्रतिबिंब के बारे में उचित आश्वासन नहीं देती है।
 - कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत के बाद से, आईटी सिस्टम ऑडिट नहीं किया गया है। हमने कुछ विसंगतियां इस प्रकार देखीं:- असम में राजगढ़ चाय बागान के मामले में, उद्यान प्रणाली में उपलब्ध आरजी-1 रजिस्टर/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा के साथ प्रेषण के समय भेजे गए और मुद्रित किए गए कर चालान मात्रा के बीच कुछ अंतर उत्पन्न हुए। गार्डन की ओर से किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से इनकार किया गया है।
 - आईटी आपदा पुनर्प्राप्ति योजना को परिभाषित नहीं किया गया है।
 - कंपनी ने अधिकांश मामलों में विविध देनदारों और लेनदारों से शेष पृष्टि प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।
 - चिकित्सा बिलों के भुगतान के समय, कंपनी के नियम संख्या 6 के अनुसार डॉक्टर का नुस्खा प्रदान करना, कुछ मामलों में 6 का पालन नहीं किया जाता है।
 - चाय की बिक्री की ब्रोकरेज पर कर से पहले बिक्री मूल्य का 1% शुल्क लिया जाता है। चाय प्रभाग (फसल पुस्तिका) की बिक्री रिकॉर्ड करने का कार्यक्रम फसल पुस्तिका में ब्रोकरेज की भ्रामक तस्वीर देता है और ब्रोकरेज भुगतान के उद्देश्य से इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें सूचित किया गया कि ब्रोकरेज और अन्य शुल्क टी बोर्ड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप ब्रोकरेज राशि अलग से दिखाई जाती है।
 - चाय प्रभाग में खर्चों एवं देनदारियों को रिकार्ड करने एवं प्रावधान बनाने की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।
 - कंपनी के सभी डिवीजनों में पुराने बकाया अग्रिम पड़े हैं, जिन्हें जांच के बाद समायोजित किया जाना चाहिए। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है।
 - भविष्य निधि के लिए लेखांकन - असम गार्डन के मामले में, पीएफ, डीएलआई और प्रशासन शुल्क को "पीएफ सुलह जमा" शीर्षक के तहत दिखाया जा रहा है, जो बंगाल गार्डन द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रणाली से मेल खाता है जहां इन वस्तुओं को विभिन्न शीर्षकों के तहत दिखाया गया है। सभी उद्यानों में एक समान व्यवस्था अपनाई जाए।
 - चाय प्रभाग के संपत्ति रजिस्टर में यह पाया गया कि कुछ संपत्तियों को गलत शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति शीर्षों से मेल नहीं खाती है। कुछ मामलों में संपत्तियों का जीवन उनके साथ मेल नहीं खाता है। प्लांट और मशीनरी को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में दिए गए जीवन, जहां विभिन्न जीवन दिखाने वाली एक तकनीकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है। कुछ मामलों में पुरानी अचल संपत्तियों का शेष जीवन गलत तरीके से लिया गया है। हमने पाया कि प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर की कई वस्तुओं के नाम/प्रकृति निर्दिष्ट नहीं किए जा रहे थे। इन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व, भौतिक स्थिति और वसूली योग्य मूल्य संदेह में है। दूसरी ओर, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो गार्डन में बनाए गए मैन्युअल अचल संपत्ति रजिस्टर में शामिल हैं लेकिन प्रधान कार्यालय के रिकॉर्ड में पहचान योग्य नहीं हैं। प्रधान कार्यालय कम्प्यूटरीकृत अचल संपत्ति रजिस्टर रखता है जबकि टी गार्डन मैन्युअल अचल संपत्ति रजिस्टर रखता है। सैंपल के आधार पर देखा गया कि ये दोनों रजिस्टर एक-दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। हमारे सामने ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें प्रधान कार्यालय रिकॉर्ड में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मूल्यहास की दर गलत तरीके से लागू की गई। हमने पाया कि केवल कुछ बागानों ने संपत्तियों की पहचान क्षतिग्रस्त/अस्तित्वहीन के रूप में की है, जबकि अन्य ने ठीक से काम नहीं किया है। परिणामस्वरूप कंपनी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त घोषित नहीं कर सकी और उन परिसंपत्तियों के खातों में हानि हानि की गणना नहीं की जा सकी।

- l) सामान्य प्रभाग में नकद भुगतान लेनदेन के आंतरिक नियंत्रण में निम्न प्रकार की कमियाँ मौजूद हैं: श्री गोपाल दास, अधिकारी (ओएल और एचआर), बामर लॉरी लिमिटेड को उनकी पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए मानदेय के रूप में दिनांक 20.10.2022 के नोट शीट के माध्यम से भुगतान के लिए 2500.00 रुपये स्वीकृत किए गए थे। हिंदी अनुवादक के साक्षात्कार में "बाहरी विशेषज्ञ" के रूप में। उक्त राशि का भुगतान वाउचर नंबर जी-सीएचएच00665-22- द्वारा एक कर्मचारी शताब्दी रॉय को किया गया था, एक नोट शीट को 02.01.2023 को मंजूरी दी गई थी जिसमें उक्त गोपाल दास द्वारा 2500.00 रुपये स्वीकार करने में असमर्थता का विवरण दिया गया था। उक्त नकदी वाउचर संख्या जी-सीएचएच01033- दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से वापस कर दी गई थी। उक्त राशि गैर-पात्र व्यक्ति द्वारा तीन महीने से अधिक समय तक रखी गई थी।
- m) सामान्य प्रभाग में, वाउचर कालानुक्रमिक रूप से क्रमांकित नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए; (i) यदि आदाता द्वारा 90 दिनों के भीतर चेक प्रस्तुत नहीं किया जाता है और आदाता नए चेक के लिए संपर्क करता है, तो रिवर्स करने की तिथि पर, बैंक द्वारा डेबिट करने और आदाता को जमा करने पर कोई दायित्व नहीं बनता है, लेकिन एक नया चेक जारी किया जाता है। मूल वाउचर में चेक संख्या और जारी करने की तारीख को संशोधित करना। परिणामस्वरूप वाउचर एक तिमाही से दूसरी तिमाही में स्थानांतरित हो जाता है। यदि जारी किया गया चेक रद्द कर दिया जाता है और अगली तिमाही में चेक नंबर, दिनांक और जारी करने की तारीख को संपादित करके लेकिन पुराने वाउचर नंबर का उपयोग करके फिर से जारी किया जाता है तो वही दृष्टिकोण अपनाया जाता है (ii) पार्टियों द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रेषण, एफडी का ब्याज, अंतरकंपनी प्रेषण, टीडब्लूओएल से प्रेषण भुगतानकर्ता द्वारा सीधे बैंक में भेजे जाते हैं और विभाग को अगले महीने में पता चलता है जब उसे बैंक विवरण प्राप्त होता है। विभाग को बैंक स्टेटमेंट की प्राप्ति की तारीख पर एक वाउचर नंबर उपलब्ध होता है और पिछले महीने की पास शीट में दर्ज किया जाता है। (iii) किसी भी व्यय के अनुमोदन की तिथि पर कोई दायित्व नहीं बनता है, लेकिन अनुमोदन की तिथि पर सिस्टम से एक वाउचर नंबर निर्धारित किया जाता है और भुगतान की तिथि पर उक्त वाउचर नंबर का उपयोग किया जाता है।
- n) यह देखा गया है कि कुछ मामलों में असम के राजगढ़ और तिनखोंग चाय बागानों में फैक्ट्री के अनुसार चाय की पत्तियों का वजन बागानों में तौली गई चाय की पत्तियों से अधिक है। वजन में अंतर का कारण हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका।

हम रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इसके आकार, विविधता और संचालन की जटिलता के संबंध में अपर्याप्त है, जैसा कि मार्गदर्शन नोट में कहा गया है। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण। ये टिप्पणियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता
तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)
पार्टनर
(एमएन: 053225)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक C

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी के निर्देश।

ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों में पूछे गए सवालों और जानकारी का जवाब हम नीचे दे रहे हैं:

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	हमारा उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खालों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वर्तमान में अपनी इकाइयों और प्रधान कार्यालय के बीच ईआरपी लेखा प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है और इस प्रकार, आवश्यक लेखांकन एकीकरण अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से और समेकित आईटी सॉफ्टवेयर लागू करके किया जा रहा है। कंपनी द्वारा अपनाई गई विधि डेटा अखंडता की अनुपस्थिति की गुंजाइश छोड़ती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन/माफ़ी/बट्टे खाते में डालने का कोई उदाहरण नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/ सब्सिडी आदि) का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य सभी निधियों का "अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों" के शीर्ष से संबंधित नोट संख्या 22 के तहत उचित रूप से हिसाब लगाया गया था।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता

तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)

पार्टनर

(एमएन: 053225)

(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)



अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन खातों का ऑडिट किया है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/ उपनिर्देशों के अनुसार और प्रमाणित करें कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/ उपनिर्देशों का अनुपालन किया है।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता
तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)
पार्टनर
(एमएन: 053225)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)



सत्यमेव जयते

संख्या 415 / Co-ordn./01-15 (A.Yule)/2023-24

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

महानिदेशक लेखा परीक्षा (खान) का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (MINES)

1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट, कोलकाता-700 001

1, COUNCIL HOUSE STREET, KOLKATA-700 001

04 AUG 2023

दिनांक / Dated.....

सेवा में

The Chairman & Managing Director,
Andrew Yule & Co. Limited,
"Yule House"
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani,
Kolkata – 700 001

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Andrew Yule & Company Limited के वर्ष 2022-23 के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च को समाप्त वर्ष 2022-23 के लिए Andrew Yule & Company Limited के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे।

अनु: यथोपरि।

भवदीय,

अतुल प्रकाश

(अतुल प्रकाश)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ANDREW YULE & COMPANY LTD. FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Andrew Yule & Company Ltd. for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 27 July 2023 which supersedes their earlier Audit Report dated 29 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Andrew Yule & Company Ltd. for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:



Assets

Balance Sheet

Non-Current Assets

Financial Assets

Other Financial Assets (Note 5)

Earnest Money Deposit (EMD): Rs.57.38 lakh

This includes Rs.50.00 lakh being the amount paid to Tamilnadu Transmission Corporation Limited (TTCL) towards EMD for participation in tenders for supply of Power Transformers. Due to failure of the Company to execute an order (January 2019), TTCL terminated (February 2022) the contract and penalized the Company for an amount of Rs.96.76 lakh and thus, forfeited the EMD and claimed the balance amount of Rs.46.76 lakh. However, the Company has not made any provision for the above amount.

This has resulted in overstatement of above head by Rs.50 lakh, understatement of current liabilities & provision by Rs.46.76 lakh with corresponding overstatement of profit by Rs.96.76 lakh.

Current Assets

Inventories (Note-8)

Scrap: Rs.40.82 lakh

This represents the value of scrap amounting to Rs.40.82 lakh relating to Engineering Division of the Company. The above scrap has no other use in the production process of the Company and held for sale directly in the market as scrap. Further the scrap which is not to be used in the production process should not be included in the Inventory and needs to be account for on realisation basis.

Hence, treating of scrap as inventory and valuation thereof has resulted in overstatement of the above head as well as profit by Rs.40.82 lakh each.

Place: Kolkata

Date: 04 AUG 2023

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Atul Prakash)

Principal Director of Audit (Mines)

Kolkata

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 1 निगमित सूचना

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) को 26.05.1919 को एक निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में प्रबंध एजेंसी के रूप में काम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। प्रबंधन एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन के साथ, कंपनी ने अपना पारंपरिक व्यवसाय खो दिया और भारत सरकार ने 1979 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एवाईसीएल प्रशासनिक नियंत्रण के तहत चाय उत्पादन और विनिर्माण व्यवसाय के साथ मध्यम और हल्के इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अनुसूची- "बी" सीपीएसई है। सरकार की 89.25% हिस्सेदारी के साथ एम/ओ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, डी/ओ भारी उद्योग, इसका पंजीकृत कार्यालय 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

एवाईसीएल काली चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक पंखे, चाय मशीनरी, टर्नकी जॉब आदि के विनिर्माण और बिक्री दोनों के व्यवसाय में एक राष्ट्रीयकृत उद्यम है। इसकी दो (2) परिचालन इकाइयाँ हैं जिनमें से एक (1) कल्याणी पश्चिम बंगाल में है और एक (1) चेन्नई, तमिलनाडु में, और बारह (12) चाय बागान जिनमें से सात (7) असम में और चार (4) डुआर्स में और एक (1) दार्जिलिंग में स्थित हैं। कंपनी तीन में काम कर रही है मुख्य क्षेत्र अर्थात् इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और चाय। एवाईसीएल की दो 100% सहायक कंपनियाँ हैं, यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 31.03.2023 तक उद्यम में कर्मचारियों की संख्या 14225 है। इसके शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

29 मई, 2023 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

नोट 2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

[2.1] तैयारी का आधार

[2.1.1] भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन

वित्तीय विवरण लेखांकन के संचय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं [कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016] और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान।

कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर नकदी और नकदी समकक्षों में प्रसंस्करण और उनकी वसूली के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[2.1.2] माप का आधार

वित्तीय विवरण उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों को छोड़कर, लेखांकन और ऐतिहासिक लागत सम्मेलनों के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- [i] उद्भूत वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- [iii] परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा नोट 2.28 में की गई है।

[2.1.3] कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

[2.1.4] अनुमान और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

[क] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार अप्रचलन, मांग, पूर्णता और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सहित कई कारकों पर आधारित है। हालांकि, संयंत्र और मशीनरी के मामले में, उपयोगी तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार जीवन को 15 वर्ष से 25 वर्ष तक माना गया है। इसी प्रकार असम और डुआर्स गार्डन के वाहक पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है। तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसी प्रकार असम और डुआर्स गार्डन के

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

बियरर पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है।

[ख] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य की वसूली योग्य राशि-प्रगति पर

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि और प्रगति पर पूंजीगत कार्य अनुमान और धारणाओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव से वसूली योग्य राशि की माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

[ग] सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

चिकित्सा लाभों को छोड़कर कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रास्फीति दर और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है। चिकित्सा लाभ वास्तविक आधार पर मापा जाता है।

[घ] प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन आईएनडी एस 37, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति" के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण ऐसा अनुमान बदल सकता है।

[ङ] सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश

निवेश लागत पर किया जाता है और ऐसे निवेश की किसी भी हानि के लिए प्रावधान किया जाता है।

[2.2] खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को आईएनडी एस 108 द्वारा प्रदान की गई परिभाषा के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है।

[2.3] विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को भारतीय रुपये (आईएनआर) में अनुवादित किया जाता है, जो लेनदेन की तारीखों पर आईएनआर और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दरों को लागू करके कार्यात्मक मुद्रा है। इस तरह के लेन-देन के निपटान से और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को आम तौर पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

[a] तकनीकी जानकारी सहित अचल संपत्तियों के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण को या तो लेखांकन वर्ष के अंत में विनिमय समता दर पर या अग्रिम रूप से बुक किए जाने पर निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाता है, जैसा भी मामला हो। ऐसे विनिमय दर अंतर के संबंध में आवश्यक समायोजन सुरक्षित ऋण, अचल संपत्तियों और मूल्यहास के लिए किए जाते हैं।

[b] सीआईएफ, एफओबी और सी एंड एफ अनुबंध दोनों के तहत सामग्रियों के किसी भी आयात के संबंध में, खरीद को बिल ऑफ एंटी की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर बुक किया जाता है। उपरोक्त दर और जिस दर पर वास्तविक भुगतान किया जाता है या 31 मार्च को प्रचलित दर, जो भी पहले हो, के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, यदि कोई हो, तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[c] निर्यात/विदेशी बिक्री को लदान के बिल की तारीख पर प्रचलित दरों पर बुक किया जाता है। ऐसे बिलों से संबंधित विनिमय अंतर, यदि कोई हो, या तो आय की वसूली पर या वर्ष के अंत में विनिमय दर के फैसले पर उसके रूपांतरण पर, जो भी पहले हो, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[d] विदेशी मुद्रा में प्राप्य और देय राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में समता दर पर बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है। ऐसी प्राप्य/देय राशि के निपटान पर या ऐसी प्राप्य/देय राशि की उन दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्ट करने पर उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, जिस पर अवधि के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था या पिछली बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया गया था, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

[2.4] राजस्व पहचान और अन्य आय

राजस्व को 01.04.2018 से प्रभावी आईएनडी एस 115 के अनुसार मान्यता दी गई है।

[2.4.1] वस्तु की बिक्री

वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को दे दिए जाते हैं। माल की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री से राजस्व बिक्री अनुबंधों में निर्दिष्ट मूल्य, छूट और योजनाओं के आधार पर आधारित होता है, जिसका मूल्यांकन प्रकाशित परिपत्रों और अपेक्षित उपलब्धि सीमा के आधार पर किया जाता है। वित्तपोषण का कोई भी तत्व मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री आम तौर पर क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार अभ्यास के अनुरूप है।

वर्ष के अंत के भीतर ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाले गंतव्य अनुबंधों के विरुद्ध प्रेषण, तैयार माल-पारगमन के रूप में दिखाए जाते हैं।

अनुबंधों के विरुद्ध चाय की बिक्री का हिसाब डिलीवरी ऑर्डर के आधार पर और चाय व्यापार के मानदंडों के अनुसार नीलामी केंद्रों में बिक्री के पूरा होने पर किया जाता है।

[2.4.2] किराये की आय

सहयोगी कंपनी और अन्य पक्षों को संपत्ति किराये पर देने से उत्पन्न किराये की आय का हिसाब-किताब समझौते की शर्तों के अनुसार आवधिक आधार पर किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

[2.4.3] ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से बिल्कुल छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी वास्तविक अनुबंध शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानि पर विचार नहीं करती है। हालाँकि, बैंक के लिए वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज को बैंकों द्वारा सूचित माना जाता है।

[2.4.4] लाभांश आय

लाभांश को 'अन्य आय' मद के तहत लाभ और हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और लाभांश की राशि को मापा जा सकता है विश्वसनीय रूप से।

[2.4.5] अन्य आय

निम्नलिखित आय को अन्य आय के रूप में माना जाता है:

- बीमा और अन्य दावों का हिसाब स्वीकृत राशि के आधार पर किया जाता है।
- बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क रिफंड का हिसाब प्राप्त मूल्यांकन/रिफंड आदेशों के आधार पर किया जाता है;
- पूर्ण/आनुपातिक भुगतान की देर से प्राप्ति के कारण बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से प्राप्त होने वाले ब्याज का हिसाब उस सीमा तक लगाया जाता है, जिस सीमा तक अब तक प्राप्त भुगतान के संबंध में ब्याज सुनिश्चित किया जा सकता है।



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

d) निर्यात/मानित निर्यात लाभ का हिसाब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रेषण पूरा होने पर किया जाता है।

e) कच्चे माल, उपकरण/पुर्जों की आपूर्ति में देरी के लिए कंपनी द्वारा वसूले गए निर्धारित नुकसान को अन्य आय के रूप में माना जाता है।

[2.5] आय कर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है जो प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए लागू आयकर दर के आधार पर अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे के कारण स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन है। यह कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर जहां उपयुक्त हो, प्रावधान स्थापित करता है। लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आय कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देनदारी को मान्यता दी जाती है और सुधार पर विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी द्वारा दायर सुधार/अपील के कारण एनसीएलटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न आयकर/कृषि आयकर/बिक्री कर, वैट, जीएसटी प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटान पर समायोजन किया जाता है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतर पर, देयता पद्धति का उपयोग करके आस्थगित आयकर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। आस्थगित आयकर का हिसाब नहीं दिया जाता है यदि यह व्यवसाय संयोजन के अलावा किसी लेनदेन में किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ/हानि और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं और जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति का एहसास हो जाता है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान हो जाता है तो लागू होने की उम्मीद होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष उसी करानुदान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है, या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

[2.6] पट्टा

कोई व्यवस्था पट्टा है या नहीं, इसका निर्धारण आईएनडी एस 116 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। व्यवस्था किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

एक पट्टेदार के रूप में

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 30 मार्च, 2019 की अधिसूचना के तहत, भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस -116) पट्टे 1.4.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी हो गए हैं। आईएनडी एस 17 (पट्टे) की जगह। आईएनडी एस 116, लीज़ का प्रमुख परिवर्तन वर्तमान में ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत लीज़ के पट्टेदारों द्वारा लेखांकन उपचार में परिवर्तन है। पट्टा समझौतों ने परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और भविष्य के पट्टा भुगतान के लिए पट्टा दायित्व की मान्यता को जन्म दिया है। कंपनी के मानकों को केवल

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां निष्पादित पट्टा समझौते/ या संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं कंपनी के हाथों में हैं और 01.04.2019 को ऐसे पट्टे की शेष अवधि के लिए, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर :

असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर यह नोट किया है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 की धारा 9 भूमि पट्टे, उपयोग का अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार प्रदान करती है।, उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, मामलों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एएस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि, आईएनडी एएस 116 में परिवर्तन पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मान्यता प्राप्त मानक को शुरू में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ इस मानक को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया है।

एक पट्टादाता के रूप में

परिचालन पट्टों से लीज आय, जहां कंपनी पट्टेदार है, को लीज अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर आय में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए संरचित नहीं किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्तियां उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल की जाती हैं।

[2.7] इन्वेंटरी के अलावा गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

- [a] कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि किसी परिसंपत्ति की नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।
- [b] उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्घृत शेयर कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

[2.8] नकदी प्रवाह का विवरण

[a] नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास जमा राशि, तीन महीने की मूल परिपक्वता के साथ अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं। या उससे कम खरीद की तारीख से जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य और बैंक ओवरड्राफ्ट में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों में उधार के तहत दिखाया गया है।

- [b] नकदी प्रवाह का विवरण आईएनडी एएस-7 "नकद प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

[2.9] व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को शुरू में लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर लागत कम प्रावधान पर मापा जाता है।

[2.10] इन्वेंट्री

- [a] कच्चे माल (पैकिंग सामग्री सहित), कार्य-प्रगति, व्यापार और तैयार माल को कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताया गया है। कच्चे माल और व्यापारिक वस्तुओं की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। कार्य-प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और निश्चित ओवरहेड व्यय का उचित हिस्सा शामिल होता है, बाद वाले को

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

लगातार पालन किए जाने वाले ऐसे कार्यों में उपयोग किए गए वास्तविक श्रम घंटों के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य सभी लागतें भी शामिल होती हैं। लागत भारित औसत पद्धति के आधार पर इन्वेंट्री की व्यक्तिगत वस्तुओं को सौंपी जाती है। खरीदी गई इन्वेंट्री की लागत छूट और डिस्काउंट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत कम होती है।

- [b] तीन वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम समय से पड़े धीमे और गैर-चलित स्टॉक के लिए बुक वैल्यू के 15% का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले ऐसे स्टॉक के लिए, बुक वैल्यू के 36.25% की दर से प्रावधान किया गया है। अप्रचलित दुकानों के लिए बुक वैल्यू के 100% पर प्रावधान किया गया है। वर्ष के अंत तक प्रगतिरत कार्य पर होने वाली सभी हानियों और ऐसे कार्यों पर होने वाले आगे के कार्य लागत के लिए अनुमानित हानि को ध्यान में रखा जाता है और विधिवत प्रावधान किया जाता है।
- [c] वर्ष के अंत में चल रही ठेका नौकरियों का मूल्यांकन करते समय, भविष्य में अनुमानित हानि पर केवल 25.00 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की नौकरियों के संबंध में विचार किया जाता है और/या वास्तविक प्रगति जिसमें तकनीकी अनुमान के अनुसार न्यूनतम 50% है।
- [d] स्वयं निर्मित स्टोर, स्पेयर, कच्चे माल आदि के अंतर-यूनिट हस्तांतरण, यदि वर्ष के अंत में स्टॉक में पड़े हैं, तो ट्रांसफरर यूनिट के अनुमानित कार्य/फैक्टरी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- [e] स्क्रेप के स्टॉक का मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, अनुमानित/वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है। हालाँकि चाय की बर्बादी को महत्व नहीं दिया जाता है।
- [f] आयातित सामग्रियों की वास्तविक खपत के समय अग्रिम लाइसेंस के खिलाफ निर्यात लाभों पर विचार किया जाता है। वर्ष के अंत में हाथ में आए अग्रिम लाइसेंसों का हिसाब नहीं रखा जाता है।
- [g] वर्ष के दौरान बेची जाने वाली इन्वेंट्री की लागत इन्वेंट्री की वृद्धि/कमी के माध्यम से पहचानी जाती है।

[2.11] सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय संपत्तियां**[2.11.1] वर्गीकरण**

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित माप श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- * जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से), और
- * जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की अनुबंध संबंधी शर्तों पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएगी। ऋण उपकरणों में निवेश के लिए, यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी उपकरणों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय एक अपरिवर्तनीय पहचान की है।

कंपनी ऋण लिखतों को तभी पुनर्वर्गीकृत करती है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

[2.11.2] माप**इक्विटी उपकरण**

कंपनी सहायक और अनुषंगी को छोड़कर सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापती है। सहायक कंपनियों और अनुषंगी में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

[2.11.3] वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी अग्रगामी आधार पर परिशोधन लागत और एफवीओसीआई ऋण उपकरणों पर ली गई अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। नोट 2.28 में बताया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

केवल व्यापार प्राप्य के लिए, कंपनी हानि के प्रावधान के रूप में मामले दर मामले के आधार पर प्राप्य की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित नुकसान को पहचानने का सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है।

[2.11.4] वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

*कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या

*वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकार बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहां इकाई ने परिसंपत्ति हस्तांतरित की है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहां इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं की जाती है।

जहां इकाई ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

[2.12] खरीदारी

[a] आने वाली वस्तुओं के संबंध में किए गए बीमा शुल्क जहां सामग्री सीधे संबंधित होती है, उन्हें व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में हिसाब में लिया जाता है; अन्यथा, ऐसा बीमा प्रीमियम लाभ और हानि के विवरण से वसूला जाता है।

[b] विदेश से खरीदे गए माल के मामले में, शिपमेंट को पारगमन में वस्तु माना जाता है:

[i] सीआईएफ और सीएडएफ अनुबंध दोनों के मामले में, बैंक से सूचना प्राप्त होने की तारीख से;

[ii] एफओबी अनुबंधों के मामले में, लदान बिल के अनुसार वास्तविक शिपमेंट की तारीख से।

[2.13] अन्य राजस्व व्यय

[a] गारंटी अवधि के दौरान मुफ्त प्रतिस्थापन के रूप में सामग्री/घटकों को जारी करना, जिसे अज्ञात होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रेषण पर ध्यान में रखा जाता है। लेखांकन वर्ष की समाप्ति तक ज्ञात निःशुल्क प्रतिस्थापन प्रदान किए जाते हैं।

[b] कंपनी उपरोक्त मद में पिछले तीन वर्षों के औसत खर्चों के आधार पर ग्राहकों को पहले ही बेचे गए सामानों की मरम्मत और सुधार के लिए देयता प्रदान करती है।

[c] परिसमाप्त क्षति के संबंध में देनदारियां उस सीमा तक प्रदान की जाती हैं, जिस पर कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा विवादित परिसमाप्त क्षति को आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। देनदारी/आकस्मिक देनदारी की राशि का अनुमान अनुबंधित शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व की सीमा तक लगाया जाता है।

[d] कमीशन के संबंध में देयता बिक्री के अनुपात में प्रदान की जाती है।

[e] आयकर/कृषि आय-कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का हिसाब कर अधिकारियों के मूल्यांकन आदेशों के आधार पर किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है या वास्तविक भुगतान किया गया है, जैसा भी मामला हो।

[f] भुगतान, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुपालन में फीस का हिसाब तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगाया जाता है।

[g] मान्यता प्राप्त राजस्व पर आनुपातिक प्रत्यक्ष लागत के आधार पर आंशिक रूप से पूर्ण किए गए समग्र/टर्नकी अनुबंधों के संबंध में अप्रাপ्त लाभ का प्रावधान किया जाता है।



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

[h] टी एस्टेट्स के लिए दवा खरीद का शुल्क लगातार अभ्यास के अनुसार लिया जाता है।

[i] गारंटी कमीशन जारी/नवीनीकृत गारंटी के वर्ष में लिया जाता है।

[2.14] देनदारियों की बुकिंग/बट्टा

a) देनदारियां प्रदान करने के लिए, कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल है, लेकिन सभी ज्ञात देनदारियां, यदि वास्तविक हैं, तो यथासंभव बुक की जाती हैं (पिछले वर्ष की कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल)।

b) देनदारियां जो 5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और जिनके पूरा होने की संभावना नहीं है, उन्हें सरकार के ऋण को छोड़कर बट्टा में रखा जाता है। केवल असाधारण वस्तुओं के मामले में, वित्तीय विवरणों में अलग से खुलासा किया जाता है।

[2.15] ऑफसेटिंग वित्तीय उपकरण

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, जहां मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट, दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

[2.16] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

[a] अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि 3 वर्ष की अवधि में अचल संपत्तियों की प्रत्येक वस्तु को कवर किया जा सके।

[b] पूंजीगत व्यय के संबंध में अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लागू लेखांकन मानक के अनुसार किया जाता है और संपत्ति के उपयोगी जीवन की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। इसके लिए पर्याप्त लिखित आश्वासन मौजूद होने पर अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लगाया जाता है।

[c] फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक कीमत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुएं ऐतिहासिक लागत से मूल्यहास पर बताई गई हैं। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण से जुड़ा होता है।

[d] बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा उचित हो, केवल तभी जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, एक अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब लगाए गए किसी भी घटक की वहन राशि को प्रतिस्थापित किए जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ और हानि पर लगाया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

[e] एक यूनिट/डिवीजन द्वारा दूसरी यूनिट/डिवीजन में उपयोग के लिए निर्मित मशीनरी का हिसाब ट्रांसफरर यूनिट की वर्क्स/फैक्ट्री लागत पर किया जाता है।

[f] यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है। किसी परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है तो पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई हानि को उलट दिया जाता है।

[g] बियरर प्लांट को पुनर्रोपण के वर्ष से 3 वर्ष के बाद कैपिटल डब्ल्यूआईपी से बियरर प्लांट के फिक्स्ड एसेट ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बियरर प्लांट का औसत कुल जीवन असम और डूअर्स गार्डन के लिए 70 (सत्तर) वर्ष और 100 (एक) माना गया है। दार्जिलिंग स्थित मीम टी एस्टेट के लिए सौ) वर्ष।

[h] नामित तकनीकी मूल्यांकन समिति की मंजूरी मिलने के बाद संपत्तियों को अनुपयोगी माना जाता है।

[2.17] आईएनडी एस-41 (जैविक संपत्ति) की प्रयोज्यता,

एवाईसीएल चाय प्रभाग विनिर्माण के लिए 7 दिनों में चाय की पत्तियां तोड़ता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह परिपक्व चाय को तोड़ता है और उसका निर्माण करता है। प्रत्येक बगीचे के सभी हिस्सों में झाड़ियों पर चाय की पत्तियाँ अपरिपक्व हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

आईएनडी एस 41 के पैरा 10 में कहा गया है कि किसी जैविक संपत्ति को तभी पहचाना जाए जब, संपत्ति का उचित मूल्य या लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। यह सर्वविदित तथ्य है कि हरी चाय की पत्तियों के लिए कोई बाजार मौजूद नहीं है जो चाय की झाड़ियों पर रहती हैं और कटाई के लिए तैयार नहीं होती हैं (अभी तक कटाई नहीं हुई है)। जब तक हरी चाय की पत्तियां चाय की झाड़ियों पर मौजूद हैं और कटाई के चरण तक नहीं पहुंची हैं, तब तक इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और चाय के प्रसंस्करण के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि आईएनडी एस 41 के पैरा 8 में जोर दिया गया है, चाय की झाड़ियों पर खड़ी हरी चाय की पत्तियों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना असंभव होगा। इसी प्रकार ऐसी हरी चाय की पत्तियों की कीमत का पता लगाना अव्यावहारिक होगा क्योंकि इसकी लागत की गणना के लिए कोई भी लागत मॉडल अनुमान और धारणा पर आधारित होगा, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एवाईसीएल वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार जैविक परिसंपत्तियों (हरी चाय की पत्तियों की कटाई नहीं की गई है और बढ़ती अवस्था में है, परिपक्व नहीं हुई है) को मान्यता नहीं देता है।

[2.18] पूंजीगत कार्य प्रगति पर

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में परिसंपत्तियों की खरीद कीमत शामिल होती है, जिसमें शुल्क और गैर-वापसीयोग्य कर और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तों के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं।

[2.19] अमूर्त संपत्ति

सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बनाए रखने से जुड़ी लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है जहां संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके सर्वोत्तम अनुमानित उपयोगी जीवन से लेकर तीन वर्ष तक की सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

[2.20] व्यापार और अन्य देय

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। राशियाँ असुरक्षित हैं और आमतौर पर भुगतान शर्तों के अनुसार भुगतान की जाती हैं। व्यापार और अन्य देय को वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के भीतर भुगतान देय न हो। उन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य/लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है।

[2.21] उधार की लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागत जो किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं, उस समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत की जाती है जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। अर्हक परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जो कि योग्य परिसंपत्तियों पर उनका व्यय लंबित है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से काट ली जाती है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो उधार लेने की लागत तुलन पत्र से हटा दी जाती है। समाप्त हो चुकी या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित की गई वित्तीय देनदारी की वहन राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें देनदारी पर हस्तांतरित किसी गैर-नकद परिसंपत्ति भी शामिल है, को लाभ और हानि खाते के विवरण में अन्य लाभ/(हानि) के रूप में मान्यता दी जाती है।

अन्य उधार लागतें उसी अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

[2.22] प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति कानूनी दावों, छूट, योजनाओं और रिटर्न के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है, यह संभव है कि संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी दायित्व का निपटान करने के लिए और राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रावधानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

जहां कई समान दायित्व हैं, निपटान में बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होने की संभावना समग्र रूप से दायित्वों के वर्ग पर विचार करके निर्धारित की जाती है। एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, भले ही दायित्वों की एक ही श्रेणी में शामिल किसी एक वस्तु के संबंध में बहिर्प्रवाह की संभावना छोटी हो।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर एक पूर्व-कर दर है जो पैसे के समय मूल्य और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, ऐसे दायित्व को आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

[2.23] कर्मचारी लाभ**[2.23.1] अल्पकालिक दायित्व**

गैर-मौद्रिक लाभों सहित वेतन और वेतन के लिए देनदारियां, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीने के भीतर पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवा के संबंध में मान्यता प्राप्त है। और देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जाने वाली अपेक्षित रकम पर मापा जाता है। देनदारियों को बैलेंस शीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

[2.23.2] अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर अर्जित अवकाश की देनदारियों का पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाओं के रूप में परिभाषित लाभों के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम होता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकिकों द्वारा की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध संतुलन और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है और इसे लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय में। उन्हें इक्विटी में बदलाव के विवरण और तुलन पत्र में बरकरार रखी गई कमाई में शामिल किया गया है।

यदि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान होने की उम्मीद हो।

3 वर्षों के ब्लॉक के दौरान अप्राप्त चिकित्सा लाभों को वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.23.3] रोजगार उपरांत दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाएं संचालित करती है:

[a] परिभाषित लाभ योजना जो ग्रेच्युटी है।

[b] परिभाषित योगदान योजना जो केवल भविष्य निधि है। संगठन स्थानीय नियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि को भविष्य निधि का भुगतान करता है और योगदान के अलावा कंपनी के पास कोई और भुगतान दायित्व नहीं है और योगदान देय होने पर कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

[c] एकमुश्त चिकित्सा लाभ वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.24] लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें उन्हें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

[2.25] प्रति शेयर आय

[2.25.1] प्रति शेयर मूल

आय प्रति शेयर मूल आय की गणना विभाजित करके की जाती है:

* कंपनी के मालिकों को होने वाला लाभ/हानि।

* वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से।

[2.25.2] प्रति शेयर मिश्रित आय

प्रति शेयर मिश्रित आय प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समायोजित करती है:

* संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़े ब्याज और अन्य वित्तीय लागतों का आयकर के बाद प्रभाव, और

* अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को मानते हुए बकाया होती।

[2.26] वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय शामिल हैं।

[a] वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस लेनदेन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में या किसी संपत्ति की वहन राशि में पहचाना जाता है यदि कोई अन्य मानक ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करके उधार की अवधि में इस तरह के समावेश की अनुमति देता है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

[b] बाद में माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। यदि कोई अन्य मानक इस तरह के समावेश की अनुमति देता है, तो लाभ और हानि के विवरण में या परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है, जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

[c] मान्यता रद्द

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता के दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]
[2.27] उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता में, लेनदेन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत है।

हालांकि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो यह अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करते हैं।

सभी वित्तीय संपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- * स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- * स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।
- * स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो अप्राप्य में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।

आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर पहचानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

[2.28] वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इकाई की गतिविधियाँ उसे बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में लाती हैं। उपरोक्त के प्रभावों को कम करने के लिए, इकाई द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएँ की जाती हैं। निम्नलिखित तालिका जोखिम के स्रोतों और इकाई अपने वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है, इसकी व्याख्या करती है।

जोखिम	एक्सपोज़र आने का कारण	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, वित्तीय संपत्तियां परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं	उम्र बढ़ने का विश्लेषण, क्रेडिट विश्लेषण	साख सीमा और साख पत्र
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	उधार की सुविधाएं
बाज़ार जोखिम - विदेशी एक्सचेंज	मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां भारतीय रुपये में अंकित नहीं हैं	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	मुद्रा की गति की निगरानी
बाज़ार जोखिम - ब्याज दर	दीर्घकालिक उधार/ देनदारियाँ	...	ब्याज दर में गति का संचलन
बाज़ार जोखिम - प्रतिभूति कीमत	प्रतिभूतियों में निवेश	...	श्रेणी प्रबंधन

[a] साख जोखिम

साख जोखिम नकद और नकद समकक्षों, परिशोधित लागत पर किए गए निवेश, बैंकों और वित्तपोषण संस्थानों के पास जमा के साथ-साथ ग्राहक और अन्य पक्षों के लिए साख जोखिम से उत्पन्न होता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/ संस्थान ही स्वीकार किए जाते हैं। अन्य वित्तीय संपत्तियों के लिए, इकाई आंतरिक क्रेडिट मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। यह पार्टी-वार प्रदर्शन की निगरानी करता है और मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक पार्टी के लिए क्रेडिट रेटिंग आवंटित की जाती है। इसके बाद उक्त पार्टी की सॉल्वेंसी के आधार पर प्रत्येक पार्टी को एक क्रेडिट सीमा सौंपी जाती है।

इकाई चालू आधार पर और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है।

सूक्ष्म-आर्थिक जानकारी को आंतरिक रेटिंग मॉडल के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

सामान्य तौर पर, यह माना जाता है कि यदि भुगतान देय होने में 60 दिन से अधिक का समय लगता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है।

संदिग्ध संपत्तियों के प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

रु (लाख में)	
विवरण	मात्रा
01.04.2021 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	5360.80
2021-22 के दौरान शुल्क	125.92
2021-22 के दौरान बढ़ा	5403.09
31.03.2022 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	83.63
2022-23 के दौरान शुल्क	769.08
31.03.2023 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	852.71

[b] तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण जोखिम तरलता प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की उपलब्धता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इकाई ने निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं का उपयोग किया है:

रु (लाख में)		
विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बैंक ओवरड्राफ्ट	8872.08	6689.82
साख पत्र	2070.37	1359.94
बैंक गारंटी	1717.96	1596.94

निम्नलिखित तालिका अगले 12 (बारह) महीने के भीतर देय अनुबंधात्मक रियायती नकदी प्रवाह को दर्शाती है

31.03.2023 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)				
संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियां	9325.40	99.18	968.85	10393.44
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	6325.49	-	-	6325.49

31.03.2022 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)				
संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	2 और 3 वर्ष से कम	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियां	4595.62	407.72	935.01	5938.35
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	5707.09	-	-	5707.09



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

[C] बाज़ार का जोखिम

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्य (विदेशी मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-
वित्तीय देनदारियों		
व्यापार देय (विदेश मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-

[2.29] पूंजी प्रबंध

[A] जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

[a] एक चालू संस्था के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करें।

[b] पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

[B] लाभांश

[1] वर्षांत समीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त लाभांश: रु (लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अंतिम लाभांश	शून्य	-
अंतरिम लाभांश	शून्य	शून्य

[2] इंड एस के अनुरूप रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई।

[2.30] संपत्ति को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया

ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों की अग्रणीत राशि इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति		
वित्तीय पूंजी	-	-
व्यापार प्राप्तियां *	8151.75	7964.69
गैर-वित्तीय संपत्ति	-	-
इन्वेंटरी *	4529.84	4964.74

*इंजीनियरिंग प्रभाग को छोड़कर



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

रुपये लाख में

	नोट नं.	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	14181.75	11,159.97
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	3	9356.03	8,224.61
(ग) अमूर्त संपत्ति	3	10.28	8.28
(घ) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	4	261.72	807.30
(ii) अन्य	5	74.19	163.33
(ङ) आयकर संपत्ति (शुद्ध)	6	1599.07	1,778.91
(च) अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ	7	442.06	442.06
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियाँ		25925.11	22,584.45
वर्तमान संपत्ति			
(क) इन्वेंटरी	8	5316.00	4,964.74
(ख) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	9	0.35	153.65
(ii) व्यापार प्राप्य	10	11815.22	7,964.69
(iii) नकद और नकद समकक्ष	11	1289.95	914.95
(iv) अन्य बैंक शेष	12	3667.45	2,290.06
(v) ऋण	13	0.44	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	2256.80	2,385.55
(ग) अन्य मौजूदा संपत्तियाँ	15	4057.13	3,099.06
(घ) निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	16	0.04	739.87
कुल मौजूदा संपत्तियाँ		28403.39	22,513.00
कुल संपत्ति		54328.50	45,097.45
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	9779.02	9,779.02
(ख) अन्य इक्विटी	18	8881.52	8,941.91
कुल इक्विटी		18,660.54	18,720.93
देयताएँ			
गैर मौजूदा देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	19	586.11	682.74
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	47.71	28.80
(ख) प्रावधान	21	3341.41	2,638.16
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ	22	702.78	734.52
(घ) आस्थगित कर देयता		2159.30	2047.84
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ		6,837.31	6,132.05
वर्तमान देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	23	9398.53	6,007.08
(ii) व्यापार और अन्य देय	24	10393.44	5,938.35
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	25	6325.49	5,707.09
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	26	1458.95	1,256.03
(ग) प्रावधान	27	1254.24	1,335.91
कुल वर्तमान दायित्व		28,830.65	20,244.47
कुल देनदारियाँ		35,667.96	26,376.52
कुल इक्विटी और देनदारियाँ		54,328.50	45,097.45

एसके बसु एंड कंपनी हेतु
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं.: 301026E
 एस.बसु
 पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)
 स्थान: कोलकाता
 दिनांक: 29 मई 2023
 यूडीआईएन:23053225BGZHQ02176

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू
 निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
 का अतिरिक्त प्रभार
 डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 07674268



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

रुपये लाख में

विवरण	वर्ष समाप्त हुआ		
	नोट संख्या	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
I संचालन से राजस्व	28	37,403.60	41,439.28
II अन्य आय	29	3,175.27	5,658.86
III कुल आय (I + II)		40,578.87	47,098.14
IV खर्च			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	13,213.44	9,489.18
(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर	31	(720.20)	(103.23)
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	32	18,113.05	17,918.37
(घ) उत्पाद शुल्क			
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	33	644.74	645.59
(च) वित्त लागत	34	999.45	797.19
(छ) अन्य खर्च	35	7,430.16	14,971.93
कुल व्यय (IV)		39,680.64	43,719.04
V असाधारण वस्तु और कर से पहले लाभ (III - IV)		898.23	3,379.10
VI असाधारण वस्तुएं	36	-	2,265.94
VII असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (V-VI)		898.23	1,113.16
VIII कर व्यय			
(1) वर्तमान कर		540.00	288.25
(2) धन कर			-
(2) आस्थगित कर		240.76	919.81
कुल कर व्यय		780.76	1,208.06
IX निरंतर संचालन से अर्वाधि के लिए लाभ (VII - VIII)		117.47	(94.90)
X बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।	37	-	7.01
XI बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		-	1.82
XII कर के बाद बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।		-	5.19
XIII अर्वाधि (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)		117.47	(89.71)
अन्य व्यापक आय			
(1) निवेश का पुनर्मापन		0.29	3.87
(2) बीमांकिक लाभ/हानि का समायोजन		(314.15)	158.07
घटाव: वर्तमान कर		-	42.60
कम: आस्थगित कर		(129.30)	46.04
XIV अर्वाधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय		(184.56)	73.30
XV "अर्वाधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII + XIV)"		(67.09)	(16.41)
XVI परिचालन जारी रखने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 2 प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		0.02	(0.02)
(2) मिश्रित		0.02	(0.02)
XVII बंद परिचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 2 लाख):			
(1) बुनियादी		-	-
(2) मिश्रित		-	-
XVIII सतत और बंद संचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		0.02	(0.02)
(2) मिश्रित		0.02	(0.02)

एसके बसु एंड कंपनी हेतु
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं.: 301026E
 एस.बसु
 पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)
 स्थान: कोलकाता
 दिनांक: 29 मई 2023
 यूडीआईएन: 23053225BGZHQ02176

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू
 निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
 का अतिरिक्त प्रभार
 डीआईएन: 09706881

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

श्री संजय भट्टाचार्य
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 07674268

31 मार्च, 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

लाख रुपये में

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ	898.17	1,120.17
इनके लिए समायोजन:		
परिसंपत्तियों का मूल्यहास/हानि	644.27	644.90
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	0.47	0.69
ब्याज व्यय	857.55	627.83
(लाभ)/स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि	(41.87)	(1.73)
(लाभ)/निवेश की बिक्री पर हानि	(14.29)	(252.56)
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	(101.28)	
इन्वेंटरी की बिक्री पर लाभ - बंद परिचालन		(65.71)
ब्याज आय	(135.19)	(152.42)
लाभांश आय	(1,934.61)	(3,701.92)
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है वापस लिखा गया	(92.37)	(7,573.42)
देनदारियों को अब बट्टे में रखने की आवश्यकता नहीं है	(298.73)	(1,062.60)
पूंजीगत सस्तिडी पर आस्थगित आय	(7.57)	(9.66)
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	(15.82)	(47.65)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.56	(0.66)
पूंजी डब्लूआईपी के लिए प्रावधान		16.76
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	404.17	125.92
संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा के लिए प्रावधान	147.72	68.47
बंद परिचालन से लाभ और हानि	-	(7.01)
असाधारण वस्तुओं के लिए प्रावधान - स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान		413.38
एनएससी के लिए प्रावधान		
स्टॉक/स्टोर अप्रचलन के लिए प्रावधान	27.62	3.29
समायोजन :		
आस्थगित कर में परिवर्तन	(111.46)	(965.85)
निवेश का पुनर्मापन	0.29	(3.87)
बीमांकिक लाभ और हानि	(314.15)	(158.07)
सहायक कंपनी (हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड) के विलय पर प्रभाव	-	(684.27)
	(984.70)	(12,786.16)
वर्तमान देनदारियों की राशि में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ और वर्तमान संपत्ति	(86.47)	(11,665.99)
समायोजन		
वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(4,338.63)	(2,216.57)
इन्वेंटरी	(378.88)	(753.31)
वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन	9088.73	8,703.43
	4,371.22	5,733.55
संचालन से उत्पन्न नकदी	4,284.75	(5,932.44)
कर भुगतान	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	4,284.75	(5,932.44)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(3,524.90)	(1,536.19)
पूंजीगत कार्य में परिवर्तन प्रगति पर है	(1,131.89)	(718.83)
अचल संपत्तियों की बिक्री		
निवेश की खरीद		



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

लाख रुपये में

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	
लाभांश प्राप्त हुआ	1,934.61	3,701.92
निवेश का निपटान	575.13	712.11
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन	268.98	(351.91)
प्राप्त ब्याज	135.19	152.42
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख)	(1,742.87)	1,959.52
[ग] वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज का भुगतान किया	(857.55)	(627.83)
लाभांश दिया		
अल्पावधि उधार (चुकाया गया)/लिया गया और अन्य वित्तीय देनदारियाँ		
दीर्घकालिक उधार (चुकाया गया)/लिया गया	68.05	1,007.38
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी [ग]	(789.50)	379.55
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) [क+ख+ग]	1,752.39	(3,593.37)
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)	** 3,205.01	6,798.38
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)	** 4,957.40	3,205.01
[1] उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष" के तहत तैयार किया गया है		
विधि" जैसा कि नकदी प्रवाह पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित किया गया है		
कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित विवरण		
[2] नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
बैंकों के पास शेष (नीचे नोट देखें)	1,280.75	747.68
अधिकार में चेक		
अधिकार में नकदी	9.19	37.27
अधिकार में डाक टिकट और स्टाम्प		
पारगमन में प्रेषण		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक के पास मार्जिन मनी 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के बाद परिपक्व हो रही है	-	130.00
जमा खाता मार्जिन	3,667.45	2,290.01
	4,957.40	3,205.01
[क] जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्गठित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है		

एसके बसु एंड कंपनी हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.नं.: 301026E

एस.बसु

पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 मई 2023
यूडीआईएन:23053225BGZHQO2176

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

श्री आर एस मनकू
निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07674268



इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

रुपये लाख में

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		कुल
	संपत्ति कोष	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय के अन्य मद	
1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	406.76	2741.75	5785.23	113.46	(105.29)	8941.91
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	0	-	-	-
स्थानांतरण	-	-	0	-	-	-
इस वर्ष का मुनाफा	-	-	117.48	0.29	(184.85)	(67.09)
पी/ एल में समायोजन	-	-	-	6.70	-	6.70
	-	-	-	-	-	0.00
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	-	-	-	0.00
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	0.00
31 मार्च 2023 को शेष राशि	406.76	2741.75	5902.71	120.45	(290.14)	8881.52

एसके बसु एंड कंपनी हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.नं.: 301026E

एस.बसु

पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 29 मई 2023

यूडीआईएन: 23053225BGZHQO2176

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू
निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 09706881

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

श्री संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07674268



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 3

रुपये लाख में

	भूमि	वाहक प्लॉट (नोट 2 देखें)	लीज होल्ड भूमि	निर्माण-बैठकों	सड़कें एवं पुलिया	यंत्र और मशीनरी	चित्र, डिज़ाइन और अनुरक्षण	विदूत प्रतिष्ठान	ल इंस्टालेशन	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	बाड़	कंप्यूटर	कुल	पूँजी कार्य-प्रगति पर है (नोट 3 देखें)	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	175.38	7,382.76	5.50	5,002.90	95.96	7,027.59	40.64	1,320.65	957.16	227.90	182.30	1,057.62	283.59	317.28	24,077.23	8,225.87	110.85
1 अप्रैल 2022 को अनुमानित लागत	175.38	7,382.76	5.50	5,002.90	95.96	7,027.59	40.64	1,320.65	957.16	227.90	182.30	1,057.62	283.59	317.28	24,077.23	8,225.87	110.85
परिवर्धन	-	2,911.75	3.66	98.56	-	61.36	-	0.12	-	4.02	4.63	28.39	-	20.24	3,132.72	4,162.77	2.78
निपटान	-	-	-	-	-	(30.67)	-	-	-	-	(0.12)	(21.91)	-	(0.49)	(53.20)	(3,031.35)	-
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	3.75	6.25	-	-
पुनर्वर्गीकरण के लिए समायोजन	-	-	-	(117.84)	(0.22)	(20.56)	-	0.02	-	(2.93)	(1.62)	-	-	(8.19)	(151.34)	-	(0.64)
31.03.2023 तक सकल वहन राशि समाप्त	175.38	10,294.51	9.16	4,983.62	95.74	7,037.71	40.64	1,320.79	957.16	231.49	185.18	1,064.10	283.59	332.58	27,011.66	9,357.30	112.99
1 अप्रैल 2022 तक संचित मूल्यहास	-	584.10	2.92	2,724.13	83.38	5,286.25	24.79	949.58	646.80	199.91	154.57	928.07	268.80	295.06	11,185.19	-	101.94
1 अप्रैल 2022 हानि	-	-	-	5.78	-	62.97	15.85	-	-	0.01	-	-	-	-	84.61	1.25	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.81)	-	-	(20.81)	-	-
हानि के बाद संचित मूल्यहास	-	584.10	2.92	2,729.91	83.38	5,349.22	40.64	949.58	646.80	199.93	154.57	907.26	268.80	295.06	12,212.18	1.25	101.94
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन	-	-	-	-	-	(28.08)	-	-	-	1.85	-	-	-	(0.00)	(26.23)	-	-
संशोधित आरंभिक संचित मूल्यहास 01-04-2022	-	584.10	2.92	2,729.91	83.38	5,321.14	40.64	949.58	646.80	201.78	154.57	907.26	268.80	295.06	12,185.95	1.25	101.94
प्रारंभिक संचितमूल्यहास	-	584.10	2.92	2,729.91	83.38	5,321.14	40.64	949.58	646.80	201.78	154.57	907.26	268.80	295.06	12,185.95	1.25	101.94
वर्ष के दौरान मूल्यहास शुल्क	-	193.59	0.77	88.17	3.63	230.80	-	47.84	32.06	4.00	5.25	32.52	1.56	3.76	643.95	-	0.77
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2023 को संचित मूल्यहास बंद करना	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,551.94	40.64	997.42	678.86	205.77	159.82	939.78	270.36	298.82	12,829.90	1.25	102.72
31 मार्च 2023 तक निवल वहन राशि	175.38	9,516.82	5.47	2,165.55	8.73	1,485.77	0.01	323.36	278.30	25.73	25.36	124.32	13.22	33.76	14,181.76	9,356.03	10.28
31 मार्च 2022 तक निवल वहन राशि	6.40	6,798.66	2.58	1,863.50	12.36	1,581.36	-	371.08	310.36	25.68	26.11	129.55	14.78	17.58	11,160.00	8,224.62	8.25

पूँजी डब्लूआईपी की अवधि

रुपये लाखों में

	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
जैविक संपत्ति	4,117.72	2,596.64	1,293.28	1,280.44	9,288.08
संयंत्र और मशीनरी	47.15	20.80	-	-	67.95
इमारत	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कुल	4,164.87	2,617.44	1,293.28	1,280.44	9,356.03

नोट: इलेक्ट्रिकल कोलकाता परिचालन की पुनर्वर्गीकृत संपत्तियों को अलग से दिखाया गया है जैसा कि नोट संख्या-61 में बताया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 4 निवेश

विवरण	शेयरों की संख्या	रुपये लाख में	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क) समूह कंपनियों में निवेश			
सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-	-	-
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड - साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	5.00	5.00
यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड - साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	5.00	5.00
एसोसिएट कंपनी में इक्विटी शेयर			
उद्धरित			
टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	4,571,115	164.56	164.56
यूल फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	300,000	27.88	27.88
		-	-
गैर उद्दत			
द बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	10,305	0.52	0.52
कतरास झेरियाह कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से विकलांग)	34,028	6.69	6.69
न्यू बीरभूम कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	57,550	11.79	11.79
वरीयता शेयर (अनउद्दत)			
6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर--वेबफिल लिमिटेड।		-	-
बांड (अनउद्दत)			
वेबफिल लिमिटेड शून्य रेटेड असुरक्षित प्रतिदेय बांड		-	-
ख) ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश			
इक्विटी निवेश (उद्दत)			
वेबफिल (नवीनतम उपलब्ध के अनुसार एनएवी)	415,000	54.28	35.37
इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		-	-
फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)			
ग्लॉस्टर लिमिटेड		-	-
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड		-	-
गिलपुखरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	26	0.00	0.00
इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
स्टेट्समैन लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	9,966	4.70	4.70
एबीसी चाय श्रमिक कल्याण सेवाएँ (पूरी तरह से अक्षम)			
बुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड	740	6.70	-
इंडिया पेअर पल्प			
इकाइयाँ (उद्दत)			
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-लिक्विड कैश प्लान	0	-	503.10
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-हाइब्रिड इक्विटी फंड	114291.389	36.19	104.27
कम प्रावधान		(61.57)	(61.57)
कुल		261.72	807.30

नोट 5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ग्रहणाधिकार के तहत बैंक के साथ चालू खाता शेष	16.81	16.81
ईएमडी	57.38	-
बैंक जमा एक वर्ष से अधिक	-	146.52
कुल	74.19	163.33



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 6 आयकर संपत्ति (शुद्ध)	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
विवरण		
वर्तमान कर		
अग्रिम आयकर (एमएटी क्रेडिट पात्रता और कर प्रावधान शामिल हैं)	1,599.07	1,778.91
	-	
कुल	1,599.07	1,778.91

नोट 7 अन्य गैर-चालू संपत्तियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुपर एनुएशन फंड के लिए परिसंपत्तियों की योजना	147.06	147.06
यूएनएसईसी. रिडेम नॉन कन्व. बांड परिपक्व हो गया है और भुनाया नहीं गया है	295.00	295.00
कुल	442.06	442.06

नोट 8 इन्वेंटरी (लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
कच्चा माल	1,119.22	1,116.46
कार्य प्रगति पर है	1,073.03	1,180.03
तैयार वस्तु	1,516.61	689.67
भण्डार एवं पुर्जे	1,305.63	1,678.97
ढीले उपकरण	-	-
खाद्य सामग्री	5.15	21.56
कतरन	40.82	22.18
अर्द्ध - निर्मित सामान	251.91	252.23
पारगमन में सामग्री	3.65	3.65
कुल सूची	5,316.00	4,964.74

नोट: चाय इन्वेंटरी के मामले में, 31.03.2023 तक केवल पूरी तरह से संसाधित चाय की वस्तु को तैयार वस्तु के अंतर्गत माना गया है।

नोट 9 वर्तमान निवेश

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश किया जाता है		
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में	0.35	0.35
6% सह-प्रतिदेय प्रीफ़ शेयर-वेबफ़िल	-	153.30
	-	-
कुल	0.35	153.65

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 10 व्यापार प्राप्य

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
व्यापार प्राप्तियां	12,667.93	8,048.32
	-	
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	852.71	83.63
कुल प्राप्य	11,815.22	7,964.69

2022-2023 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	9,754.88	264.57	703.77	202.99	889.01	11,815.22
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	395.06		8.39	449.25	852.71
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						-
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						-
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
कुल	9,754.88	659.63	703.77	211.38	1,338.26	12,667.93
बिल न किया गया बकाया						
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0	395.06	0	8.39	449.25	852.71
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2021-2022 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	6,084.41	254.38	312.58	350.02	963.28	7,964.67
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	8.39			8.614	66.642	83.65
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						
कुल	6,092.80	254.38	312.58	358.63	1,029.92	8,048.32
बिल न किया गया बकाया						
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 11 नकद और नकद समकक्ष

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(क) बैंकों के साथ शेष		
(1) बैंकों के पास अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	1,280.75	747.68
(ii) 3 महीने से कम जमा खाते में	-	-
(ii) 3 माह से अधिक जमा खाते में	-	130.00
(ख) चेक, ड्राफ्ट अधिकार में	-	-
(ग) अधिकार में डाक शुल्क और स्टाम्प	0.00	0.00
(घ) पारगमन में प्रेषण	-	-
(ङ) अधिकार में नकदी	9.19	37.27
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	1,289.95	914.95

नोट 12 अन्य बैंक शेष

Particulars	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	3,667.45	2,290.06

नोट 13 ऋण

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुरक्षित अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	-	-
	-	-
असुरक्षित अच्छा माना जाता है	0.44	0.44
संदिग्ध	120.41	120.41
	120.85	120.85
कम प्रावधान	120.41	120.41
कुल	0.44	0.44

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 14 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सरकारी प्राधिकरण के साथ संतुलन	1,727.94	1,749.00
जमा		
अच्छा माना जाता है	-	120.61
संदिग्ध माना जाता है	-	-
	-	120.61
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
निवल	-	120.61
ऋण	-	150.69
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		
नाबार्ड के पास जमा	-	-
ईएमडी/एसडी	469.57	216.41
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	52.87	5.82
	416.70	210.59
अर्जित ब्याज		
फिक्स्ड डिपॉजिट पर	112.16	114.06
नाबार्ड जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
अन्य प्राप्य	-	39.70
	-	-
कुल	2,256.80	2,385.55

नोट 15 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
स्टाफ को अग्रिम	803.93	57.31
अन्य अग्रिम-असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	463.09	421.29
	-	-
अन्य अग्रिम नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य	-	-
अच्छा माना जाता है	2,790.11	2,620.46
संदिग्ध माना जाता है	366.67	312.06
	3,156.78	2,932.52
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	366.67	312.06
	2,790.11	2,620.46
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
	-	-
कुल	4,057.13	3,099.06



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बिक्री के लिए रखे गए हैं या मालिकों को वितरण के लिए रखे गए हैं।

रुपये लाख में

सामान्य प्रभाग										
विवरण	"भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	इमारतें	सड़कें एवं पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	विद्युत प्रतिष्ठान	फर्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर	कुल
31.03.2022 तक शुद्ध वहन राशि के रूप में	-	-	-	53.04	1.06	0.08	0.04	0.38	0.23	54.83
परिवर्धन										0.00
निपटान/समायोजन				53.04	1.06	0.08	0.04	0.38	0.23	54.83
31.03.2023 तक शुद्ध वहन राशि के रूप में	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)

इलेक्ट्रिकल-कोलकाता

विवरण	"भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	इमारत	सड़कें एवं पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	विद्युत प्रतिष्ठान	फर्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर	कुल रु	इंजिन-जिबल संपत्ति	कुल
31.03.2022 तक शुद्ध वहन राशि	168.98	409.50	0.22	97.01	(0.01)	2.39	1.62	0.05	0.64	684.39	0.64	685.03
परिवर्धन										-		
निपटान/समायोजन				-						-	-	
पुनर्वर्गीकृत संपत्ति	168.98	409.50	0.22	97.01	(0.01)	2.39	1.62	-	4.63	684.34	0.64	684.99
31.03.2023 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	0.05	(0.00)	0.05	-	0.05

नोट 17: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
अधिकृत:		
सामान्य शेयर		
55,00,00,000 रु. 2/- प्रत्येक	11,000	11,000
जारी, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त :		
सामान्य शेयर		
48,89,50,978 रु. 2/- प्रत्येक	9,779.02	9,779.02
कुल	9,779.02	9,779.02

1. कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक के पास 5% से अधिक शेयर हैं

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 2 रुपये अंकित मूल्य)	"कुल शेयरों का %"	अवधि के दौरान % परिवर्तन
जैसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में बताया गया है	-	-	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

2. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

	शेयर की संख्या	"राशि (रूपये लाख में)"
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	488,950,978	9,779.02
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-
31.03.2023 को समापन शेष	488,950,978	9,779.02

3. कंपनी के पास शेयरों का केवल एक ही वर्ग यानी इक्विटी शेयर हैं।

नोट 18 अन्य इक्विटी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
संपत्ति कोष		
(क) पूंजी आरक्षित	406.76	406.76
(ख) अन्य आरक्षित	-	-
	-	-
बांड मोचन रिजर्व		
(क) बांड मोचन आरक्षित	-	-
	-	-
पूंजीगत संपत्तियों के लिए केंद्र/राज्य सब्सिडी		
	-	-
	-	-
सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व	2,741.75	2,741.75
	-	-
प्रतिधारित कमाई		
शुरूआती शेष	5,785.23	6,559.20
जोड़- लाभ	117.48	(89.71)
पी/एल के विरुद्ध समायोजन	-	(684.27)
	5,902.70	5,785.23
अन्य व्यापक आय		
शुरूआती शेष	8.18	(65.78)
जोड़- लाभ	(184.56)	73.30
ओसीआई के विरुद्ध समायोजन	6.70	0.66
अन्य व्यापक आय	(169.69)	8.18
कुल	8,881.52	8,941.91



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 19 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुरक्षित - परिशोधित लागत पर		
सावधि ऋण	-	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से	586.11	615.74
बैंक ऑफ बड़ौदा से	-	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से	-	67.00
डब्ल्यूबी बिक्री कर ऋण	-	
इलाहाबाद बैंक से कार ऋण	-	
	-	
कुल गैर-चालू उधार	586.11	682.74

नोट 20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर-वर्तमान		
संबंधित पक्षों से सुरक्षा जमा	28.80	28.80
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण	18.91	
कुल	47.71	28.80

नोट 21 प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
कर्मचारी लाभ के लिए		
ग्रेच्युटी	2,306.95	1,526.88
छुट्टी	909.35	944.13
चिकित्सा	-	-
सेवानिवृत्ति एवं पेंशन के लिए	6.49	6.49
आकस्मिकताओं के लिए	106.59	129.47
बिक्री कर के लिए (सी-फॉर्म)	5.25	5.25
अन्य के लिए	6.77	25.95
कुल	3,341.41	2,638.16

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 22 अन्य गैर चालू देनदारियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर-वर्तमान		
चाय बोर्ड सब्सिडी (पुनर्रोपण सब्सिडी) से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व	663.85	683.20
"पूंजीगत संपत्तियों के लिए चाय बोर्ड सब्सिडी से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व"	38.93	51.31
कुल	702.78	734.52

नोट 23 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुरक्षित		
अनुसूचित बैंकों से		
यूनियन बैंक	1,503.92	1,459.33
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (पंजाब नेशनल बैंक)	3,028.03	3,064.74
इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक)	858.65	1,412.98
बैंक ऑफ बड़ौदा	(4.47)	70.03
आईसीआईसीआई बैंक	2,899.85	-
करूर वैश्य बैंक	1,112.56	-
कुल उधार	9,398.53	6,007.08

नोट 24 व्यापार एवं अन्य देय

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
i) एमएसएमई	2,076.07	-
ii) अन्य	8,317.37	5,938.35
iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)		
iv) विवादित बकाया (अन्य)		
कूल	10,393.44	5,938.35



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

31.03.2023 को लेनदारों की अवधि

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2,076.07	-	-	-	2,076.07
ii. अन्य	7,249.33	-	99.18	968.85	8,317.37
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	9,325.40	-	99.18	968.85	10,393.44
बिल न किया गया बकाया	0	0	0	0	0
कुल	9,325.40	-	99.18	968.85	10,393.44

31.03.2022 तक लेनदारों की उम्र बढ़ना

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	-	-	-	-	-
ii. अन्य	4,595.62	180.66	227.06	935.01	5,938.35
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	4,595.62	180.66	227.06	935.01	5,938.35
बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-
कुल	4,595.62	180.66	227.06	935.01	5,938.35

नोट 25 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	1.34
सुरक्षित सावधि ऋण		
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण 1 वर्ष के भीतर देय	4.49	-
अर्जित ब्याज और उधार पर देय		
अनुसूचित बैंकों से	-	-
अन्य से	0.40	-
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	324.08	297.57
वैधानिक प्राधिकारियों को देय	2,320.41	1,869.17
अन्य	3,676.11	3,539.01
कुल	6,325.49	5,707.09



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 26 अन्य वर्तमान देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-	
अन्य	1,458.95	1,256.03
कुल	1,458.95	1,256.03

नोट 27 - अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
स्टॉक अप्रचलन, आकस्मिकताओं और खाद्य सामग्री के लिए	842.49	932.91
कैपिटल डब्ल्यूआईपी के लिए	-	-
आय कर के लिए	-	-
बकाया वेतन के लिए	-	-
ग्रेच्युटी के लिए	-	-
अवकाश नकदीकरण के लिए	116.53	69.36
वारंटी के लिए	4.54	2.31
चिकित्सा के लिए	173.03	213.69
अन्य के लिए	49.34	49.34
विद्वत शुल्क वसूली योग्य के लिए	23.96	23.96
एनएससी के लिए	0.35	0.35
टीडीएस वसूली योग्य के लिए	1.02	1.02
वसूली योग्य पीएफ के लिए	42.97	42.97
कुल	1,254.24	1,335.91



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 28- परिचालन से राजस्व

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
उत्पादों की बिक्री	36,935.04	33,274.82
कम: व्यापार और अन्य छूट	-	-
कम: बिक्री पर जीएसटी	-	-
उत्पादों की बिक्री	36,935.04	33,274.82
	-	-
सेवाओं की बिक्री	119.15	161.17
	-	-
अन्य परिचालन आय	-	-
-अन्य निर्यात प्रोत्साहन और उसकी बिक्री	18.60	1.55
- चाय बोर्ड सब्सिडी	26.82	21.63
-चाय अपशिष्ट बिक्री	77.10	132.25
अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है	-	6,693.15
अब दायित्व की आवश्यकता नहीं है	71.07	1,062.60
स्क्रेप की बिक्री	120.84	43.43
रॉयल्टी		
अन्य परिचालन आय	34.99	47.85
चाय की बिक्री	-	0.82
निरंतर परिचालन से कुल राजस्व	37,403.60	41,439.28

नोट 29 - अन्य आय

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ब्याज आय (सकल)	135.19	152.42
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	15.82	47.65
किराया(सकल)	468.50	401.72
लाभांश आय	-	-
-एसोसिएट कंपनी से	1,931.80	3,656.89
-अन्य से	2.81	45.03
निवेश की बिक्री पर लाभ	14.29	234.62
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	41.87	1.73
रॉयल्टी	-	-
स्क्रेप की बिक्री	12.76	40.34
स्टॉक की बिक्री	-	-
देनदारियों को बढ़ा में रखने की आवश्यकता नहीं है	227.66	-
अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	92.37	880.27
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ	-	-
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	101.28	-
निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्क	-	-
विनिमय पर लाभ	-	1.86
वाईएसएफ का अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
पूंजीगत सब्सिडी पर विलंबित आय	7.57	9.66
विविध रसीदें सामान्य खर्च	-	20.26
अन्य	123.36	166.42
कुल	3,175.27	5,658.86

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 30 - कच्चे माल और उपभोग किए गए घटक की लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सामग्री, घटक, पैकिंग सामग्री और ढीले उपकरण	13,213.44	9,489.18
कुल	13,213.44	9,489.18

नोट 31 - तैयार माल और कार्य-प्रगति की इन्वेंटरी में परिवर्तन

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
इन्वेंटरी करीब		
तैयार माल	1955.96	689.67
विप	886.26	1432.34
कुल	2842.21	2,122.01
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
तैयार माल	689.67	634.20
विप	1432.34	1384.58
कुल	2,122.01	2018.78
इन्वेंटरी में बदलाव	(720.20)	(103.23)

नोट 32 - कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वेतन और मजदूरी	14,365.14	14,434.15
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2,325.75	2,124.16
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,456.59	1,392.95
कम: पूंजीगत कार्यों, मरम्मत कार्यों आदि पर व्यय।	34.43	32.89
कुल	18,113.05	17,918.37

नोट 33 - मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	644.27	644.90
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	0.47	0.69
कुल	644.74	645.59

नोट 34 - वित्त लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ब्याज व्यय		
- बैंकों को	769.75	584.00
- सरकारी विभागों को	2.80	-
- अन्य के लिए (एलसी और बीजी शुल्क)	85.00	43.83
अन्य उधार लागत (एलसी और बीजी शुल्क)	141.90	169.36
कुल	999.45	797.19



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 35 - अन्य व्यय

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	-	-
बिजली और ईंधन	2,919.21	2,582.93
चाय की खेती और विनिर्माण व्यय	188.60	478.83
किराया (निवल)	95.94	115.65
मरम्मत और रखरखाव:		
- इमारतें	219.38	185.44
- संयंत्र और मशीनरी	146.25	335.90
- अन्य	47.70	51.52
यात्रा व्यय और वाहनों का रखरखाव	247.13	379.78
अनुसंधान एवं विकास व्यय	37.96	46.12
बीमा	52.20	23.69
दरें और कर	28.84	13.28
उत्पाद शुल्क	-	-
चाय पर उपकर	-	-
हरी पत्ती उपकर	-	-
टेलीफोन एवं डाक शुल्क	16.80	13.80
ब्रोकरेज का कमीशन	182.59	213.74
बैंक शुल्क	6.72	10.52
बिक्री का खर्च:		
- विक्रय एजेंट का कमीशन	-	-
-डिलीवरी और माल ढुलाई	690.11	205.97
-अन्य	5.40	451.25
परिसमाप्त हर्जाना और जुर्माना आदि।	62.83	89.48
सुधार/प्रतिस्थापन	2.23	0.88
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया	0.84	6,412.05
विविध शेष बट्टे खाते में डाल दिये गये	-	2,062.30
विज्ञापन	18.55	-
सेवानिवृत्ति निधि के लिए अतिरिक्त योजना परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	-
प्रावधान करना:		
-संदिग्ध ऋण	404.17	125.92
-संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा	147.72	68.47
-निवेश के मूल्य में कमी	-	-
- पुनर्प्राप्त करने योग्य खाता पीएफ	-	-
-वसूली योग्य विद्वत शुल्क		
- एनएससी		
-स्टॉक/भंडार अप्रचलन	27.62	3.29
- एलडी	365.06	-
- टीडीएस वसूली योग्य	-	-
- केओपीटी किराया	-	-
- कैपिटल डब्ल्यूआईपी	-	16.76
- शेड्यूल बैंक	3.23	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक:		

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
-लेखा परीक्षक के रूप में	17.59	15.59
-कर लेखा परीक्षण के लिए	-	-
-अन्य सेवाओं के लिए	9.45	3.27
-प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.87	-
-कराधान मामले के लिए	-	-
अंतर डिवीज़न खर्च चाय	-	-
जीडी- सामान्य व्यय	-	-
सुरक्षा सेवा शुल्क	206.58	123.81
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	-	-
निवेश की बिक्री पर हानि	-	17.94
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.56	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध हानि	-	-
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	152.00	-
विविध व्यय	1,126.01	923.75
कुल	7,430.16	14,971.93

नोट 36 - असाधारण वस्तुएँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वीआरएस ए/सी वेतन	-	1,852.56
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	413.38
कुल	-	2,265.94

नोट 37 - बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
I) संचालन से राजस्व	-	-
II) अन्य आय	-	65.71
III) कुल आय (I+II)	-	65.71
खर्च		
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	-	-
(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर	-	-
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
(घ) उत्पाद शुल्क	-	-
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन	-	-
(च) वित्त लागत	-	-
(छ) अन्य व्यय	-	58.70
IV) कुल व्यय	-	58.70
बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।	-	7.01



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 38 प्रति शेयर आय

रु. (लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रति इक्विटी शेयर आय		
(क) बुनियादी		
(i) वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(ii) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(iii) शेयरों की भारित औसत संख्या	488950978	488950978
(iv) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	2.00	2.00
(v) इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात लाभ उपलब्ध है	117.47	(89.71)
(vi) प्रति इक्विटी शेयर मूल कमाई	0.02	(0.02)
(ख) मिश्रित		
(i) मिश्रित संभावित इक्विटी शेयर	Nil	Nil
(ii) प्रति इक्विटी शेयर मिश्रित आय (रुपये)	0.02	(0.02)

नोट 39 कर्मचारी लाभ

[39.1]

- [a] **छुट्टी का दायित्व:** कंपनी कुछ नियमों के अधीन छुट्टी के नकदीकरण या वेतन सहित छुट्टी का प्रावधान करती है। कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टियां जमा करने के हकदार हैं। बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर संचित अवकाश के दिनों की संख्या के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है। योजना वित्तविहीन है, 31 मार्च, 2023 को अवकाश नकदीकरण के प्रावधान की राशि 1025.88 लाख रुपये (1013.49 लाख रुपये) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में प्रस्तुत की गई है।
- [b] **चिकित्सा लाभ:** घरेलू उपचार के लिए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ तीन साल के ब्लॉक के लिए है और यदि संबंधित कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठाता है तो उसके बाद वार्षिक रूप से समाप्त हो जाएगा। चिकित्सा लाभ की ऐसी घोषित मात्रा के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति के बजाय वास्तविक आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि पात्र राशि अगले ब्लॉक के दौरान तय रहेगी। 31 मार्च, 2023 तक देनदारी की कुल राशि 173.03 लाख रुपये (213.68 लाख रुपये) को खातों में लिया गया है।

[39.2] रोजगार के बाद की बाध्यता- परिभाषित लाभ योजनाएं:

- [a] **ग्रेच्युटी:** ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में योगदान करना है। योजना वित्त पोषित है।
- [b] **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना:-** योजना के तहत कर्मचारी को राशि की एक निश्चित सीमा के अधीन एकमुश्त लाभ मिलता है। इसके लिए दायित्व वास्तविक लागत पर निर्धारित होता है। योजना वित्तविहीन है।
- [c] **पेंशन फंड:-** कंपनी के पास कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ पेंशन फंड है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हालाँकि, 31.03.23 तक इस फंड का कोई पात्र सदस्य नहीं है, वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य शून्य है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के उद्घाटन और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6,622.56	1,013.49	0.00	7,500.97	1,232.83	0.00
वर्तमान सेवा लागत	368.02	120.97	0.00	388.58	147.15	0.00
ब्याज व्यय	468.36	75.56	0.00	499.40	86.32	0.00
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में कमी से उत्पन्न होने वाली एक्चूरियल (लाभ) / हानियां।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	259.83	0.00	0.00	(189.97)	0.00	0.00
अनुभव संबंधी अनुमानों में कमी से उत्पन्न होने वाली क्रियाशील (लाभ)/हानियां।	0.00	0.00	0.00	(31.03)	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	71.22	0.00	0.00	-172.96	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	-389.07	-255.36	0.00	(1,545.39)	-279.84	0.00
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	7,329.70	1,025.88	0.00	6,622.56	1,013.49	0.00

रूपए लाख में

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(ख) उचित मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के शुरुआत और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,095.68	0.00	147.07	6,271.15	0.00	397.07
ब्याज आय	370.46	0.00	0.00	432.71		0.00
पुनर्मापन (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी, (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	-54.32	0.00	0.00	-62.93	0.00	0.00
योगदान	0.00	255.36	0.00	0.14	279.84	(250.00)
लाभ का भुगतान	-389.07	(255.36)	0.00	-1,545.39	(279.84)	0.00
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,022.75	0.00	147.07	5,095.68	0.00	147.07



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपए लाख में

(ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7329.70	1,025.88	0.00	6622.56	1,013.49	0.00
वर्ष के अंत में उचित मूल्य योजना परिसंपत्तियां	5022.75	0.00	147.07	5095.68	0.00	147.07
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (देयताएं)	(2306.95)	(1025.88)	147.07	(1526.88)	(1013.49)	147.07

रुपए लाख में

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(घ) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय						
पुनर्माप (लाभ)/हानि	314.15	0.00	0.00	(158.07)	0.00	0.00
(ङ) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:						
वर्तमान सेवा लागत	368.02	120.97	0.00	338.58	147.15	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत/ (आय)	97.91	75.56	0.00	66.69	86.32	0.00
एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	0.00	71.22	0.00		(172.96)	0.00
कुल खर्च की पहचान	465.92	267.75	0.00	455.27	60.51	0.00
(च) महत्वपूर्ण क्रियात्मक धारणाएं इस प्रकार हैं						
छूट दर	7.31%	7.31%		7.27%	7.27%	
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.31%	लागू नहीं		7.27%	लागू नहीं	
वेतन वृद्धि	3.00%	3.00%		3.00%	3.00%	
कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन						

रुपए लाख में

(छ) गोपनीयता विश्लेषण								
विवरण	छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव				छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव			
	धारणाओं में बदलाव		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	धारणाओं में बदलाव		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
ग्रेच्युटी	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	(135.79)	(466.85)	0.50% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	281.95	520.28
	0.25% की कमी	रुपये की कमी	140.67	537.70	0.50% की कमी	रुपये की कमी	(266.24)	(464.48)
लीव इनकैशमेंट	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		
सेवा-निवृत्ति	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपय लाख में

(ज) भविष्य के वर्षों के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह					
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	754.38	716.50	1,907.55	10,459.76	13,838.20
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	754.38	716.50	1,907.55	10,459.76	13,838.20

[39.3] रोजगार पश्चात दायित्व:

परिभाषित अंशदान योजना:- कंपनी ने अंशदान योजना अर्थात पीएफ और ईएसआई को परिभाषित किया है। परिभाषित अंशदान योजना की अवधि के दौरान पहचाने गए व्यय इस प्रकार हैं:

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
पीएफ में योगदान	2325.26	2124.08
कर्मचारी राज्य बीमा कोष में योगदान	0.49	0.08

नोट 40 आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) आकस्मिक देनदारियाँ		
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	496.20	462.14
विवादित उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क	513.59	513.59
विवादित सेवा कर	-	1.45
विवादित बिक्री कर/वैट	2059.16	2059.16
विवादित आयकर	1911.11	1934.18
(ख) गारंटी		
बैंक गारंटी	1717.96	1596.94
सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के लिए बैंक को दी गई अन्य गारंटी।	-	-
अप्रयुक्त साख पत्र	2070.37	1359.94
(ग) प्रतिबद्धताएँ		
पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	74.95	2.61



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण

रु. (लाख में)

Sl.No.	Particulars	मात्रा	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	बकाया मूल राशि एवं ब्याज यथावत	2076.07	
	i) 45 दिनों के भीतर मूल राशि	—	—
	ii) उस पर ब्याज का मुकदमा		
2	नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि		
3	देय और देय ब्याज की राशि (जहां मूलधन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है)।		
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि।		
5	आगे के ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से किया जाता है।		

नोट 42 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:-वर्ष के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की गई

नोट 43 संबंधित पार्टि प्रकटीकरण

क. संबंधित पक्षों की सूची

सहायक

यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

एसोसिएट्स

टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री संजय भट्टाचार्य - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के. मोहन - निदेशक (कार्मिक)
श्री आर एस मनकू - निदेशक (योजना) के साथ निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
श्रीमती सुचरिता दास - कंपनी सचिव

ख; संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

रु (लाख में)

क्रम संख्या	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त				वर्ष 31.03.2022 को समाप्त			
		सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल
1	वस्तु की खरीद				-	-	1.31	-	1.31
2	वस्तु की बिक्री		65.44		65.44	-	39.17	-	39.17
3	सेवाओं की बिक्री					-			
4	लाभांश आय	-	1,931.80		1,931.80	-	3,656.89	-	3,656.89
5	प्राप्त ब्याज	-				-	0.57	-	0.57
6	किराया और किराया शुल्क प्राप्त	-	354.00		354.00	-	354.00	-	354.00
7	प्राप्त रायल्टी	-				-		-	
8	वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम राशि	-	295.00		295.00	-	30.00	-	30.00

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

क्रम संख्या	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त				वर्ष 31.03.2022 को समाप्त			
		सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल
9	ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान प्राप्त राशि	-	295.00	-	298.78	-	35.04	-	35.04
10	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
11	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
12	व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-	-	4.05	-	4.05
12	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	9.88	-	-	9.88	8.88	3.38	-	12.26
13	अन्य ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
14	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां (सुरक्षा जमा)	-	29.88	-	29.88	-	34.92	-	34.92
15	अन्य अल्पकालिक देनदारियां	-	5.04	-	5.04	-	5.04	-	5.04
16	कॉर्पोरेट गारंटी	-	-	-	-	-	-	-	-
17	31 मार्च तक देय राशि	9088	-	-	9.88	8.88	7.43	-	16.31
18	31 मार्च तक देय राशि	-	-	0.63	0.63	-	39.92	0.63	40.55

नोट 43.1 कंपनी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के बीच लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण

(रुपये लाख में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2022-23	2021-22
[a] निदेशकों को पारिश्रमिक		
श्री संजय भट्टाचार्य	39.59	35.90
श्री के मोहन	44.01	39.71
श्री राजिंदर सिंह मनकू	21.17	-
[b] कंपनी सचिव का पारिश्रमिक		
श्रीमती सुचरिता दास	24.76	17.35

नोट 43.2

निदेशक की फीस से संबंधित खुलासा रु.(लाख में)

स्वतंत्र निदेशक	2022-23	2021-22
ओम प्रकाश मित्तल	0.76	0.32
सुंदर पाल सिंह	0.60	0.32
नमिता देवी	0.72	0.23
अनिल कुमार गोयल	0.54	1.13
अनिल कुमार वर्मा	0.54	1.13
विश्वनाथ गिरिराज	0.41	1.15



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 44

कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास व्यय के कारण 80.60 लाख (पिछले वर्ष 86.09 लाख रुपये) का राजस्व व्यय किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परीक्षण शुल्क	37.96	46.12
टीआरए की सदस्यता	42.64	39.97
कुल	80.60	86.09

नोट 45 आयकर व्यय

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	540.00	290.07
कुल वर्तमान कर व्यय	540.00	290.07
आस्थगित कर:		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	1,671.58	-303.39
(कमी)/आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि	-1,430.82	1,223.20
कुल आस्थगित कर व्यय	240.76	919.81
कुल आयकर व्यय	780.76	1,209.88

नोट 45.1

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का सामंजस्य कई गुना हो गया।

विवरण	(रुपये लाख में)	
	2022-23	2021-22
	कुल	कुल
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	898.23	1113.16
भारत की वैधानिक आयकर दर पर	249.89	324.15
इसका प्रभाव:		
स्थगित कर गति	240.76	919.81
अस्वीकृत व्यय	4625.15	5910.94
अन्य	-4375.26	-5586.79
आयकर व्यय पी/एल खाते में रिपोर्ट किया गया	780.76	1209.88
आयकर की प्रभावी दर पर	86.92	108.69
लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई	780.76	1209.88

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 46 आस्थगित कर व्यय

आस्थगित कर देयताएं (निवल)

	2022-23				2021-22			
	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि
स्थगित कर देनदारियां:								
पीपीई पर मूल्यहास, मूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति	4,689.46	-1,568.33		3,121.13	3,435.79	1,253.67		4,689.45
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00			0.00	-16.47	16.48		0.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-2.70		8.21	5.50	-1.80		-0.90	-2.70
संयुक्त उद्यमों में निवेश अन्य								
कुल स्थगित कर दायित्व	4,686.76	1,568.33	8.21	3,126.64	3,417.52	1,270.14	-0.90	4,686.76
स्थगित कर परिसंपत्तियां:								
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति लाभ	48.88	339.51	137.51	525.90	25.56	70.26	-46.94	48.88
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान अन्य	2,595.73	(2,148.59)		447.14	2,315.67	280.06		2,595.73
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,644.62	(1,809.08)	137.51	973.04	2,341.23	350.32	-46.94	2,644.62
कुल स्थगित कर दायित्व	2,042.09	240.76	(129.30)	2,153.55	1,076.24	919.81	46.04	2,042.09
विलय के कारण एचसीपीएल की विलंबित कर देयता बढ़ी	5.75			5.75	5.75			5.75
स्थगित कर देयता संतुलन और विलय	2,047.84	240.77	-129.30	2,159.30	1,081.99	919.81	46.04	2,047.84

नोट 47.1

कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तभी करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों और उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो।

नोट 47.2

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, असम और पश्चिम बंगाल आयकर के संबंध में कोई देनदारी नहीं है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा माफ कर दिया गया है।

नोट 48(ए) बिक्री और कच्चे माल की खपत

₹ (लाख में)

(i) बिक्री	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वस्तु की श्रेणी		
काली एवं पैकेट चाय	21366.18	22922.96
ट्रान्सफॉर्मर	10256.56	5818.90
औद्योगिक फैन	2248.41	1514.29
सेवा की बिक्री	119.15	211.93
अन्य	3213.92	2967.91
कुल (उत्पादों की बिक्री)	37204.22	33435.99



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

(ii) कच्चे माल की खपत और भंडार की खपत		
सामान	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
इस्पात	565.92	917.94
ताँबा	1368.14	391.02
हरी पत्ती	1017.66	835.41
तेल, रसायन आदि	491.92	368.82
अन्य	9769.80	6975.99
कुल	13213.44	9489.18

रु (लाख में)

(ख) आयातित और स्वदेशी कच्चे माल और उपभोग किए गए भंडार का मूल्य				
(i) कच्चा माल	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	कीमत	%	कीमत	%
आयातित	-	-	-	-
स्वदेशी	13041.74	100.00	9319.62	100.00
	13041.74	100.00	9319.62	100.00
(ii) भंडार				
आयातित	-	-	-	-
स्वदेशी	171.70	100.00	169.56	100.00
	171.70	100.00	169.56	100.00

रु (लाख में)

(ग) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य		
	31.03.2023 तक	31.03.22 तक
कच्चे माल और घटक		-
(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय:		
विदेशी खर्च	-	-
(ङ) विदेशी मुद्रा में कमाई		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	2865.39	511.04

नोट 49 खंड रिपोर्टिंग:

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खंड-वार पुनर्मूल्यांकन, परिणाम, संपत्ति और देनदारियां

रु (लाख में)

विवरण	एकल	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
[1] खंड राजस्व [प्रत्येक खंड से शुद्ध बिक्री/आय]		
[a] चाय	21,371.92	23,124.88
[b] विदूत-कोलकाता	52.14	7,233.66
[c] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	10,342.13	5,862.21
[d] अभियांत्रिकी	5,571.97	5,168.72
[e] आवंटित नहीं की गई	65.44	49.80
कुल	37,403.60	41,439.28
कम: अंतर खंड राजस्व	-	-
परिचालन से शुद्ध बिक्री/आय	37,403.60	41,439.28

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

विवरण	एकल	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
[2] खंड परिणाम		
[प्रत्येक खंड से कर और ब्याज से पहले लाभ(+)/हानि(-)]		
[a] चाय	(323.13)	2,311.34
[b] विदूत-कोलकाता	(57.27)	(1,686.80)
[c] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	493.75	249.37
[d] अभियांत्रिकी	872.52	213.78
कुल	985.87	1,087.69
कम:		
[i] ब्याज	999.45	797.19
[ii] अन्य अनुचित व्यय निवल से अप्राप्य आय	(911.81)	(3,088.60)
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	898.23	3,379.10
असाधारण आइटम विदूत-कोलकाता	-	2,265.94
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	898.23	1,113.16
विदूत-कोलकाता के बंद परिचालन से लाभ/(हानि)।	-	7.01
कर देने से पूर्व लाभ	898.23	1,120.17
कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	780.76	1,209.88
कर के बाद लाभ	117.47	(89.71)
खंड संपत्ति		
चाय	30,347.54	25,445.86
विदूत-कोलकाता	2,501.96	2,696.18
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	11,178.62	6,085.02
अभियांत्रिकी	6,382.85	6,263.73
अनावंटित कॉर्पोरेट	3,917.52	4,606.66
कुल	54,328.50	45,097.45
खंड देनदारियाँ		
चाय	18,166.27	12,352.27
विदूत-कोलकाता	2,486.74	2,650.00
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	8,172.09	3,537.59
अभियांत्रिकी	3,060.11	3,916.43
अनावंटित कॉर्पोरेट	3,782.75	3,920.23
कुल	35,667.96	26,376.52
नियोजित खंड पूंजी (खंड संपत्ति-खंड देनदारियाँ)		
चाय	12,181.27	13,093.59
विदूत-कोलकाता	15.22	46.18
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	3,006.53	2,547.43
अभियांत्रिकी	3,322.74	2,347.30
अनावंटित कॉर्पोरेट	134.77	686.43
कुल	18,660.54	18,720.93

नोट 50

कंपनी की सहायक कंपनियों से संबंधित खुलासे

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2023 तक शेयरधारिता का %	31 मार्च 2022 तक शेयरधारिता का %
1	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	एवाईसीएल के साथ विलय
2	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	100%	100%
3	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	100%	100%



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 51

स्वीकृत पुनर्वास योजना (एसआरएस) के अनुसार यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम पर शामिल दो 100% सहायक कंपनियों को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल डिवीजन की संपत्तियों और देनदारियों का लंबित हस्तांतरण, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त डिवीजनों से संबंधित सभी लेनदेन दर्ज किए गए कंपनी द्वारा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के नाम पर किए गए भुगतान को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है।

नोट 52

अन्य प्राप्तियों में बिजली शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 85.96 लाख रुपये शामिल हैं, जिसे पश्चिम बंगाल औद्योगिक नवीकरण योजना, 2001 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 233-आईआर/ओ/आईएम-4/2003 दिनांक 25 फरवरी, 2014 के तहत प्राप्य माना गया है। बंगाल विदूत नियम, 1935 के प्रावधानों के तहत बिजली शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि 31 मार्च, 2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए माफ कर दी जाएगी। हालांकि अत्यधिक सावधानी के तौर पर इसे खातों में प्रदान किया गया है।

नोट 53

मैसर्स वेबफिल लिमिटेड के 295.00 लाख रुपये (पीवाई 295.00 लाख रुपये) (मूल मूल्य 305 लाख रुपये और शून्य के 6% संचयी भुनाने योग्य तरजीही शेयर) के शून्य रेटेड असुरक्षित भुनाने योग्य बॉन्ड (पीवाई 153.30 लाख रुपये) (मूल मूल्य 204.40 लाख रुपये) के संबंध में अधिस्थगन अवधि क्रमशः 21/12/2021 और 01/04/2021 को समाप्त हो गई है। 161.68 लाख रुपये के संचयी तरजीही शेयरों पर लाभांश का हिसाब रखा जाएगा, जब भी उन्हें प्राप्त किया जाएगा, हालांकि, मैसर्स वेबफिल लिमिटेड ने एक चुकौती अनुसूची प्रस्तुत की है, जिसे एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष	किश्तें ए/सी वरीयता शेयर	किश्तें ए/सी बांड
2022-23	160 लाख रुपये (*)	————
2023-24	100-120 लाख रुपये(**)	————
2024-25	शेष राशि	140-160 लाख रुपये
2025-26	————	शेष राशि

(*) अप्रैल 2022 में प्राप्त हुआ।

(**) अप्रैल-23 में वरीयता शेयरों पर लाभांश के रूप में 110 लाख रुपये (टीडीएस सहित) प्राप्त होने के बाद से इसका प्रभाव तब दिया जा रहा है जब वे प्राप्त होते हैं।

नोट 54

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के 04/06/2021 के आदेश के बाद 100% सहायक कंपनी, मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों का एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया है।

तत्कालीन मैसर्स हुगली प्रिंटिंग के स्टोर और प्लांट और मशीनरी को एमएसटीसी के माध्यम से ई-नीलामी के लिए रखा गया है और जब भी वे बेचे जाएंगे, तब प्रभाव दिया जाएगा। चूंकि उक्त संपत्तियों का वास्तविक मूल्य अभी बेचा जाना है। आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है, उन संपत्तियों का वहन मूल्य 4.53 लाख रुपये की संपत्ति के उचित मूल्य में वृद्धि / कमी के रूप में नोट संख्या 35 में अन्य व्यय प्रमुख के तहत लगाया गया है। पूर्ववर्ती हुगली प्रिंटिंग कंपनी की संपत्ति के रखरखाव के लिए आवश्यक किराया, बिजली, सुरक्षा सेवाओं जैसे व्यय को 04/06/2021 से कॉर्पोरेट डिवीजन के तहत दर्ज किया गया है।

नोट 55

कंपनी स्ट्रैप के रूप में घोषित करने और अंततः उसे बिक्री के लिए रखने से पहले एक स्ट्रैप समिति द्वारा व्यक्तिगत वर्तमान या गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के निरीक्षण की प्रथा का पालन करती है।

नोट 56

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान का दायित्व कंपनी के लिए समग्र रूप से माना जाता है, इकाई/डिवीजन के अनुसार नहीं।

नोट 57

कैपिटल डब्ल्यूआईपी में आईएनडी-एस के अनुपालन में 9288.08 लाख रुपये (2021-22 में 8200.72 लाख रुपये) की राशि के युवा चाय पौधों के पोषण और संबंधित खर्च शामिल हैं।

नोट 58

डुआर्स में तीन चाय बागानों के भूमि पट्टे के नवीकरण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 177.66 लाख रुपये की सलामी मांगी है, जिसे एवाईसीएल द्वारा स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ कोलकाता में उच्च सरकारी प्राधिकरणों के साथ झूट के लिए लिया गया है। एवाईसीएल को कंपनी के पक्ष में इस मुद्दे के निपटान की आशा है, जो सलामी के भुगतान के बिना एवाईसीएल के एक अन्य गार्डन के लिए पट्टे के नवीकरण से भी संकेत है।

चूंकि यह मामला सरकार और अर्ध सरकारी-प्राधिकरणों/स्वायत्त निकाय (जैसा भी लागू हो) से संबंधित है और यद्यपि मांगों की माफी के लिए कंपनी के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है, एवाईसीएल ने एक प्रसिद्ध कानूनी सॉलिसिटर फर्म से कानूनी राय प्राप्त की है, जिसके आधार पर नोट संख्या 40 में उल्लिखित कंपनी के खिलाफ दावों में 177.66 लाख रुपये की कुल राशि शामिल है।

नोट 59

कंपनी के पास देनदारों और लेनदारों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्रमाणपत्र मांगने की प्रणाली है। हालांकि, कंपनी ने उन मामलों के लिए खातों में उपलब्ध आंकड़ों को बनाए रखा है, जिनमें देनदारों/लेनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 60

"नोट अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" (नोट 13) के तहत "वैधानिक प्राधिकारियों के साथ शेष राशि" में पूर्ववर्ती औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाली पुनः निधि के लिए 42.97 लाख रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में। इस संबंध में एक दावा पहले ही केंद्रीय भविष्य निधि (पीएफ) अधिकारियों के पास दायर किया जा चुका है, जिन्होंने बदले में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि प्राधिकरणों के साथ इसे उठाया है। यह सरकारी विभाग की ओर से देय है, तथापि, प्रचुर सावधानी के तौर पर उपरोक्त राशि खातों में उपलब्ध करा दी गई है।

नोट 61

दिनांक 12/11/2021 और 05/01/2022 की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, इलेक्ट्रिकल कोलकाता संचालन की तीन इकाइयों के विद्वत प्रतिष्ठानों सहित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का निपटान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के दौरान, आईएनडी एस 105 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उक्त संपत्तियों को "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में माना गया। चूंकि एक वर्ष की समाप्ति के बाद भी, जैसा कि आईएनडी एस 105 में निर्धारित है, भूमि और भवन के संबंध में कंपनी को अभी तक भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है और संयंत्र और मशीनरी के संबंध में, जिन्हें बार-बार नीलामी आयोजित करने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला, उन संपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गई राशि को निम्न स्तर पर सामान्य अचल संपत्तियों में पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।

- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) से पहले इसकी अग्रणीत राशि को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किसी भी मूल्यहास, परिशोधन या पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया गया था, जिसे मान्यता दी गई होती अगर परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता।
- इसकी वसूली योग्य राशि यानी 31 मार्च, 2023 को निपटान की लागत घटाकर वसूली योग्य मूल्य
- इसके अलावा, जहां भी वसूली योग्य मूल्य आसानी से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिसंपत्तियों का वहन मूल्य शून्य माना गया है। लाभ और हानि को निरंतर संचालन से उत्पन्न माना गया है और उचित मूल्य के पुनः माप के संबंध में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नोट 35 में संपत्ति का "अन्य व्यय" 147.47 लाख रुपये।

इसके अलावा आईएनडी एस 105 के अनुसार इलेक्ट्रिकल कोलकाता की संपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के बाद, आईएनडी एस के पैराग्राफ 33-35 के अनुसार बंद किए गए परिचालनों में पहले प्रस्तुत उन संपत्तियों के संचालन के परिणामों को पुनः वर्गीकृत किया गया है और निरंतर परिचालन से आय में शामिल किया गया है।

नोट 62

चाय नर्सरी और छाया नर्सरी के लिए किया गया व्यय रु. 663.45 लाख और रु. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में होने वाली नई खेती और पुरानी खेती गतिविधियों से संबंधित राशि को अलग करना संभव नहीं है, 31.03.2023 तक उद्यान अग्रिम के तहत क्रमशः 154.06 लाख का हिसाब लगाया गया है। इसका पता केवल 18 महीने की समाप्ति पर ही लगाया जा सकता है।

नोट 63

कंपनी ने निम्नलिखित तरीकों से 01/04/2019 से प्रभावी आईएनडी एस -116 को अपनाया है: (क)मानकों को केवल ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा निष्पादित पट्टा समझौते और/या अधिसूचनाएं कंपनी के हाथों में हैं और नीचे (बी) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, ऐसे पट्टे की शेष अवधि 01/04/2019 तक है। (ख) असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने, भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर, नोट किया है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 की धारा 9 पट्टेदार को अधिकार का अधिकार प्रदान करती है। अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, उपकरों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए।

नोट 64

कंपनी ने 31.03.2023 तक बैंक उधारों का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिनके लिए उक्त उधार स्वीकृत किए गए हैं और लिए गए हैं।

नोट-65

कंपनी ने अंतिम कंपनी/वित्तपोषण कंपनी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने या निवेश करने के लिए किसी व्यक्ति/संस्था (विदेशी सहित) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी/प्रतिभूति प्रदान की है।

नोट-66

बैंक को प्रस्तुत वर्तमान परिसंपत्तियों के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं। कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन को छोड़कर चूंकि कोई ऋण देने वाला बैंक नहीं है, ऐसे बयान का सवाल ही नहीं उठता।

नोट-67

तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

- ब्रैकेट में आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
- इन खातों के आंकड़ों को निकटतम लाखों रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

एसके बसु एंड कंपनी हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.नं.: 301026E

एस.बसु

पार्टनर (सदस्य संख्या: 053225)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 29 मई 2023

यूडीआईएन:23053225BGZHQ02176

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास

कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू

निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07674268



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित आईएनडी-एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

हमने एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर 29 मई, 2023 को एक लेखा परीक्षण रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट) जारी की, जिसे उस तारीख को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत नीचे दिए गए बिंदु (i) से संबंधित मामले के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की टिप्पणियों के अनुसार, लेखा परीक्षण रिपोर्ट को संशोधित किया गया है। तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण पर संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार, हमने यह संशोधित रिपोर्ट जारी की है जो 29 मई, 2023 की हमारी मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है।

(i) बिंदु संख्या 2 (सी) "योग्य राय का आधार" में

(1) योग्य राय

हमने एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ("द होल्डिंग कंपनी") के समेकित आईएनडी एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किए गए सहायक कंपनियों और सहयोगियों (एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय विवरणों पर विचार किया है, जिसमें समेकित तुलन पत्र शामिल है। 31 मार्च, 2023 को, और लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें एक भी शामिल है महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (बाद में इसे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस रिपोर्ट में उल्लिखित "योग्य राय के लिए आधार" खंड में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त समेकित आईएनडी एस वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी दें और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की समेकित स्थिति के अनुसार, समेकित लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और वर्ष के लिए इसके समेकित नकदी प्रवाह का विवरण प्रदान करता है।

(2) योग्य राय का आधार

2(a) देनदारों और लेनदारों से शेष राशि की पुष्टि प्रमाणपत्र और पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षण साक्ष्य के अभाव में, हम देनदारों और लेनदारों के शेष की शुद्धता और किए जाने वाले वास्तविक प्रावधान के बारे में एक राय बनाने में असमर्थ हैं। कंपनी के लाभ और हानि पर उपरोक्त का प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। कंपनी के पास अवधि के आधार पर प्रायः राशि प्रदान करने की कोई नीति नहीं है। कंपनी के प्रत्येक डिवीजन में 36 महीने से अधिक समय से बकाया देनदार इस प्रकार हैं:

प्रभाग का नाम	31.3.23 को कुल प्राप्य (लाख रुपये में)	36 महीने से अधिक की प्राप्य राशि (लाख रुपये में)	31.3.23 तक उपलब्ध प्रावधान (लाख रुपये)
चाय प्रभाग	280.96	शून्य	8.39
इंजीनियरिंग प्रभाग	3992.83	892.56	329.36
इलेक्ट्रिकल चेन्नई	8287.65	413.22	514.95
सामान्य प्रभाग	106.48	32.48	शून्य
कुल	12,667.93	1,338.26	852.70

इसलिए हम कंपनी द्वारा किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2(b) यह लेखा परीक्षण समिति की बैठक में हल किया गया था और निदेशक मंडल द्वारा 12 नवंबर, 2021 को आयोजित बैठक में पारित किया गया था कि संपूर्ण अप्रयुक्त स्टॉक और मशीनरी (स्टोर/परिसंपत्ति में नहीं रखे गए किसी भी पुराने माल सहित) रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल डिवीजन का स्क्रेप एमएसटीसी के माध्यम से बेचा जाना है। हालाँकि, यदि कोई बेहिसाब वस्तु पाया गया है, तो उसका हिसाब दिया जाना चाहिए। यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है कि ऐसा सामान भौतिक सत्यापन से कैसे बच गया होगा और बेहिसाब रह गया होगा। ऐसे बेहिसाब स्टॉक में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10.76 लाख रुपये के मूल्य पर सामग्रियों का निपटारा किया गया।

ऐसे बेहिसाब वस्तु-सूची की मौजूदगी के कारण, हम यह राय देने की स्थिति में नहीं हैं कि विद्वत प्रभाग की पुस्तकों में वस्तु-सूची का उचित मूल्य दर्ज किया गया है या नहीं। उपरोक्त के कारण कंपनी के लाभ या हानि पर प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2(c) इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शुद्ध वहन राशि 534.49 लाख रुपये शुद्ध धारण मूल्य और उचित बाजार मूल्य के

निचले स्तर पर पुनर्वर्गीकरण और निपटान के बाद इलेक्ट्रिकल डिवीजन, कोलकाता के संपत्ति संयंत्र और उपकरण में शामिल किए गए हैं। पिछले वर्ष इसे पहले "निपटान के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि उपरोक्त परिसंपत्तियों को बेचने का प्रबंधन का इरादा आज तक नहीं बदला गया है, हमारी राय में परिसंपत्ति को निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों में ही रहना चाहिए था और संपत्ति संयंत्र और उपकरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। यदि पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया होता, तो शुद्ध लाभ 22.42 लाख रुपये अधिक होता और संपत्ति का मूल्य 22.42 लाख रुपये अधिक होता।

हमने अपनी ऑडिटिंग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारे अनुभाग के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं। और हमने आचार संहिता की आवश्यकता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

(3) मामले का ज़ोर:

हमारी लेखा परीक्षण रिपोर्ट को संशोधित किए बिना, हम निम्नलिखित मदों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लेखा परीक्षा के अभाव में लेखांकन/प्रचालनात्मक आंकड़ों की सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आंकड़ों की वसूली और डाटा अंतरण के महत्वपूर्ण स्तरों पर और समेकन के समय मैन्युअल हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उच्च लेखापरीक्षा जोखिम उत्पन्न होता है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने खातों के रखरखाव के अनिवार्य भाग के रूप में "ऑडिट टूल" की अवधारणा भी पेश की है और 2023-24 से कंपनी की संपूर्ण लेखा प्रणाली को कवर करना चाहिए। कंपनी ने ऐसी सुविधाओं को केवल वित्तीय लेनदेन जैसे नकद / बैंक आदि के लिए पेश किया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार संपूर्ण लेखा प्रणाली लेखापरीक्षा के अधीन होनी चाहिए।
- कंपनी के लीड डीड और टाइटल डीड के रिकॉर्ड को बनाए रखने की प्रक्रिया में पर्याप्त नियंत्रण का उपयोग न करने से ऑडिट जोखिम बढ़ जाता है।
- कंपनी के प्रभागों ने कंपनी की उपदान निधि में कोई राशि का योगदान नहीं किया है जिसका उपयोग कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 2306.95 लाख - रुपये की ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2015-16 में पूर्ववर्ती बीआईएफआर द्वारा जारी एक आदेश के अनुसरण में पीएफ विभाग, भारत सरकार से 42.97 लाख रुपये की रिफंड राशि लंबे समय से लंबित है। तथापि, खातों में राशि का पूरा प्रावधान कर दिया गया है।
- तीन चाय बागानों नामत बानबनेरहाट, चूनाभुट्टी और हरितालगुड़ी-3 (न्यू डुआर्स के) के पट्टे समझौते का लंबे समय से नवीकरण नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय बागानों के पट्टे के नवीकरण के लिए सलामी की मांग की है। 177.66 लाख रुपये (पिछले वर्ष-177.66 करोड़ रुपये) की राशि को कंपनी द्वारा "ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों" के रूप में माना जाता है। इस मामले को तुरंत हल किया जाना चाहिए क्योंकि यह अपने संचालन के तहत चाय बागानों के कंपनी के स्वामित्व पर विवाद करता है। ब्रेंटफोर्ड यूनिट की प्लेट बी को 1 अक्टूबर, 2021 को मकान मालिक - श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (तत्कालीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) को सौंप दिया गया है और पट्टे के नवीकरण और देय ब्याज के निर्धारण के बाद प्लेट ए को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (तत्कालीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। कंपनी द्वारा पट्टे के किराए का भुगतान किया जा रहा है।
- इंजीनियरिंग प्रभाग में दो निष्क्रिय बैंक खाते हैं, इसके लिए 00.7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इन खातों को बंद कर दिया जाना चाहिए।
- कंपनी द्वारा धारित कुछ संपत्तियों की वर्तमान नगरपालिका कर रसीदें हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
- कंपनी के सभी प्रभागों में पुराने बकाया अग्रिम पड़े हुए हैं जो असमायोजित रह गए हैं। अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत व्यय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अग्रिम के रूप में कुल 4425.39 लाख रुपए की राशि दी गई है जिसमें से संदिग्ध अग्रिमों के लिए केवल 366.67 लाख रुपए का प्रावधान है (54.61 लाख रुपए के नए प्रावधान सहित)। इन अग्रिमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - प्रीपेड खर्च, जिसे अलग से दिखाया जाना चाहिए।
 - सभी डिवीजनों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के रूप में दी गई अग्रिम राशि 762.79 लाख रुपए - रुपये होगी। एलआईसी से वसूली न होने के कारण असमायोजित रह गए हैं।
- कंपनी के पास वेबफिल में 4,15,000 इक्विटी शेयर हैं, जिनका मूल्य 54.28 लाख रुपए (एनएवी) है। इसके पास 10 रुपये के 6% संचयी भुनाने योग्य वरीयता शेयर भी थे- 153.30 लाख रुपए (मूल मूल्य 204.40 लाख रुपए) जिसे वर्ष के दौरान भुनाया गया है और असुरक्षित भुनाने योग्य परिवर्तनीय बॉन्ड 295.00 लाख रुपए (305.00 लाख रुपए का मूल मूल्य) जिसे क्रमशः 1.4.21 और 20.12.21 को भुनाया जाना था। आज की तारीख में 295 लाख रुपए की पूरी राशि बकाया है।



वेबफिल ने 20.04.2022 को 160 लाख रुपये की राशि और अप्रैल 2023 में 110 लाख रुपये की राशि का भुगतान तरजीही शेषों पर मूलधन के लाभांश और आंशिक भुगतान के लिए किया है। वेबफिल ने देय शेष राशि के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची प्रस्तुत की है। भुगतान के स्थगन के कारण अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का कंपनी द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

- j. चाय प्रभाग में 155.65 लाख रुपये के बिल प्राप्तियां, जिसमें 42.01 लाख रुपये की सब्सिडी, 61.86 लाख रुपये का बिजली शुल्क (पहले से ही प्रदान किया गया) और विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों से 19.76 लाख रुपये की पैकेट चाय सहित अन्य प्राप्तियां शामिल हैं, एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।
कंपनी 31.91 लाख रुपये की ब्रोकरेज राशि पर टीडीएस की वसूली नहीं कर सकी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 और पिछले वर्षों से संबंधित प्राय बिलों में शामिल है।
- k. कंपनी के डिवीजनों के मामले में पीएफ, डीएलआई और पीएफ प्रशासन शुल्क जमा करने में देरी हुई थी। रिपोर्ट की तारीख तक मार्च 2023 के बकाये का भुगतान किया जाना बाकी है।
एमआईएम चाय बागान में एक कर्मचारी के मामले में, पीएफ काटा गया है, लेकिन जून 2022 से जमा नहीं किया जा सका क्योंकि आधार और पीएफ रिकॉर्ड के बीच जन्म तिथि में विसंगतियों के कारण पीएफ कार्यालय द्वारा यूएएन नंबर प्रदान नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों का पालन किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।
- l. चाय प्रभाग हमारे सत्यापन के लिए हमें 98.01 लाख रुपए (पश्चिम बंगाल बागान- 15.66 लाख रुपए और असम बागान- 82.35 लाख रुपए) की जमानत जमा राशियों की मूल प्राप्तियां प्रदान नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में वसूली में कठिनाई हो सकती है।
- m. कंपनी के पेंशन फंड का प्रबंधन करने के लिए गठित ट्रस्ट की कोई लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमें प्रदान नहीं की गई है।
- n. चाय प्रभाग ने पश्चिम बंगाल में दो बागानों के मामले में वित्तीय वर्ष 2018-19 और इससे पहले श्रम कल्याण कोष में 1.10 लाख रुपये का अवैतनिक बोनस जमा नहीं किया है।
- o. चाय विभाग के संपत्ति रजिस्टर में यह पाया गया कि कुछ संपत्तियों को गलत मदों के तहत वर्गीकृत किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार संपत्ति प्रमुखों के साथ मेल नहीं खाती है। कुछ मामलों में परिसंपत्तियों का जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में दिए गए जीवन से मेल नहीं खाता है, संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर, जहां विभिन्न जीवन दिखाने वाली एक तकनीकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है। कुछ मामलों में पुरानी अचल संपत्तियों के शेष जीवन को गलत तरीके से लिया गया है।
हमने पाया कि प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर की कई वस्तुओं के नाम / प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की जा रही थी।
इन परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व, भौतिक स्थिति और वसूली योग्य मूल्य संदेह के घेरे में है। दूसरी ओर, कुछ संपत्तियां हैं जो गार्डन में बनाए गए मैनुअल फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में शामिल हैं, लेकिन प्रधान कार्यालय के रिकॉर्ड में पहचान योग्य नहीं हैं।
प्रधान कार्यालय कम्प्यूटरीकृत अचल संपत्ति रजिस्टर रखता है जबकि चाय बागान मैनुअल अचल संपत्ति रजिस्टर बनाए रखते हैं। नमूना आधार पर यह देखा गया कि ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं।
हमें ऐसे मामले भी मिले हैं जिनमें प्रधान कार्यालय के रिकॉर्ड में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मूल्यहास की दर का गलत अनुप्रयोग होता है। हमने पाया कि केवल कुछ बागानों ने संपत्तियों को क्षतिग्रस्त/अस्तित्वहीन के रूप में पहचाना है, जबकि अन्य ने अभ्यास ठीक से नहीं किया है। नतीजतन, कंपनी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ घोषित नहीं कर सकी और उन परिसंपत्तियों पर खातों में क्षति हानि की गणना नहीं की जा सकी। हमने पाया कि पश्चिम बंगाल में कर्बला गार्डन के मामले में ठेकेदारों ने कुछ भवनों के सामान्य मरम्मत कार्य के लिए 839 लाख रुपये के बिल प्रदान किए हैं, जिन्हें गलत तरीके से पूंजीकृत किया गया है।
- p. चाय प्रभाग के प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के मामले में 57.66 लाख रुपये की राशि लगभग एक वर्ष के लिए 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष राशि के रूप में पड़ी हुई है। हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि धन की कमी के कारण काम पूरा नहीं किया जा सका।
- q. यूटीआई म्यूचुअल फंड के तीन फोलियो में से एक फोलियो के मामले में कंपनी के पैर के अभाव में 20% पर टीडीएस काटा गया है। चूंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के पैर के बिना टीडीएस जमा कर रहा है, इसलिए कंपनी को 41,001 रुपये की उक्त टीडीएस राशि का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा।
- r. इलेक्ट्रिकल डिवीजन, चेन्नई में 334.41 लाख रुपये मूल्य की इन्वेंट्री में से 44.66 लाख रुपये की राशि तीन साल से अधिक पुरानी है, लेकिन स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान केवल 12.07 लाख रुपये के लिए है।
- s. असम बागानों के कर्मचारियों द्वारा 7.02 लाख रुपये का व्यक्तिगत योगदान चाय उद्योग में प्रथा के अनुसार "जमा" में शामिल किया जाता है, जिसे इस शीर्ष के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी से देय नहीं है।
- t. चाय प्रभाग में 681.69 लाख रुपये की भूमि तैयार करने के लिए अग्रिम राशि को पूंजीगत अग्रिम के तहत दिखाया जाना चाहिए और विभिन्न वर्षों में दिए गए अग्रिम (उद्यान) में शामिल चाय नर्सरी 663.45 लाख रुपये और शोड नर्सरी पर 154.06 लाख रुपये के खर्च को पूंजी और राजस्व में अलग नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन पूंजीकृत किए जाने वाले हिस्से की पहचान करने में असमर्थ है। (खातों के नोट नंबर 62 के अनुसार)।



- u. इंजीनियरिंग डिवीजन के मामले में, परिचालन लाभ में 20.00 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जो अप्रचलित डब्ल्यूआईपी स्टॉक के लिए 2018 में किए गए प्रावधान के उलट है और "अन्य परिचालन आय" के तहत "ऑपरेशन से राजस्व" में दिखाया गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल डिवीजन के मामले में, परिचालन लाभ में 51.06 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, क्योंकि देनदारियों को अब राइट बैक की आवश्यकता नहीं है। हमारी राय में इसे "अन्य आय" के रूप में माना जाना चाहिए।
- v. चाय प्रभाग के स्टोरों के मामले में, 987.68 लाख रुपये के उपभोग मूल्य वाली 5074 वस्तुओं के पास 31 मार्च, 2023 तक कोई समापन स्टॉक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन रुक सकता है और अंततः कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। 01.04.2022 को 254.91 लाख रुपये के शुरुआती स्टॉक मूल्य वाली 2621 वस्तुओं के मामले में पूरे वित्तीय वर्ष में कोई हलचल नहीं हुई है। ऐसी कई मर्दें हो सकती हैं जो लंबे समय से अचलती स्थिति में बनी हुई थीं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी मर्दों में अप्रचलन और कार्यशील पूंजी की हानि होगी।
- w. एवाईसीएल की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव है और 4 जनवरी, 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय को बंद करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- x. स्टोर और पुर्जों और अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का दायरा और कवरेज पर्याप्त नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- y. वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड ने अपने दिनांक 08.08.22 के पत्र द्वारा सूचित किया कि वुडलैंड्स मेडिकल सेंटर और वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के बीच समामेलन के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में तत्कालीन ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड द्वारा जारी 7,400 रुपये के परिवर्तनीय डिबेंचर के रूपांतरण के बदले 10 रुपये अंकित मूल्य के 740 इक्विटी शेयर कंपनी को जारी किए गए हैं। ये शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं। इसलिए कंपनी ने एमएसटीसी के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली द्वारा 2021-22 में कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों के मूल्य के आधार पर प्रत्येक शेयर का मूल्य 905 रुपये रखा है।

सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई योग्य राय:

यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने निम्नलिखित कारणों से एक योग्य राय दी है:

- (a) कंपनी एमसीए द्वारा अधिसूचित आईएनडी एएस-1 में परिभाषित एक चालू चिंता का विषय नहीं है क्योंकि संबंधित वर्ष के साथ-साथ हाल के दिनों में कोई परिचालन गतिविधियां नहीं थीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसका खुलासा "वित्तीय विवरण के नोट्स" में नहीं किया गया है, जो एमसीए द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक -1 से हटकर है।
- (b) एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड से असुरक्षित उधार के लिए भुगतान की शर्तों और देय ब्याज, यदि कोई हो, से संबंधित कोई समझौता उपलब्ध नहीं था। यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने निम्नलिखित कारणों से एक योग्य राय दी है: कंपनी आईसीएआई द्वारा जारी आईएनडी एएस-1 में परिभाषित एक चालू चिंता का विषय नहीं है क्योंकि संबंधित वर्ष के साथ-साथ हाल में भी कोई परिचालन गतिविधियां अतीत में नहीं थीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसका खुलासा "वित्तीय विवरणों के नोट्स" में नहीं किया गया है, जो आईसीएआई द्वारा जारी आईएनडी एएस-1 से अलग है।

(4) समेकित एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

कंपनी के निदेशक मंडल जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित जानकारी शामिल नहीं है। वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक उस पर रिपोर्ट करते हैं। हमें आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(5) प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षण मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों में एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को इस रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है।



क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1.	<p>राजस्व मान्यता माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व (बाद में राजस्व के रूप में संदर्भित) को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को दिए जाते हैं। वस्तु की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न या भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व पहचान का समय कंपनी के रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक है। प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए राजस्व एक प्रमुख उपाय है। नियंत्रण हस्तांतरित होने से पहले राजस्व दर्ज किए जाने का जोखिम है।</p>	<p>हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: आईएनडी के अनुरूप कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों का मूल्यांकन किया गया एएस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) और उसका परीक्षण किया गया: सामान्य सूचना और प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण की अखंडता का मूल्यांकन किया गया और राजस्व की पहचान पर नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। राजस्व पहचान के संबंध में कंपनी के नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। वर्ष के अंत में राजस्व कटौती पर ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। नमूना आधार पर वर्ष के अंत के करीब और वर्ष के अंत के बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए बिक्री लेनदेन के लिए सहायक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जहां उपयुक्त हो, चक्रीय प्रवृत्तियों के साथ राजस्व की तुलना की, आगे की पूछताछ और परीक्षण किया। आईएनडी एएस 115 में निर्दिष्ट अनुसार राजस्व के संबंध में वित्तीय विवरणों में मूल्यांकन किए गए खुलासे। वर्ष के अंत के करीब और वर्ष के अंत के बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए बिक्री लेनदेन के लिए। जहां उपयुक्त हो, चक्रीय प्रवृत्तियों के साथ राजस्व की तुलना की, आगे की पूछताछ और परीक्षण किया। वित्तीय विवरणों में मूल्यांकन किए गए खुलासे आईएनडी एएस 115 में निर्दिष्ट राजस्व के संबंध में।</p>
2.	<p>प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिनके अंतिम परिणाम की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियाँ हो सकती हैं। आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे एकल आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुकदमेबाजी से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है। इसमें शामिल राशियाँ और देयता के रूप में प्रदान की जाने वाली या आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का निर्धारण करने के लिए लेखांकन मानकों का अनुप्रयोग स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है। इसके लिए प्रावधान के स्तर को स्थापित करने के लिए निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है, इससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों को उचित रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है या पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, यह मामला एक प्रमुख ऑडिट मामला माना जाता है।</p>	<p>मुकदमेबाजी और आकस्मिक देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हमने कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ा। हम, जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह पढ़ते हैं। हमने किसी भी देनदारी की संभावना, परिमाण और लेखांकन के बारे में कंपनी के आकलन को निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम के साथ चर्चा की। उपरोक्त के प्रकाश में, हमने दर्ज प्रावधानों की मात्रा की समीक्षा की और एकल आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया।</p>

(6) समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और शासन के साथ वे शुल्क:

होल्लिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है। जो भारत में अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, इकिटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम

के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मंडल संबंधित कंपनियों की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने और, जैसा लागू हो, खुलासा करने के लिए जिम्मेदार है। गोइंग कंसर्न से संबंधित मामला और लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों और उसके सहयोगियों के संबंधित निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सहयोगियों की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

(7) वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित आईएनडी की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित आईएनडी एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एएस के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षण हमेशा मौजूद होने पर एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें इन आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

हमारे लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में, एएस के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक भौतिक गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (आई) के तहत हम इस बात पर राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

लेखांकन के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी राय को संशोधित करने के लिए आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक सतत चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

प्रकटीकरण सहित आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और क्या आईएनडी एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने लेखा परीक्षण के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

(8) अन्य मामले

(a) हमने दो सहायक कंपनियों, अर्थात् यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से जानकारी पर विचार किया है, जिनके वित्तीय विवरणों का ऑडिट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जो 31 मार्च, 2023 तारीख तक 0.06 लाख रुपये की कुल संपत्ति दर्शाते हैं। उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर संचालन से कुल राजस्व शून्य रुपये था, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों का 1.00 लाख रुपये का शुद्ध घाटा भी शामिल है।

(b) एकल सहयोगी कंपनी, टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय पर हमारी राय है। बयान, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और



सहयोगियों के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह संबंधित है उपर्युक्त सहायक कंपनियां और सहयोगी, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो दो सहायक कंपनियों यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा एसए 705 और एसए 570 के गैर-अनुपालन के अधीन हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

(9) अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा आवश्यक रूप से, हम अनुलग्नक "क" में आदेश के पैराग्राफ 3 (xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक विवरण देते हैं।
- 2) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (a) विषय अनुच्छेद पर जोर देने में हमारी टिप्पणियों के साथ पढ़ें, हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त की है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - (b) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, और हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई इकाइयों और अन्य ऑडिटों की रिपोर्ट से प्राप्त हुए हैं, जो इस रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लिखित मामले की हमारी योग्यता/जोर के अधीन है।
 - (c) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय विवरणों सहित लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाहों का विवरण वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखे गए बही-खातों के अनुरूप हैं, बशर्ते कि इस रिपोर्ट में कहीं और मामले की हमारी योग्यता/जोर दिया गया हो।
 - (d) हमारी राय में, उपर्युक्त आईएनडी एस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिदष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है , बशर्ते कि इस रिपोर्ट में कहीं और मामले की हमारी योग्यता/जोर दिया गया हो।
 - (e) निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164 (2) दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर.463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।
 - (f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक ख में देखें।
 - (g) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निदेशों के अनुसार सूचित किए जाने वाले अपेक्षित मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक ग में देखें।
 - (h) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - (i) i. कंपनी ने अपने आईएनडी एस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 40 देखें;
 - ii. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं की है जिसके लिए निकट भविष्य में नुकसान हुआ था।
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।
 - iv. विनिदष्ट बैंक नोटों में लेन-देन से संबंधित खंड को हटा दिया गया है।
 - (v) i) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोटों में बताया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं में कोई धनराशि अग्रिम या उधार नहीं दी गई है या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") को इस समझ के साथ शामिल किया गया है कि मध्यस्थ चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान की गई है;
 - (ii) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में प्रकट किए गए नोटों के अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि ऐसी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगी। फंडिंग पार्टि (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करना; और
 - (iii) परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के अधीन अभ्यावेदनों में कोई सामग्री गलत विवरण है।



- (iv) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।
(v) लेखा परीक्षा ट्रेल की रिकॉर्डिंग से संबंधित खंड चालू वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं है।
- (i) हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, धारा 197 (16) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एस. के. बसु एंड कंपनी के हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता
तिथि: 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)
पार्टनर
(एमएन: 053225)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)



स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-A:

कंपनियों (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैरा 9 (1) में संदर्भित: सीएआरओ 2020 के खंड 3 (xxi)।

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों का विवरण।

((A) एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (होलिंग कंपनी) की सीएआरओ रिपोर्ट में

(CIN नंबर: L63090WB1919GOI003229)

खण्ड संख्या (i)

(i) (a) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालाँकि अधिकांश मामलों में प्रत्येक परिसंपत्ति की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है और प्लॉट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर की कुछ वस्तुओं की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

(B) कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है।

(b) कंपनी की चरणबद्ध तरीके से अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने की नीति है ताकि तीन वर्ष की अवधि में अचल संपत्तियों की प्रत्येक वस्तु को कवर किया जा सके और इस तरह के सत्यापन पर किसी भी महत्वपूर्ण विसंगति का कोई सबूत नहीं मिला। हालाँकि, उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन की कोई निर्धारित प्रक्रिया हमें उपलब्ध नहीं कराई गई थी। कंपनी ने भौतिक सत्यापन के साक्ष्य के रूप में संपत्ति रजिस्टर की हस्ताक्षरित प्रतियां प्रदान कीं, जो हमारी राय में कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं थीं।

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी एक पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में खुलासा कंपनी के नाम पर किया जाता है। कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	सकल मूल्य (लाख रूपये)	जिसके नाम पर आयोजित है:	चाहे प्रवर्तक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हों	आयोजित अवधि- जहाँ उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि कोई विवाद हो तो बताएं)
1.मिटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नंबर 6बी---13, डेबेन-द्रलाल खान रोड, कोलकाता-27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसायटी के नियम
2. मिटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नं.9बी---13, डेबेन-द्रलाल खान रोड, कोलकाता-27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसायटी के नियम
3.मणि टावर गेस्ट हाउस फ्लैट नंबर 11, कोलकाता -38	1217.40 वर्ग फुट	0.29	टाइटल डीड नहीं उपलब्ध	शून्य	1993 से	केवल विकास समझौता है।
4. वुडलैंड्स सिंडिकेट, 8/7 अलीपुर रोड, फ्लैट नंबर 12, कोलकाता-700027	3260.40 वर्ग फुट	2.35	मेसर्स चितपोर-गोलाबारी कंपनी प्रा.लि. के नाम पर निष्पादित बिक्री विलेख।	शून्य	1921 से	डलहौजी होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर भुगतान किया गया कर।

(d) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और सूचनाओं के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

खण्ड संख्या (ii)

- (a) हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, तैयार वस्तु, कच्चे वस्तु और भंडार और स्पेयर की सूची का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर किया गया है, और हमारी राय में इस तरह के सत्यापन की आवश्यकता का दायरा और कवरेज सुधार। हमने देखा कि हमें प्रदान की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार भौतिक स्टॉक और बुक स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं हैं।
- (b) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा और त्रैमासिक रिटर्न या विवरणों के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्ष की चौथी तिमाही के लिए कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर किए गए विवरण आम तौर पर कंपनी के खातों की किताबों के अनुरूप होते हैं। पिछली तीन तिमाहियों के रिटर्न हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

खण्ड संख्या (iii)

- (iii) (हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं।

(a) कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदान किए हैं:

- (A) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को प्रदान की गई राशि:

सहायक कंपनी का नाम	1.4.22 को प्रारंभिक शेष (₹.)	वर्ष के दौरान कुल राशि (₹.)	31.03.2023 को समापन शेष (₹.)	ब्याज की दर
यूल इलेक्ट्रिकल	5.19	0.48	5.67	शून्य
यूल इंजीनियरिंग	3.69	0.53	4.22	शून्य
संयुक्त उद्यमों का नाम				
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सहयोगियों का नाम				
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- (B) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को प्रदान की गई राशि:

पार्टी का नाम	1.4.22 को प्रारंभिक शेष (₹.)	वर्ष के दौरान कुल राशि (₹.)	31.03.2023 को समापन शेष (₹.)	ब्याज की दर
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और प्रदान किए गए ऋण और गारंटी की प्रकृति में सभी ऋणों और अग्रिमों के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।
- (c) ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के संबंध में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है और पुनर्भुगतान या रसीदें नहीं की जाती हैं क्योंकि वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100% सहायक कंपनियों को ऋण प्रदान किया जाता है।
- (d) ऊपर सी में दिए गए कारण के कारण ऋण न तो अतिदेय हैं और न ही कंपनी ने मूलधन की वसूली के लिए कोई कदम उठाया है।
- (e) समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया है।
- (f) कंपनी ने या तो मांग पर चुकाने योग्य या ऐसे पुनर्भुगतान की शर्तों और अवधि को निर्दिष्ट किए बिना ऋण या अग्रिम राशि दी है, जैसा कि नीचे दिया गया है:



पार्टी का नाम	कुल राशि (लाख रूपये) कुल दिये गये ऋण का प्रतिशत	प्रमोटरों को दिए गए ऋण	संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण (लाख रु.)	टिप्पणी
यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	5.67 (58%)	-----	5.67	लेखापरीक्षा शुल्क, भरने की फीस जैसी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार खर्चों को पूरा करने के लिए 100% सहायक कंपनी को ऋण प्रदान किया जाता है, इसलिए ऐसे ऋण की प्रकृति में पुनर्भुगतान अनुसूची या ब्याज दर शामिल नहीं होती है
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	4.22 (42%)	-----	4.22	ऊपर की तरह।

खण्ड संख्या (vii)

(vii) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के पास कोई अन्य वैधानिक बकाया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 2306.95 लाख रुपये की निर्विवाद राशि को छोड़कर, ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं थी जो वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी। ग्रेच्युटी यूल ग्रुप ग्रेच्युटी फंड (ट्रस्ट) में जमा की जाएगी।

(b) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी ने उचित अधिकारियों के साथ विवादों के कारण निम्नलिखित बकाया राशि जमा नहीं की है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रूपये)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां राशि लंबित है।
आयकर अधिनियम	दंड	4.65	2004-05	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम	आयकर	1906.46	2010-11 से 2014-15 तक	एनसीएलटी और सीआईटी (अपील)
डब्ल्यूबी बिक्री कर और वैट	पश्चिम बंगाल बिक्री कर एवं वैट	1794.35	1979-80 से 2017-18 तक -470.19 लाख रुपये 1973-74 से 2003-04-366.79 लाख रु 1985-86 से 2003-04-रु.908.04 लाख 1980-81 से 1984-85- 49.33 लाख रुपये	डब्ल्यूबी वाणिज्यिक कर अपीलीय एवं पुनरीक्षणबोर्ड पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल कलकत्ता उच्च न्यायालय एसओडी
असम बिक्री कर और वैट	असम बिक्री कर और वैट	152.93	1996-97 से 1998-99- 152.93 लाख रुपये	अपीलीय प्राधिकारी राजस्व मंडल
उड़ीसा बिक्री कर और वैट	उड़ीसा बिक्री कर और वैट	111.88	1999-2000 - 106.24 लाख रु. 2001-02-5.64 लाख रु	अपीलीय प्राधिकारी न्यायाधिकरण, कटक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी बेरहाम्पर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	513.59	1996-97 से 2009-10-331.98 लाख रु 2013-14 से 2016-17-181.61 लाख रु	सेसटेट से अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
	कुल	4483.86		



खण्ड संख्या (xix)

(xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखा परीक्षक के ज्ञान के आधार पर लेखा परीक्षक की राय है लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं। हालाँकि, धन की कमी के कारण कंपनी वेतन और भविष्य निधि जैसी वित्तीय देनदारियों का समय पर भुगतान करने में असमर्थ है।

सहायक कंपनियों की सीएआरओ रिपोर्ट में:

यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (सहायक कंपनी) (सीआईएन संख्या: U40101WB2007PLC118031)

खण्ड क्रमांक: 17 लेखापरीक्षक ने वर्ष के लिए रु.47,930/- और पिछले वर्ष के तुरंत बाद रु.73,980/- की नकद हानि की सूचना दी है।

यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड (सहायक कंपनी) (सीआईएन संख्या: U29299WB2007PLC118032)

खंड संख्या: (xvii) - लेखा परीक्षक ने वर्ष के लिए रु. 52,480/- और पिछले वर्ष के तुरंत बाद रु. 76,220/- के नकद घाटे की सूचना दी है।

टाइडवाटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एसोसिएट कंपनी) की सीएआरओ रिपोर्ट हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थी।

एस. के. बसु एंड कंपनी के हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता

तिथि: 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)

पार्टनर

(एमएन: 053225)

(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)

(UDIN: 23053225BGZHQ5408)



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक B

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 9(एफ) में संदर्भित:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

- (1) हमने 31 मार्च, 2023 तक एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोजन है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- (2) निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- (3) हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट्स के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था, यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।
- (4) हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।
- (5) हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- (6) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए आईएनडी एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आईएनडी एस वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका आईएनडी एस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

- (7) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें राय की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं

लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण खराब हो सकता है

मत

(8) हमारे लेखा परीक्षण और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, और नीचे दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन:

- a) प्रभागों, इकाइयों और उद्यानों से वित्तीय डेटा का प्रवाह प्रधान कार्यालय खातों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत नहीं है। इसमें लेखांकन के विभिन्न चरणों में मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल है।
- b) आईटी सामान्य नियंत्रण और कर्तव्यों के पृथक्करण के दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान के लिए उचित विवरण के साथ उचित रखरखाव और रिकॉर्ड के सटीक प्रतिबिंब के बारे में उचित आश्वासन नहीं देती है।
- c) कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत के बाद से, आईटी सिस्टम ऑडिट नहीं किया गया है। हमने कुछ विसंगतियां इस प्रकार देखीं:- असम में राजगढ़ चाय बागान के मामले में, उद्यान प्रणाली में उपलब्ध आरजी-1 रजिस्टर/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा के साथ प्रेषण के समय भेजे गए और मुद्रित किए गए कर चालान मात्रा के बीच कुछ अंतर उत्पन्न हुए। गार्डन की ओर से किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से इनकार किया गया है।
- d) आईटी आपदा पुनर्प्राप्ति योजना को परिभाषित नहीं किया गया है।
- e) कंपनी ने अधिकांश मामलों में विविध देनदारों और लेनदारों से शेष पुष्टि प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।
- f) चिकित्सा बिलों के भुगतान के समय, कंपनी के नियम संख्या 6 के अनुसार डॉक्टर का नुस्खा प्रदान करना, कुछ मामलों में 6 का पालन नहीं किया जाता है।
- g) चाय की बिक्री की ब्रोकरेज पर कर से पहले बिक्री मूल्य का 1% शुल्क लिया जाता है। चाय प्रभाग (फसल पुस्तिका) की बिक्री रिकॉर्ड करने का कार्यक्रम फसल पुस्तिका में ब्रोकरेज की भ्रामक तस्वीर देता है और ब्रोकरेज भुगतान के उद्देश्य से इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें सूचित किया गया कि ब्रोकरेज और अन्य शुल्क टी बोर्ड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप ब्रोकरेज राशि अलग से दिखाई जाती है।
- h) चाय प्रभाग में खर्चों एवं देनदारियों को रिकार्ड करने एवं प्रावधान बनाने की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।
- i) कंपनी के सभी डिवीजनों में पुराने बकाया अग्रिम पड़े हैं, जिन्हें जांच के बाद समायोजित किया जाना चाहिए। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है।
- j) भविष्य निधि के लिए लेखांकन - असम गार्डन के मामले में, पीएफ, डीएलआई और प्रशासन शुल्क को "पीएफ सुलह जमा" शीर्षक के तहत दिखाया जा रहा है, जो बंगाल गार्डन द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रणाली से मेल खाता है जहां इन वस्तुओं को विभिन्न शीर्षकों के तहत दिखाया गया है। सभी उद्यानों में एक समान व्यवस्था अपनाई जाए।
- k) चाय प्रभाग के संपत्ति रजिस्टर में यह पाया गया कि कुछ संपत्तियों को गलत शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति शीर्षों से मेल नहीं खाती है। कुछ मामलों में संपत्तियों का जीवन उनके साथ मेल नहीं खाता है। प्लॉट और मशीनरी को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में दिए गए जीवन, जहां विभिन्न जीवन दिखाने वाली एक तकनीकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है। कुछ मामलों में पुरानी अचल संपत्तियों का शेष जीवन गलत तरीके से लिया गया है।

हमने पाया कि प्लॉट और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर की कई वस्तुओं के नाम/प्रकृति निर्दिष्ट नहीं किए जा रहे थे। इन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व, भौतिक स्थिति और वसूली योग्य मूल्य संदेह में है। दूसरी ओर, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो गार्डन में बनाए गए मैन्युअल अचल संपत्ति रजिस्टर में शामिल हैं लेकिन प्रधान कार्यालय के रिकॉर्ड में पहचान योग्य नहीं हैं।

प्रधान कार्यालय कम्प्यूटरीकृत अचल संपत्ति रजिस्टर रखता है जबकि टी गार्डन मैन्युअल अचल संपत्ति रजिस्टर रखता है। सैंपल के आधार पर देखा गया कि ये दोनों रजिस्टर एक-दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। हमारे सामने ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें प्रधान कार्यालय रिकॉर्ड में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मूल्यहास की दर गलत तरीके से लागू की गई।

हमने पाया कि केवल कुछ बागानों ने संपत्तियों की पहचान क्षतिग्रस्त/अस्तित्वहीन के रूप में की है, जबकि अन्य ने ठीक से काम नहीं किया है। परिणामस्वरूप कंपनी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त घोषित नहीं कर सकी और उन परिसंपत्तियों के खातों में हानि हानि की गणना नहीं की जा सकी।



- l) सामान्य प्रभाग में नकद भुगतान लेनदेन के आंतरिक नियंत्रण में निम्न प्रकार की कमियाँ मौजूद हैं: श्री गोपाल दास, अधिकारी (ओएल और एचआर), बामर लॉरी लिमिटेड को उनकी पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए मानदेय के रूप में दिनांक 20.10.2022 के नोट शीट के माध्यम से भुगतान के लिए 2500.00 रुपये स्वीकृत किए गए थे। हिंदी अनुवादक के साक्षात्कार में "बाहरी विशेषज्ञ" के रूप में। उक्त राशि का भुगतान वाउचर नंबर जी-सीएचएच00665-22- द्वारा एक कर्मचारी शताब्दी रॉय को किया गया था, एक नोट शीट को 02.01.2023 को मंजूरी दी गई थी जिसमें उक्त गोपाल दास द्वारा 2500.00 रुपये स्वीकार करने में असमर्थता का विवरण दिया गया था। उक्त नकदी वाउचर संख्या जी-सीएचएच01033- दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से वापस कर दी गई थी। उक्त राशि गैर-पात्र व्यक्ति द्वारा तीन महीने से अधिक समय तक रखी गई थी।
- m) सामान्य प्रभाग में, वाउचर कालानुक्रमिक रूप से क्रमांकित नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए; (i) यदि आदाता द्वारा 90 दिनों के भीतर चेक प्रस्तुत नहीं किया जाता है और आदाता नए चेक के लिए संपर्क करता है, तो रिवर्स करने की तिथि पर, बैंक द्वारा डेबिट करने और आदाता को जमा करने पर कोई दायित्व नहीं बनता है, लेकिन एक नया चेक जारी किया जाता है। मूल वाउचर में चेक संख्या और जारी करने की तारीख को संशोधित करना। परिणामस्वरूप वाउचर एक तिमाही से दूसरी तिमाही में स्थानांतरित हो जाता है। यदि जारी किया गया चेक रद्द कर दिया जाता है और अगली तिमाही में चेक नंबर, दिनांक और जारी करने की तारीख को संपादित करके लेकिन पुराने वाउचर नंबर का उपयोग करके फिर से जारी किया जाता है तो वही दृष्टिकोण अपनाया जाता है (ii) पार्टियों द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रेषण, एफडी का ब्याज, अंतरकंपनी प्रेषण, टीडब्लूओएल से प्रेषण भुगतानकर्ता द्वारा सीधे बैंक में भेजे जाते हैं और विभाग को अगले महीने में पता चलता है जब उसे बैंक विवरण प्राप्त होता है। विभाग को बैंक स्टेटमेंट की प्राप्ति की तारीख पर एक वाउचर नंबर उपलब्ध होता है और पिछले महीने की पास शीट में दर्ज किया जाता है। (iii) किसी भी व्यय के अनुमोदन की तिथि पर कोई दायित्व नहीं बनता है, लेकिन अनुमोदन की तिथि पर सिस्टम से एक वाउचर नंबर निर्धारित किया जाता है और भुगतान की तिथि पर उक्त वाउचर नंबर का उपयोग किया जाता है।
- n) यह देखा गया है कि कुछ मामलों में असम के राजगढ़ और तिनखोंग चाय बागानों में फैक्ट्री के अनुसार चाय की पत्तियों का वजन बागानों में तौली गई चाय की पत्तियों से अधिक है। वजन में अंतर का कारण हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका।

हम रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इसके आकार, विविधता और संचालन की जटिलता के संबंध में अपर्याप्त है, जैसा कि मार्गदर्शन नोट में कहा गया है। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण। ये टिप्पणियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता
तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)
पार्टनर
(एमएन: 053225)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)
(UDIN: 23053225BGZHQ5408)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक C

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 9(जी) में संदर्भित:

वर्ष 2022-23 के लिए लागू एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी के निर्देशों पर हमारा उत्तर।

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड:

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	हमारा उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वर्तमान में अपनी इकाइयों और प्रधान कार्यालय के बीच ईआरपी लेखा प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है और इस प्रकार, आवश्यक लेखांकन एकीकरण अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से और समेकित आईटी सॉफ्टवेयर लागू करके किया जा रहा है। कंपनी द्वारा अपनाई गई विधि डेटा अखंडता की अनुपस्थिति की गुंजाइश छोड़ती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई उदाहरण नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/ सब्सिडी आदि) का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य सभी निधियों का "अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों" के शीर्ष से संबंधित नोट संख्या 22 के तहत उचित रूप से हिसाब लगाया गया था।

सहायक कंपनियों के लिए, धारा 143(5) के तहत उनके संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नीचे संलग्न है:

यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	एक्सेल वर्कशीट के माध्यम से खातों का रखरखाव किया गया है। वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा की जांच की गई है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए ऐसी कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं है।



यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंप्यूटर में एक्सेल शीट के माध्यम से खातों का रखरखाव किया गया है। वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा की जांच की गई है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए कोई निधि प्राप्त अथवा प्राप्य नहीं है।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता
तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)
पार्टनर
(एमएन: 053225)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ5408)



अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन खातों का ऑडिट किया है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/ उपनिर्देशों के अनुसार और प्रमाणित करें कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/ उपनिर्देशों का अनुपालन किया है।

एस.के. बसु एंड कंपनी के हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म संख्या: 301026E)

स्थान : कोलकाता
तिथि : 27 जुलाई, 2023

(एस बसु)
पार्टनर
(एमएन: 053225)
(यूडीआईएन: 23053225BGZHQ51222)



सत्यमेव जयते

संख्या 417/Co-ordn./01-15 (A.Yule-CFS)/2023-24

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

महानिदेशक लेखा परीक्षा (खान) का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (MINES)

1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट, कोलकाता- 700 001
1, COUNCIL HOUSE STREET, KOLKATA-700 001

04 AUG 2023

दिनांक / Dated.....

सेवा में

The Chairman & Managing Director,
Andrew Yule & Co. Limited,
"Yule House"
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani,
Kolkata – 700 001

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Andrew Yule & Company Limited के वर्ष 2022-23 की Consolidated Financial Statements पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2022-23 के लिए Andrew Yule & Company Limited की Consolidated Financial Statements पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयाँ प्रेषित की जाती हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे।

अनु: यथोपरि।

भवदीय,

अतुल प्रकाश

(अतुल प्रकाश)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF ANDREW YULE & COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of consolidated financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 27 July 2023 which supersedes their earlier Audit Report dated 29 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Andrew Yule & Company Limited but did not conduct supplementary audit of financial statements of its subsidiary companies Yule Engineering Limited and Yule Electrical Limited for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to its associate company Tide Water Oil Co. (India) Limited being private entity for appointment of their Statutory Auditors and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies.** This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the consolidated financial statements and the related audit report:



Assets
Balance Sheet
Non-Current Assets
Financial Assets
Other Financial Assets (Note 5)
Earnest Money Deposit (EMD): Rs.57.38 lakh

This includes Rs.50.00 lakh being the amount paid to Tamilnadu Transmission Corporation Limited (TTCL) towards EMD for participation in tenders for supply of Power Transformers. Due to failure of the Company to execute an order (January 2019), TTCL terminated (February 2022) the contract and penalized the Company for an amount of Rs.96.76 lakh and thus, forfeited the EMD and claimed the balance amount of Rs.46.76 lakh. However, the Company has not made any provision for the above amount.

This has resulted in overstatement of above head by Rs.50 lakh, understatement of current liabilities & provision by Rs.46.76 lakh with corresponding overstatement of profit by Rs.96.76 lakh.

Current Assets
Inventories (Note-8)
Scrap: Rs.40.82 lakh

This represents the value of scrap amounting to Rs.40.82 lakh relating to Engineering Division of the Company. The above scrap has no other use in the production process of the Company and held for sale directly in the market as scrap. Further the scrap which is not to be used in the production process should not be included in the Inventory and needs to be account for on realization basis.

Hence, treating of scrap as inventory and valuation thereof has resulted in overstatement of the above head as well as profit by Rs.40.82 lakh each.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India


(Atul Prakash)

Principal Director of Audit (Mines)
Kolkata

Place: Kolkata

Date: 10 4 AUG 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 1 निगमित सूचना

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) को 26.05.1919 को एक निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में प्रबंध एजेंसी के रूप में काम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। प्रबंधन एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन के साथ, कंपनी ने अपना पारंपरिक व्यवसाय खो दिया और भारत सरकार ने 1979 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एवाईसीएल प्रशासनिक नियंत्रण के तहत चाय उत्पादन और विनिर्माण व्यवसाय के साथ मध्यम और हल्के इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अनुसूची- "बी" सीपीएसई है। सरकार की 89.25% हिस्सेदारी के साथ एम/ओ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, डी/ओ भारी उद्योग, इसका पंजीकृत कार्यालय 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

एवाईसीएल काली चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक पंखे, चाय मशीनरी, टर्नकी जॉब आदि के विनिर्माण और बिक्री दोनों के व्यवसाय में एक राष्ट्रीयकृत उद्यम है। इसकी दो (2) परिचालन इकाइयाँ हैं जिनमें से एक (1) कल्याणी पश्चिम बंगाल में है और एक (1) चेन्नई, तमिलनाडु में, और बारह (12) चाय बागान जिनमें से सात (7) असम में और चार (4) डुआर्स में और एक (1) दार्जिलिंग में स्थित हैं। कंपनी तीन में काम कर रही है मुख्य क्षेत्र अर्थात् इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और चाय। एवाईसीएल की दो 100% सहायक कंपनियाँ हैं, यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 31.03.2023 तक उद्यम में कर्मचारियों की संख्या 14225 है। इसके शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

29 मई, 2023 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

नोट 2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

[2.1] तैयारी का आधार

[2.1.1] भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन

वित्तीय विवरण लेखांकन के संचय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं [कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016] और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान।

कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर नकदी और नकदी समकक्षों में प्रसंस्करण और उनकी वसूली के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[2.1.2] माप का आधार

वित्तीय विवरण उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों को छोड़कर, लेखांकन और ऐतिहासिक लागत सम्मेलनों के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- [i] उद्भूत वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- [iii] परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा नोट 2.28 में की गई है।

[2.1.3] कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

[2.1.4] अनुमान और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

[क] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार अप्रचलन, मांग, पूर्णता और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सहित कई कारकों पर आधारित है। हालांकि, संयंत्र और मशीनरी के मामले में, उपयोगी तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार जीवन को 15 वर्ष से 25 वर्ष तक माना गया है। इसी प्रकार असम और डुआर्स गार्डन के वाहक पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है। तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसी प्रकार असम और डुआर्स गार्डन के

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

बियरर पौधों के लिए मूल्यहास के लिए उपयोगी जीवन 63 वर्ष माना गया है और मीम टी एस्टेट के लिए इसे 91 वर्ष माना गया है।

[ख] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य की वसूली योग्य राशि-प्रगति पर

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि और प्रगति पर पूंजीगत कार्य अनुमान और धारणाओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव से वसूली योग्य राशि की माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

[ग] सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

चिकित्सा लाभों को छोड़कर कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रास्फीति दर और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है। चिकित्सा लाभ वास्तविक आधार पर मापा जाता है।

[घ] प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन आईएनडी एस 37, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति" के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण ऐसा अनुमान बदल सकता है।

[ङ] सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश

निवेश लागत पर किया जाता है और ऐसे निवेश की किसी भी हानि के लिए प्रावधान किया जाता है।

[2.2] खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को आईएनडी एस 108 द्वारा प्रदान की गई परिभाषा के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है।

[2.3] विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को भारतीय रुपये (आईएनआर) में अनुवादित किया जाता है, जो लेनदेन की तारीखों पर आईएनआर और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दरों को लागू करके कार्यात्मक मुद्रा है। इस तरह के लेन-देन के निपटान से और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को आम तौर पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

[a] तकनीकी जानकारी सहित अचल संपत्तियों के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण को या तो लेखांकन वर्ष के अंत में विनिमय समता दर पर या अग्रिम रूप से बुक किए जाने पर निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाता है, जैसा भी मामला हो। ऐसे विनिमय दर अंतर के संबंध में आवश्यक समायोजन सुरक्षित ऋण, अचल संपत्तियों और मूल्यहास के लिए किए जाते हैं।

[b] सीआईएफ, एफओबी और सी एंड एफ अनुबंध दोनों के तहत सामग्रियों के किसी भी आयात के संबंध में, खरीद को बिल ऑफ एंटी की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर बुक किया जाता है। उपरोक्त दर और जिस दर पर वास्तविक भुगतान किया जाता है या 31 मार्च को प्रचलित दर, जो भी पहले हो, के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, यदि कोई हो, तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[c] निर्यात/विदेशी बिक्री को लदान के बिल की तारीख पर प्रचलित दरों पर बुक किया जाता है। ऐसे बिलों से संबंधित विनिमय अंतर, यदि कोई हो, या तो आय की वसूली पर या वर्ष के अंत में विनिमय दर के फैसले पर उसके रूपांतरण पर, जो भी पहले हो, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

[d] विदेशी मुद्रा में प्राप्य और देय राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में समता दर पर बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है। ऐसी प्राप्य/देय राशि के निपटान पर या ऐसी प्राप्य/देय राशि की उन दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्ट करने पर उत्पन्न होने वाला विनिमय अंतर, जिस पर अवधि के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था या पिछली बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया गया था, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

[2.4] राजस्व पहचान और अन्य आय

राजस्व को 01.04.2018 से प्रभावी आईएनडी एस 115 के अनुसार मान्यता दी गई है।

[2.4.1] वस्तु की बिक्री

वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को दे दिए जाते हैं। माल की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री से राजस्व बिक्री अनुबंधों में निर्दिष्ट मूल्य, छूट और योजनाओं के आधार पर आधारित होता है, जिसका मूल्यांकन प्रकाशित परिपत्रों और अपेक्षित उपलब्धि सीमा के आधार पर किया जाता है। वित्तपोषण का कोई भी तत्व मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री आम तौर पर क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार अभ्यास के अनुरूप है।

वर्ष के अंत के भीतर ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाले गंतव्य अनुबंधों के विरुद्ध प्रेषण, तैयार माल-पारगमन के रूप में दिखाए जाते हैं।

अनुबंधों के विरुद्ध चाय की बिक्री का हिसाब डिलीवरी ऑर्डर के आधार पर और चाय व्यापार के मानदंडों के अनुसार नीलामी केंद्रों में बिक्री के पूरा होने पर किया जाता है।

[2.4.2] किराये की आय

सहयोगी कंपनी और अन्य पक्षों को संपत्ति किराये पर देने से उत्पन्न किराये की आय का हिसाब-किताब समझौते की शर्तों के अनुसार आवधिक आधार पर किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

[2.4.3] ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से बिल्कुल छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी वास्तविक अनुबंध शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानि पर विचार नहीं करती है। हालाँकि, बैंक के लिए वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज को बैंकों द्वारा सूचित माना जाता है।

[2.4.4] लाभांश आय

लाभांश को 'अन्य आय' मद के तहत लाभ और हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और लाभांश की राशि को मापा जा सकता है विश्वसनीय रूप से।

[2.4.5] अन्य आय

निम्नलिखित आय को अन्य आय के रूप में माना जाता है:

- बीमा और अन्य दावों का हिसाब स्वीकृत राशि के आधार पर किया जाता है।
- बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क रिफंड का हिसाब प्राप्त मूल्यांकन/रिफंड आदेशों के आधार पर किया जाता है;
- पूर्ण/आनुपातिक भुगतान की देर से प्राप्ति के कारण बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से प्राप्त होने वाले ब्याज का हिसाब उस सीमा तक लगाया जाता है, जिस सीमा तक अब तक प्राप्त भुगतान के संबंध में ब्याज सुनिश्चित किया जा सकता है।
- निर्यात/मानित निर्यात लाभ का हिसाब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रेषण पूरा होने पर किया जाता है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

e) कच्चे माल, उपकरण/पुर्जों की आपूर्ति में देरी के लिए कंपनी द्वारा वसूले गए निर्धारित नुकसान को अन्य आय के रूप में माना जाता है।

[2.5] आय कर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है जो प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए लागू आयकर दर के आधार पर अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे के कारण स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन है। यह कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर जहां उपयुक्त हो, प्रावधान स्थापित करता है। लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आय कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देनदारी को मान्यता दी जाती है और सुधार पर विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी द्वारा दायर सुधार/अपील के कारण एनसीएलटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न आयकर/कृषि आयकर/बिक्री कर, वैट, जीएसटी प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटान पर समायोजन किया जाता है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतर पर, देयता पद्धति का उपयोग करके आस्थगित आयकर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। आस्थगित आयकर का हिसाब नहीं दिया जाता है यदि यह व्यवसाय संयोजन के अलावा किसी लेनदेन में किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ/हानि और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं और जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति का एहसास हो जाता है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान हो जाता है तो लागू होने की उम्मीद होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष उसी करानुसंधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है, या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

[2.6] पट्टा

कोई व्यवस्था पट्टा है या नहीं, इसका निर्धारण आईएनडी एएस 116 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। व्यवस्था किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

एक पट्टेदार के रूप में

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 30 मार्च, 2019 की अधिसूचना के तहत, भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एएस -116) पट्टे 1.4.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी हो गए हैं। आईएनडी एएस 17 (पट्टे) की जगह। आईएनडी एएस 116, लीज़ का प्रमुख परिवर्तन वर्तमान में ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत लीज़ के पट्टेदारों द्वारा लेखांकन उपचार में परिवर्तन है। पट्टा समझौतों ने परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और भविष्य के पट्टा भुगतान के लिए पट्टा दायित्व की मान्यता को जन्म दिया है। कंपनी के मानकों को केवल ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां निष्पादित पट्टा समझौते/ या संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं कंपनी के हार्थों में हैं और 01.04.2019 को ऐसे पट्टे की शेष अवधि के लिए, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर :

असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर यह नोट किया

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 की धारा 9 भूमि पट्टे, उपयोग का अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार प्रदान करती है। उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, मामलों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एएस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए। हालाँकि, आईएनडी एएस 116 में परिवर्तन पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मान्यता प्राप्त मानक को शुरू में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ इस मानक को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया है।

एक पट्टादाता के रूप में

परिचालन पट्टों से लीज आय, जहां कंपनी पट्टेदार है, को लीज अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर आय में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए संरचित नहीं किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्तियां उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल की जाती हैं।

[2.7] इन्वेंटरी के अलावा गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

[a] कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि किसी परिसंपत्ति की नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

[b] उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्दत शेयर कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

[2.8] नकदी प्रवाह का विवरण

[a] नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास जमा राशि, तीन महीने की मूल परिपक्वता के साथ अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं। या उससे कम खरीद की तारीख से जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य और बैंक ओवरड्राफ्ट में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों में उधार के तहत दिखाया गया है।

[b] नकदी प्रवाह का विवरण आईएनडी एएस-7 "नकद प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

[2.9] व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को शुरू में लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर लागत कम प्रावधान पर मापा जाता है।

[2.10] इन्वेंट्री

[a] कच्चे माल (पैकिंग सामग्री सहित), कार्य-प्रगति, व्यापार और तैयार माल को कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताया गया है। कच्चे माल और व्यापारिक वस्तुओं की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। कार्य-प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और निश्चित ओवरहेड व्यय का उचित हिस्सा शामिल होता है, बाद वाले को लगातार पालन किए जाने वाले ऐसे कार्यों में उपयोग किए गए वास्तविक श्रम घंटों के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य सभी लागतें भी शामिल होती हैं। लागत भारत और अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर इन्वेंट्री की व्यक्तिगत वस्तुओं को सौंपी जाती है। खरीदी गई इन्वेंट्री की लागत छूट और डिस्काउंट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत कम होती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

- [b] तीन वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम समय से पड़े धीमे और गैर-चलित स्टॉक के लिए बुक वैल्यू के 15% का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले ऐसे स्टॉक के लिए, बुक वैल्यू के 36.25% की दर से प्रावधान किया गया है। अप्रचलित दुकानों के लिए बुक वैल्यू के 100% पर प्रावधान किया गया है। वर्ष के अंत तक प्रगतिरत कार्य पर होने वाली सभी हानियों और ऐसे कार्यों पर होने वाले आगे के कार्य लागत के लिए अनुमानित हानि को ध्यान में रखा जाता है और विधिवत प्रावधान किया जाता है।
- [c] वर्ष के अंत में चल रही ठेका नौकरियों का मूल्यांकन करते समय, भविष्य में अनुमानित हानि पर केवल 25.00 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की नौकरियों के संबंध में विचार किया जाता है और/या वास्तविक प्रगति जिसमें तकनीकी अनुमान के अनुसार न्यूनतम 50% है।
- [d] स्वयं निर्मित स्टोर, स्पेयर, कच्चे माल आदि के अंतर-यूनिट हस्तांतरण, यदि वर्ष के अंत में स्टॉक में पड़े हैं, तो ट्रांसफरर यूनिट के अनुमानित कार्य/फैक्टरी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- [e] स्क्रेप के स्टॉक का मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, अनुमानित/वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है। हालाँकि चाय की बर्बादी को महत्व नहीं दिया जाता है।
- [f] आयातित सामग्रियों की वास्तविक खपत के समय अग्रिम लाइसेंस के खिलाफ निर्यात लाभों पर विचार किया जाता है। वर्ष के अंत में हाथ में आए अग्रिम लाइसेंसों का हिसाब नहीं रखा जाता है।
- [g] वर्ष के दौरान बेची जाने वाली इन्वेंटरी की लागत इन्वेंट्री की वृद्धि/कमी के माध्यम से पहचानी जाती है।

[2.11.1] सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय संपत्तियां**[2.11.1.1] वर्गीकरण**

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित माप श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- * जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से), और
- * जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की अनुबंध संबंधी शर्तों पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएगी। ऋण उपकरणों में निवेश के लिए, यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी उपकरणों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय एक अपरिवर्तनीय पहचान की है।

कंपनी ऋण लिखतों को तभी पुनर्वर्गीकृत करती है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।

[2.11.2] माप**इक्विटी उपकरण**

कंपनी सहायक और अनुषंगी को छोड़कर सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापती है। सहायक कंपनियों और अनुषंगी में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

[2.11.3] वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी अग्रगामी आधार पर परिशोधन लागत और एफवीओसीआई ऋण उपकरणों पर ली गई अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। नोट 2.28 में बताया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

केवल व्यापार प्राप्य के लिए, कंपनी हानि के प्रावधान के रूप में मामले दर मामले के आधार पर प्राप्य की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित नुकसान को पहचानने का सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

[2.11.4] वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

*कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या

*वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकार बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहां इकाई ने परिसंपत्ति हस्तांतरित की है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहां इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं की जाती है।

जहां इकाई ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

[2.12] खरीदारी

[a] आने वाली वस्तुओं के संबंध में किए गए बीमा शुल्क जहां सामग्री सीधे संबंधित होती है, उन्हें व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में हिसाब में लिया जाता है; अन्यथा, ऐसा बीमा प्रीमियम लाभ और हानि के विवरण से वसूला जाता है।

[b] विदेश से खरीदे गए माल के मामले में, शिपमेंट को पारगमन में वस्तु माना जाता है:

[i] सीआईएफ और सीएंडएफ अनुबंध दोनों के मामले में, बैंक से सूचना प्राप्त होने की तारीख से;

[ii] एफओबी अनुबंधों के मामले में, लदान बिल के अनुसार वास्तविक शिपमेंट की तारीख से।

[2.13] अन्य राजस्व व्यय

[a] गारंटी अवधि के दौरान मुफ्त प्रतिस्थापन के रूप में सामग्री/घटकों को जारी करना, जिसे अज्ञात होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रेषण पर ध्यान में रखा जाता है। लेखांकन वर्ष की समाप्ति तक ज्ञात निःशुल्क प्रतिस्थापन प्रदान किए जाते हैं।

[b] कंपनी उपरोक्त मद में पिछले तीन वर्षों के औसत खर्चों के आधार पर ग्राहकों को पहले ही बेचे गए सामानों की मरम्मत और सुधार के लिए देयता प्रदान करती है।

[c] परिसमाप्त क्षति के संबंध में देनदारियां उस सीमा तक प्रदान की जाती हैं, जिस पर कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा विवादित परिसमाप्त क्षति को आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। देनदारी/आकस्मिक देनदारी की राशि का अनुमान अनुबंधित शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व की सीमा तक लगाया जाता है।

[d] कमीशन के संबंध में देयता बिक्री के अनुपात में प्रदान की जाती है।

[e] आयकर/कृषि आय-कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का हिसाब कर अधिकारियों के मूल्यांकन आदेशों के आधार पर किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा विवाद नहीं किया गया है या वास्तविक भुगतान किया गया है, जैसा भी मामला हो।

[f] भुगतान, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुपालन में फ्रीस का हिसाब तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगाया जाता है।

[g] मान्यता प्राप्त राजस्व पर आनुपातिक प्रत्यक्ष लागत के आधार पर आंशिक रूप से पूर्ण किए गए समग्र/टर्नकी अनुबंधों के संबंध में अप्रাপ्त लाभ का प्रावधान किया जाता है।

[h] टी एस्टेट्स के लिए दवा खरीद का शुल्क लगातार अभ्यास के अनुसार लिया जाता है।

[i] गारंटी कमीशन जारी/नवीनीकृत गारंटी के वर्ष में लिया जाता है।

[2.14] देनदारियों की बुकिंग/बट्टा

a) देनदारियां प्रदान करने के लिए, कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल है, लेकिन सभी ज्ञात देनदारियां, यदि वास्तविक हैं, तो यथासंभव बुक की जाती हैं (पिछले वर्ष की कट-ऑफ तारीख 30 अप्रैल)।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

b) देनदारियां जो 5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और जिनके पूरा होने की संभावना नहीं है, उन्हें सरकार के ऋण को छोड़कर बट्टा में रखा जाता है। केवल असाधारण वस्तुओं के मामले में, वित्तीय विवरणों में अलग से खुलासा किया जाता है।

[2.15] ऑफसेटिंग वित्तीय उपकरण

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, जहां मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट, दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

[2.16] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

[a] अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि 3 वर्ष की अवधि में अचल संपत्तियों की प्रत्येक वस्तु को कवर किया जा सके।

[b] पूंजीगत व्यय के संबंध में अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लागू लेखांकन मानक के अनुसार किया जाता है और संपत्ति के उपयोगी जीवन की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। इसके लिए पर्याप्त लिखित आश्वासन मौजूद होने पर अनुदान/सब्सिडी का हिसाब लगाया जाता है।

[c] फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक कीमत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुएं ऐतिहासिक लागत से मूल्यहास पर बताई गई हैं। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण से जुड़ा होता है।

[d] बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा उचित हो, केवल तभी जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, एक अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब लगाए गए किसी भी घटक की वहन राशि को प्रतिस्थापित किए जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ और हानि पर लगाया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

[e] एक यूनिट/डिवीजन द्वारा दूसरी यूनिट/डिवीजन में उपयोग के लिए निर्मित मशीनरी का हिसाब ट्रांसफरर यूनिट की वर्क्स/फैक्ट्री लागत पर किया जाता है।

[f] यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है। किसी परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है तो पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई हानि हानि को उलट दिया जाता है।

[g] बियरर प्लांट को पुनर्रोपण के वर्ष से 3 वर्ष के बाद कैपिटल डेब्यूआईपी से बियरर प्लांट के फिक्स्ड एसेट ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बियरर प्लांट का औसत कुल जीवन असम और डूअर्स गार्डन के लिए 70 (सत्तर) वर्ष और 100 (एक) माना गया है। दार्जिलिंग स्थित मीम टी एस्टेट के लिए सौ) वर्ष।

[h] नामित तकनीकी मूल्यांकन समिति की मंजूरी मिलने के बाद संपत्तियों को अनुपयोगी माना जाता है।

[2.17] आईएनडी एस-41 (जैविक संपत्ति) की प्रयोज्यता,

एवाईसीएल चाय प्रभाग विनिर्माण के लिए 7 दिनों में चाय की पत्तियां तोड़ता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह परिपक्व चाय को तोड़ता है और उसका निर्माण करता है। प्रत्येक बगीचे के सभी हिस्सों में झाड़ियों पर चाय की पत्तियाँ अपरिपक्व हैं।

आईएनडी एस 41 के पैरा 10 में कहा गया है कि किसी जैविक संपत्ति को तभी पहचाना जाए जब, संपत्ति का उचित मूल्य या लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। यह सर्वविदित तथ्य है कि हरी चाय की पत्तियों के लिए कोई बाजार मौजूद नहीं है जो चाय की झाड़ियों पर रहती हैं और कटाई के लिए तैयार नहीं होती हैं (अभी तक कटाई नहीं हुई है)। जब तक हरी चाय की पत्तियां चाय की झाड़ियों पर मौजूद हैं और कटाई के चरण तक नहीं पहुंची हैं, तब तक इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और चाय के प्रसंस्करण के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि आईएनडी एस 41 के पैरा 8 में जोर दिया गया है, चाय की झाड़ियों पर खड़ी हरी चाय की पत्तियों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना असंभव होगा। इसी प्रकार ऐसी हरी चाय की पत्तियों की कीमत का पता लगाना अव्यावहारिक होगा क्योंकि इसकी लागत की

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

गणना के लिए कोई भी लागत मॉडल अनुमान और धारणा पर आधारित होगा, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एवाईसीएल वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार जैविक परिसंपत्तियों (हरी चाय की पत्तियों की कटाई नहीं की गई है और बढ़ती अवस्था में है, परिपक्व नहीं हुई है) को मान्यता नहीं देता है।

[2.18] पूंजीगत कार्य प्रगति पर

निर्माणधीन परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में परिसंपत्तियों की खरीद कीमत शामिल होती है, जिसमें शुल्क और गैर-वापसीयोग्य कर और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तों के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं।

[2.19] अमूर्त संपत्ति

सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बनाए रखने से जुड़ी लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है जहां संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके सर्वोत्तम अनुमानित उपयोगी जीवन से लेकर तीन वर्ष तक की सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

[2.20] व्यापार और अन्य देय

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। राशियाँ असुरक्षित हैं और आमतौर पर भुगतान शर्तों के अनुसार भुगतान की जाती हैं। व्यापार और अन्य देय को वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के भीतर भुगतान देय न हो। उन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य/लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है।

[2.21] उधार की लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागत जो किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं, उस समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत की जाती है जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। अर्हक परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जो कि योग्य परिसंपत्तियों पर उनका व्यय लंबित है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से काट ली जाती है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो उधार लेने की लागत तुलन पत्र से हटा दी जाती है। समाप्त हो चुकी या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित की गई वित्तीय देनदारी की वहन राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें देनदारी पर हस्तांतरित किसी गैर-नकद परिसंपत्ति भी शामिल है, को लाभ और हानि खाते के विवरण में अन्य लाभ/(हानि) के रूप में मान्यता दी जाती है।

अन्य उधार लागतें उसी अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

[2.22] प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति कानूनी दावों, छूट, योजनाओं और रिटर्न के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है, यह संभव है कि संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी दायित्व का निपटान करने के लिए और राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रावधानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

जहां कई समान दायित्व हैं, निपटान में बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होने की संभावना समग्र रूप से दायित्वों के वर्ग पर विचार करके निर्धारित की जाती है। एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, भले ही दायित्वों की एक ही श्रेणी में शामिल किसी एक वस्तु के संबंध में बहिर्प्रवाह की संभावना छोटी हो।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर एक पूर्व-कर दर है जो पैसे के समय मूल्य और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, ऐसे दायित्व को आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

[2.23] कर्मचारी लाभ

[2.23.1] अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक लाभों सहित वेतन और वेतन के लिए देनदारियां, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीने के भीतर पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवा के संबंध में मान्यता प्राप्त है। और देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जाने वाली अपेक्षित रकम पर मापा जाता है। देनदारियों को बैलेंस शीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

[2.23.2] अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, उसकी समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर अर्जित अवकाश की देनदारियों का पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाओं के रूप में परिभाषित लाभों के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम होता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकिकों द्वारा की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध संतुलन और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है और इसे लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय में। उन्हें इक्विटी में बदलाव के विवरण और तुलन पत्र में बरकरार रखी गई कमाई में शामिल किया गया है।

यदि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान होने की उम्मीद हो।

3 वर्षों के ब्लॉक के दौरान अप्राप्त चिकित्सा लाभों को वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.23.3] रोजगार उपरांत दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाएं संचालित करती है:

[a] परिभाषित लाभ योजना जो ग्रेच्युटी है।

[b] परिभाषित योगदान योजना जो केवल भविष्य निधि है। संगठन स्थानीय नियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि को भविष्य निधि का भुगतान करता है और योगदान के अलावा कंपनी के पास कोई और भुगतान दायित्व नहीं है और योगदान देय होने पर कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

[c] एकमुश्त चिकित्सा लाभ वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.24] लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें उन्हें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

[2.25] प्रति शेयर आय

[2.25.1] प्रति शेयर मूल

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

आय प्रति शेयर मूल आय की गणना विभाजित करके की जाती है:

* कंपनी के मालिकों को होने वाला लाभ/हानि।

* वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से।

[2.25.2] प्रति शेयर मिश्रित आय

प्रति शेयर मिश्रित आय प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समायोजित करती है:

* संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़े ब्याज और अन्य वित्तीय लागतों का आयकर के बाद प्रभाव, और

* अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को मानते हुए बकाया होती।

[2.26] वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय शामिल हैं।

[a] वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस लेनदेन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि के विवरण में या किसी संपत्ति की वहन राशि में पहचाना जाता है यदि कोई अन्य मानक ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करके उधार की अवधि में इस तरह के समावेश की अनुमति देता है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

[b] बाद में माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। यदि कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है, तो लाभ और हानि के विवरण में या परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है, जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

[c] मान्यता रद्द

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता के दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

[2.27] उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता में, लेनदेन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत है।

हालांकि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो यह अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करते हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

सभी वित्तीय संपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- * स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्दत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- * स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।
- * स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो अप्राप्य में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।

आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर पहचानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

[2.28] वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इकाई की गतिविधियाँ उसे बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में लाती हैं। उपरोक्त के प्रभावों को कम करने के लिए, इकाई द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएँ की जाती हैं। निम्नलिखित तालिका जोखिम के स्रोतों और इकाई अपने वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है, इसकी व्याख्या करती है।

जोखिम	एक्सपोज़र आने का कारण	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, वित्तीय संपत्तियाँ परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं	उम्र बढ़ने का विश्लेषण, क्रेडिट विश्लेषण	साख सीमा और साख पत्र
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	उधार की सुविधाएँ
बाज़ार जोखिम – विदेशी एक्सचेंज	मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्तियाँ और देनदारियाँ भारतीय रुपये में अंकित नहीं हैं	नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	मुद्रा की गति की निगरानी
बाज़ार जोखिम - ब्याज दर	दीर्घकालिक उधार/ देनदारियाँ	...	ब्याज दर में गति का संचलन
बाज़ार जोखिम – प्रतिभूति कीमत	प्रतिभूतियों में निवेश	...	श्रेणी प्रबंधन

[a] साख जोखिम

साख जोखिम नकद और नकद समकक्षों, परिशोधित लागत पर किए गए निवेश, बैंकों और वित्तपोषण संस्थानों के पास जमा के साथ-साथ ग्राहक और अन्य पक्षों के लिए साख जोखिम से उत्पन्न होता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/ संस्थान ही स्वीकार किए जाते हैं। अन्य वित्तीय संपत्तियों के लिए, इकाई आंतरिक क्रेडिट मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। यह पार्टी-वार प्रदर्शन की निगरानी करता है और मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक पार्टी के लिए क्रेडिट रेटिंग आवंटित की जाती है। इसके बाद उक्त पार्टी की सॉल्वेंसी के आधार पर प्रत्येक पार्टी को एक क्रेडिट सीमा सौंपी जाती है।

इकाई चालू आधार पर और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है।

सूक्ष्म-आर्थिक जानकारी को आंतरिक रेटिंग मॉडल के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

सामान्य तौर पर, यह माना जाता है कि यदि भुगतान देय होने में 60 दिन से अधिक का समय लगता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है।

संदिग्ध संपत्तियों के प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

विवरण	मात्रा
01.04.2021 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	5425.71
2021-22 के दौरान शुल्क	125.92
2021-22 के दौरान बढ़ा	5468.00
31.03.2022 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	83.63
2022-23 के दौरान शुल्क	769.08
31.03.2023 तक संदिग्ध ऋण और एलडी के लिए प्रावधान	852.71

[b] तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण जोखिम तरलता प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की उपलब्धता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इकाई ने निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं का उपयोग किया है:

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बैंक ओवरड्राफ्ट	8872.08	6689.82
साख पत्र	2070.37	1359.94
बैंक गारंटी	1717.96	1596.94

निम्नलिखित तालिका अगले 12 (बारह) महीने के भीतर देय अनुबंधात्मक रियायती नकदी प्रवाह को दर्शाती है

31.03.2023 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियां	9325.40	99.18	968.85	10393.44
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	6325.73	-	-	6325.73

31.03.2022 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

रु (लाख में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	2 और 3 वर्ष से कम	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देनदारियां	4595.62	407.72	935.01	5938.35
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	5707.09	-	-	5707.09



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

[C] बाज़ार का जोखिम

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वित्तीय पूंजी		
व्यापार प्राप्त (विदेशी मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-
वित्तीय देनदारियों		
व्यापार देय (विदेश मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-

[2.29] [2.29] पूंजी प्रबंध

[A] जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

[a] एक चालू संस्था के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करें।

[b] पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

[B] लाभांश

[1] वर्षांत समीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त लाभांश: **रु (लाख में)**

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अंतिम लाभांश	शून्य	-
अंतरिम लाभांश	शून्य	शून्य

[[2] इंड एस के अनुरूप रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई।

[2.30] संपत्ति को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया

ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों की अग्रणीत राशि इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति		
वित्तीय पूंजी	-	-
व्यापार प्राप्तियां	8151.75	7964.69
गैर-वित्तीय संपत्ति	-	-
इन्वेंटरी	4529.84	4964.74



31 मार्च 2023 तक समेकित तुलन पत्र

रुपये लाख में

	नोट नं.	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	14181.75	11,159.97
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	3	9356.03	8,224.61
(ग) अमूर्त संपत्ति	3	10.28	8.28
(घ) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	4	20107.82	19,505.39
(ii) अन्य	5	74.19	163.33
(ङ) आयकर संपत्ति (शुद्ध)	6	1599.07	1,778.91
(च) अन्य गैर-चालू संपत्तियां	7	442.06	442.06
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां		45771.20	41,282.54
वर्तमान संपत्ति			
(क) इन्वेंटरी	8	5316.00	4,964.74
(ख) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	9	0.35	153.65
(ii) व्यापार प्राप्य	10	11815.22	7,964.69
(iii) नकद और नकद समकक्ष	11	1290.01	915.01
(iv) अन्य बैंक शेष	12	3667.45	2,290.06
(v) ऋण	13	0.44	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	2256.80	2,385.55
(ग) अन्य मौजूदा संपत्तियां	15	4047.24	3,090.18
(घ) निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	16	0.04	739.87
कुल मौजूदा संपत्तियां		28393.56	22,504.18
कुल संपत्ति		74164.76	63,786.72
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	9779.02	9,779.02
(ख) अन्य इक्विटी	18	28714.96	27,628.35
कुल इक्विटी		38,493.98	37,407.37
देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	19	586.11	682.74
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	47.71	28.80
(ख) प्रावधान	21	3341.41	2,638.16
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	22	702.78	734.52
(घ) आस्थगित कर देयता		2159.30	2047.84
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ		6,837.31	6,132.06
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	23	9400.90	6,009.45
(ii) व्यापार और अन्य देय	24	10393.44	5,938.35
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	25	6325.73	5,707.32
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	26	1458.95	1,256.03
(ग) प्रावधान	27	1254.45	1,336.13
कुल वर्तमान दायित्व		28,833.47	20,247.29
कुल देनदारियाँ		35,670.78	26,379.35
कुल इक्विटी और देनदारियाँ		74,164.76	63,786.72

एसके बसु एंड कंपनी हेतु
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं.: 301026E
एस.बसु
 पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)
 स्थान: कोलकाता
 दिनांक: 29 मई 2023
 यूडीआईएन:23053225BGZHQ02176

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू
 निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
 का अतिरिक्त प्रभार
 डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 07674268



31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

रुपये लाख में

विवरण	नोट संख्या	वर्ष समाप्त हुआ	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
I संचालन से राजस्व	28	37,403.60	41,439.28
II अन्य आय	29	3,175.27	5,658.86
III कुल आय (I + II)		40,578.87	47,098.14
IV खर्च			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	13,213.44	9,489.18
(ख) तैयार वस्तु की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर	31	(720.20)	(103.23)
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	32	18,113.05	17,918.37
(घ) उत्पाद शुल्क			
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	33	644.74	645.59
(च) वित्त लागत	34	999.45	797.19
(छ) अन्य खर्च	35	7,431.16	14,977.75
कुल व्यय (IV)		39,681.64	43,724.86
V असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III - IV)		897.23	3,373.36
VI असाधारण वस्तुएं	36	-	2,265.94
VII असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (V-VI)		897.23	1,107.42
VIII कर व्यय			
(1) वर्तमान कर		540.00	288.25
(2) धन कर			-
(2) आस्थगित कर		240.76	919.81
कुल कर व्यय		780.76	1,208.06
IX निरंतर संचालन से अर्वाधि के लिए लाभ (VII - VIII)		116.47	(100.64)
X बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।	37	-	7.01
XI बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		-	1.82
XII कर के बाद बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)।		-	5.19
XIII अर्वाधि (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)		116.47	(95.45)
XIV लाभ का समूह हिस्सा/(हानि)		1,148.00	(438.84)
XV अर्वाधि के लिए कुल लाभ (XIII+XIV)		1,264.47	(534.29)
अन्य व्यापक आय			
(1) निवेश का पुनर्मापन		0.29	3.87
(2) बीमांकिक लाभ/हानि का समायोजन		(314.15)	158.07
घटाएँ: वर्तमान कर		-	42.60
कम: आस्थगित कर		(129.30)	46.04
XVI अर्वाधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय		(184.56)	73.30
XVII "अर्वाधि के लिए कुल व्यापक आय (XV + XVI)"		1,079.90	(460.99)
XVIII परिचालन जारी रखने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 2 प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		0.26	(0.11)
(2) मिश्रित		0.26	(0.11)
XIX बंद परिचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		-	-
(2) मिश्रित		-	-
XX सतत और बंद संचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
(1) बुनियादी		0.26	(0.11)
(2) मिश्रित		0.26	(0.11)

एसके बसु एंड कंपनी हेतु
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं.: 301026E
 एस.बसु
 पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)
 स्थान: कोलकाता
 दिनांक: 29 मई 2023
 यूडीआईएन: 23053225BGZHQO2176

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू
 निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
 का अतिरिक्त प्रभार
 डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 07674268

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

रुपये लाख में

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ	897.23	1,114.43
इनके लिए समायोजन:		
परिसंपत्तियों का मूल्यहास/हानि	644.27	644.90
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	0.47	0.69
ब्याज व्यय	857.55	627.83
(लाभ)/स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि	(41.87)	(1.73)
(लाभ)/निवेश की बिक्री पर हानि	(14.29)	(252.56)
इन्वेंटरी की बिक्री पर लाभ/हानि - बंद परिचालन		(65.71)
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	(101.28)	
ब्याज आय	(135.19)	(152.42)
लाभांश आय	(1,934.62)	(3,701.92)
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है, बढ़ा में रखा गया	(92.37)	(7,573.50)
देनदारियों को अब बढ़े में रखने की आवश्यकता नहीं है	(298.73)	(1,062.60)
पूंजीगत सब्सिडी पर आस्थगित आय	(7.57)	(9.66)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.56	
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	(15.82)	(47.65)
वाईएसएफ के लिए अतिरिक्त प्रावधान बढ़ा		
गैर-व्यापार निवेश के मूल्य में कमी		
टीडीएस वसूली योग्य के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	404.17	125.92
संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा के लिए प्रावधान	147.72	68.47
स्टॉक अप्रचलन के लिए असाधारण आइटम-प्रोव का प्रावधान	-	413.38
एसोसिएट्स के लाभ में समूह हिस्सेदारी में वृद्धि	1,148.00	(438.84)
स्टॉक/स्टोर अप्रचलन के लिए प्रावधान	27.62	3.29
पूंजी डब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		16.76
निवेश की बिक्री पर लाभ- ओसीआई		(0.66)
बीमांकिक लाभ और हानि	(314.15)	(158.07)
ओसीआई के विरुद्ध समायोजन		
निवेश का पुनर्मापन	0.29	(3.87)
आस्थगित कर में परिवर्तन	(111.46)	(965.84)
सहायक कंपनी (हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड) के विलय पर प्रभाव		(6.27)
	163.30	(12,540.06)
वर्तमान देनदारियों की राशि में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ और वर्तमान संपत्ति	1,060.53	(11,425.63)
समायोजन		
वर्तमान परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(4,337.63)	(2,493.03)
सूची	(378.88)	(724.73)
वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन	9,088.74	8,322.01
	4,372.23	5,104.25
संचालन से उत्पन्न नकदी	5,432.76	(6,321.38)
कर भुगतान	-	-
(क) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	5,432.76	(6,321.38)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
अचल संपत्तियों की खरीद	(3,524.90)	(1,536.88)



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

रुपये लाख में

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
पूँजीगत कार्य में परिवर्तन प्रगति पर है	(1,131.89)	(718.13)
बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्ति		46.43
निवेश की खरीद	(572.88)	
गैर चालू परिसंपत्ति में परिवर्तन	268.98	(361.64)
निवेश का निपटान		1,047.51
लाभांश प्राप्त हुआ	1,934.62	3,701.92
प्राप्त ब्याज	135.19	152.42
(ख)निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(2,890.88)	2,331.63
[ग] वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज का भुगतान किया	(857.55)	(627.83)
प्रदत्त लाभांश		
अल्पावधि उधार (चुकाया गया)/लिया गया और अन्य वित्तीय देनदारियां		
दीर्घकालिक उधार (चुकाया गया)/लिया गया	68.06	1,007.38
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी [ग]	(789.49)	379.56
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) [क+ख+ग]	1,752.39	(3,610.19)
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)	3,205.07	6,815.25
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)	4,957.46	3,205.07
[1] उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट "अप्रत्यक्ष" के तहत तैयार किया गया है		
विधि" जैसा कि नकदी प्रवाह पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित किया गया है		
कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित विवरण		
[2] नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
बैंकों के पास शेष (नीचे नोट देखें)	1,280.82	747.74
अधिकार में चेक		
अधिकार में नकदी	9.19	37.27
अधिकार में डाक टिकट और स्टाम्प		
पारगमन में प्रेषण		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक के पास मार्जिन मनी 3 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है		
बैंक में जमा राशि 3 महीने के बाद परिपक्व हो रही है		130.00
जमा खाता मार्जिन	3,667.46	2,290.06
	4,957.46	3,205.07
[क] इसमें भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा संलग्न 16.84 लाख रुपये शामिल हैं		
[ख] पिछले वर्ष के आकड़ों को जहां भी आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है		

एसके बसु एंड कंपनी हेतु
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं.: 301026E
एस. बसु
 पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)
 स्थान: कोलकाता
 दिनांक: 29 मई 2023
 यूडीआईएन:23053225BGZHQO2176

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू
 निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
 का अतिरिक्त प्रभार
 डीआईएन: 09706881

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

श्री संजय भट्टाचार्य
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 07674268



इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

रुपये लाख में

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		कुल
	संपत्ति कोष	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य की अन्य वस्तुएँ व्यापक आमदनी	
1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	406.76	2741.75	24536.57	(677.00)	620.28	27628.36
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-			
स्थानांतरण			-			
इस वर्ष का मुनाफा			1,264.47	0.29	(184.85)	1,079.90
पी/एल में समायोजन			-	6.70		6.70
						-
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)				-		-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			-	-	-	-
31 मार्च 2023 को शेष राशि	406.76	2741.75	25801.04	(670.01)	435.43	28714.96

एसके बसु एंड कंपनी हेतु
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.नं.: 301026E
 एस.बसु
 पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)
 स्थान: कोलकाता
 दिनांक: 29 मई 2023
 यूडीआईएन: 23053225BGZHQO2176

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

श्री आर एस मनकू
 निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
 का अतिरिक्त प्रभार
 डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 07674268



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 3

रुपये लाख में

	भूमि	वाहक प्लॉट (नोट 2 देखें)	लीज होल्ड भूमि	निर्माण-बैठकों	सड़कें एवं पुलिया	यंत्र और मशीनरी	चित्र, डिज़ाइन और अनुरेखण	विदूत प्रतिष्ठान	ल इंस्टालेशन	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	बाड़	कंप्यूटर	कुल	पूजा कार्य-प्रगति पर है (नोट 3 देखें)	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	175.38	7,382.76	5.50	5,002.90	95.96	7,027.59	40.64	1,320.65	957.16	227.90	182.30	1,057.62	283.59	317.28	24,077.23	8,225.87	110.85
1 अप्रैल 2022 को अनुमानित लागत	175.38	7,382.76	5.50	5,002.90	95.96	7,027.59	40.64	1,320.65	957.16	227.90	182.30	1,057.62	283.59	317.28	24,077.23	8,225.87	110.85
परिवर्धन	-	2,911.75	3.66	98.56	-	61.36	-	0.12	-	4.02	4.63	28.39	-	20.24	3,132.72	4,162.77	2.78
निपटान	-	-	-	-	-	(30.67)	-	-	-	-	(0.12)	(21.91)	-	(0.49)	(53.20)	(3,031.35)	-
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	3.75	6.25	-	-
पुनर्वर्गीकरण के लिए समायोजन	-	-	-	(117.84)	(0.22)	(20.56)	-	0.02	-	(2.93)	(1.62)	-	-	(8.19)	(151.34)	-	(0.64)
31.03.2023 तक सकल वहन राशि समाप्त	175.38	10,294.51	9.16	4,983.62	95.74	7,037.71	40.64	1,320.79	957.16	231.49	185.18	1,064.10	283.59	332.58	27,011.66	9,357.30	112.99
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक संचित मूल्यहास	-	584.10	2.92	2,724.13	83.38	5,286.25	24.79	949.58	646.80	199.91	154.57	928.07	268.80	295.06	11,185.19	-	101.94
1 अप्रैल 2022 हानि	-	-	-	5.78	-	62.97	15.85	-	-	0.01	-	-	-	-	84.61	1.25	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.81)	-	-	(20.81)	-	-
हानि के बाद संचित मूल्यहास	-	584.10	2.92	2,729.91	83.38	5,349.22	40.64	949.58	646.80	199.93	154.57	907.26	268.80	295.06	12,212.18	1.25	101.94
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन	-	-	-	-	-	(28.08)	-	-	-	1.85	-	-	-	(0.00)	(26.23)	-	-
संशोधित आरंभिक संचित मूल्यहास 01-04-2022	-	584.10	2.92	2,729.91	83.38	5,321.14	40.64	949.58	646.80	201.78	154.57	907.26	268.80	295.06	12,185.95	1.25	101.94
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रारंभिक संचितमूल्यहास	-	584.10	2.92	2,729.91	83.38	5,321.14	40.64	949.58	646.80	201.78	154.57	907.26	268.80	295.06	12,185.95	1.25	101.94
वर्ष के दौरान मूल्यहास शुल्क	-	193.59	0.77	88.17	3.63	230.80	-	47.84	32.06	4.00	5.25	32.52	1.56	3.76	643.95	-	0.77
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2023 को संचित मूल्यहास बंद करना	-	777.69	3.69	2,818.08	87.01	5,551.94	40.64	997.42	678.86	205.77	159.82	939.78	270.36	298.82	12,829.90	1.25	102.72
31 मार्च 2023 तक निवल वहन राशि	175.38	9,516.82	5.47	2,165.55	8.73	1,485.77	0.01	323.36	278.30	25.73	25.36	124.32	13.22	33.76	14,181.76	9,356.03	10.28
31 मार्च 2022 तक निवल वहन राशि	6.40	6,798.66	2.58	1,863.50	12.36	1,581.36	-	371.08	310.36	25.68	26.11	129.55	14.78	17.58	11,160.00	8,224.62	8.25

पूजा डब्लूआईपी की अवधि

रुपये लाखों में

	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
जैविक संपत्ति	4,117.72	2,596.64	1,293.28	1,280.44	9,288.08
संयंत्र और मशीनरी	47.15	20.80	-	-	67.95
इमारत	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कुल	4,164.87	2,617.44	1,293.28	1,280.44	9,356.03

नोट: इलेक्ट्रिकल कोलकाता परिचालन की पुनर्वर्गीकृत संपत्तियों को अलग से दिखाया गया है जैसा कि नोट संख्या-61 में बताया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 4 निवेश

विवरण	शेयरों की संख्या	रुपये लाख में	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क) समूह कंपनियों में निवेश			
सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-	-	-
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड - साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	-	-
यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड- साधारण शेयर (पूरी तरह से अक्षम)	50,000	-	-
सहयोगी कंपनी में इक्विटी शेयर			
उद्धरित			
टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	4,571,115	164.56	164.56
जोड़: लाभ का समूह हिस्सा		19,864.57	18,716.57
"यूल फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	300,000	27.88	27.88
गैर उद्दत			
"द बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	10,305	0.52	0.52
कतरास झेरियाह कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	34,028	6.69	6.69
जोड़: लाभ का समूह हिस्सा		(6.69)	(6.69)
न्यू बीरभूम कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)	57,550	11.79	11.79
जोड़: लाभ का समूह हिस्सा		(11.79)	(11.79)
वरीयता शेयर (अनउद्दत)			
6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर--वेबफिल लिमिटेड।		-	-
बांड (अनउद्दत)			
वेबफिल लिमिटेड शून्य रेटेड असुरक्षित प्रतिदेय बांड		-	-
ख) ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश			
इक्विटी निवेश (उद्दत)			
वेबफिल (नवीनतम उपलब्ध के अनुसार एनएवी)	415,000	54.28	35.37
इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		-	-
"फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"			
ग्लोस्टर लिमिटेड		-	-
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड		-	-
"गिलपुकरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	26	0.00	0.00
इक्विटी निवेश (बिना उद्दत)			
"द स्टेट्समैन लिमिटेड (पूरी तरह से अक्षम)"	9,966	4.70	4.70
"एबीसी चाय श्रमिक कल्याण सेवाएँ (पूर्णतः अक्षम)"			
"बुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड"	740	6.70	-
इंडिया पेअर पल्प			
इकाइयाँ (उद्दत)			
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-लिक्विड केश प्लान	0	-	503.10
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-हाइब्रिड इक्विटी फंड	114291.389	36.19	104.27
कम प्रावधान		(51.57)	(61.57)
कुल		20,107.82	19,505.39

नोट 5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ग्रहणाधिकार के तहत बैंक के साथ चालू खाता शेष	16.81	16.81
ईएमडी	57.38	-
बैंक जमा एक वर्ष से अधिक	-	146.52
कुल	74.19	163.33



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 6 आयकर संपत्ति (शुद्ध)	रुपये लाख में	
	विवरण	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्तमान कर		
अग्रिम आयकर (एमएटी क्रेडिट पात्रता और कर प्रावधान शामिल हैं)	1,599.07	1,778.91
	-	
कुल	1,599.07	1,778.91

नोट 7 अन्य गैर-चालू संपत्तियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुपर एनुएशन फंड के लिए परिसंपत्तियों की योजना	147.06	147.06
यूएनएसईसी. रिडेम नॉन कन्व. बांड परिपक्व हो गया है और भुनाया नहीं गया है	295.00	295.00
कुल	442.06	442.06

नोट 8 इन्वेंटरी (लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
कच्चा माल	1,119.22	1,116.46
कार्य प्रगति पर है	1,073.03	1,180.03
तैयार वस्तु	1,516.61	689.67
भण्डार एवं पुर्जे	1,305.63	1,678.97
ढीले उपकरण	-	-
खाद्य सामग्री	5.15	21.56
कतरन	40.82	22.18
अर्द्ध - निर्मित सामान	251.91	252.23
पारगमन में सामग्री	3.65	3.65
कुल सूची	5,316.00	4,964.74

नोट: चाय इन्वेंटरी के मामले में, 31.03.2023 तक केवल पूरी तरह से संसाधित चाय की वस्तु को तैयार वस्तु के अंतर्गत माना गया है।

नोट 9 वर्तमान निवेश

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश किया जाता है		
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में	0.35	0.35
6% सह-प्रतिदेय प्रीफ़ शेयर-वेबफ़िल	-	153.30
	-	-
कुल	0.35	153.65

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 10 व्यापार प्राप्य

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
व्यापार प्राप्तियां	12,667.93	8,048.32
	-	
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	852.71	83.63
कुल प्राप्य	11,815.22	7,964.69

2022-2023 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	9,754.88	264.57	703.77	202.99	889.01	11,815.22
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	395.06		8.39	449.25	852.71
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						-
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						-
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त						-
कुल	9,754.88	659.63	703.77	211.38	1,338.26	12,667.93
बिल न किया गया बकाया						
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	395.06	-	8.39	449.25	852.71
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2021-2022 की व्यापार प्राप्तियों की अवधि

	6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	6,084.41	254.38	312.58	350.02	963.28	7,964.67
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	8.39			8.614	66.642	83.65
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						
v. विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
vi. विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						
कुल	6,092.80	254.38	312.58	358.63	1,029.92	8,048.32
बिल न किया गया बकाया						
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 11 नकद और नकद समकक्ष

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(क) बैंकों के साथ शेष		
(1) बैंकों के पास अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	1,280.81	747.74
(ii) 3 महीने से कम जमा खाते में	-	-
(ii) 3 माह से अधिक जमा खाते में	-	130.00
(ख) चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
(ग) हाथ में डाक शुल्क और स्टाम्प	-	-
(घ) पारगमन में प्रेषण	-	-
(ङ) अधिकार में नकदी	9.19	37.27
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	1,290.01	915.01

नोट 12 अन्य बैंक शेष

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
जमा खाता-मार्जिन में	3,667.45	2,290.06
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	3,667.45	2,290.06

नोट 13 ऋण

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	-	-
	-	-
असुरक्षित अच्छा माना जाता है	0.44	0.44
संदिग्ध	120.41	120.41
	120.85	120.85
कम प्रावधान	120.41	120.41
कुल	0.44	0.44

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 14 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सरकारी अधिकारियों के साथ शेष	1,727.94	1,749.90
जमा		
अच्छा माना जाता है	-	120.61
संदिग्ध माना जाता है	-	-
	-	120.61
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
निवल	-	120.61
अन्य अग्रिम नकद में वसूली योग्य		
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है		
ऋण	-	150.69
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		
नाबार्ड के पास जमा	-	
ईएमडी/एसडी	469.57	216.41
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	52.87	5.82
	416.70	210.59
अर्जित ब्याज		
फिक्स्ड डिपॉजिट पर	112.16	114.06
नाबार्ड जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	-
अन्य प्राप्य	-	39.70
	-	-
कुल	2,256.80	2,385.55

नोट 15 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
स्टाफ को अग्रिम	803.93	57.31
अन्य अग्रिम-असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	463.09	421.29
	-	-
अन्य अग्रिम नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य	-	-
अच्छा माना जाता है	2,780.22	2,611.58
संदिग्ध माना जाता है	366.67	312.06
	3,146.89	2,923.64
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	366.67	312.06
	2,780.22	2,611.58
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
कुल	4,047.24	3,090.18



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बिक्री के लिए रखे गए हैं या मालिकों को वितरण के लिए रखे गए हैं।

रु. लाख में

सामान्य प्रभाग										
विवरण	"भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	भवन	सड़कें एवं पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	विद्युत प्रतिष्ठान	फर्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर	कुल रु
31.03.2022 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	53.04	1.06	0.08	0.04	0.04	0.21	54.83
परिवर्धन										-
निपटान/समायोजन				5.30	1.06	0.08	0.04	0.04	0.21	54.83
31.03.2023 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

इलेक्ट्रिकल-कोलकाता

विवरण	"भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	इमारत	सड़कें एवं पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	विद्युत प्रतिष्ठान	फर्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कंप्यूटर	कुल रु	इंतान-जिबल संपत्ति	कुल
31.03.2022 तक शुद्ध वहन राशि	168.98	409.49	0.22	97.01	-	2.39	1.62	0.04	4.63	684.39	0.65	685.03
परिवर्धन												
निपटान/समायोजन				-						-	-	
पुनर्वर्गीकृत संपत्ति	168.98	409.49	0.22	97.01	-	2.39	1.62	-	4.63	684.35	0.65	684.99
31.03.2023 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	0.04

नोट 1: चालू वर्ष के दौरान बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को नोट संख्या-61 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट 17: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
अधिकृत:		
सामान्य शेयर		
55,00,00,000 रु. 2/- प्रत्येक	11,000	11,000
जारी, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त :		
सामान्य शेयर		
48,89,50,978 रु. 2/- प्रत्येक	9,779.02	9,779.02
कुल	9,779.02	9,779.02

1. कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक के पास 5% से अधिक शेयर हैं

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 2 रुपये अंकित मूल्य)	"कुल शेयरों का %"	अवधि के दौरान % परिवर्तन
जैसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में बताया गया है	-	-	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

2. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

	शेयर की संख्या	"राशि (रूपये लाख में)"
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	488,950,978	9,779.02
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-
31.03.2023 को समापन शेष	488,950,978	9,779.02

3. कंपनी के पास शेयरों का केवल एक ही वर्ग यानी इक्विटी शेयर हैं।

नोट 18 अन्य इक्विटी

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
संपत्ति कोष		
(क) पूंजी आरक्षित	406.76	406.76
(ख) अन्य रिजर्व		
बांड मोचन रिजर्व		
(क) बांड मोचन आरक्षित		
पूंजीगत संपत्तियों के लिए केंद्र/राज्य सब्सिडी		
सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व	2,741.75	2741.75
प्रतिधारित आय		
शुरूआती शेष	24,536.57	25,069.95
जोड़ लाभ	116.47	(95.45)
जोड़-लाभ का समूह हिस्सा	1,148.00	(438.67)
पी/एल के विरुद्ध समायोजन	-	0.74
	25,801.04	24,536.57
अन्य व्यापक आय		
शुरूआती शेष	(56.72)	(130.68)
जोड़ लाभ	(184.56)	73.30
ओसीआई के विरुद्ध समायोजन	6.70	0.66
अन्य व्यापक आय	(234.59)	(56.72)
कुल	28,714.96	27,628.35



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 19 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुरक्षित - परिशोधित लागत पर		
सावधि ऋण	-	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से	586.11	615.74
बैंक ऑफ बड़ौदा से	-	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से	-	67.00
डब्ल्यूबी बिक्री कर ऋण	-	
इलाहाबाद बैंक से कार ऋण	-	
	-	
कुल गैर-चालू उधार	586.11	682.74

नोट 20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर-वर्तमान		
संबंधित पक्षों से सुरक्षा जमा	28.80	28.80
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण	18.91	
कुल	47.71	28.80

नोट 21 प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
कर्मचारी लाभ के लिए		
ग्रेच्युटी	2,306.95	1,526.88
छुट्टी	909.35	944.13
चिकित्सा	-	-
सेवानिवृत्ति एवं पेंशन के लिए	6.49	6.49
आकस्मिकताओं के लिए	106.59	129.47
बिक्री कर के लिए (सी-फॉर्म)	5.25	5.25
अन्य के लिए	6.77	25.95
कुल	3,341.41	2,638.16

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 22 अन्य गैर चालू देनदारियां

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर-वर्तमान		
चाय बोर्ड सब्सिडी (पुनर्रोपण सब्सिडी) से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व	663.85	683.20
"पूँजीगत संपत्तियों के लिए चाय बोर्ड सब्सिडी से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व"	38.93	51.31
कुल	702.78	734.52

नोट 23 उधार

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुरक्षित		
अनुसूचित बैंकों से		
यूनियन बैंक	1,503.92	1,459.33
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (पंजाब नेशनल बैंक)	3,028.03	3,064.74
इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक)	858.65	1,412.98
बैंक ऑफ बड़ौदा	(4.47)	70.03
आईसीआईसीआई बैंक	2,899.85	-
करूर वाइसिस बैंक	1,112.56	-
अन्य		2.37
कुल उधार	9,398.53	6,009.45

नोट 24 व्यापार एवं अन्य देय

Particulars	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
i) एमएसएमई	2,076.07	-
ii) अन्य	8,317.37	5,938.35
iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)		
iv) विवादित बकाया (अन्य)		
कुल	10,393.44	5,938.35



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

31.03.2023 को लेनदारों की उम्र अवधि

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2,076.07	-	-	-	2,076.07
ii. अन्य	7,249.33	-	99.18	968.85	8,317.37
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	9,325.40	-	99.18	968.85	10,393.44
बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-
कुल	9,325.40	-	99.18	968.85	10,393.44

31.03.2022 तक लेनदारों की उम्र बढ़ना

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	-	-	-	-	-
ii. अन्य	4,595.62	180.66	227.06	935.01	5,938.35
iii. विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	4,595.62	180.66	227.06	935.01	5,938.35
बिल न किया गया बकाया					
कुल	4,595.62	180.66	227.06	935.01	5,938.35

नोट 25 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	1.34
सुरक्षित सावधि ऋण		
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण 1 वर्ष के भीतर देय	4.49	-
अर्जित ब्याज और उधार पर देय		
अनुसूचित बैंकों से		
अन्य से	0.40	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	324.08	297.57
वैधानिक प्राधिकारियों को देय	2,320.41	1,869.17
अन्य	3,676.11	3,539.01
कुल	6,325.49	5,707.09



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 26 अन्य वर्तमान देनदारियाँ

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-	
अन्य	1,458.95	1,256.03
कुल	1,458.95	1,256.03

नोट 27 - अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
स्टॉक अप्रचलन, आकस्मिकताओं और खाद्य सामग्री के लिए	842.49	932.91
कैपिटल डब्ल्यूआईपी के लिए	-	-
आय कर के लिए	-	-
बकाया वेतन के लिए	-	-
ग्रेच्युटी के लिए	-	-
अवकाश नकदीकरण के लिए	116.53	69.36
वारंटी के लिए	4.54	2.31
मेडिकल के लिए	173.03	213.69
अन्य	49.55	49.55
विद्वत शुल्क वसूली योग्य के लिए	23.96	23.96
एनएससी के लिए	0.35	0.35
टीडीएस वसूली योग्य के लिए	1.02	1.02
वसूली योग्य पीएफ के लिए	42.97	42.97
कुल	1,254.45	1,336.13



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 28- परिचालन से राजस्व

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
उत्पादों की बिक्री	36,935.04	33,274.82
कम: व्यापार और अन्य छूट	-	-
कम: बिक्री पर जीएसटी	-	-
उत्पादों की बिक्री	36,935.04	33,274.82
	-	-
सेवाओं की बिक्री	119.15	161.17
	-	-
अन्य परिचालन आय	-	-
-अन्य निर्यात प्रोत्साहन और उसकी बिक्री	18.60	1.55
- चाय बोर्ड सब्सिडी	26.82	21.63
-चाय अपशिष्ट बिक्री	77.10	132.25
अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है	-	6,693.15
अब दायित्व की आवश्यकता नहीं है	71.07	1,062.60
स्क्रेप की बिक्री	120.84	43.43
रॉयल्टी		
अन्य परिचालन आय	-	47.85
चाय की बिक्री	34.99	0.82
निरंतर परिचालन से कुल राजस्व	37,403.60	41,439.28

नोट 29 - अन्य आय

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ब्याज आय (सकल)	135.19	152.42
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	15.82	47.65
किराया(सकल)	468.50	401.72
लाभांश आय	-	-
-सहयोगी कंपनी से	1,931.80	3,656.89
-अन्य से	2.81	45.03
निवेश की बिक्री पर लाभ	14.29	234.62
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	41.87	1.73
रॉयल्टी	-	-
स्क्रेप की बिक्री	12.76	40.34
स्टॉक की बिक्री	-	-
देनदारियों को अब बट्टे में रखने की आवश्यकता नहीं है	227.66	-
अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है	92.37	880.35
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ	-	-
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	101.28	-
निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्क	-	-
विनिमय पर लाभ	-	1.86
वाईएसएफ का अतिरिक्त प्रावधान बट्टा	-	-
पूंजीगत सब्सिडी पर विलंबित आय	7.57	9.66
विविध रसीदें सामान्य व्यय	-	20.26
अन्य	123.36	166.42
कुल	3,175.27	5,658.94

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 30 - उपभोग किए गए कच्चे माल और घटक की लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सामग्री, घटक, पैकिंग सामग्री और ढीले उपकरण	13,213.44	9,489.18
कुल	13,213.44	9,489.18

नोट 31 - तैयार माल और प्रगतिरत कार्य की सूची में परिवर्तन

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
समापन पर इन्वेंटरी		
तैयार वस्तु	1955.96	689.67
विप	886.26	1432.34
कुल	2842.21	2,122.01
वर्ष की शुरुआत में सूची		
तैयार वस्तु	689.67	634.20
विप	1432.34	1384.58
कुल	2,122.01	2018.78
इन्वेंटरी में बदलाव	(720.20)	(103.23)

नोट 32 - कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वेतन और मजदूरी	14,365.14	14,434.15
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2,325.75	2,124.16
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,456.59	1,392.95
कम: पूंजीगत कार्यों, मरम्मत कार्यों आदि पर व्यय।	34.43	32.89
कुल	18,113.05	17,918.37

नोट 33 - मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	644.27	644.90
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	0.47	0.69
कुल	644.74	645.59

नोट 34 - वित्त लागत

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ब्याज व्यय		
- बैंकों को	769.75	584.00
- सरकारी विभागों को	2.80	-
- बॉन्डधारकों के लिए		
- अन्य के लिए (एलसी और बीजी शुल्क)	85.00	43.83
अन्य उधार लागत (एलसी और बीजी शुल्क)	141.90	169.36
कुल	999.45	797.19



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 35 - अन्य व्यय

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	-	-
बिजली और ईंधन	2,919.21	2,582.93
चाय की खेती और विनिर्माण व्यय	188.60	478.83
किराया(नेट)	95.94	115.65
मरम्मत और रखरखाव:		
- भवन	219.38	185.44
- संयंत्र और मशीनरी	146.25	335.90
- अन्य	47.70	51.52
यात्रा व्यय और वाहनों का रखरखाव	247.13	379.78
अनुसंधान एवं विकास व्यय	37.96	46.12
बीमा	52.20	23.69
दरें और कर	28.84	15.05
उत्पाद शुल्क	-	-
चाय पर उपकर	-	-
हरी पत्ती उपकर	-	-
टेलीफोन एवं डाक शुल्क	16.80	13.80
दलाल का कमीशन	182.59	213.74
बैंक शुल्क	6.72	10.52
बिक्री का खर्च:		
- विक्रय एजेंट का कमीशन	-	-
-डिलीवरी और माल ढुलाई	690.11	205.97
-अन्य	5.40	451.25
परिसमाप्त हर्जाना और जुर्माना आदि।	62.83	89.48
सुधार/प्रतिस्थापन	2.23	0.88
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया	0.84	6,412.05
विविध शेष बट्टे खाते में डाल दिये गये	-	2,062.30
विज्ञापन	18.55	-
सेवानिवृत्ति निधि के लिए अतिरिक्त योजना परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	-
प्रावधान करना:		
-संदिग्ध ऋण	404.17	125.92
-संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा	147.72	68.47
-निवेश के मूल्य में कमी	-	-
- पुनर्प्राप्त करने योग्य खाता पीएफ	-	-
-वसूलीयोग्य विदूत शुल्क		
- एनएससी		
-स्टॉक/भंडार का अप्रचलन	27.62	3.29
- एलडी	365.06	-
- टीडीएस वसूली योग्य	-	-
- केओपीटी किराया	-	-
- कैपिटल डब्ल्यूआईपी	-	16.76
- अनुसूचित बैंक	3.23	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक:		



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

विवरण	लाख रुपये में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
-लेखा परीक्षक के रूप में	17.59	16.40
-कर लेखा परीक्षण के लिए	-	-
-अन्य सेवाओं के लिए	10.17	3.77
-प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.87	-
-कराधान मामले के लिए	-	-
इंटर डिवी. खर्च चाय	-	-
जीडी- सामान्य व्यय	-	0.00
सुरक्षा सेवा शुल्क	206.58	125.45
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	-	-
निवेश की बिक्री पर हानि	-	17.94
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.56	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध हानि	-	-
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	152.00	-
विविध व्यय	1,126.31	924.86
कुल	7,431.16	14,977.75

नोट 36 - असाधारण वस्तु

विवरण	रुपये लाख में	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वीआरएस ए/सी वेतन	-	1,852.56
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	413.38
कुल	-	2,265.94

नोट 37 - बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
I) संचालन से राजस्व	-	-
II) अन्य आय	-	65.71
III) कुल आय (I+II)	-	65.71
खर्च		
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	-	-
(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर	-	-
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
(घ) उत्पाद शुल्क	-	-
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन	-	-
(च) वित्त लागत	-	-
(छ) अन्य व्यय	-	58.70
IV) कुल व्यय	-	58.70
बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)	-	7.01



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 38 प्रति शेयर आय

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रति इक्विटी शेयर आय		
(क) बुनियादी		
(i) वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(ii) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(iii) शेयरों की भारित औसत संख्या	488950978	488950978
(iv) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	2.00	2.00
(v) इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात लाभ उपलब्ध है	1264.47	(534.29)
(vi) प्रति इक्विटी शेयर मूल कमाई	0.26	(0.11)
(ख) मिश्रित		
(i) मिश्रित संभावित इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य
(ii) प्रति इक्विटी शेयर मिश्रित आय (रुपये)	0.26	(0.11)

नोट 39 कर्मचारी लाभ

[39.1]

- [a] छुट्टी का दायित्व:- कंपनी कुछ नियमों के अधीन छुट्टी के नकदीकरण या वेतन सहित छुट्टी का प्रावधान करती है। कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टियां जमा करने के हकदार हैं। बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर संचित अवकाश के दिनों की संख्या के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है। योजना वित्तविहीन है, 31 मार्च, 2023 को अवकाश नकदीकरण के प्रावधान की राशि 1025.88 लाख रुपये (1013.49 लाख रुपये) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में प्रस्तुत की गई है।
- [b] चिकित्सा लाभ: घरेलू उपचार के लिए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ तीन साल के ब्लॉक के लिए है और यदि संबंधित कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठाता है तो उसके बाद वार्षिक रूप से समाप्त हो जाएगा। चिकित्सा लाभ की ऐसी घोषित मात्रा के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति के बजाय वास्तविक आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि पात्र राशि अगले ब्लॉक के दौरान तय रहेगी। 31 मार्च, 2023 तक देनदारी की कुल राशि 173.03 लाख रुपये (213.68 लाख रुपये) को खातों में लिया गया है।

[39.2] रोजगार के बाद की बाध्यता- परिभाषित लाभ योजनाएं:

- [a] ग्रेच्युटी:- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में योगदान करना है। योजना वित्त पोषित है।
- [b] सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना:- योजना के तहत कर्मचारी को राशि की एक निश्चित सीमा के अधीन एकमुश्त लाभ मिलता है। इसके लिए दायित्व वास्तविक लागत पर निर्धारित होता है। योजना वित्तविहीन है।
- [c] पेंशन फंड:- कंपनी के पास कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ पेंशन फंड है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हालांकि, 31.03.23 तक इस फंड का कोई पात्र सदस्य नहीं है, वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य शून्य है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के उद्घाटन और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6,622.56	1,013.49	0.00	7,500.97	1,232.83	0.00
वर्तमान सेवा लागत	368.02	120.97	0.00	388.58	147.15	0.00
ब्याज व्यय	468.36	75.56	0.00	499.40	86.32	0.00
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में कमी से उत्पन्न होने वाली एक्ट्यूरियल (लाभ) / हानियां।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	259.83	0.00	0.00	(189.97)	0.00	0.00
अनुभव संबंधी अनुमानों में कमी से उत्पन्न होने वाली क्रियाशील (लाभ)/हानियां।	0.00	0.00	0.00	(31.03)	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	71.22	0.00	0.00	-172.96	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	-389.07	-255.36	0.00	(1,545.39)	-279.84	0.00
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	7,329.70	1,025.88	0.00	6,622.56	1,013.49	0.00

रुपए लाख में

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(ख) उचित मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के शुरुआत और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,095.68	0.00	147.07	6,271.15	0.00	397.07
ब्याज आय	370.46	0.00	0.00	432.71		0.00
पुनर्मापन (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी, (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियां	-54.32	0.00	0.00	-62.93	0.00	0.00
योगदान	0.00	255.36	0.00	0.14	279.84	(250.00)
लाभ का भुगतान	-389.07	(255.36)	0.00	-1,545.39	(279.84)	0.00
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,022.75	0.00	147.07	5,095.68	0.00	147.07



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपए लाख में

(ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7329.70	1,025.88	0.00	6622.56	1,013.49	0.00
वर्ष के अंत में उचित मूल्य योजना परिसंपत्तियां	5022.75	0.00	147.07	5095.68	0.00	147.07
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (देयताएं)	(2306.95)	(1025.88)	147.07	(1526.88)	(1013.49)	147.07

रुपए लाख में

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(घ) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय						
पुनर्माप (लाभ)/हानि	314.15	0.00	0.00	(158.07)	0.00	0.00
(ङ) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:						
वर्तमान सेवा लागत	368.02	120.97	0.00	338.58	147.15	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत/ (आय)	97.91	75.56	0.00	66.69	86.32	0.00
एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	0.00	71.22	0.00		(172.96)	0.00
कुल खर्च की पहचान	465.92	267.75	0.00	455.27	60.51	0.00
(च) महत्वपूर्ण क्रियात्मक धारणाएं इस प्रकार हैं						
छूट दर	7.31%	7.31%		7.27%	7.27%	
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.31%	लागू नहीं		7.27%	लागू नहीं	
वेतन वृद्धि	3.00%	3.00%		3.00%	3.00%	
कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन						

रुपए लाख में

(छ) गोपनीयता विश्लेषण								
विवरण	छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव				छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव			
	धारणाओं में बदलाव		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	धारणाओं में बदलाव		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
ग्रेच्युटी	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	(135.79)	(466.85)	0.50% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	281.95	520.28
	0.25% की कमी	रुपये की कमी	140.67	537.70	0.50% की कमी	रुपये की कमी	(266.24)	(464.48)
लीव इनकैशमेंट	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		
सेवा-निवृत्ति	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी		
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी		

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रुपय लाख में

(ज) भविष्य के वर्षों के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह					
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	831.17	802.24	2,131.48	11,577.12	15,342.01
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	754.38	716.50	1,907.55	10,459.76	13,838.20
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	754.38	716.50	1,907.55	10,459.76	13,838.20

[39.3] रोजगार पश्चात दायित्व:

परिभाषित अंशदान योजना:- कंपनी ने अंशदान योजना अर्थात् पीएफ और ईएसआई को परिभाषित किया है। परिभाषित अंशदान योजना की अवधि के दौरान पहचाने गए व्यय इस प्रकार हैं:

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
पीएफ में योगदान	2325.26	2124.08
कर्मचारी राज्य बीमा कोष में योगदान	0.49	0.08

नोट 40 आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ

रु (लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) आकस्मिक देनदारियाँ		
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	496.20	462.14
विवादित उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क	513.59	513.59
विवादित सेवा कर	-	1.45
विवादित बिक्री कर/वैट	2059.16	2059.16
विवादित आयकर	1911.11	1934.18
(ख) गारंटी		
बैंक गारंटी	1717.96	1596.94
सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के लिए बैंक को दी गई अन्य गारंटी।	-	-
अप्रयुक्त साख पत्र	2070.37	1359.94
(ग) प्रतिबद्धताएँ		
पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	74.95	2.61



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण

रु. (लाख में)

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	बकाया मूल राशि एवं ब्याज यथावत	2076.07	
	i) 45 दिनों के भीतर मूल राशि	--	-
	ii) उस पर ब्याज का मुकदमा		
2	नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि		
3	देय और देय ब्याज की राशि (जहां मूलधन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है)।		
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि।		
5	आगे के ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से किया जाता है।		

नोट 42 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:-वर्ष के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की गई

नोट 43 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. संबंधित पक्षों की सूची

सहायक

यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

एसोसिएट्स

टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री संजय भट्टाचार्य - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के. मोहन - निदेशक (कार्मिक)
श्री आर एस मनकू - निदेशक (योजना) के साथ निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
श्रीमती सुचरिता दास - कंपनी सचिव

ख; संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

रु (लाख में)

क्रम संख्या	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त				वर्ष 31.03.2022 को समाप्त			
		सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल
1	वस्तु की खरीद				-	-	1.31	-	1.31
2	वस्तु की बिक्री		65.44		65.44	-	39.17	-	39.17
3	सेवाओं की बिक्री					-			
4	लाभांश आय	-	1,931.80		1,931.80	-	3,656.89	-	3,656.89
5	प्राप्त ब्याज	-				-	0.57	-	0.57
6	किराया और किराया शुल्क प्राप्त	-	354.00		354.00	-	354.00	-	354.00
7	प्राप्त रॉयल्टी	-				-		-	
8	वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम राशि	-	295.00		295.00	-	30.00	-	30.00

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

क्रम संख्या	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त				वर्ष 31.03.2022 को समाप्त			
		सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	अन्य संबंधित पक्ष	कुल
9	ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान प्राप्त राशि	-	295.00	-	298.78	-	35.04	-	35.04
10	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
11	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
12	व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-	-	4.05	-	4.05
12	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	9.88	-	-	9.88	8.88	3.38	-	12.26
13	अन्य ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
14	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां (सुरक्षा जमा)	-	29.88	-	29.88	-	34.92	-	34.92
15	अन्य अल्पकालिक देनदारियां	-	5.04	-	5.04	-	5.04	-	5.04
16	कॉर्पोरेट गारंटी	-	-	-	-	-	-	-	-
17	31 मार्च तक देय राशि	9088	-	-	9.88	8.88	7.43	-	16.31
18	31 मार्च तक देय राशि	-	-	0.63	0.63	-	39.92	0.63	40.55

नोट 43.1 कंपनी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के बीच लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण

रु (लाख में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2022-23	2021-22
[क] निदेशकों को पारिश्रमिक		
श्री संजय भट्टाचार्य	39.59	35.90
श्री के मोहन	44.01	39.71
श्री राजिंदर सिंह मनकू	21.17	-
[ख] कंपनी सचिव का पारिश्रमिक		
श्रीमती सुचरिता दास	24.76	17.35

नोट 43.2

निदेशक की फीस से संबंधित खुलासा

रु.(लाख में)

स्वतंत्र निदेशक	2022-23	2021-22
ओम प्रकाश मित्तल	0.76	0.32
सुंदरपाल सिंह	0.60	0.32
नमिता देवी	0.72	0.23
अनिल कुमार गोयल	0.54	1.13
अनिल कुमार वर्मा	0.54	1.13
विश्वनाथ गिरिराज	0.41	1.15

नोट 44

कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास व्यय के कारण पिछले वर्ष 80.60 लाख रुपये (80.04 लाख रुपये) का राजस्व व्यय किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परीक्षण शुल्क	37.96	46.12
टीआरए की सदस्यता	42.64	39.97
कुल	80.60	86.09

नोट 45 आयकर व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	540.00	290.07
कुल वर्तमान कर व्यय	540.00	290.07
आस्थगित कर:		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	1,671.58	-303.39
(कमी)/आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि	-1,430.82	1,223.20
कुल आस्थगित कर व्यय	240.76	919.81
कुल आयकर व्यय	780.76	1,209.88

नोट 45.1

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का सामंजस्य कई गुना हो गया।

विवरण	(रुपये लाख में)	
	2022-23	2021-22
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	898.23	1113.16
भारत की वैधानिक आयकर दर पर	249.89	324.15
इसका प्रभाव:		
स्थगित कर गति	240.76	919.81
अस्वीकृत व्यय	4625.15	5910.94
अन्य	-4375.26	-5586.79
आयकर व्यय पी/एल खाते में रिपोर्ट किया गया	780.76	1209.88
आयकर की प्रभावी दर पर	86.92	108.69
लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई	780.76	1209.88

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 46 आस्थगित कर व्यय

आस्थगित कर देयताएं (निवल)

	2022-23				2021-22			
	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई से मान्यता प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत	अंतिम शेष राशि
स्थगित कर देनदारियां:								
पीपीई पर मूल्यहास, मूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति	4,689.46	-1,568.33		3,121.13	3,435.79	1,253.67		4,689.45
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00			0.00	-16.47	16.48		0.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-2.70		8.21	5.50	-1.80		-0.90	-2.70
संयुक्त उद्यमों में निवेश अन्य								
कुल स्थगित कर दायित्व	4,686.76	1,568.33	8.21	3,126.64	3,417.52	1,270.14	-0.90	4,686.76
स्थगित कर परिसंपत्तियां:								
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति लाभ	48.88	339.51	137.51	525.90	25.56	70.26	-46.94	48.88
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान अन्य	2,595.73	(2,148.59)		447.14	2,315.67	280.06		2,595.73
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,644.62	(1,809.08)	137.51	973.04	2,341.23	350.32	-46.94	2,644.62
कुल स्थगित कर दायित्व	2,042.09	240.76	(129.30)	2,153.55	1,076.24	919.81	46.04	2,042.09
विलय के कारण एचसीपीएल की विलंबित कर देयता बढ़ी	5.75			5.75	5.75			5.75
स्थगित कर देयता संतुलन और विलय	2,047.84	240.77	-129.30	2,159.30	1,081.99	919.81	46.04	2,047.84

नोट 47.1

कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तभी करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों और उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो।

नोट 47.2

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, असम और पश्चिम बंगाल आयकर के संबंध में कोई देनदारी नहीं है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा माफ कर दिया गया है।

नोट 48(ए) बिक्री और कच्चे माल की खपत

रु (लाख में)

(i) बिक्री	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वस्तु की श्रेणी		
काली एवं पैकेट चाय	21366.18	22922.96
ट्रान्सफॉर्मर	10256.56	5818.90
औद्योगिक फैन	2248.41	1514.29
सेवा की बिक्री	119.15	211.93
अन्य	3213.92	2967.91
कुल (उत्पादों की बिक्री)	37204.22	33435.99



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

रु (लाख में)

(ii) कच्चे माल की खपत और भंडार की खपत		
सामान	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
इस्पात	565.92	917.94
ताँबा	1368.14	391.02
हरी पत्ती	1017.66	835.41
तेल, रसायन आदि	491.92	368.82
अन्य	9769.80	6975.99
कुल	13213.44	9489.18

रु (लाख में)

(ख) आयातित और स्वदेशी कच्चे माल और उपभोग किए गए भंडार का मूल्य				
(i) कच्चा माल	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	कीमत	%	कीमत	%
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	13041.74	100.00	9319.62	100.00
	13041.74	100.00	9319.62	100.00
(ii) भंडार				
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	171.70	100.00	169.56	100.00
	171.70	100.00	169.56	100.00

रु (लाख में)

(ग) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य		
	31.03.2023 तक	31.03.22 तक
कच्चे माल और घटक		-
(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय:		
विदेशी खर्च	-	-
(ङ) विदेशी मुद्रा में कमाई		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	2865.39	511.04

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 49 खंड रिपोर्टिंग:

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खंड-वार पुनर्मूल्यांकन, परिणाम, संपत्ति और देनदारियां

रु (लाख में)

विवरण	समेकित	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
[1] खंड राजस्व [प्रत्येक खंड से शुद्ध बिक्री/आय]		
[क] चाय	21,371.92	23,124.88
[ख] इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	52.14	7,233.66
[ग] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	10,342.13	5,862.21
[घ] अभियांत्रिकी	5,571.97	5,168.72
[ड] आवंटित नहीं की गई	65.44	49.80
कुल	37,403.60	41,439.28
कम: अंतर खंड राजस्व	-	-
परिचालन से शुद्ध बिक्री/आय	37,403.60	41,439.28
[2] खंड परिणाम		
[प्रत्येक खंड से कर और ब्याज से पहले लाभ(+)/हानि(-)]		
[क] चाय	(323.13)	2,311.34
[ख] विदूत-कोलकाता	(57.27)	(1,686.80)
[ग] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	493.75	249.37
[घ] अभियांत्रिकी	872.52	213.78
कुल	985.87	1,087.69
कम:		
[i] ब्याज	999.45	797.19
[ii] अनैच्छिक आय का अन्य अप्राप्य व्यय निवल	(910.81)	(3,082.86)
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	897.23	3,373.36
असाधारण आइटम इलेक्ट्रिकल कोलकाता	-	2,265.94
असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)।	897.23	1,107.42
इलेक्ट्रिकल कोलकाता के बंद परिचालन से लाभ/(हानि)।	-	7.01
कर देने से पूर्व लाभ	897.23	1,114.43
कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	780.76	1,209.88
लाभ का समूह हिस्सा	1,148.00	(438.84)
कर के बाद लाभ	1,264.47	(534.29)
खंड संपत्ति		
चाय	30,347.54	25,445.86
इलेक्ट्रिकल -कोलकाता	2,501.96	2,696.18
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	11,178.62	6,085.02
अभियांत्रिकी	6,382.85	6,263.73
अनावंटित कॉर्पोरेट	23,753.79	23,295.87
कुल	74,164.76	63,786.66
खंड देनदारियाँ		
चाय	18,166.27	12,352.27
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	2,486.74	2,650.00
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	8,172.09	3,537.59
अभियांत्रिकी	3,060.11	3,916.43



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

विवरण	समेकित	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
अनावंटित कॉर्पोरेट	3,785.58	3,920.23
कुल	35,670.79	26,376.52
नियोजित खंड पूंजी (खंड संपत्ति-खंड देनदारियां)		
चाय	12,181.27	13,093.59
इलेक्ट्रिकल -कोलकाता	15.22	46.18
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	3,006.53	2,547.43
अभियांत्रिकी	3,322.74	2,347.30
अनावंटित कॉर्पोरेट	19,968.21	(19,375.64)
कुल	38,493.97	37,410.14

नोट 50

कंपनी की सहायक कंपनियों से संबंधित खुलासे

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2023 तक शेयरधारिता का %	31 मार्च 2022 तक शेयरधारिता का %
1	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	एवाईसीएल के साथ विलय
2	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	100%	100%
3	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	100%	100%

नोट 51

स्वीकृत पुनर्वास योजना (एसआरएस) के अनुसार यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम पर शामिल दो 100% सहायक कंपनियों को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल डिवीजन की संपत्तियों और देनदारियों का लंबित हस्तांतरण, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त डिवीजनों से संबंधित सभी लेनदेन दर्ज किए गए कंपनी द्वारा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के नाम पर किए गए भुगतान को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है।

नोट 52

अन्य प्राप्तियों में विद्वत शुल्क के रूप में भुगतान की गई 85.96 लाख रुपये की राशि शामिल है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल औद्योगिक नवीकरण योजना, 2001 के तहत जारी परिपत्र संख्या 233-आईआर/ओ/आईएम-4/2003 के तहत प्राप्य माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल विद्वत नियम, 1935 के प्रावधानों के तहत बिजली शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि को 31 मार्च से पांच साल की अवधि के लिए माफ कर दिया जाएगा। तथापि, प्रचुर मात्रा में सावधानी बरतने के मामले में लेखाओं में इसका प्रावधान किया गया है।

नोट 53

295.00 लाख रुपये (पिछला वर्ष 295.00 लाख रुपये) (मूल मूल्य 305 लाख रुपये) और 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर शून्य (पिछला वर्ष 153.30 लाख रुपये) (मूल मूल्य रुपये) के शून्य रेटेड असुरक्षित प्रतिदेय बांड के संबंध में अधिस्थगन अवधि

मेसर्स वेबफिल लिमिटेड का 204.40 लाख रुपये) क्रमशः 21/12/2021 और 01/04/2021 को समाप्त हो गया है। 161.68 लाख रुपये के संचयी वरीयता शेयरों पर लाभांश का हिसाब तब लगाया जाएगा जब वे वसूल किए जाएंगे। हालाँकि मेसर्स वेबफिल लिमिटेड ने एक पुनर्भुगतान अनुसूची प्रस्तुत की है, जिसे निम्नानुसार एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष	किश्तें ए/सी वरीयता शेयर	किश्तें ए/सी बांड
2022-23	160 लाख रुपये (*)	-----
2023-24	100-120 लाख रुपये(**)	-----
2024-25	शेष राशि	140-160 लाख रुपये
2025-26	-----	शेष राशि

(*)अप्रैल 2022 में प्राप्त हुआ।

(**)अप्रैल-23 में वरीयता शेयरों पर लाभांश के रूप में 110 लाख रुपये (टीडीएस सहित) प्राप्त होने के बाद से इसका प्रभाव तब दिया जा रहा है जब वे प्राप्त होते हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

नोट 54

नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल के 04/06/2021 के आदेश के बाद 100% सहायक कंपनी, मेसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों का एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया है।

तत्कालीन मेसर्स हुगली प्रिंटिंग के स्टोर और प्लांट और मशीनरी को एमएसटीसी के माध्यम से ई-नीलामी के लिए रखा गया है और जब भी वे बेचे जाएंगे, तब प्रभाव दिया जाएगा। चूंकि उक्त संपत्तियों का वास्तविक मूल्य अभी बेचा जाना है। आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है, उन संपत्तियों का वहन मूल्य 4.53 लाख रुपये की संपत्ति के उचित मूल्य में वृद्धि / कमी के रूप में नोट संख्या 35 में अन्य व्यय प्रमुख के तहत लगाया गया है। पूर्ववर्ती हुगली प्रिंटिंग कंपनी की संपत्ति के रखरखाव के लिए आवश्यक किराया, बिजली, सुरक्षा सेवाओं जैसे व्यय को 04/06/2021 से कॉर्पोरेट डिवीजन के तहत दर्ज किया गया है।

नोट 55

कंपनी स्ट्रैप के रूप में घोषित करने और अंततः उसे बिक्री के लिए रखने से पहले एक स्ट्रैप समिति द्वारा व्यक्तिगत वर्तमान या गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के निरीक्षण की प्रथा का पालन करती है।

नोट 56

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान का दायित्व कंपनी के लिए समग्र रूप से माना जाता है, इकाई/डिवीजन के अनुसार नहीं।

नोट 57

कैपिटल डब्ल्यूआईपी में आईएनडी-एस के अनुपालन में 9288.08 लाख रुपये (2021-22 में 8200.72 लाख रुपये) की राशि के युवा चाय पौधों के पोषण और संबंधित खर्च शामिल हैं।

नोट 58

डुआर्स में तीन चाय बागानों के भूमि पट्टे के नवीकरण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 177.66 लाख रुपये की सलामी मांगी है, जिसे एवाईसीएल द्वारा स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ कोलकाता में उच्च सरकारी प्राधिकरणों के साथ छूट के लिए लिया गया है। एवाईसीएल को कंपनी के पक्ष में इस मुद्दे के निपटान की आशा है, जो सलामी के भुगतान के बिना एवाईसीएल के एक अन्य गार्डन के लिए पट्टे के नवीकरण से भी संकेत है।

चूंकि यह मामला सरकार और अर्ध सरकारी-प्राधिकरणों/स्वायत्त निकाय (जैसा भी लागू हो) से संबंधित है और यद्यपि मांगों की माफ़ी के लिए कंपनी के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है, एवाईसीएल ने एक प्रसिद्ध कानूनी सॉलिसिटर फर्म से कानूनी राय प्राप्त की है, जिसके आधार पर नोट संख्या 40 में उल्लिखित कंपनी के खिलाफ दावों में 177.66 लाख रुपये की कुल राशि शामिल है।

नोट 59

कंपनी के पास देनदारों और लेनदारों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्रमाणपत्र मांगने की प्रणाली है। हालांकि, कंपनी ने उन मामलों के लिए खातों में उपलब्ध आंकड़ों को बनाए रखा है, जिनमें देनदारों/लेनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है।

नोट 60

"नोट अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" (नोट 13) के तहत "वैधानिक प्राधिकारियों के साथ शेष राशि" में पूर्ववर्ती औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाली पुनः निधि के लिए 42.97 लाख रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में। इस संबंध में एक दावा पहले ही केंद्रीय भविष्य निधि (पीएफ) अधिकारियों के पास दायर किया जा चुका है, जिन्होंने बदले में संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि प्राधिकरणों के साथ इसे उठाया है। यह सरकारी विभाग की ओर से देय है, तथापि, प्रचुर सावधानी के तौर पर उपरोक्त राशि खातों में उपलब्ध करा दी गई है।

नोट 61

दिनांक 12/11/2021 और 05/01/2022 की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, इलेक्ट्रिकल कोलकाता संचालन की तीन इकाइयों के विद्वत प्रतिष्ठानों सहित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का निपटान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के दौरान, आईएनडी एस 105 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उक्त संपत्तियों को "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में माना गया। चूंकि एक वर्ष की समाप्ति के बाद भी, जैसा कि आईएनडी एस 105 में निर्धारित है, भूमि और भवन के संबंध में कंपनी को अभी तक भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है और संयंत्र और मशीनरी के संबंध में, जिन्हें बार-बार नीलामी आयोजित करने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला, उन संपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गई राशि को निम्न स्तर पर सामान्य अचल संपत्तियों में पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।

- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) से पहले इसकी अग्रणीत राशि को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किसी भी मूल्यहास, परिशोधन या पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया गया था, जिसे मान्यता दी गई होती अगर परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता।
- इसकी वसूली योग्य राशि यानी 31 मार्च, 2023 को निपटान की लागत घटाकर वसूली योग्य मूल्य



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स [IND AS के अनुसार]

लाभ और हानि को निरंतर संचालन से उत्पन्न माना गया है और 147.47 लाख रुपये के नोट 35 "अन्य व्यय" में संपत्ति के उचित मूल्य के पुनः माप के संबंध में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा INDAS 105 के अनुसार इलेक्ट्रिकल कोलकाता की संपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के बाद, INDAS के पैराग्राफ 33-35 के अनुसार पहले बंद किए गए परिचालनों में प्रस्तुत उन संपत्तियों के संचालन के परिणामों को पुनः वर्गीकृत किया गया है और निरंतर परिचालन से आय में शामिल किया गया है।

नोट 62

चाय नर्सरी और छाया नर्सरी के लिए किया गया व्यय रु. 663.45 लाख और रु. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में होने वाली नई खेती और पुरानी खेती गतिविधियों से संबंधित राशि को अलग करना संभव नहीं है, 31.03.2023 तक उद्यान अग्रिम के तहत क्रमशः 154.06 लाख का हिसाब लगाया गया है। इसका पता केवल 18 महीने की समाप्ति पर ही लगाया जा सकता है।

नोट 63

कंपनी ने निम्नलिखित तरीकों से 01/04/2019 से प्रभावी आईएनडी एस -116 को अपनाया है: (क)मानकों को केवल ऐसे मामलों पर लागू किया गया है जहां संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा निष्पादित पट्टा समझौते और/या अधिसूचनाएं कंपनी के हाथों में हैं और नीचे (बी) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, ऐसे पट्टे की शेष अवधि 01/04/2019 तक है। (ख) असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने, भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर, नोट किया है कि, असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 की धारा 9 पट्टेदार को अधिकार का अधिकार प्रदान करती है। अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार उक्त भूमि के संबंध में समय-समय पर देय राजस्व, करों, उपकरणों और दरों के भुगतान के अधीन हैं और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित या परिभाषित अवधि नहीं है। इस प्रकार, आईएनडी एस 116 तदनुसार असम के मामले में लागू नहीं होना चाहिए।

नोट 64

कंपनी ने 31.03.2023 तक बैंक उधारों का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिनके लिए उक्त उधार स्वीकृत किए गए हैं और लिए गए हैं।

नोट-65

कंपनी ने अंतिम कंपनी/वित्तपोषण कंपनी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने या निवेश करने के लिए किसी व्यक्ति/संस्था (विदेशी सहित) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी/प्रतिभूति प्रदान की है।

नोट-66

बैंक को प्रस्तुत वर्तमान परिसंपत्तियों के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं। कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन को छोड़कर चूंकि कोई ऋण देने वाला बैंक नहीं है, ऐसे बयान का सवाल ही नहीं उठता।

नोट-67

तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

[a] ब्रेकेट में आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

[b] इन खातों के आंकड़ों को निकटतम लाखों रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।

[c] पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

एसके बसु एंड कंपनी हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.नं.: 301026E

एस. बसु

पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 29 मई 2023

यूडीआईएन:23053225BGZHQO2176

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री आर एस मनकू
निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07674268

फॉर्म एओसी - 1

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार]

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग - A: सहायक कंपनियाँ

(रूपये लाख में)

1.	क्र.सं.	1	2
2.	सहायक कंपनी का नाम	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्लिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्ट करना	INR	INR
5.	शेयर पूंजी	5.00	5.00
6.	आरक्षित और अधिशेष	(9.49)	(13.16)
7.	कुल संपत्ति	0.06	--
8.	कुल देनदारियों	0.06	--
9.	निवेश	--	--
10.	कारोबार	--	--
11.	कराधान से पहले लाभ	(0.52)	(0.48)
12.	कराधान के लिए प्रावधान	--	--
13.	कराधान के बाद लाभ	(0.52)	(0.48)
14.	प्रस्तावित लाभांश	--	--
15.	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	100%	100%

टिप्पणियाँ:

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी परिचालन शुरू नहीं किया है: लागू नहीं
2. वर्ष के दौरान परिसमापन या बेची गई सहायक कंपनियों के नाम: लागू नहीं



भाग-ख: सहयोगी

(रूपये में)

क्र. सं.	सहयोगियों का नाम	टाइड वाटर कंपनी (आई) लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31 मार्च 2023
2.	वर्ष के अंत में कंपनी के पास सहयोगी के शेयर	
	i. संख्या	4571115
	ii. सहयोगी में निवेश की राशि (लाख रूपये में)	164.56
	iii. होल्डिंग की सीमा % में	26.23
3.	कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इसका विवरण	नोट 3 देखें
4.	कारण कि सहयोगी को समेकित नहीं किया गया है	लागू नहीं
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण नेटवर्थ (लाख रूपये में)	76359.60
6.	वर्ष के लिए लाभ या हानि	
	i. समेकन में विचार किया गया (लाख रूपये में)	3041.30
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

- उन सहयोगियों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: लागू नहीं
- वर्ष के दौरान नष्ट या बेचे गए सहयोगियों के नाम: लागू नहीं
- शेयरधारिता के प्रतिशत (%) के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- कंपनी का कोई संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए संयुक्त उद्यम से संबंधित भाग-ख लागू नहीं है।

एसके बसु एंड कंपनी हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.नं.: 301026E

एस.बसु

पार्टनर (सदस्य सं.: 053225)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 29 मई 2023

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

श्री आर एस मनकू
निदेशक (योजना) एवं निदेशक वित्त
का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 09706881

श्री संजय भट्टाचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07674268



एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
प्रदर्शन एक नज़र में

रु. लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष									
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कारोबार	36,681.36	35,514.83	35,759.86	41,966.72	35,008.18	30,463.06	29,707.98	33,050.79	41,439.28	37,403.60
कुल आय	37,738.87	40,213.71	38,997.73	46,878.76	38,913.50	35,260.32	32,996.23	36,106.65	47,098.14	40,578.87
करों से पहले लाभ	2,542.65	1,389.16	927.36	3,849.95	2,357.32	1,051.12	(2,125.38)	1,470.35	1,120.17	898.23
कर	313.39	93.10	92.07	589.86	645.73	180.93	(73.37)	(649.39)	1,209.88	780.76
कर उपरांत लाभ	2,229.26	1,296.06	835.29	3,260.09	1,711.59	870.19	(2,052.01)	2,119.74	(89.71)	117.47
अन्य व्यापक आय	-	-	-	(276.26)	205.75	(733.19)	484.34	66.51	73.30	(184.56)
कुल व्यापक आय	-	-	-	2,983.83	1,917.34	136.99	(1,567.67)	2,186.25	(16.41)	(67.09)
निवल मूल्य (*)	18,133.35	18,990.27	19,813.14	17,571.71	18,900.58	18,802.19	17,234.52	19,420.55	18,720.93	18,660.54

* नेटवर्थ में आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि शामिल नहीं है

** वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के विवरण को एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पुनर्निर्मित खातों के अनुसार माना जाता है।



एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड

यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001
दूरभाष: (033) 2242-8210/8550; फैक्स: (033) 2242-9770
वेबसाइट: www.andrewyule.com